VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अक्टूबर 2025

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2027

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI : 25 नवंबर, 11 AM | **JAIPUR : 7 नवंबर** | **JODHPUR : 10 नवंबर**

फास्ट ट्रैक कोर्स 2026
सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

क्या आप "प्री" के लिए तैयार हैं?

इस कोर्स का उद्देश्य

GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।

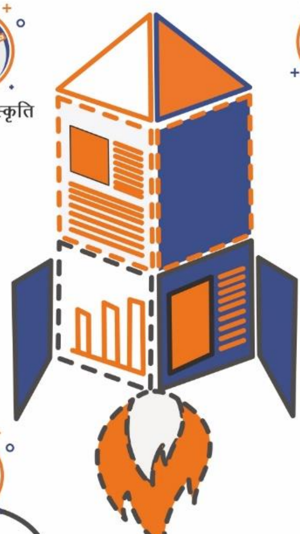

कला एवं संस्कृति
भूगोल
राजव्यवस्था
भारत का इतिहास
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
पर्यावरण
अर्थव्यवस्था

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफ़ॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

हिन्दी माध्यम 13 OCT, 5 PM | **ENGLISH MEDIUM** 13 OCT, 2 PM

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)............5

1.1. कारागार सुधार.. 5

1.1.1. भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 7

1.1.2. एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट 7

1.2. IT (संशोधन) नियम, 2025 8

1.3. भारत के औषधि क्षेत्रक का विनियमन 11

1.4. जनजातीय शासन 13

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 15

1.5.1. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2025 अधिसूचित 15

1.5.2. पोस्टल बैलेट 16

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 17

2.1. अप्रवासन विरोधी नीतियों का उदय........................ 17

2.2. भारत-अफगानिस्तान संबंध: संबंधों का रणनीतिक रूप से पुनर्निर्धारण.. 19

2.3. भारत-रूस संबंध 20

2.4. गाजा शांति शिखर सम्मेलन................................. 23

2.5. भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता 25

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 26

2.6.1. भारत-आसियान संबंध.................................. 26

2.6.2. भारत-यूनाइटेड किंगडम................................ 27

2.6.3. नए "यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा" 28

2.6.4. भारत-मंगोलिया 28

2.6.5. "सेविला फोरम ऑन डेब्ट" शुरू किया गया 29

2.6.6. प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता.......... 30

2.6.7. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद.................... 30

2.6.8. आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 31

2.6.9. सुर्ख़ियों में संघर्षरत क्षेत्र 31

3. अर्थव्यवस्था (Economy)..32

3.1. बहुआयामी निर्धनता.. 32

3.2. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025........................ 34

3.3. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना......................... 36

3.4. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 38

3.5. मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता40

3.6. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार के प्रति भारत का दृष्टिकोण 42

3.7. महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना 44

3.8. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2023-24............ 45

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.. 46

3.9.1. RBI ने छह सदस्यीय 'भुगतान विनियामक बोर्ड' का गठन किया.. 46

3.9.2. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण................................ 47

3.9.3. NBFCs के लिए स्व-विनियामक संगठन 48

3.9.4. रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 . 49

3.9.5. RBI द्वारा शुरू की गई नई पहलें....................... 49

3.9.6. स्वामी फंड 50

3.9.7. एंगेल्स का ठहराव 50

3.9.8. वेटेड एवरेज कॉल रेट.................................... 51

3.9.9. विश्व आर्थिक परिदृश्य 52

3.9.10. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 52

3.9.11. पीएम-सेतु/ PM-SETU (प्रधान मंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रु अपग्रेडेड ITIs) 52

3.9.12. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (RoDTEP) योजना 53

3.9.13. 'वी राइज' पहल 53

3.9.14.अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज 54

3.9.15. राज्य खनन तत्परता सूचकांक 54

3.9.16. प्रमुख और गौण खनिज.................................. 55

3.9.17. मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज (MAHA)-मेडटेक मिशन लॉन्च किया गया.................... 55

4. सुरक्षा (Security) 57

4.1. वामपंथी उग्रवाद.. 57

4.2. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 59

4.3. साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय........ 61

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.. 62

4.4.1. अनंत शस्त्र वायु-रक्षा प्रणाली 62
4.4.2. रियल टाइम में ड्रोन-रोधी रक्षा के लिए सक्षम/ SAKSHAM प्रणाली 63
4.4.3. ड्रोन वॉल 63
4.4.4. आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संबद्ध योजना 63
4.4.5. आईएनएस एंड्रोथ....................................... 63
4.4.6. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास 64
5. पर्यावरण (Environment)..65
5.1. सतत विकास लक्ष्यों के 10 वर्ष: भारत की प्रगति......... 65
5.2. शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र...................... 67
5.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.. 68
5.3.1. वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन, 2025' रिपोर्ट 68
5.3.2. सरकार ने प्रथम "ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य" नियम अधिसूचित किए 69
5.3.3. ओज़ोन प्रदूषण 70
5.3.4. नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज 71
5.3.5. बिहार में नए रामसर स्थल 71
5.3.6. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न पहलों की शुरुआत की................................ 72
5.3.7. वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) 2025 72
5.3.8. वनों के लिए वित्त की स्थिति 2025................... 73
5.3.9. IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 73
5.3.10. संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट का अद्यतन 74
5.3.11. बाघों के लिए पहला IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज आकलन जारी किया गया............................. 75
5.3.12. भारत में हाथियों की स्थिति: हाथियों का DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान (SAIEE) 2021-25 76
5.3.13. भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स)......... 77
5.3.14. ऊंटों पर ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर में 'राष्ट्रीय ऊंट संधारणीयता पहल (NCSI)' का प्रस्ताव किया गया 77
5.3.15. IUCN ने भारत के डुगोंग संरक्षण रिज़र्व को मान्यता प्रदान की 78
5.3.16. मध्य एशियाई स्तनपाई पहल 79
5.3.17. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) कांग्रेस ने 'अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल (EW4All)' के तेजी से कार्यान्वयन का आह्वान किया 79
5.3.18. अरब सागर मिनी वॉर्म पूल............................ 80
5.3.19. मैत्री II 80
5.3.20. मड वोल्केनो 81
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 82
6.1. सामाजिक न्याय की स्थिति 82
6.2. वैश्विक भुखमरी सूचकांक...................................... 85
6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.. 87
6.3.1. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट, 2023 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए 87
6.3.2. चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट 88
6.3.3. WHO ने "2000–2024 के बीच तंबाकू उपयोग की वैश्विक प्रवृत्तियों" पर रिपोर्ट जारी की 89
6.3.4. स्वच्छ शहर जोड़ी 89
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)..... 91
7.1. शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी) या चिकित्सा (मेडिसिन) के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 91
7.2. रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 93
7.3. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 95
7.4. एस्ट्रोसैट 97
7.5. गैर-संचारी रोग 98
7.6. रोगाणुरोधी प्रतिरोध.. 101
7.7. अन्य संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ.. 104
7.7.1. माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना 104
7.7.2. प्रथम पूर्ण स्वदेशी 4G (5G-रेडी) नेटवर्क का शुभारंभ 104
7.7.3. 'अनुसंधान विकास एवं नवाचार' योजना के लिए दिशा-निर्देश और 'विशेष प्रयोज्य निधि' को मंजूरी दी गई 105

8. कला एवं संस्कृति (Culture)....................................107

8.1. श्री नारायण गुरु 107

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 108

8.2.1. वंदे मातरम... 108

8.2.2. बामियान बुद्ध... 108

8.2.3. बथुकम्मा उत्सव 108

8.2.4. नोबेल शांति पुरस्कार 2025.......................... 109

8.2.5. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप.................. 109

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 111

9.1. समावेशी संवृद्धि 111

10. सुर्ख़ियों में रही प्रमुख योजनाएं (Schemes in News).. 114

10.1. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) 114

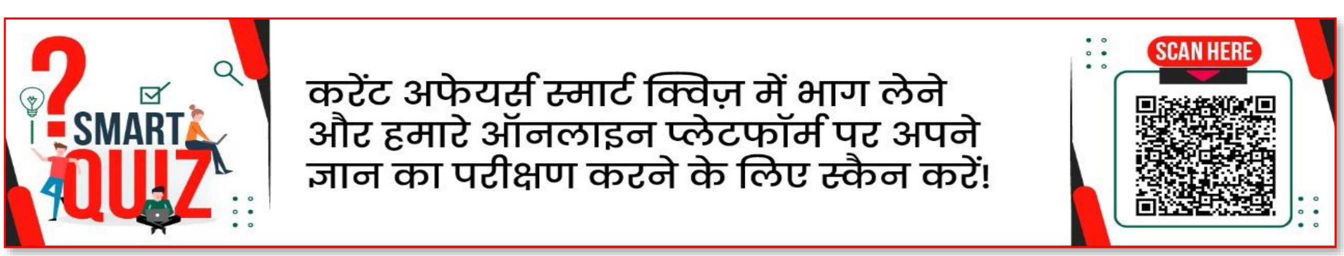

नोट:	
प्रिय अभ्यर्थियों, करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:	
	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
QUIZ	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
NEWS	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. कारागार सुधार (Prison Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 'भारतीय कारागार सांख्यिकी (PSI) 2023' रिपोर्ट जारी की है।

भारत में कारागारों या जेलों का प्रशासन

- **कारागार एवं उनमें निरुद्ध व्यक्तियों से संबंधित विषय को संविधान की अनुसूची VII के अंतर्गत 'राज्य सूची' की प्रविष्टि 4 में शामिल किया गया है।** इसलिए, कारागारों और कैदियों का प्रशासन एवं प्रबंधन **संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी** होती है।
    - **केंद्रीय गृह मंत्रालय** द्वारा भी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को कारागार प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नियमित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है।
- इससे पहले, कारागारों का प्रशासन कारागार अधिनियम, 1894 और संबंधित राज्य सरकारों की कारागार नियमावली के माध्यम से किया जाता था।
    - गृह मंत्रालय ने **आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023** तैयार किया है। यह अधिनियम ब्रिटिश कालीन कानूनों में सुधार हेतु राज्यों के लिए एक "मार्गदर्शक दस्तावेज" के रूप में कार्य कर सकता है।
    - **आदर्श कारागार अधिनियम, 2023** के अंतर्गत **बंदी अधिनियम, 1900 और बंदी अंतरण अधिनियम, 1950** के प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल किया गया है।

कारागारों से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद (2024):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **खुली जेलों (Open Prisons) की स्थापना** जेलों में कैदियों की अधिक संख्या की समस्या का एक समाधान है। साथ ही, इससे कैदियों के पुनर्वास को भी प्रोत्साहन मिलता है।
    - **खुली जेल एक ऐसी दंडात्मक व्यवस्था है,** जहां कैदियों को **न्यूनतम निगरानी और सुरक्षा परिधि** के साथ सजा काटने की अनुमति होती है। साथ ही, यहां कैदियों को **कारागार कक्षों में बंद नहीं किया जाता है**। यह मॉडल राजस्थान में अपनाया गया है।
- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद (1979):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि **त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत** एक मूल अधिकार है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप हजारों विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया।

कारागार या जेल सुधारों के लिए किए गए उपाय

- **गृह मंत्रालय ने आदर्श कारागार नियमावली, 2016 के नियमों और आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में संशोधन किया है।** इस संशोधन का उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को दूर करना है।
    - ये संशोधन **सुकन्या शांता बनाम भारत संघ और अन्य वाद** में, कैदियों के बीच जाति-आधारित भेदभाव के उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किए गए हैं।
    - **आदर्श कारागार नियमावली, 2016** का उद्देश्य देश भर में कारागारों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित **कानूनों, नियमों और विनियमों में बुनियादी एकरूपता** लाना है।
- **गरीब कैदियों को सहायता योजना:** इस योजना के तहत **राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया** है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य **उन गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है,** जो आर्थिक तंगी की वजह से जुर्माना न चुका पाने के कारण जमानत प्राप्त करने या जेल से रिहाई पाने में असमर्थ हैं।

- **ई-कारागार परियोजना:** यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित कैदी सूचना प्रबंधन प्रणाली का पूरक है। यह **कैदियों से संबंधित सूचनाओं की रिकॉर्डिंग एवं प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत दृष्टिकोण** प्रदान करती है। साथ ही, यह विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करती है।
- **कारागार आधुनिकीकरण परियोजना:** इसका उद्देश्य कारागारों की **सुरक्षा से संबंधित अवसंरचनाओं में विद्यमान कमियों को दूर करना तथा आधुनिक तकनीकों के अनुरूप कारागारों को नए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना** है।
- **उच्चतम न्यायालय की फास्टर (FASTER)[1] प्रणाली:** इसका उद्देश्य न्यायालयों से कारागार प्राधिकारियों तक जमानत आदेशों के संचार में होने वाली देरी को दूर करना है।

आगे की राह/ सिफारिशें

- **कारावास और हिरासत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तीन सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना चाहिए:**
  - पहला, कारागार में बंद कोई व्यक्ति भी मानव ही होता है, अर्थात बंदी बनने पर वह अपनी मानवीय पहचान नहीं खोता है।
  - दूसरा, कारागार में बंद व्यक्ति को कारावास की सीमाओं के भीतर सभी मानवाधिकार प्राप्त हैं।
  - तीसरा, कारावास की प्रक्रिया में निहित कष्टों को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।
- **गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशें:**
  - **जमानत पर रिहा कैदियों की निगरानी हेतु ट्रेकेबल ब्रेसलेट** जैसी तकनीक **का उपयोग किया जाना चाहिए**।
  - **औपनिवेशिक कालीन कारागारों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए,** ताकि उनकी विरासत को संरक्षित किया जा सके और **पर्यटन को बढ़ावा देकर** राजस्व अर्जित किया जा सके।
  - **राज्य सरकारें** कैदियों के लिए कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने हेतु **एक कारागार विकास कोष** का गठन कर सकती हैं।
- **न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला समिति की सिफारिशें:**
  - **भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जानी चाहिए।**
  - **जेल से रिहा होने के बाद की देखभाल (After-care), पुनर्वास और परिवीक्षा** को कारागार सेवा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।
  - **प्रेस और आम जनता को** समय-समय पर कारागारों एवं संबद्ध सुधार संस्थानों में जाने की **अनुमति दी जानी चाहिए**।
  - **विचाराधीन कैदियों की संख्या न्यूनतम की जानी चाहिए** और उन्हें दोषसिद्ध कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए।
- **न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति की सिफारिशें:**
  - छोटे अपराधों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए।
  - न्यायालयों में वरिष्ठ नागरिकों और बीमार कैदियों की पेशी के लिए **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाना चाहिए**।
  - **महिला कैदियों के लिए विशेष महिला कारागार** और चिकित्सा वार्ड **की स्थापना की जानी चाहिए**। साथ ही, ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।
  - कारागार में हिंसा को कम करने के लिए कारागारों के भीतर **विचाराधीन कैदियों, दोषसिद्ध कैदियों और पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को अनिवार्य रूप से अलग-अलग रखा जाना चाहिए**।

निष्कर्ष

आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 और हालिया न्यायिक निर्णय इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को दर्शाते हैं कि न्याय का उद्देश्य केवल दंड तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें गरिमा, सुधार और पुनर्वास का समावेश भी आवश्यक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, मानव संसाधनों को सुदृढ़ करके और समानुभूति-आधारित सुधारात्मक प्रथाओं को बढ़ावा देकर, कारागारों को वास्तविक सुधारात्मक संस्थानों के रूप में विकसित किया जा सकता है। ये उपाय कैदियों को समाज में पुनः रचनात्मक रूप से घुलने-मिलने के लिए तैयार कर सकते हैं।

[1] FASTER-फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स/FASTER-Fast and Secured Transmission of Electronic Records

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के बारे में

नई दिल्ली

स्थापना: **1986** (**टंडन समिति,** राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–1981) और **गृह मंत्रालय के कार्यबल (1985)** की सिफारिशों के आधार पर)

मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA)

मुख्य कार्य:

- **डेटा रिपॉज़िटरी:** अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण का कार्य करता है ताकि जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके, जैसे – यौन अपराधियों संबंधित राष्ट्रीय डाटाबेस (NDSO)।
- **राष्ट्रीय अभिलेखागार:** भारतीय और विदेशी अपराधियों के **फिंगरप्रिंट अभिलेखों** के लिए। **राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)** को **NCRB** में समन्वित किया गया है, जो एक खोज योग्य डेटाबेस प्रदान करती है।
- **समन्वय:** यह अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS) के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है।
- **प्रकाशन:** यह वार्षिक राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी प्रकाशित करता है, जिसमें **'भारत में अपराध'**, **'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं'** तथा **'जेल सांख्यिकी रिपोर्ट'** शामिल हैं।

1.1.1. भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 (Crime in India Report: 2023)

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट जारी की।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कुल दर्ज मामले: संज्ञेय अपराध** में 2022 की तुलना में 7.2% की वृद्धि हुई है। ध्यातव्य है कि संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनके आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है।
    - इसका अर्थ है कि भारत में 2023 में हर पांच सेकंड में एक अपराध हुआ।
- **साइबर अपराध:** 2022 की तुलना में 2023 में भारत में दर्ज साइबर अपराध के मामलों में **31.2% की** वृद्धि हुई। इनमें से अधिकांश मामले **धोखाधड़ी** से संबंधित थे, जिसके बाद यौन शोषण से संबंधित मामलों का स्थान रहा।
- **अनुसूचित जनजातियों (STs) के विरुद्ध अपराध:** इसमें दर्ज मामलों में **28.8%** की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण **मणिपुर में हुई जातीय हिंसा** था।
- **बच्चों के विरुद्ध अपराध:** 2022 की तुलना में मामलों में **9.2%** की वृद्धि हुई। सबसे अधिक मामले अपहरण (Abduction) और व्यपहरण(Kidnapping) के तहत दर्ज किए गए। इसके बाद लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम का स्थान रहा।
- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध:** 2022 की तुलना में **0.7%** की मामूली वृद्धि देखी गई।

1.1.2. एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट (Accidental Deaths & Suicides in India 2023 Report)

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023' रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **आत्महत्या के मामलों में वृद्धि:** 2023 में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों में 2022 की तुलना में **0.3% की वृद्धि** हुई है।
    - हालांकि, आत्महत्या की **दर** में 2022 की तुलना में 2023 में **0.8% की कमी** आई है।
- **उच्च आत्महत्या-दर वाले शीर्ष राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्या-दर दर्ज** की गई। इसके बाद क्रमशः **सिक्किम और केरल** का स्थान हैं।
    - शहरों में आत्महत्या की दर अखिल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में **अधिक** है।
- **कुल आत्महत्याओं में सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य:** 2023 में देश में आत्महत्या के कुल मामलों में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी **महाराष्ट्र** की है। इसके बाद क्रमशः **तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल** का स्थान है।

Digital Current Affairs
छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

- **आत्महत्या के कुल मामलों में पुरुष और महिलाओं** का अनुपात **72.8:27.2** है।
- **आत्महत्या के प्रमुख कारण:**
    - **पारिवारिक समस्याएं (31.9%, विवाह संबंधी समस्याओं के अलावा)**,
    - बीमारी (19.0%),
    - नशीली दवाओं का सेवन/ शराब की लत (7.0%),
    - विवाह संबंधी मुद्दे (5.3%),
    - प्रेम संबंध (4.7%),
    - दिवालियापन या कर्ज (3.8%),
    - बेरोजगारी (1.8%),
    - परीक्षा में असफलता (1.4%)
- **किसान आत्महत्या:** कुल **10,786** किसानों ने आत्महत्या की जो देश में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों का **6.3%** हैं।
    - **किसान/ काश्तकार/ कृषि मजदूर द्वारा आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं करने वाले राज्य:** पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा।

आत्महत्या को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022):** इसका उद्देश्य **2030 तक** आत्महत्या मृत्यु दर को **10%** कम करना है।
- **टेली-मानस (Tele-MANAS):** यह **टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स** का संक्षिप्त रूप है। यह **24/7** आधार पर **निःशुल्क** टेली-मानसिक स्वास्थ्य-देखभाल सहायता प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):** इसका उद्देश्य सुलभ और विकेन्द्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।
- **मनोदर्पण:** यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य **विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सेहतमंदी के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता** प्रदान करना है।

1.2. IT (संशोधन) नियम, 2025 {IT (Amendment) Rules, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT नियम 2021) में संशोधन** का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य डीपफेक सहित कृत्रिम रूप से तैयार की गई सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकना है।

Digital Current Affairs
डीपफेक पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये संशोधित नियम **15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे**। इन्हें **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2025** कहा जाएगा।
    - **प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मध्यवर्तियों के लिए निर्धारित किए गए उचित दायित्वों को अधिक मजबूत करना है।** इन मध्यवर्तियों में विशेष रूप से सोशल मीडिया मध्यवर्ती (SMI) और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती (SSMI) शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के बारे में

- इन नियमों को मूल रूप से 2021 में अधिसूचित किया गया था तथा बाद में इन्हें 2022 और 2023 में संशोधित किया गया था। ये नियम निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं-
    - समाचार और समसामयिक विषयों के कंटेंट तथा ध्यानपूर्वक चयनित और व्यवस्थित ऑडियो-विजुअल कंटेंट के **ऑनलाइन प्रकाशकों द्वारा संबंधित कंटेंट के विनियमन** हेतु रूपरेखा।

   - ऑनलाइन सुरक्षा, संरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SMIs सहित **मध्यवर्तियों के लिए उचित दायित्व**।
- **SMIs और SSMIs को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:**
   - **SMI** का अर्थ एक ऐसे मध्यस्थ से है, जो मुख्यतः या पूर्णतः **दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन इंटरेक्शन को सक्षम बनाता है**। साथ ही, यह उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाओं का उपयोग करके जानकारी तैयार करने, अपलोड करने, साझा करने, प्रसारित करने, संशोधित करने या उस तक पहुंच को आसान बनाता है।
   - **SSMIs** का अर्थ एक ऐसे सोशल मीडिया मध्यस्थ से है, जिसके भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा से अधिक है।

प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं

पहलू	विवरण
कृत्रिम रूप से तैयार सूचना (SGI) की परिभाषा	• यह ऐसा कंटेंट या सूचना होती है, जिसे कंप्यूटर का उपयोग करके कृत्रिम रूप से या एल्गोरिदम द्वारा निर्मित, सृजित, संशोधित या परिवर्तित किया जाता है, ताकि वह दिखने में वास्तविक या सत्य प्रतीत हो।
SGI के संबंध में उचित दायित्व	• यह अधिदेशित किया गया है कि SGI के निर्माण या संशोधन को सक्षम करने वाले कंप्यूटर संसाधनों की पेशकश करने वाले मध्यवर्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जानकारी पर **स्थायी अद्वितीय मेटाडेटा या पहचान चिन्ह लगाया गया हो**। • **यदि कंटेंट दृश्य (Visual) रूप में है, तो यह लेबल कुल डिस्प्ले क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत हिस्से को कवर करता हो। यदि कंटेंट श्रव्य (Audio) है, तो लेबल शुरुआती अवधि के कम से कम 10 प्रतिशत समय तक मौजूद होना चाहिए।** • यह लेबल या पहचान चिन्ह इस तरह शामिल किया जाना चाहिए कि **तुरंत यह पहचान की जा सके कि कंटेंट SGI है**। • ऐसे लेबल या पहचान चिन्हों को संशोधित करने, आकार घटाने या हटाने से **मध्यवर्तियों को प्रतिबंधित** किया गया है।
SSMI के लिए दायित्वों का विस्तार:	इसके लिए SSMI द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने आवश्यक हैं: • SSMIs को **उपयोगकर्ताओं से यह डिक्लेयरेशन प्राप्त करना होगा कि अपलोड की गई जानकारी कृत्रिम रूप से तैयार की गई है या नहीं**; • ऐसे डिक्लेयरेशन को सत्यापित करने के लिए स्वचालित उपकरणों या अन्य उपयुक्त तंत्रों सहित **उचित और आनुपातिक तकनीकी उपायों** को लागू करना होगा; • यह सुनिश्चित करना होगा कि **स्पष्ट रूप से और प्रमुखता के साथ SGI का उचित लेबल या सूचना प्रदर्शित हो**। *यदि वे **अनुपालन करने में विफल रहते हैं**, तो **प्लेटफ़ॉर्म** तृतीय-पक्ष के कंटेंट के संदर्भ में प्राप्त **विधिक उन्मुक्ति (Legal Immunity) खो सकते हैं**।*
वरिष्ठ स्तर की स्वीकृति	संशोधन के बाद किसी भी अवैध कंटेंट को हटाने के लिए मध्यवर्तियों को दी जाने वाली सूचना केवल निम्नलिखित के द्वारा ही जारी की जा सकती है— • केंद्र सरकार के मंत्रालयों में **संयुक्त सचिव (Joint Secretary) या उससे उच्च अधिकारी** द्वारा अथवा राज्यों में उनके समकक्ष अधिकारी द्वारा। • पुलिस बलों में **उप महानिरीक्षक (DIG) या उससे उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा**।

AI-जनित कंटेंट की पहचान करने में आने वाली चुनौतियां

- **मानदंडों का अभाव:** मानकीकृत मानदंडों के अभाव के कारण मौजूदा AI डिटेक्टर में **त्रुटि की दर अधिक** हो जाती है। इसके कारण अक्सर फॉल्स पॉजिटिव (मानव जनित कंटेंट को AI-जनित बता देना) या ट्रू नेगेटिव (AI-जनित कंटेंट को पहचानने में असफल रहना) जैसे परिणाम सामने आते हैं।
- **क्षमता का अभाव:** AI-जनित कंटेंट की मात्रा **अधिकांश पहचान प्रणालियों की प्रसंस्करण और भंडारण क्षमताओं से अधिक है**। इसके अतिरिक्त, पहचान प्रणाली के विस्तार से वित्तीय चुनौतियां उत्पन्न होंगी।

- **अनामिता:** AI-जनित कंटेंट/ डीपफेक को बिना पहचान बताए बनाया जा सकता है या इसे विदेशी सर्वरों पर जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, एकीकृत कानूनों या नियामक तंत्र का अभाव दूसरे देशों के जरिये किए जाने वाले सत्यापनों और ट्रेस करने की क्षमता में बाधा डालता है।
- **दृश्यता:** जनरेटिव AI (GenAI) द्वारा सृजित कंटेंट **मानव-निर्मित कंटेंट के साथ सहजता से मिश्रित हो जाता है**। इससे पता लगाने वाली प्रणालियों के लिए पहचान करना कठिन हो जाता है।
  - उदाहरण के लिए, मिडजर्नी, डॉल-ई (DALL-E) और स्टेबल डिफ्यूज़न जैसे टूल्स वास्तविक प्रतीत होने वाले चित्र उत्पन्न कर सकते हैं। अतः अक्सर AI-जनित चित्रों में भेद करना कठिन हो जाता है।
- **नवाचार और गोपनीयता का संतुलन:** पहचान तंत्र अक्सर **मेटाडेटा ट्रैकिंग के कारण गोपनीयता संबंधी चिंताएं** उत्पन्न करते हैं। कठोर विनियमन AI नवाचार को बाधित कर सकता है, जबकि अपर्याप्त विनियमन गलत सूचना के अनियंत्रित प्रसार का जोखिम उत्पन्न करता है।

डीपफेक से निपटने के लिए उठाए गए कदम

भारत

- **भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावों के दौरान SGI और AI-जनित कंटेंट के प्रकटीकरण पर परामर्श जारी किया:** सभी राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि-
  - प्रचार उद्देश्यों के लिए उपयोग या प्रसारित की जाने वाली किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न या AI द्वारा परिवर्तित छवि, ऑडियो या वीडियो पर एक **स्पष्ट और सुपाठ्य लेबल, जैसे कि "AI-जनित", "डिजिटल रूप से संवर्धित" या "सिंथेटिक कंटेंट"** अंकित होना चाहिए। **यदि कंटेंट दृश्य (visual) रूप में है, तो लेबल कुल प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत हिस्से को कवर करता हो। यदि कंटेंट श्रव्य (audio) रूप में है, तो लेबल शुरुआती अवधि के कम से कम 10 प्रतिशत समय तक मौजूद होना चाहिए।**
    - वीडियो कंटेंट के मामले में लेबल स्क्रीन के ऊपरी भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
  - आधिकारिक पार्टी हैंडल पर AI-संशोधित छवि, ऑडियो या वीडियो, गलत सूचना या हेरफेर किए गए कंटेंट का कोई भी उदाहरण **देखे जाने या रिपोर्ट किए जाने के 3 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा।**
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि **व्यक्तिगत डेटा का उपयोग डेटा फिड्युशियरीज़ (Data Fiduciaries) द्वारा उपयोगकर्ता की सहमति और उचित सुरक्षा उपायों के साथ वैध रूप से किया जाए**। डेटा फिड्युशियरीज़ में AI कंपनियां भी शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाले डीपफेक दंडनीय हो सकते हैं।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** यह एजेंसियों को IT अधिनियम और IT नियम, 2021 के तहत डीपफेक सहित गैरकानूनी कंटेंट को हटाने या उस तक पहुँच समाप्त करने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।
- **अन्य:** I4C द्वारा सहयोग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, CERT-In, आदि।

वैश्विक

- **यूरोपीय संघ का AI एक्ट** सिंथेटिक कंटेंट पर वॉटरमार्किंग को अनिवार्य बनाता है।
- **डेनमार्क** ने AI-जनित डीपफेक के प्रभाव से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने **डिजिटल कॉपीराइट कानून के हिस्से के रूप में नए डीपफेक कानून** का प्रस्ताव रखा है।
- चीन ने अपने AI लेबलिंग नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब कंटेंट प्रदाताओं को AI द्वारा निर्मित कंटेंट की पहचान के लिए स्पष्ट लेबल प्रदर्शित करने होंगे।

आगे की राह

- **डिजिटल फ्रेमवर्क:** AI-जनित कंटेंट की पहचान के लिए तीन स्तंभों के आधार पर एक टिकाऊ समाधान विकसित किया जा सकता है:
  - **आधार के समान एक डिजिटल प्रोवेनेंस फ्रेमवर्क स्थापित करना,** जिसमें कंटेंट को प्रमाणित करने के लिए अदृश्य लेकिन सत्यापन योग्य हस्ताक्षर शामिल हों।

- **उत्तरदायित्व निर्धारण की विभिन्न स्तरित व्यवस्था लागू करना,** जो सिंथेटिक मीडिया प्रबंधित करने वाले प्लेटफार्मों की भूमिका एवं प्रभाव के आधार पर दायित्व निर्धारित करे।
- **AI साक्षरता को बढ़ावा देना,** ताकि नागरिक हेरफेर को पहचानने में सक्षम हो सकें।

- **शासन संबंधी संरचना:** गोपनीयता और नैतिक विचारों को संतुलित करते हुए, AI कंटेंट की पहचान को सुदृढ़ करने हेतु **नियामक संरचनाएं, मानकीकृत तकनीकी प्रोटोकॉल और मजबूत निगरानी तंत्र** विकसित किया जाना चाहिए।
- **वॉटरमार्किंग:** AI वॉटरमार्किंग, एक समाधान प्रदान कर सकता है। इसमें AI-जनित कंटेंट में अमिट चिह्न लगाए जाते हैं, जो कंटेंट की उत्पत्ति एवं संपूर्णता को **डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में** प्रमाणित करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, चीन द्वारा लागू किया गया अनिवार्य AI लेबलिंग नियम।
- **AI-जनित कंटेंट की पहचान के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना: घरेलू प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।** साथ ही, AI इकोसिस्टम में सुदृढ़ और अनुकूल शासन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** AI-जनित कंटेंट की पहचान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन्हें साझा करने हेतु प्रयास करने चाहिए। इसके लिए सरकारी निकायों, उद्योग प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के साथ परामर्श में सक्रिय रूप से शामिल होकर एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत AI शासन के युग में कदम रख रहा है, घरेलू नियमों को वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, नवाचार-अनुकूल सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक AI साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इससे एक सुरक्षित एवं भरोसेमंद ऑनलाइन स्पेस का निर्माण होगा, जो रचनात्मकता और सुरक्षा दोनों को अनुरक्षित रखेगा।

1.3. भारत के औषधि क्षेत्रक का विनियमन (Regulation of India's Pharmaceutical Sector)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के औषधि सुरक्षा नियमों में व्याप्त कमियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। WHO द्वारा यह चिंता देश में संदूषित कफ सिरप के कारण हुई लगभग 20 बच्चों की मौत के बाद व्यक्त की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के औषधि नियामक द्वारा तीन संदूषित कफ सिरप की पहचान की गई है। इनमें कोल्ड्रिफ (श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स), रेस्पिफ्रेश (रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स) और रीलाइफ (शेप फार्मा) शामिल हैं।

डेटा बैंक

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्रक की स्थिति

- **वैश्विक स्थिति:** मात्रा के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और मूल्य के अनुसार 14वां सबसे बड़ा उत्पादक।
- **बाजार मूल्य: 50 अरब डॉलर (2023-24)**
- **वैश्विक आपूर्ति:** भारत **विश्व की 20% जेनेरिक दवाओं** की आपूर्ति करता है।

भारत में औषधीय उत्पादों का विनियमन:

- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945:** इनके माध्यम से भारत में औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, विनिर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित किया जाता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि औषधियां गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के आवश्यक मानकों को पूरा करें।
- **राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण:** इन्हें लाइसेंस प्रदान करने, निरीक्षण करने और राज्य स्तर पर औषधि कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का अधिकार प्राप्त है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्यरत (CDSCO)[2] भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (NRA) है।

[2] केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization)

- CDSCO औषधियों के अनुमोदन, औषधियों के प्रयोग से पूर्व होने वाले परीक्षणों (क्लीनिकल ट्रायल) के संचालन, औषधियों के मानक निर्धारित करने और देश में आयातित की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। ये कार्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत CDSCO को सौंपे गए हैं।

- **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):** यह औषध (मूल्य नियंत्रण) संबंधी आदेश के प्रावधानों को लागू करता है।
- **उत्तम विनिर्माण पद्धतियां (GMP):** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची 'M' के तहत उत्तम विनिर्माण पद्धतियों को निर्धारित किया गया है। इन पद्धतियों का निर्धारण WHO के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

भारत में नकली औषधियों से संबंधित प्रमुख चुनौतियां:

- **विनियामकीय कमियां:** CDSCO और राज्य स्तर के प्राधिकरणों द्वारा किया जाने वाला निरीक्षण असंगत एवं विभिन्न स्तरों पर बिखरा हुआ है। इसके कारण दवा कंपनियों के कार्यों की निगरानी प्रभावी रूप से नहीं हो पाती है।
- **विषाक्त संदूषण या निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयां:** उदाहरण के लिए, जांच में पाया गया कि कुछ कफ सिरप में **डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG)** जैसे विषाक्त पदार्थ मौजूद थे। यह आमतौर पर औद्योगिक विलायकों (सॉल्वेंट्स) में पाया जाने वाला एक विषाक्त पदार्थ है।
- **खराब गुणवत्ता का नियंत्रण:** विनिर्माण पद्धतियों में व्याप्त कमियों, अपर्याप्त प्रयोगशाला परीक्षण और **उत्तम विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन नहीं किए जाने** के कारण असुरक्षित दवाएं बाजार में पहुंच जाती हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला और भंडारण संबंधी समस्याएं:** अनुचित भंडारण परिस्थितियों और खराब शीत भंडारण श्रृंखला (कोल्ड चेन) प्रबंधन के कारण दवाएं खराब हो सकती हैं, जिससे वे असुरक्षित हो जाती हैं।
- **दवाओं को बाजार से वापस लिए जाने से संबंधित अनिवार्य कानून का अभाव:** भारत में निम्न स्तरीय दवाओं को बाजार से वापस लिए जाने से संबंधित एक **बाध्यकारी राष्ट्रीय कानून** का अभाव है। इस उपाय पर 1976 से चर्चा की जा रही है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।
- **ऑनलाइन नकली दवाओं का बढ़ता खतरा:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 10 में से 1 दवा निम्न गुणवत्ता वाली या नकली होती है। साथ ही, यह भी देखा गया है कि अनधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके प्रसार का प्रमुख माध्यम बनते जा रहे हैं।

सिफारिशें

रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2024-25) ने नकली एवं मिलावटी दवाओं से निपटने के लिए प्रवर्तन, नियामकीय निगरानी और जन जागरूकता को मजबूत करने हेतु तत्काल तथा ठोस उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है।

- **कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन:** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 को संपूर्ण देश में कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, ताकि नकली एवं मिलावटी दवाओं की समस्या को समाप्त किया जा सके।
  - **त्वरित कानूनी कार्रवाई और कठोर दंड व्यवस्था:** त्वरित कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, कठोर दंड लगाया जाना चाहिए और नियमों का पालन नहीं करने वाले विनिर्माताओं पर रोक लगाई जानी चाहिए।
  - **मजबूत निगरानी और निरीक्षण: विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में**, कठोर निगरानी, समयबद्ध निरीक्षण और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **वितरण संबंधी उत्तम व्यवस्थाओं (GDP) से संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी दिशानिर्देश:** आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए CDSCO के वितरण संबंधी उत्तम व्यवस्थाओं से संबंधित दिशानिर्देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।
- **एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय:** नकली दवाएं बनाने वाले नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामक संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (GMP) का प्रवर्तन:** उत्तम विनिर्माण पद्धतियों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए।
- **राष्ट्रीय जागरूकता अभियान:** नकली दवाओं की पहचान करने एवं उल्लंघन की रिपोर्ट करने के बारे में उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को शिक्षित करने हेतु एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

CSAT मैथ क्लासरूम प्रोग्राम – 2026
ENGLISH MEDIUM 25 SEPT, 5 PM
हिन्दी माध्यम 13 अक्टूबर, 5 PM

1.4. जनजातीय शासन (Tribal Governance)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, देशभर के एक लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और टोलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान **आदि कर्मयोगी अभियान** के एक भाग के रूप में **जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा-पत्र** को अपनाया गया।

जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा-पत्र की मुख्य विशेषताएं

- **ग्राम-स्तरीय प्राथमिकताएं:** प्रत्येक घोषणा-पत्र में ग्राम स्तर पर **शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक और वित्तीय समावेशन तथा अवसंरचनाओं के कार्यान्वयन योग्य लक्ष्यों** की रूपरेखा प्रदान की गई है।
- **संस्थागत तंत्र:** प्रत्येक गांव में **"आदि सेवा केंद्र"** स्थापित किए जाएंगे, जो नागरिकों के लिए **सिंगल-विंडो सर्विस सेंटर** के रूप में कार्य करेंगे। यहां ग्रामीण प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे स्वैच्छिक सेवा (**आदि सेवा समय**) देंगे।

आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में

- यह एक **विकेन्द्रीकृत जनजातीय नेतृत्व और शासन तंत्र** के निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय आंदोलन है।
- **कवरेज:** यह **विश्व का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम** है। यह 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 11 करोड़ नागरिकों को कवर करता है।
- **संबंधित मंत्रालय:** जनजातीय कार्य मंत्रालय।
- **मुख्य उद्देश्य**
  - **550 जनजातीय बहुल जिलों के 1 लाख गांवों में बदलाव लाने वाले 20 लाख जनजातीय नेतृत्वकर्ताओं** को प्रशिक्षित और संगठित करना।
  - **ग्राम विजन 2030 योजना एवं विकास कार्य योजना** को सुगम बनाना।
  - सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच और प्रभावी सेवा वितरण को बढ़ावा देना।
  - जनजातीय समुदायों के हितों को बढ़ावा देना।
- **नेतृत्व के तीन स्तंभ:** आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी।

जनजातीय शासन

- **जनजातीय कार्य मंत्रालय:** इसे 1999 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु संगठित दृष्टिकोण प्रदान करना है।
- **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा/ PESA):** इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को स्वशासन अपनाने और उनकी मूल मान्यताओं, मूल्यों और जीवन शैली को संरक्षित करने में सशक्त बनाना है।
  - यह ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है, उन्हें संसाधनों, भूमि हस्तांतरण, सामाजिक-आर्थिक विकास आदि से जुड़े अधिकार प्रदान करता है।
- **पांचवीं और छठी अनुसूची:** संविधान के तहत छठी अनुसूची के माध्यम से पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की गई है।
  - वहीं, पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची में उल्लिखित राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है।
- **प्रथागत जनजातीय संस्थाएं (जैसे- आदिवासी सभाएं, जनजातीय पंचायतें):** ऐसी संस्थाएं जनजातीय समुदायों में आंतरिक शासन, संस्कृति, संसाधन प्रबंधन और संघर्ष समाधान में सार्थक भूमिका निभाती हैं। साथ ही, ये संस्थाएं अक्सर औपचारिक पंचायती राज संस्थाओं के साथ सह-अस्तित्व में रहती हैं।

शासन में जमीनी स्तर के नागरिकों को शामिल किए जाने के कारण

- **समावेशिता:** जब जमीनी स्तर के लोग शासन में भाग लेते हैं, तो वे अधिक जुड़ा हुआ और सम्मानित महसूस करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, मनरेगा की सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से स्थानीय समुदाय, विशेषकर गरीब लोग यह जांच सकते हैं कि धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है तथा उनकी आवश्यकताएँ पूरी की जा रही हैं या नहीं।
- **विश्वास की बहाली:** सक्रिय नागरिक भागीदारी कार्यक्रमों से सरकारी संस्थानों में विश्वास बढ़ता है।

  - उदाहरण के लिए, ग्राम सभाएं जमीनी स्तर पर सामुदायिक विश्वास को बढ़ावा देती हैं।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार (RTI) सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु नागरिकों को जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है।
  - सूचना का अधिकार (RTI) नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे वे सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं।
- **चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर:** उदाहरण के लिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) जनसामान्य को विकास परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
- **सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व:** राजनीतिक भागीदारी से जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इससे उनकी उपेक्षा की प्रवृत्ति कम होती है और वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं में सशक्त बनते हैं।

जनजातीय शासन से संबंधित मुद्दे

- **पेसा (PESA) के कार्यान्वयन में विद्यमान कमियां:** कई राज्यों ने अपने कानूनों में पेसा के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है। साथ ही, स्थानीय अधिकारियों और जनजातीय समुदायों में पेसा के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के बारे में **जागरूकता और अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता की कमी** है।
  - उदाहरण के लिए, 1996 में अधिनियमित होने के बावजूद, पेसा अधिनियम अभी तक झारखंड में लागू नहीं किया गया है।
- **निर्णय लेने में सीमित भागीदारी:** अध्ययनों से पता चला है कि औपचारिक ग्राम पंचायत प्रणाली अक्सर **जनजातीय लोगों के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व या उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण** सुनिश्चित नहीं कर पाती है।
  - इसके अतिरिक्त, पांचवीं अनुसूची वाले राज्यों में गठित की जाने वाली **जनजातीय सलाहकार परिषदें (TACs)** केवल सलाहकारी भूमिका निभाती हैं और **अधिकांश राज्यों में इनका प्रभाव सीमित** रहा है।
- **भूमि से अलग होना और विस्थापन:** कई क्षेत्रों में, जनजातीय लोग बाहरी लोगों या विकास परियोजनाओं के कारण अपनी जमीन खोने के प्रति संवेदनशील हैं।
  - यहां तक कि विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त क्षेत्रों (जैसे- छठी अनुसूची वाले क्षेत्र) में भी **भूमि से अलग होना, विस्थापन और जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशियाकरण** देखा गया है।
- **कल्याणकारी नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** जनजातीय कल्याण को लक्षित करने वाले प्रयास, जैसे- वन अधिकार अधिनियम (FRA) का अक्सर कमजोर क्रियान्वयन होता है।
  - नवंबर 2022 तक भूमि के लिए किए गए 38% से अधिक FRA दावों को खारिज कर दिया गया है (केंद्र सरकार)।
- **सामाजिक-आर्थिक हाशियाकरण:** गरीबी का स्तर बहुत अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में **लगभग 45% और शहरी क्षेत्रों में 24% जनजातीय लोग गरीबी रेखा से नीचे** जीवन यापन करते हैं।
  - **शिक्षा के निम्न स्तर के कारण अनेक जनजातीय लोग आर्थिक अवसरों से वंचित** रह जाते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट, 2022 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 72.1% है।

जनजातीय विकास की दिशा में उठाए गए कदम

- **प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN):** यह एक समयबद्ध पहल है जिसका उद्देश्य 18 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले **75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक-आर्थिक विकास** को बढ़ावा देना है।
- **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA):** इस मिशन का उद्देश्य चयनित जनजातीय बहुल गाँवों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना है। जहाँ-
  - जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो और कम से कम 50% जनजातीय निवासी हों,
  - आकांक्षी ज़िलों के वे गाँव जहाँ जनजातीय जनसंख्या 50 या उससे अधिक हो।
- **अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST):** इस योजना के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा **41 मंत्रालय/ विभाग प्रत्येक वर्ष अपनी योजनाओं के कुल बजट का एक निश्चित प्रतिशत जनजातीय विकास के लिए आवंटित** करते हैं।

- **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY):** इसका उद्देश्य पर्याप्त जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना है, जिसमें लगभग 40% जनजातीय आबादी को शामिल किया जाएगा।
- **शिक्षा का विस्तार:** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय फैलोशिप योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उच्च श्रेणी शिक्षा योजना आदि। ये योजनाएं जनजातीय छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही हैं।
- **उद्यमिता को बढ़ावा:** जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से कार्य किया जा रहा है-
  - **वन धन विकास केंद्र** (29 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 4,465 वन धन विकास केंद्र खोलने की स्वीकृति मिली है),
  - **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन,** और
  - **जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) आउटलेट्स**, जिनके अंतर्गत 118 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं।

निष्कर्ष

जनजातीय ग्राम विजन 2030 और आदि कर्मयोगी अभियान, जनजातीय विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक व्यापक बदलाव को दर्शाते हैं। ये अधोगामी (top-down) कल्याणकारी मॉडल की जगह उर्ध्वगामी (बॉटम-अप), सामुदायिक-नेतृत्व वाले शासन की ओर बदलाव को दर्शाते है।

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.5.1. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2025 अधिसूचित (Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2025 Notified)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए ये नियम **ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025** को क्रियान्वित करेंगे।

- यह अधिनियम ऑनलाइन गेम्स को **ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स** के रूप में वर्गीकृत करता है।
- यह **सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स** (जैसे- पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स) पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि **केवल "ऑनलाइन सोशल गेम्स" और ई-स्पोर्ट्स की अनुमति** देता है।

Digital Current Affairs
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

नियमों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI):** इसकी स्थापना ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने, रजिस्ट्री मेंटेन रखने, वैधता तय करने, जुर्माना लगाने आदि के लिए की जाएगी।
  - इसमें **एक अध्यक्ष तथा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से पांच अन्य सदस्य शामिल** होंगे।
- **खेलों का पंजीकरण: ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स** दोनों का OGAI में पंजीकरण कराना होगा तथा **पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र प्राप्त** करना होगा।
- **3-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र:** प्रत्येक पंजीकृत **ऑनलाइन गेम या ई-स्पोर्ट्स प्रदाता** को उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायतों के लिए एक सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखना होगा।
  - अपील पहले **शिकायत निवारण समिति और फिर OGAI** में की जा सकती है।
- **उल्लंघन:** इन ड्राफ्ट नियमों में उल्लंघन को **गैर-जमानती अपराध बनाने** तथा किसी भी तरह के उल्लंघन में सहयोग देने के लिए **सम्पूर्ण कंपनी स्टाफ को उत्तरदायी ठहराने** का प्रस्ताव है।

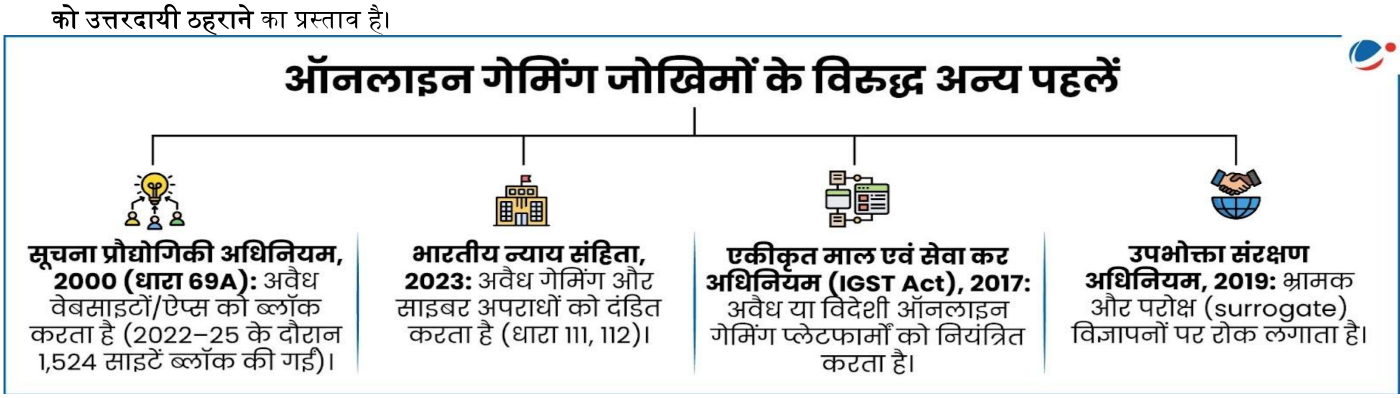

1.5.2. पोस्टल बैलेट (Postal Ballot)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की अधिसूचना के अनुसार, EVM मतों की गणना का अंतिम दौर पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की पूरी गणना के बाद ही शुरू किया जाएगा।

पोस्टल बैलेट के बारे में:

- पोस्टल बैलेट एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत मतदाता अपने मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और इसे डाक द्वारा भेज सकते हैं। इससे उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **कानूनी व्यवस्था:** यह प्रणाली **चुनाव संचालन नियम, 1961** और **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** द्वारा शासित होती है।
- **पात्रता:** सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, अनुपस्थित मतदाता (85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि), निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति, और चुनावी दायित्वों का निर्वहन करने वाले कर्मियों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है।
    - **सेवा मतदाता (सर्विस वोटर्स):** इनमें भारतीय सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य; विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी, आदि शामिल होते हैं।
    - **विशेष मतदाता:** इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति, और उनके पति/ पत्नी शामिल होते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. अप्रवासन विरोधी नीतियों का उदय (Rise of Anti-Immigration Policies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के वर्षों में, पश्चिमी लोकतंत्र से लेकर एशिया के कुछ हिस्सों तक विश्व भर में अप्रवासन विरोधी व्याख्यान, विरोध-प्रदर्शन और नीतियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके कुछ हालिया उदाहरण इस प्रकार हैं;
  - हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा H1B वीजा शुल्क में की गई वृद्धि,
  - जापान की सेंसेइटो पार्टी द्वारा अप्रवासन को 'मूक आक्रमण' बताने वाले अभियान,
  - ऑस्ट्रेलिया में **"मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया"** के बैनर तले भारतीय प्रवासन का विरोध।
- ऐसा मुख्य रूप से **लोकलुभावनवाद के उदय** के कारण हुआ है, यहां जनता की राय अप्रवासन के प्रति शत्रुता का रूप ले लेती है। इन परिस्थितियों में राजनीतिक प्रतिक्रिया के तहत हमेशा नए अप्रवास पर रोक लगा दी जाती है। सामान्यतः वैध अप्रवास के मार्ग को प्रतिबंधित करके, सीमा सुरक्षा को मजबूत करके, नए आप्रवासियों के अधिकारों को कम करके अप्रवास को कम करने का प्रयास किया जाता है।

अप्रवासन विरोधी भावना में वृद्धि के कारण

- **आर्थिक:** प्रायः ऐसा माना जाता है कि **प्रवासी स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन** लेते हैं। विशेष रूप से **निम्न-कौशल वाले क्षेत्रक में ये वेतन को कम** कर देते हैं, इससे लोगों का **कल्याण सुनिश्चित करना कठिन** हो जाता है।
  - **उदाहरण के लिए,** नौकरी छूटने और वेतन कम होने का डर **ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के समर्थन का** एक बड़ा कारण था।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक: प्रवासियों** को **राष्ट्रीय पहचान, भाषा, धर्म और परंपराओं के लिए खतरा** माना जाता है। इससे मूल आबादी में अपनी सांस्कृतिक पहचान के संबंध में चिंता बढ़ जाती है, खासकर उन समाजों में जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सामना कर रहे होते हैं।
  - उदाहरण के लिए, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासन विरोधी भावना का बढ़ना।
- **राजनीतिक:** लोकलुभावन और राष्ट्रवादी नेता **चुनाव में समर्थन पाने** के लिए **लोगों के अप्रवासन से संबंधित डर (बेरोजगारी, अपराध, कल्याणकारी तनाव) का लाभ उठाते हैं।**
  - उदाहरण के लिए, इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने तर्क दिया कि देश को प्रवासियों के "हमले" का सामना करना पड़ रहा है।
- **सुरक्षा:** सरकारें और आम नागरिक प्रवासन का संबंध **अवैध घुसपैठ, आतंकवाद** या संगठित अपराध से जोड़ते हैं, जिससे इसके प्रति भय एवं विरोध की भावना बढ़ जाती है।
  - उदाहरण के लिए, 9/11 के बाद USA में सख्त आव्रजन कानून लागू किया जाना।
- **भ्रामक जानकारी:** सोशल मीडिया झूठी कहानियों, जैसे कि प्रवासी "नौकरियां छीन रहे हैं" या "अपराध दर बढ़ा रहे हैं" आदि के द्वारा **जेनोफोबिया (विदेशी लोगों को न पसंद करने की प्रवृत्ति) को बढ़ाता** है। इसके अलावा यह **नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूत** करता है, व्यापक स्तर पर डर और नैतिक घबराहट उत्पन्न करता है।
  - उदाहरण के लिए, जर्मनी में मीडिया के ज़रिए प्रवासियों से जुड़े अपराधों के बारे में झूठी खबरें फैलने से प्रवासियों के विरुद्ध भावनाएं और तीव्र हो गईं।

आव्रजन विरोधी आंदोलन का प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव:** सख्त आव्रजन कानून **श्रमिक आपूर्ति को कम** करते हैं, **खासकर उन क्षेत्रकों में जो प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर हैं जैसे कि कृषि, निर्माण।** इससे श्रमिक लागत बढ़ जाती है और आर्थिक संवृद्धि दर कम हो जाती है।
  - उदाहरण के लिए, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को कृषि क्षेत्रक में गिरावट का सामना करना पड़ा।

- **जनसांख्यिकीय प्रभाव:** आव्रजन विरोधी नीतियां **विकसित देशों में वृद्ध होती आबादी के संकट को और गंभीर** बना सकती हैं, इससे कार्यशील आयु के करदाताओं की संख्या कम हो जाएगी और निर्भरता अनुपात बढ़ जाएगा।
    - उदाहरण के लिए, जापान और यूरोपियन यूनियन में बुजर्गों की बढ़ती आबादी के कारण श्रमिकों की कमी हो गई है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक:** सख्त आव्रजन कानून संभावित रूप से **बहुसांस्कृतिक आदान-प्रदान को कम कर सकते हैं और सामाजिक सामंजस्य को बाधित कर सकते हैं**, जिससे आगे चलकर ध्रुवीकरण और जेनोफोबिया में वृद्धि हो सकती है।
- **नवाचार में कमी:** कौशल युक्त प्रवासियों पर रोक लगाने से **नवाचार, शोध क्षमता और स्टार्ट-अप्स में कमी** आती है।
    - उदाहरण के लिए, नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार, देश के 1 बिलियन डॉलर मूल्य के 55% स्टार्ट-अप्स में कम-से-कम एक संस्थापक प्रवासी था।
- **राजनीतिक प्रभाव:** सख्त नीतियों के कारण पड़ोसी या मूल देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को देश से निकाला जा सकता है या **भेदभावपूर्ण वीज़ा नियम** लागू किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हो सकती है।

Digital Current Affairs
आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025 पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC):** यह नागरिकों की एक सूची है **जिसे राज्य में अवैध अप्रवासन की समस्या से निपटने के लिए पहली बार 1951 में** असम में बनाया गया था।
- **आव्रजन और विदेशी विषयक विधेयक, 2025:** यह केंद्र सरकार को भारत में आने और जाने वाले लोगों के लिए **पासपोर्ट या दूसरे यात्रा दस्तावेज की आवश्यकता निर्धारित करने के बारे नियम बनाने का अधिकार देता है।**

भारत को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए?

- **मेज़बान देशों के साथ कूटनीतिक वार्ता:** विदेशों में भारतीय मजदूरों और छात्रों के लिए उचित व्यवहार एवं कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेज़बान देशों, जैसे- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता और समझौते करने चाहिए।
- **प्रवासी कूटनीति का लाभ उठाना:** विश्व भर में भारतीयों के बारे में नकारात्मक विचारों को दूर करने तथा उनके सकारात्मक योगदान को दर्शाने के लिए दूतावासों और सांस्कृतिक मिशनों के माध्यम से अग्रसक्रिय रूप से प्रवासियों के साथ संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय स्तर पर अवसरों में वृद्धि करना:** भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य-सेवा, विनिर्माण, आदि क्षेत्रकों में उच्च-गुणवत्ता वाली नौकरियों के अधिक अवसर सृजित करने चाहिए। इससे अप्रवास को बढ़ावा देने वाले कारणों को कम करने में मदद मिल सकती है।
    - इस संबंध में, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों को संयुक्त एवं प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। इससे कौशल युक्त युवाओं को देश में ही कार्य करने के लिए रोकने और विदेशी रोज़गार पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
- **भ्रामक जानकारी और जेनोफोबिया का प्रतिकार:** भारत सरकार और अन्य गैर-सरकारी संस्थाएं, प्रवासियों के विरुद्ध भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल मंचों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

निष्कर्ष

संपूर्ण विश्व में अप्रवासन-विरोधी भावना का बढ़ना, गहन आर्थिक चिंताओं, सांस्कृतिक असुरक्षाओं और राजनीतिक लोकलुभावनवाद को दर्शाता है। भारत के लिए, जिसका प्रवासी समुदाय विश्व के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है, विदेशों में अपने नागरिकों की रक्षा करना और साथ ही, देश में समावेशी एवं उत्तरदायी आव्रजन नीतियों को बढ़ावा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कूटनीति, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित एक संतुलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि अप्रवासन पारस्परिक रूप से जुड़े हुए विश्व में विवाद के बजाय शक्ति का स्रोत बना रहे।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
UPSC के लिए करेंट अफेयर्स
की समग्र तैयारी हेतु एकमात्र समाधान
Digital Current Affairs 2.0
मुख्य विशेषताएं:
विजन इंटेलिजेंस
डेली प्रैक्टिस
डेली न्यूज समरी
स्टूडेंट डैशबोर्ड
क्विक नोट्स और हाइलाइट्स
संधान तक पहुंच की सुविधा

2.2. भारत-अफगानिस्तान संबंध: संबंधों का रणनीतिक रूप से पुनर्निर्धारण (India Afghanistan Relations: Strategic Resetting of Ties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए नई दिल्ली आए।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह यात्रा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा भारत की यात्रा के लिए दी गई एक विशेष यात्रा छूट के बाद हुआ है।
- अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान पर अधिकार किए जाने के बाद **यह भारत की पहली मंत्री-स्तरीय यात्रा है।**

यात्रा के प्रमुख परिणाम

- **राजनयिक संबंध:** भारत ने काबुल में अपने भारतीय तकनीकी मिशन की स्थिति को पुनः स्थापित करते हुए उसे अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास का दर्जा दे दिया है।
- **संपर्क:** भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई है।
- **अवसंरचना और ऊर्जा:** दोनों पक्षों ने हेरात में भारत-अफगानिस्तान मैत्री बांध (सलमा बांध) के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। इसके अलावा, भारत अफगानिस्तान में जल-विद्युत परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए सहमत हुआ।

भारत अफ़गानिस्तान में पुनः दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है?

- **रणनीतिक हितों की रक्षा करना:**
  - **आतंकवाद का विरोध करना:** भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान एक बार फिर से आतंकवाद की जनन-स्थली न बन जाए, जिससे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो। जैसे कि **अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रोविंस (IS-KP), लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद** जैसे संगठन की मौजूदगी एक गंभीर खतरा बनी हुई है।
  - **काबुल की सुरक्षा प्रतिबद्धताएं:** उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने यह विश्वास दिलाया है कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।
- **भू-राजनीतिक संतुलन और प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों का प्रबंधन**
  - **पाकिस्तान का प्रभाव कम करना:** भारत का उद्देश्य पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बिगड़ते रिश्तों का लाभ उठाकर पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना है, जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यावहारिक सहयोग के लिए संभावनाएं बन सकें।
  - **चीन के रणनीतिक विस्तार पर रोक लगाना:** भारत का उद्देश्य अपने रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, खासकर चीन को, तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान के आर्थिक और **भू-राजनीतिक परिदृश्य पर हावी** होने से रोकना भी है।

- **रणनीतिक निवेशों की सुरक्षा:** भारत ने अफगानिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में **500 से अधिक परियोजनाओं में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** निवेश किया है, जिसमें विद्युत, जल, सड़कें, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

वैश्विक और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

- **मॉस्को फॉर्मेट यूनिटी:** भारत ने चीन, ईरान, पाकिस्तान, मध्य एशियाई देशों और रूस के साथ **अफगानिस्तान पर 7वें मॉस्को फॉर्मेट परामर्श में हिस्सा** लिया।
  - भारत ने दोहराया कि एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान वहां के लोगों, क्षेत्रीय समुत्थानशीलता और वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
- **रूस की मान्यता:** रूस ने औपचारिक रूप से **इस्लामिक अमीरात ऑफ़ अफ़गानिस्तान** को मान्यता दे दी है, जिससे तालिबान शासन को वैधता मिल गई है। अतः इस क्षेत्र में मॉस्को का बढ़ता प्रभाव और मज़बूत हो गया है।
- **अमेरिका का रणनीतिक रुख:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने **बगराम एयर बेस** में पुनः दिलचस्पी दिखाई है, जिससे अफगानिस्तान के रणनीतिक क्षेत्र में इसकी वापसी का संकेत मिलता है।
- **चीन की रणनीतिक पहल:** चीन ने **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के** तहत **चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान** के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। इसका उद्देश्य **अफगानिस्तान को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जोड़ना है।**

भारत के लिए चुनौतियां: एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ना

- **औपचारिक मान्यता का अभाव:** भारत ने **तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं** दी है, जिससे कूटनीतिक और संस्थागत सहयोग का दायरा सीमित हो गया है।
- **कूटनीतिक दुविधाएँ:** इसके अतिरिक्त, यदि **भारत केवल पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए एक दमनकारी शासन के साथ हाथ मिलाता है,** तो वह अपनी नैतिक विश्वसनीयता खो देगा।
- **सामरिक हितों और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करना:** भारत का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र तालिबान के धर्मतांत्रिक शासन से बिल्कुल अलग है। **तालिबान द्वारा महिलाओं और धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों से मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।**

निष्कर्ष

तालिबान के साथ भारत का नया जुड़ाव पहले की वैचारिक द्वंद्व के बजाय रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देकर एक व्यावहारिक बदलाव को दर्शाता है। यह नया दृष्टिकोण आतंकवाद से भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने और रणनीतिक शत्रुओं के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह इस बात पर बल देता है कि एक **जटिल सहभागी के साथ जुड़ने का अर्थ उसका समर्थन करना नहीं है बल्कि दूरी बनाए रखने के बजाय वार्ता करने का एक व्यावहारिक विकल्प है।**

2.3. भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस घोषणा-पत्र पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- तब से, 22 वार्षिक शिखर सम्मेलनों, नियमित शासनाध्यक्ष-स्तरीय बैठकों, मंत्रिस्तरीय वार्ताओं और **विभिन्न क्षेत्रकों के कार्य समूहों ने साझेदारी को संस्थागत रूप दिया है, जिससे निरंतरता और गंभीरता सुनिश्चित हुई है।**
- इस घोषणा-पत्र के तहत एक पूर्ण रूप से नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसने राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रकों में **द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा** दिया है।

भारत-रूस साझेदारी के प्रमुख स्तंभ:

- **राजनीतिक और राजनयिक तालमेल:** वार्षिक शिखर सम्मेलन इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। शिखर सम्मेलनों के अलावा, दोनों देश **मंत्रिस्तरीय आदान-प्रदान, 2+2 वार्ताओं और UN, G-20, BRICS, SCO जैसे साझा मंचों के माध्यम से भी** घनिष्ठ रूप से समन्वय करते हैं।
  - रूस भी **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी** का समर्थन करता है।

- **रक्षा और संरक्षा:** रूस, भारत का सबसे बड़ा सैन्य उपकरण आपूर्तिकर्ता है। **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-24** के दौरान भारत के **कुल रक्षा आयात का 36% हिस्सा रूस से आयात** किया गया था। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, MiG-29K नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट,जैसे उपकरण शामिल हैं।
  - दोनों देशों के रक्षा संबंध **खरीदार-विक्रेता मॉडल** से आगे बढ़कर उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन तक पहुंच गए हैं। **जैसे- ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का संयुक्त विकास।**
  - दोनों देश संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास इंद्र (INDRA) और एवियाइंद्रा' (Aviaindra) आयोजित करते हैं।

- **ऊर्जा सुरक्षा:**
  - वर्तमान में, रूस भारत को **सबसे अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला देश** बन गया है। यह भारत को **रियायती दरों** पर तेल निर्यात करता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली है।
  - भारत की कुछ सबसे बड़ी सरकारी और निजी कंपनियों ने **रूस के सुदूर पूर्व (RFE) क्षेत्र में स्थित तेल क्षेत्रों में निवेश** किया है। इसमें ONGC द्वारा तेल और गैस परियोजना में किया गया निवेश भी शामिल है।
  - रूस भारत में, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग कर रहा है। जैसे- **कुडनकुलम** परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर 68.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया है।
  - दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को **2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक** पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
  - भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में **औषधियां, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात** आदि शामिल हैं।
  - रूस और भारत के बीच 90% व्यापार **स्थानीय मुद्रा अर्थात रूबल और रुपये में होता है।**

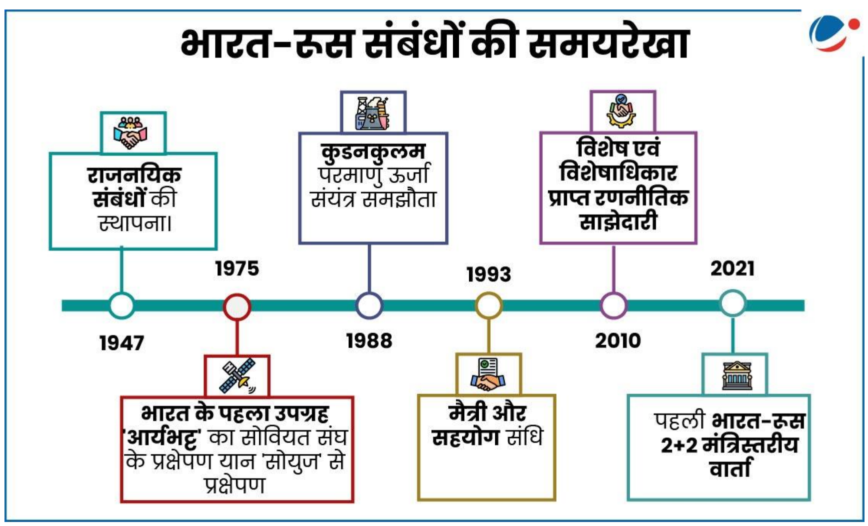

- **संपर्क:** रूस **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा** जैसी परियोजनाओं के माध्यम से **मध्य एशिया और विस्तृत यूरेशिया** के साथ भारत के संपर्क को बढ़ा सकता है।
- **तकनीकी क्षमता में वृद्धि करना:** उदाहरण के लिए- अंतरिक्ष क्षेत्रक में, यह भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन **गगनयान** में सहयोग कर रहा है।
- **सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच जुड़ाव:** भारतीय सिनेमा ने एक समय सोवियत संघ के दर्शकों को मोहित कर लिया था। रूसी बैले आज भी भारत में प्रशंसनीय है, वहीं योग पूरे रूस में बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक सद्भावपूर्ण संबंध बने हुए हैं।

भारत-रूस संबंधों के समक्ष उपस्थित चुनौतियां

- **व्यापार असंतुलन:** व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रूस से आयात लगभग 63.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि निर्यात 4.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ।
- **रुपये के अधिशेष की समस्या:** व्यापार असंतुलन की वजह से वित्तीय चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि भारतीय बैंकों में **स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) में अरबों भारतीय रुपये संचित हो गए हैं।**
  - रूसी विदेश मंत्री ने इस अधिशेष को एक "समस्या" बताया, क्योंकि रूस पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए इन निधियों का उपयोग नहीं कर सकता है।

- **रक्षा आयात में गिरावट:** यह मुख्य रूप से भारत के हथियारों के आयात में आई विविधता के कारण हुआ है। अब भारत इजराइल, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से हथियार खरीद रहा है। साथ ही, भारत हथियारों के स्वदेशीकरण के लिए भी प्रयास कर रहा है।
- **पृथक भू-राजनीतिक प्राथमिकताएँ:**
  - **भारत-अमेरिका के बीच तालमेल:** भारत तेजी से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ जुड़ाव बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए, क्वाड जैसा सुरक्षा संबंध।
  - **रूस-चीन के बढ़ते संबंध:** 2022 में, रूस और चीन ने **"नो लिमिट्स" पार्टनरशिप** की घोषणा की। इसके अंतर्गत घनिष्ठ राजनीतिक, सुरक्षात्मक और आर्थिक जुड़ाव की रूपरेखा तैयार की गई है।
  - **पाकिस्तान के साथ रूस के बेहतर होते संबंध:** उदाहरण के लिए, पाकिस्तान और रूस के बीच हालिया सहयोग में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास और नौसैनिक अभ्यास जैसी रक्षा पहल शामिल हैं।
- **अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध:** S-400 सौदे के बाद से भारत ने रूस के साथ कोई बड़ा सैन्य समझौता नहीं किया है, ताकि **अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों का विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम (CAATSA), 2017** के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंध से बचा जा सके।
  - CAATSA तीन देशों, नामतः **रूस, ईरान और उत्तर कोरिया** के साथ सौदा करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

भारत रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कैसे संतुलित कर रहा है?

- भारत कभी-कभी स्वयं को **अमेरिका और रूस के हितों के बीच** फंसा हुआ पाता है।
  - उदाहरण के लिए, हाल ही में अमेरिका ने **रूस से तेल खरीदने** के लिए भारत पर प्रशुल्क (टैरिफ) लगाया है। वह भारत पर यूक्रेन में चल रहे रूस के युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाता है।
- **ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण**
  - **रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करना:** भारत एक **लचीली विदेश नीति** अपनाता है। इसके अंतर्गत **वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों में संतुलन** स्थापित करने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण **रणनीतिक स्वायत्तता** और **व्यावहारिक नीतियों** पर आधारित है।
    - उदाहरण के लिए, यूक्रेन-रूस संघर्ष के मामले में, भारत ने **UNSC के एक प्रस्ताव** पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें यूक्रेन के विरुद्ध रूसी सैन्य कार्रवाई की निंदा की गई थी।
  - **राष्ट्रीय हितों पर आधारित संबंध:** अतिरिक्त प्रशुल्क लगाने के बावजूद, भारत ने रूस के साथ गहरे संबंध बनाए रखे हैं।
    - इसके साथ ही, **BRICS, SCO और G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की मूक कूटनीति ने उसे ग्लोबल साउथ और प्रतिस्पर्धी शक्ति समूहों** के बीच एक सेतु बने रहने में मदद की है।
  - **रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: रूस पर लगे प्रतिबंधों से** निपटने के लिए, भारत रुपये या रूबल में व्यापार जैसे वैकल्पिक भुगतान माध्यमों को अपना रहा है।

आगे की राह

- **आपसी विश्वास बढ़ाना:** रूस-चीन और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच दोनों देशों को आपसी विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **टियर II कूटनीति को मजबूत करना:** नई पीढ़ी और शैक्षणिक समुदाय के साथ भी संपर्क मजबूत करना और रूस में भारतीय पत्रकारों को भेजना।
- **व्यापार में विविधता लाना:** भारत-रूस व्यापार में तेल से आगे बढ़कर सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा, कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रक के उत्पादों को भी शामिल करना चाहिए। इससे रूस में भारत का निर्यात बढ़ेगा।
- **संयुक्त अनुसंधान और सह-विकास को बढ़ावा देना:** ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल्स जैसी पिछली सफलताओं के आधार पर, भविष्य में अगली पीढ़ी की रक्षा टेक्नोलॉजी पर केंद्रित सहयोग बढ़ाना चाहिए।
- **यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देना:** रूस EAEU का एक अहम सदस्य है।
- **परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना:** रूस, भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) विकसित करने में मदद कर सकता है।
- **अन्य:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत-रूस संबंधों का भविष्य दोनों देशों की अपनी साझेदारी को उभरती हुई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार ढालने की क्षमता पर निर्भर करता है। अतः रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रकों से आगे बढ़कर तकनीकी, नवाचार और लोगों के बीच संबंधों तक साझेदारी का विस्तार करना चाहिए।

2.4. गाजा शांति शिखर सम्मेलन (Gaza Peace Summit)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, **संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र** ने **गाजा शांति शिखर सम्मेलन** की सह-मेजबानी **शर्म अल-शेख, मिस्र** में की है। इसका उद्देश्य गाजा में शांति स्थापित करना और मध्य-पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देना था।

Digital Current Affairs
'युद्ध का युग: स्थायी शांति का मार्ग तैयार करना' पर 'वीकली फोकस' की विस्तृत कवरेज पढ़ने के लिए स्कैन करें।

अन्य संबंधित तथ्य

- शिखर सम्मेलन के दौरान, युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने वाले चार देश **अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्किये** ने एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ध्येय अमेरिका की 20-सूत्रीय शांति योजना या **"ट्रंप डिक्लेरेशन फॉर एंड्योरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी"** की शुरुआत करना है।
- इस शांति योजना में प्रस्तावित है कि भविष्य के विवादों का समाधान बल के प्रयोग या लंबे संघर्ष की बजाए **कूटनीतिक वार्ताओं और संवाद** के माध्यम से किया जाएगा।
- इस योजना में हमास के निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में गाजा के पुनर्निर्माण की मांग की गई है।
- दीर्घकालिक दृष्टि से, ट्रंप की इस 20-सूत्रीय शांति योजना में यह प्रावधान किया गया है कि **किसी भी फिलिस्तीनी को सैन्य बल का प्रयोग करके गाजा छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा**। इसके अलावा, इजरायल यह सुनिश्चित करेगा कि वह गाज़ा पट्टी पर न तो कब्ज़ा करेगा और न ही उसके अधिग्रहण का प्रयास करेगा।
    - प्रमुख रूप से, गाजा के लिए यह 20-सूत्रीय शांति योजना **दो-राष्ट्र समाधान** या फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की कोई **गारंटी नहीं देती।**
- **भारत के विदेश राज्य मंत्री** ने इस सम्मेलन में भाग लिया और **क्षेत्र में स्थायी शांति** स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की।

क्षेत्र में शांति का महत्व

- **क्षेत्रीय समृद्धि:** यह शांति योजना **अब्राहम समझौते** के विस्तार में सहायता कर सकती है और व्यापक शांति एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

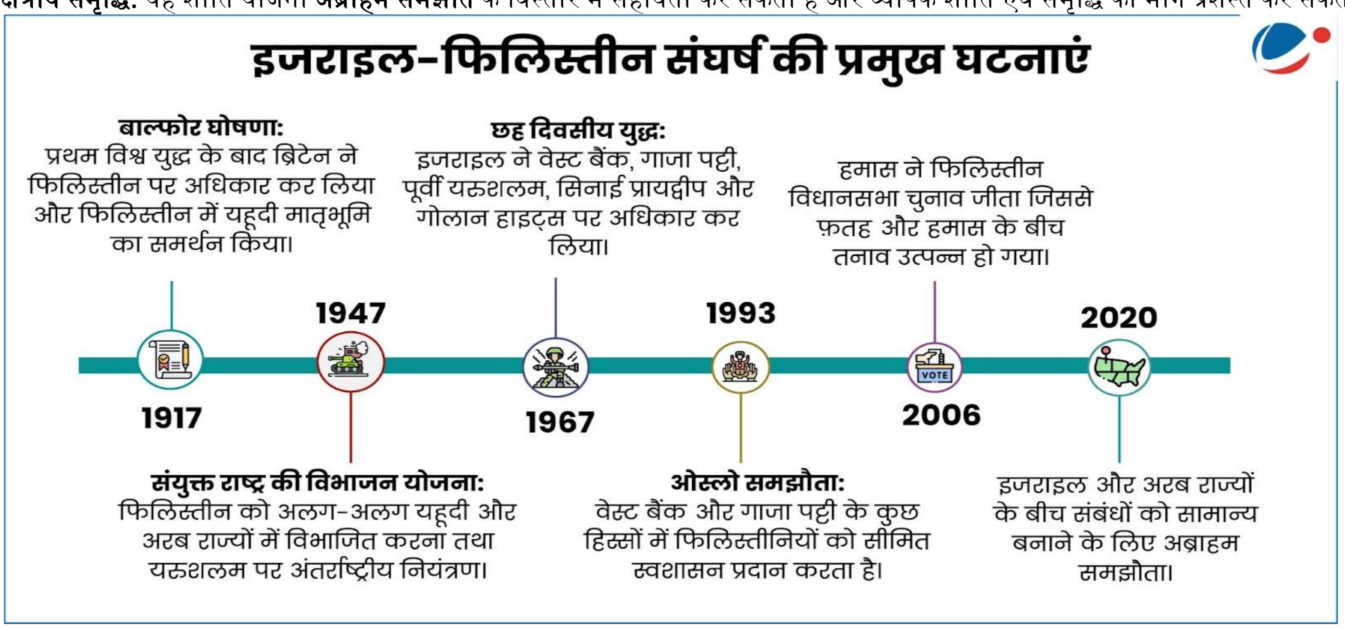

- अब्राहम समझौता **अमेरिकी मध्य-पूर्व कूटनीति** का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसके तहत **इजराइल** और **संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को** आदि देशों के बीच शांति समझौते हुए हैं।
- **रणनीतिक अवस्थिति:** यह क्षेत्र तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध है तथा **लाल सागर, होर्मुज जलसंधि और स्वेज नहर** जैसे **महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्गों के संगम पर अवस्थित है।**
- **समकालीन भू-राजनीति:** शांति के अभाव में **महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा** क्षेत्रीय विभाजन और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। उदाहरण के लिए, **रूस** इस क्षेत्र के सुरक्षा हितों में रुचि ले रहा है जबकि **चीन** के इस क्षेत्र में आर्थिक हित निहित हैं।
- **वैश्विक व्यापार:** यह विश्व की **सबसे युवा और तेजी से बढ़ती आबादी** वाला क्षेत्र है, जिसके **2030 तक लगभग 58 करोड़** तक पहुंचने की उम्मीद है। यह क्षेत्र शांति के समय **वस्तुओं व सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार** बन सकता है।

- **भारत के लिए महत्व:** इस क्षेत्र में उपलब्ध **ऊर्जा संसाधन** और **भारतीय प्रवासियों से प्राप्त होने वाली विप्रेषण की राशि** भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
  - भारत अपनी वार्षिक तेल आवश्यकता का **लगभग 70%** इसी क्षेत्र से आयात करता है। इसके अलावा, भारत की भूमिका **भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा** और **I2U2** समूह जैसी पहलों से और भी महत्वपूर्ण हो रही है।

फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का मत		
1947-1991	**1991-2014**	**2014 से वर्तमान तक**
• **दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन:** भारत का मत अरब देशों के साथ **उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलन की एकजुटता** और **गुटनिरपेक्ष आंदोलन** के प्रति प्रतिबद्धता के संयोजन से प्रेरित रहा है। ○ भारत एक **संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन** का पक्षधर है, जो इजरायल के साथ शांति एवं सह-अस्तित्व में रहे। ○ **भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता** प्रदान की थी।	• **इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध:** भारत ने 1992 में इजराइल के साथ **पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे।** यह भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव था। ○ वर्तमान में, भारत और इजरायल के बीच **मजबूत कूटनीतिक** संबंध स्थापित हो गए हैं, तथा **भारत इजरायल के रक्षा उत्पादों का शीर्ष खरीदार है।**	• **डी-हाइफनेशन:** भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन, दोनों के साथ **स्वतंत्र रूप से कूटनीतिक संबंध** बनाए रखे हैं। ○ भारतीय प्रधान मंत्री की **2017 में इजरायल और 2018 में फिलिस्तीन यात्रा** ने यह स्पष्ट किया है कि इजराइल के साथ भारत के बढ़ते संबंध फिलिस्तीन के प्रति मूलभूत नीति को प्रभावित नहीं करेंगे।

निष्कर्ष

भारत की वर्तमान विदेश नीति इजराइल के प्रति एक **रणनीतिक पुनर्संतुलन** को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के समर्थन से लेकर इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों तक, भारत ने धीरे-धीरे अपनी प्राथमिकताओं में एक **व्यावहारिक परिवर्तन (Pragmatic shift)** दिखाया है, जो उसके **नैतिक प्रतिबद्धताओं, रणनीतिक आवश्यकताओं और क्षेत्रीय भू-राजनीति** के अनुरूप है।

क्षेत्र के प्रमुख सामरिक स्थल (मानचित्र देखें):

- **गाजा: भूमध्य सागर** के तट पर अवस्थित एक छोटा-सा भूभाग है तथा इसकी दक्षिण सीमा मिस्र से लगी हुई है। यह **1993 से अर्ध-स्वायत्त फिलिस्तीनी** प्राधिकरण के अधीन है।
- **वेस्ट बैंक**: यह जॉर्डन के पश्चिम और इजरायल के पूर्व में अवस्थित **भू-आबद्ध क्षेत्र** है। **यह तीन भागों में विभाजित है-**
  - पूर्ण रूप से इजरायल के नियंत्रण वाला क्षेत्र,
  - पूर्ण रूप से फिलिस्तीन के नियंत्रण वाला क्षेत्र, और
  - इजराइल और फिलिस्तीन के बीच साझा नियंत्रण वाला क्षेत्र।
- **गोलन हाइट्स:** यह पश्चिम में **जॉर्डन नदी और गैलिली सागर** से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र इजरायल और सीरिया के बीच विवादित है।
- **सीनाई प्रायद्वीप: यह स्वेज नहर** और **अकाबा की खाड़ी के बीच अवस्थित क्षेत्र है।** यह **उत्तर में भूमध्य सागर** और **दक्षिण में लाल सागर से घिरा** हुआ है।
- **यरूशलेम**: यह एक प्राचीन शहर है, जो पूर्णतः इजरायल के नियंत्रण में है और यह यहूदी, ईसाई एवं मुस्लिम तीनों प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों के लिए पवित्र स्थल है।

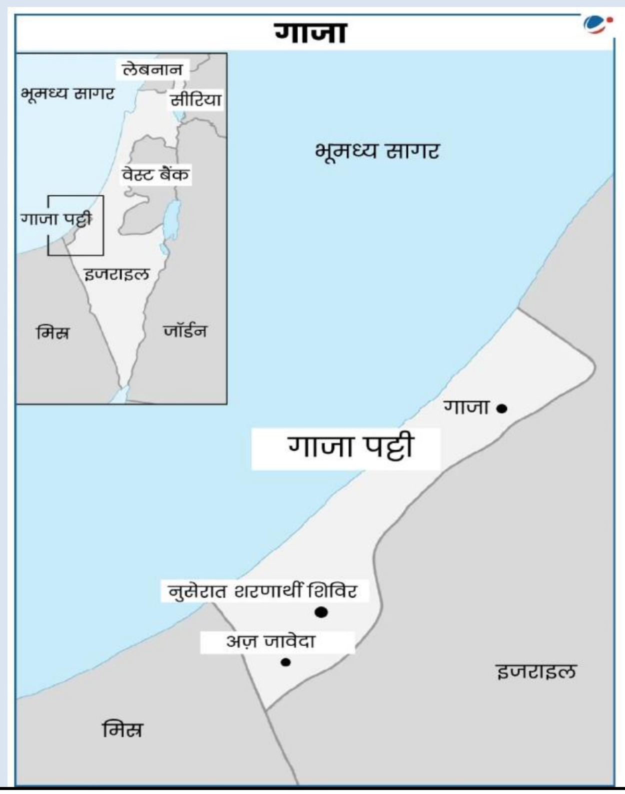

Vision Publication
Igniting Passion for Knowledge..!
Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

2.5. भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (India-European Free Trade Association Trade and Economic Partnership Agreement : TEPA)

सुर्खियों में क्यों?

10 मार्च, 2024 को भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हो गया।

EFTA के बारे में

EFTA एक **अंतर-सरकारी संगठन** है जिसकी स्थापना 1960 में मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि इसके वैश्विक व्यापारिक साझेदारों को लाभ मिल सके।

- इसके वर्तमान सदस्य **आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड** हैं। ये देश शेंगेन क्षेत्र में स्थित हैं, लेकिन वे यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य नहीं हैं।
- EFTA की **जनसंख्या लगभग 1.3 करोड़ है और इसका कुल सकल घरेलू उत्पाद 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।**
- **भारत EFTA का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।** शीर्ष चार साझेदार यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन हैं।
- इसके सदस्य देशों में, **स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है,** इसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है।

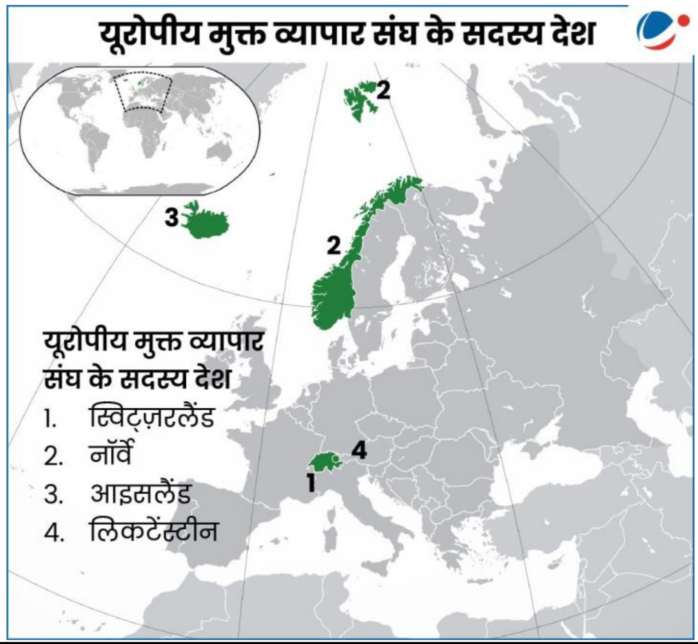

समझौते के मुख्य बिंदु

- **पूंजी निवेश:** EFTA भारत में 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को बढ़ावा देगा, जो "मेक इन इंडिया" पहल के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।
  - इसके साथ ही **भारत में दस लाख प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन** होगा। ऐसा देश द्वारा हस्ताक्षरित **किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में पहली बार** होगा।
- **वस्तुओं के लिए बाजार पहुँच: मशीनरी, जैविक रसायन, वस्त्र और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों** जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को EFTA बाज़ारों तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी, जिससे **प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और अनुपालन लागत घटेगी।**
  - TEPA के तहत, EFTA में 92.2% **टैरिफ लाइनों** पर रियायत दी गई है, जिसमें **भारत के 99.6% निर्यात** शामिल हैं।
- **सेवाओं और गतिशीलता (Mobility) को बढ़ावा:** यह भारत का पहला ऐसा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जिसमें नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे विनियमित व्यवसायों में **पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRAs)**[3] को शामिल किया गया है। इससे भारतीय पेशेवरों के लिए EFTA देशों में काम करना आसान हो गया है।
  - **बेहतर पहुंच के माध्यम से: मोड 1:** सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, **मोड 3:** वाणिज्यिक उपस्थिति और **मोड 4:** प्रमुख कर्मियों के प्रवेश और अस्थायी प्रवास के लिए अधिक निश्चितता।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** TEPA ट्रिप्स स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह **जेनेरिक दवाओं** और **पेटेंट के एवरग्रीनिंग** से संबंधित मुद्दों में भारत के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है।
- **सतत एवं समावेशी विकास:** यह व्यापार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देगा।

[3] Mutual Recognition Agreements

* **प्रौद्योगिकी सहयोग:** यह **सटीक इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में विश्व-स्तरीय प्रौद्योगिकी** तक पहुँच प्रदान करेगा।
* **भारत की वैश्विक छवि को सुदृढ़ करता है:** यह भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ **एक समान वार्ताकार भागीदार** के रूप में स्थापित करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि परिणाम देश के **दीर्घकालिक रणनीतिक और विकासात्मक हितों** के अनुरूप हों।

समझौते से संबंधित मुद्दे/ समस्याएं

* **भारत के लिए सीमित लाभ:** वस्तुओं के व्यापार के संदर्भ में भारत को इस समझौते से सीमित लाभ होने की संभावना है। ऐसा इसलिए, क्योंकि EFTA समूह में पहले से ही टैरिफ दरें बहुत कम हैं और अधिकांश आयातों को पहले से ही टैरिफ-मुक्त रखा गया है।
    * यह समझौता मुख्य रूप से भारत को आयात शुल्क में कटौती और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करके EFTA देशों के निर्यात के पक्ष में है।
* **व्यापार असंतुलन:** वर्तमान में व्यापार मात्रा कम होने के बावजूद, भारत ने वित्त वर्ष 2025 में EFTA को लगभग 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि 22.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया था।
* **समझौते की सीमाएं:** कई विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि स्विट्जरलैंड की जटिल टैरिफ संरचना, गुणवत्ता मानकों और अनुमोदन आवश्यकताओं के कारण भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात में मौजूद कठिनाइयां बनी रह सकती हैं।
    * **प्रमुख कृषि उत्पादों** जैसे डेयरी, सोया, कोयला आदि को बहिष्करण सूची में रखा गया है।
* **सीमित निवेश विकल्प:** इस समझौते के निवेश प्रावधान में पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड शामिल नहीं हैं।

निष्कर्ष

TEPA एक **आर्थिक और कूटनीतिक परिसंपत्ति** दोनों के रूप में कार्य करता है और यह भारत का अब तक का सबसे दूरदर्शी समझौता है। आज के इस युग में, जहां व्यापार को **समुत्थानशील, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और जलवायु प्रतिबद्धताओं** से जोड़ा जा रहा है। यह भविष्य की वैश्विक साझेदारियों के लिए एक **नया बेंचमार्क** स्थापित करता है।

2.6. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

2.6.1. भारत-आसियान संबंध (India-Asean Relationship)

हाल ही में, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया।

* आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में दो बार आयोजित किए जाते हैं, जिसकी मेजबानी उस देश द्वारा की जाती है जो उस वर्ष आसियान की अध्यक्षता करता है।

इस शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

* **11वें सदस्य का समावेश:** तिमोर-लेस्ते (पूर्वी तिमोर) को आधिकारिक रूप से आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
* **थीम:** समावेशिता और संधारणीयता।
* **कुआलालंपुर समझौता:** थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संयुक्त युद्धविराम समझौता लागू हुआ।

22वां आसियान-भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन भी इसी शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

* **समुद्री सहयोग: वर्ष 2026** को **"आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष"**[4] घोषित किया गया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **आसियान की केंद्रीय भूमिका** का **समर्थन** किया गया।
* **सतत पर्यटन: आसियान-भारत संयुक्त राष्ट्राध्यक्षों के सतत पर्यटन पर वक्तव्य**[5] को अपनाया गया।
* **कार्य योजना:** आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2026-2030) को लागू करने हेतु आसियान-भारत कार्य योजना के क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान किया गया।

[4] ASEAN-India Year of Maritime Cooperation

[5] Joint Leaders' Statement on Sustainable Tourism

2.6.2. भारत-यूनाइटेड किंगडम (India-United Kingdom)

यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक **संयुक्त वक्तव्य** जारी किया गया।

भारत- UK संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **प्रौद्योगिकी:** दोनों देशों ने दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिज, AI और स्वास्थ्य से संबंधित तकनीकों तथा महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में हुई ठोस प्रगति का स्वागत किया। **प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल** (TSI)[6] के तहत निम्नलिखित उपायों का स्वागत किया गया:
  - **भारत-UK संचार-संपर्क और नवाचार केंद्र:** इसमें शामिल हैं; 6G के लिए AI मूल नेटवर्क, **गैर-स्थलीय नेटवर्क (NTN)** और दूरसंचार के लिए साइबर सुरक्षा। इसमें न्यूनतम 24 मिलियन पाउंड के संयुक्त वित्त पोषण का प्रावधान है।
  - **भारत-UK संयुक्त AI केंद्र:** इसका उद्देश्य स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, जलवायु, फिनटेक और बायोटेक में उत्तरदायी AI को बढ़ावा देना है।
  - **यूके-इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का दूसरा चरण:** खनिज अन्वेषण का विस्तार करने और IIT-ISM धनबाद में एक नया सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा।

Digital Current Affairs
भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

- **व्यापार और निवेश:** दोनों देशों ने **संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO)** के पुनर्गठन का स्वागत किया, जो **भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA)** के प्रशासन एवं उपयोग में सहायता करेगी।
- **रक्षा:** दोनों देशों ने **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत** करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके तहत **हिंद-प्रशांत महासागर** पहल के अंतर्गत **क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (RMSCE)**[7] की स्थापना की जाएगी।
- **शिक्षा:** दोनों पक्षों ने वैध प्रवासन को बढ़ावा देने और अनियमित आवागमन पर अंकुश लगाने के लिए **प्रवासन और आवागमन साझेदारी (Migration and Mobility Partnership)** की पुष्टि की।
  - **बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी** को GIFT सिटी में अपना कैम्पस शुरू की अनुमति दी गई।
- **जलवायु और ऊर्जा:** दोनों देशों ने जलवायु तकनीक और AI में नवाचार का समर्थन करने के लिए **क्लाइमेट टेक स्टार्ट-अप फंड** के लिए नए **संयुक्त निवेश** की घोषणा की।
  - इसके अतिरिक्त, **अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल** और **ग्लोबल क्लीन पावर अलायंस (GCPA)** के माध्यम से सहयोग करने की मंशा व्यक्त की गई।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI : 25 नवंबर, 11 AM | JAIPUR : 7 नवंबर | JODHPUR : 10 नवंबर
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

[6] Technology Security Initiative

[7] Regional Maritime Security Centre of Excellence

2.6.3. नए "यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा" (New Strategic EU-India Agenda)

यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा को मंजूरी प्रदान की। इसमें भू-राजनीतिक संदर्भ में उभरते अवसरों, चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए **प्राथमिकता वाले पांच स्तंभों** की पहचान की गई है।

प्राथमिकता वाले पांच स्तंभ

- **समृद्धि और संधारणीयता:** यह **आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन, विकार्बनिकरण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने** पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और निवेश संरक्षण समझौते (IPA)** को अंतिम रूप देना इसके केंद्रीय लक्ष्य हैं।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार: महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल अवसंरचना** पर सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित है। साथ ही, यह **व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद और हॉरिजोन यूरोप** के माध्यम से अनुसंधान संबंधी सहयोग को बढ़ावा देगा।
- **सुरक्षा और रक्षा:** वैश्विक सुरक्षा संबंधी खतरों, भू-राजनीतिक तनावों और तकनीकी परिवर्तनों से निपटना। उदाहरण के लिए- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा** देना।
- **संपर्क और वैश्विक मुद्दे:** यह **क्षेत्रीय संपर्क, वैश्विक गवर्नेंस और अल्पविकसित देशों में सहयोग** को मजबूत करेगा।
    - उदाहरण के लिए- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और ग्लोबल गेटवे** जैसी पहलों को मजबूत करना।
- **सभी स्तंभों में सक्षमकर्ता:** यह सभी चार मुख्य स्तंभों को समर्थन देने के लिए **कौशल गतिशीलता, ज्ञान विनिमय, व्यापार सहभागिता और संस्थागत सहयोग** को सुगम बनाएगा।

2.6.4. भारत-मंगोलिया (India-Mongolia)

इस अवसर पर दोनों देशों ने अपनी **रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ** भी मनाई। इस अवसर पर **मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs)** पर हस्ताक्षर भी किए गए।

हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) के बारे में

- **विकास सहयोग:** दोनों देशों ने **मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस प्रोजेक्ट को भारत द्वारा **1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता** से परिचालित किया जा रहा है।
- **सांस्कृतिक संबंध: लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद** और मंगोलिया के **अरखानगाई प्रांत** के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **आध्यात्मिक सहयोग:** भारत **भगवान बुद्ध के दो शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष** मंगोलिया भेजेगा। साथ ही, मंगोलिया की **10 लाख प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियों को डिजिटाइज** करने में मदद भी करेगा। भारत **नालंदा विश्वविद्यालय** और **गंदन मठ** के बीच आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित करेगा।

- **अन्य:**
    - मंगोलियाई नागरिकों को **निशुल्क ई-वीजा** प्रदान करना।
    - **तीसरे देशों के बंदरगाहों** की क्षमताओं के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना।
    - **यूरेनियम, आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों** में सहयोग को मजबूत करना।

भारत के लिए मंगोलिया का महत्त्व

- **सामरिक महत्व:** मंगोलिया की **सामरिक अवस्थिति** भारत के लिए **क्षेत्रीय स्थिरता और भू-राजनीतिक संतुलन** बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय और विकास सहयोग:** दोनों देश **मुक्त, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत** के साथ-साथ **बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग** के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- **ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी:** मंगोलिया के पास **कोर्किंग कोयले** का विशाल भंडार है, जो भारत के **इस्पात उद्योग** के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

2.6.5. "सेविला फोरम ऑन डेब्ट" शुरू किया गया (Sevilla Forum on Debt launched)

इस फोरम की शुरुआत **संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के 16वें सत्र (UNCTAD16)** में की गई है। इसका उद्देश्य **विकासशील देशों में व्याप्त ऋण संकट से निपटना** है।

सेविला फोरम ऑन डेब्ट के बारे में

- इसका नेतृत्व **स्पेन** कर रहा है। इसे **UNCTAD तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA)** का समर्थन प्राप्त है।
- यह फोरम ऋण संधारणीयता, प्रबंधन और नवोन्मेषी समाधानों पर **सभी हितधारकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और शैक्षणिक समुदाय** को एक मंच पर लाएगा।
- यह फोरम **फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट (FfD4)** का एक प्रमुख परिणाम है और **सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन** का हिस्सा है।
    - **इसके अन्य तीन परिणाम हैं:**
        - **डेब्ट स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट हब,**
        - **डेब्ट-फॉर-डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम और**
        - **डेब्ट "पॉज क्लॉज" अलायन्स।**
- यह पहल **सेविला प्रतिबद्धता** को पूरक बनाएगी।
    - सेविला प्रतिबद्धता का उद्देश्य **विकासशील देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिवर्ष सामना की जाने वाली 4 ट्रिलियन डॉलर की कमी को दूर** करना है।
    - यह **2015 के बाद पहली बार है,** जब अलग-अलग देशों (अंतर-सरकारी) ने मिलकर विकास के लिए वित्तीय सहयोग का कोई साझा फ्रेमवर्क स्वीकार किया है।

ऋण संकट

- **वैश्विक सार्वजनिक ऋण:** 2024 में यह **102 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया था। इसमें से **31 ट्रिलियन डॉलर** का बोझ विकासशील देशों पर है।

- विकासशील देश **वार्षिक ऋण भुगतान पर 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** खर्च करते हैं।

- **3.4 बिलियन से अधिक लोग** ऐसे राष्ट्रों में रहते हैं, जो **स्वास्थ्य या शिक्षा पर खर्च करने की तुलना में ऋण भुगतान पर अधिक खर्च** करते हैं।

2.6.6. प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता (Plutonium Management and Disposition Agreement: PMDA)

रूस की संसद के निचले सदन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ **प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता (PMDA)** से हटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- गौरतलब है कि रूस ने **2016** में **अमेरिकी प्रतिबंधों** का हवाला देते हुए इस समझौते के कार्यान्वयन को **निलंबित** कर दिया था।

प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता के बारे में

- इस समझौते पर वर्ष **2000** में हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह अमेरिका और रूस दोनों को अपने पास रखे **वेपंस-ग्रेड प्लूटोनियम** में से प्रत्येक को कम-से-कम **34 मीट्रिक टन** इस तरह से **निपटान** करने के लिए बाध्य करता है कि वापस इनका उपयोग नहीं किया जा सके।
  - **प्लूटोनियम:** यह एक **रेडियोधर्मी पदार्थ** है, जिसकी परमाणु संख्या **94** है। इसका गलनांक उच्च होता है। यह **प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व** है।
- **निपटान लक्ष्य:** प्लूटोनियम को अधिक सुरक्षित रूपों में परिवर्तित करना (जैसे **MOX ईंधन**, रिएक्टर विकिरण में)।

2.6.7. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council)

भारत सातवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत निर्विरोध निर्वाचित हुआ है।

- भारत को **वर्ष 2026 से 2028 के तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए** चुना गया है। नया कार्यकाल अगले वर्ष से शुरू होगा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में

- **संक्षिप्त विवरण: यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक अंतर-सरकारी संस्था है।** इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर **मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना** है।
- **स्थापना:** इसे **2006 में** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **"मानवाधिकार आयोग"** की जगह स्थापित किया गया था।
- **सदस्य:** इसमें **47 सदस्य देश** हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष चुनती है। **प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है। कोई देश अधिकतम दो लगातार कार्यकाल के लिए ही सदस्य बन सकता है।**
- **कार्य:**
  - यह मानवाधिकारों पर वैश्विक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है,
  - संकल्प पारित करती है,
  - सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करती है और
  - मानवाधिकार उल्लंघन की जांच तथा विशेष प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए आदेश जारी करती है।

2.6.8. आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)

Digital Current Affairs
आतंकवाद वित्तपोषण पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

ईरान ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन किया है।

इस अभिसमय के बारे में

- यह अभिसमय **संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में अपनाया** गया था और यह **2002 में लागू (प्रभावी)** हुआ था।
- **उद्देश्य:**
  - आतंकवाद के वित्तपोषण को **अपराध** घोषित करना।
  - ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को **जवाबदेह ठहराना,** जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए **धन या संसाधन उपलब्ध** कराते हैं।
- **भारत ने भी इसका अनुसमर्थन किया है।**

2.6.9. सुर्ख़ियों में संघर्षरत क्षेत्र (Areas in Conflict in News)

संघर्षरत क्षेत्र	संघर्ष का कारण	मुख्य भौगोलिक विशेषताएं	मानचित्र
म्यांमार (सागाइंग क्षेत्र)	म्यांमार से दस लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान अब बांग्लादेश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। बांग्लादेश में इनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।	• यह **दक्षिण-पूर्व एशिया** की मुख्य भूमि के पश्चिमी भाग में स्थित है। • **सीमावर्ती राष्ट्र:** इसके उत्तर और उत्तर-पूर्व में **चीन**, पूर्व में **लाओस**, दक्षिण-पूर्व में **थाईलैंड**, पश्चिम में **बांग्लादेश**, उत्तर-पश्चिम में **भारत** (मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश) है। • **सीमावर्ती जल निकाय:** इसके दक्षिण में **अंडमान सागर**, और दक्षिण-पश्चिम में **बंगाल की खाड़ी** है। • **प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं:** रखाइन पर्वत, शान पठार, दावना पर्वतमाला, तेनासेरिम पर्वतमाला आदि। • **सबसे ऊँचा स्थान:** माउंट हकाकाबो रज़ी। • **प्रमुख नदियां:** इरावदी, चिंदविन, सितांग, सालवीन, यांगून नदी।	
मेडागास्कर (राजधानी: अंटानानारिवो)	मेडागास्कर में सरकार विरोधी **जेन Z (Gen Z) विरोध-प्रदर्शनों के कारण सरकार गिर गई** है।	• **सीमाएं:** मॉरीशस और रीयूनियन (फ्रांस का क्षेत्र) (पूर्व में)। फ्रांसीसी क्षेत्र मायोट और द्वीपीय देश कोमोरोस (उत्तर-पश्चिम में)। • मेडागास्कर **अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट** के पास **हिंद महासागर** में अवस्थित है। • यह **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश** है। • **उच्च स्थानिक (एंडेमिक) प्रजाति:** मेडागास्कर में पाई जाने वाली लगभग **90%** वनस्पति और जीव प्रजातियां कहीं और नहीं पाई जाती हैं।	

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. बहुआयामी निर्धनता (Multidimensional Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) ने **वर्ष 2025 की वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)**[8] रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- **बहुआयामी निर्धनता:** 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन (18.3%) लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं।
  - विश्व के लगभग **आधे** बहुआयामी निर्धन व्यक्ति केवल छह मध्यम-आय वर्ग वाले **देशों** अर्थात बांग्लादेश, चीन, **भारत**, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तंजानिया में निवास करते हैं।
  - सभी बच्चों में से लगभग 27.8% **बच्चे बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं**, जो वयस्कों (13.5%) की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।
- **निर्धनता और जलवायु जोखिम:** निर्धनता और जलवायु संबंधी आघात एक **दोहरा बोझ** उत्पन्न करते हैं। निर्धनता लोगों को जलवायु खतरों के प्रति अधिक **सुभेद्य** बनाती है। ये खतरे, बदले में, निर्धनता को और अधिक गहन एवं **चिरकालिक (Chronic)** बनाते हैं।
  - वैश्विक स्तर पर बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लगभग **10 में से 8 लोग** (1.1 बिलियन में से 887 मिलियन लोग) **प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा या वायु प्रदूषण जैसे जलवायु संबंधी खतरों** के जोखिम का सामना कर रहे हैं।
  - 309 मिलियन निर्धन लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां **तीन या चार प्रकार के जलवायु खतरों का एक साथ जोखिम** होता है। साथ ही, वे गंभीर बहुआयामी निर्धनता का सामना भी कर रहे हैं।
    - ये लोग "तीन गुना या चार गुना बोझ" झेल रहे हैं; उनकी **परिसंपत्तियां** सीमित होती हैं तथा **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों** तक उनकी पहुँच अत्यंत कम होती है, जिससे आपदा संबंधी नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं।
  - व्यक्तिगत रूप से, विश्व भर में निर्धन लोगों को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक व्यापक खतरे **अत्यधिक गर्मी** (608 मिलियन) और **वायु प्रदूषण** (577 मिलियन) हैं।
  - **उप-सहारा अफ्रीका** और **दक्षिण एशिया** को वैश्विक 'हॉटस्पॉट' के रूप में पहचाना गया है, जहाँ जलवायु खतरों से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों की संख्या सर्वाधिक है।

Digital Current Affairs
भारत में निर्धनता पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

- **भारत में निर्धनता:** 2005–2006 में भारत की 55.1% जनसंख्या निर्धन थी। यह **निर्धनता अनुपात** 2019-2021 में घटकर 16.4% रह गया तथा लगभग 41.4 करोड़ लोग निर्धनता से बाहर निकलने में सफल हुए हैं।

वैश्विक MPI की कार्यप्रणाली

- **वंचना संकेतक:** वैश्विक MPI की गणना शुरू करने के लिए, प्रत्येक परिवार और उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक **वंचना (Deprivation)** प्रोफाइल बनाया जाता है। इसमें **मानव विकास** के **तीन आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर)** से संबंधित 10 संकेतक शामिल होते हैं (नीचे दी गई तालिका देखें)।
  - सभी संकेतकों को **प्रत्येक आयाम के भीतर समान भारांश** दिया जाता है।
  - किसी व्यक्ति का वंचना स्कोर, उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली **सभी भारांश-युक्त वंचनाओं का कुल योग** होता है।
  - वैश्विक MPI उन लोगों को बहुआयामी निर्धन के रूप में वर्गीकृत करता है जिनका वंचना स्कोर **एक-तिहाई (33.3%)** या उससे अधिक होता है।

[8] Global Multidimensional Poverty Index

* **MPI मान:** यह निर्धनता की **व्यापकता (H,** या बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात) और **निर्धनता की तीव्रता (A,** या बहुआयामी निर्धन लोगों में औसत वंचना स्कोर) का गुणनफल है।
    * सरल शब्दों में, **MPI = H × A**।
    * MPI को **'समायोजित हेडकाउंट अनुपात'**[9] भी कहा जाता है और इसमें बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोगों का हिस्सा (व्यापकता या हेडकाउंट) और उनकी वंचना की सीमा (तीव्रता) दोनों सम्मिलित होते हैं।
    * MPI का मान **0 से 1** के बीच होता है और **उच्च मान, उच्च निर्धनता** का सूचक है।

निर्धनता के आयाम	**संकेतक**	**वंचित माने जाएंगे यदि व्यक्ति ऐसे परिवार में रहते हैं जहां...**	**भारांश**
स्वास्थ्य	पोषण	70 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, जिसके लिए पोषण संबंधी जानकारी कुपोषित के रूप में उपलब्ध है।	1/6
	बाल मृत्यु दर	सर्वेक्षण से पहले के पांच वर्षों की अवधि में सर्वेक्षण वाले परिवार में 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो।	1/6
शिक्षा	स्कूली शिक्षा के वर्ष	परिवार में स्कूल में प्रवेश की आयु + छह वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी सदस्य जिसने कम से कम छह वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है।	1/6
	स्कूल में उपस्थिति	स्कूल-जाने की आयु का कोई भी बच्चा, उस आयु तक स्कूल नहीं जा रहा है जिस आयु में उसे कक्षा 8 पूरी कर लेनी चाहिए थी।	1/6
जीवन स्तर	खाना पकाने का ईंधन	परिवार ठोस ईंधन (लकड़ी, उपले, कोयला या चारकोल) से भोजन पकाता है।	1/18
	स्वच्छता	परिवार की स्वच्छता सुविधा बेहतर नहीं है (SDG दिशा-निर्देशों के अनुसार) या यह बेहतर है लेकिन अन्य परिवारों के साथ साझा की जाती है।	1/18
	पेयजल	परिवार के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है (SDG दिशा-निर्देशों के अनुसार), या वह घर से आने-जाने में 30 मिनट या उससे अधिक दूरी पर स्थित है।	1/18
	विद्युत	परिवार के पास विद्युत की सुविधा नहीं है।	1/18
	आवासन	छत, दीवारों और फर्श के लिए उपयोग की गई सामग्री में से कम से कम एक अपर्याप्त है: फर्श प्राकृतिक पदार्थों की बनी हों और/या छत और/या दीवारें प्राकृतिक या अपरिष्कृत सामग्री की बनी हों।	1/18
	परिसंपत्ति	परिवार के पास रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, पशु गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर आदि में से एक से अधिक परिसंपत्ति नहीं है, और उनके पास न ही कार या ट्रक है।	1/18

नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

* **पद्धति:** इस सूचकांक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त **अल्कायर-फॉस्टर (Alkire-Foster) पद्धति** का प्रयोग किया गया है, जो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (वैश्विक MPI) में भी प्रयुक्त होती है। इसमें वैश्विक MPI के सभी 10 संकेतकों यथावत रखा गया है और दो अतिरिक्त संकेतक- मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते को शामिल किया गया है।
* **राष्ट्रीय MPI मूल्य:** वैश्विक MPI की तरह, राष्ट्रीय MPI मूल्य की गणना हेडकाउंट अनुपात (H) और निर्धनता की तीव्रता (A) के गुणनफल द्वारा की जाती है।
* **संकेतक:** वैश्विक MPI की तरह, भारत का राष्ट्रीय MPI भी **तीन समान भारित आयामों अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** पर आधारित है, जिन्हें **12 संकेतकों** के माध्यम से मापा जाता है **(इन्फोग्राफिक देखें)**।

[9] Adjusted Headcount Ratio

निष्कर्ष

2025 की वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि निर्धनता अब केवल आय की कमी की एक-आयामी समस्या नहीं रह गई है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़ी परस्पर संबंधित वंचनाओं का एक जटिल ताना-बाना है, जो अब जलवायु सुभेद्यता से और अधिक गंभीर हो गई है। भारत में बहुआयामी निर्धनता में हुई उल्लेखनीय कमी लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेपों और समावेशी विकास रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। यद्यपि, इस प्रगति को **सतत** बनाए रखने के लिए अब **समुत्थानशील-केंद्रित (Resilience-Focused)** विकास दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

3.2. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 (Nobel Prize in Economic Sciences 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार 2025 (अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार) जोएल मोक्यर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को संयुक्त रूप से **नवाचार-संचालित आर्थिक संवृद्धि की व्याख्या** के लिए प्रदान किया गया है।

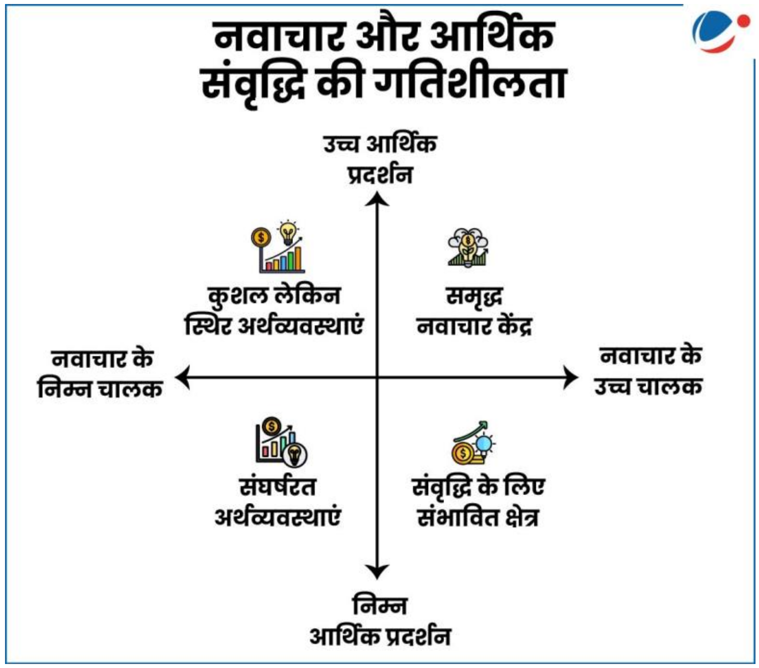

स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार इन इकोनॉमिक साइंसेज़ (अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार) के बारे में

- **स्थापना:** इसकी स्थापना **1968** में **स्वेरिजेस रिक्सबैंक (स्वीडन के केंद्रीय बैंक)** द्वारा की गई थी।
  - यह अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत द्वारा स्थापित **पांच मूल नोबेल पुरस्कारों** में से एक **नहीं है।**
- **प्रदाता:** द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज।
- **प्रथम प्राप्तकर्ता:** 1969 में **रैगनर फ्रिश** और **जॉन टिनबर्गेन** में यह पुरस्कार मिला था।
  - **अमर्त्य सेन** अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार **कल्याणकारी अर्थशास्त्र** और **सामाजिक चयन सिद्धांत** में उनके योगदान के लिए **1998** में प्रदान किया गया था।
- **पुरस्कार में शामिल हैं:** एक पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और नकद पुरस्कार राशि।

पुरस्कार विजेताओं के विशिष्ट योगदान

जोएल मोक्यर: सतत संवृद्धि की आवश्यक शर्तें

- उन्हें यह पुरस्कार **"प्रौद्योगिकीय प्रगति के माध्यम से सतत संवृद्धि के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने"** के लिए दिया गया।
- प्रौद्योगिकीय उन्नति से सतत संवृद्धि प्राप्त करने के लिए **तीन मुख्य तत्वों का मौजूद होना आवश्यक है:**
  - **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संयुक्त विकास**
  - **यांत्रिक क्षमता**
  - **परिवर्तन के प्रति खुला समाज**

फिलिप एगियन और पीटर हॉविट: सृजनात्मक विनाश का सिद्धांत

- उन्हें 1992 में उनके द्वारा प्रतिपादित 'सृजनात्मक विनाश' (Creative Destruction) के **गणितीय मॉडल** (फ्रेमवर्क) के लिए सम्मानित किया गया है।
- **सृजनात्मक विनाश** उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें जब कोई नवीन और बेहतर उत्पाद बाज़ार में आता है, तो उससे पुराने उत्पाद अप्रचलित हो जाते हैं, तथा उन्हें बेचने वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती हैं।
  - यह प्रक्रिया 'सृजनात्मक' इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ नया शामिल होता है और 'विनाशकारी' इसलिए है क्योंकि यह मौजूदा उत्पादों से बेहतर प्रदर्शन करती है।

- **उनके मॉडल का एक प्रमुख तत्व यह है कि** कंपनियां पेटेंट के माध्यम से **अस्थायी एकाधिकार** स्थापित करके अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। यद्यपि, पेटेंट किसी नए पेटेंट योग्य नवाचार विकसित करने वाले प्रतिस्पर्धी से कंपनियों की रक्षा नहीं करते हैं।

आर्थिक संवृद्धि में नवाचार और ज्ञान की भूमिका

भूमिका	उदाहरण
उत्पादकता में वृद्धि- इसका अर्थ है कि समान **आगतों (Inputs)** से अधिक **उत्पादन (Output)** प्राप्त होता है।	1995 से 2006 के बीच कई OECD देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका आदि में **श्रम उत्पादकता में हुई वृद्धि का लगभग दो-तिहाई से तीन-चौथाई हिस्सा** अमूर्त निवेशों से जुड़ा पाया गया। इनमें अनुसंधान एवं विकास (R&D), सॉफ्टवेयर, नवाचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) शामिल थे।
जीवन स्तर में सुधार	नई दवाइयां, परिवहन, बेहतर भोजन, इंटरनेट, संचार के लिए बढ़ते अवसर/ नए साधन
अर्थव्यवस्थाओं का ज्ञान-आधारित प्रणालियों में रूपांतरण	विश्व बैंक के 'नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स' के अनुसार, जो राष्ट्र शिक्षा, ICT और R&D में निवेश करते हैं (जैसे दक्षिण कोरिया, जो अपने **GDP का 4.9% R&D पर खर्च करता है), वे तीव्र GDP संवृद्धि** और उच्च आय गतिशीलता का अनुभव करते हैं।
उद्यमशीलता और उच्च-मूल्य वाली नौकरियों को प्रोत्साहन	**भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम** ने दिसंबर 2024 तक लगभग 1.5 लाख स्टार्ट-अप्स और 17 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।
सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना	अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के अनुसार, 2024 में नवीन विद्युत उत्पादन के लिए **अक्षय ऊर्जा** (जैसे अपतटीय पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र) सर्वाधिक लागत-प्रभावी विकल्प हैं।

आर्थिक संवृद्धि में सृजनात्मक विनाश की भूमिका

भूमिका	उदाहरण
नवाचार और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देना	ऑटोमोबाइल उद्योग का **इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs)** की ओर रूपांतरण/ बदलाव पारंपरिक दहन-इंजन आधारित कंपनियों को प्रतिस्थापित कर रहा है तथा बैटरी एवं स्वच्छ ऊर्जा के नए बाज़ार का निर्माण कर रहा है।
उद्यमशीलता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना	भारत की डिजिटल क्रांति (UPI, फिनटेक, ई-कॉमर्स) ने पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली और खुदरा व्यापार को बाधित किया, जिससे **वित्तीय समावेशन** और नवाचार में वृद्धि हुई।
संसाधनों का पुनः आवंटन	इस प्रक्रिया में कंपनियों के बाज़ार में प्रवेश करने और बाहर निकलने की दर उच्च (अमेरिका में 10% से अधिक) पाई जाती है। इसके अतिरिक्त, यह **उत्पादन के कारकों** की दक्षता में सुधार करता है, जो श्रम उत्पादकता में वृद्धि से सकारात्मक रूप से संबंधित है।
आर्थिक समुत्थानशीलता (Resilience)	**कोविड-19 के दौरान डिजिटल परिवर्तन** में तेजी आई, जिससे दूरस्थ कार्य और ई-कॉमर्स के विकास को बढ़ावा मिला।

निष्कर्ष

आर्थिक संवृद्धि नवाचार और मजबूत आधारभूत ढांचे दोनों से उत्पन्न होती है। अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से उत्पादकता में वृद्धि होती है, जबकि व्यापक आर्थिक स्थिरता निवेशकों के विश्वास को मजबूत करती है। संसाधनों के कुशल उपयोग और वैश्विक एकीकरण से औद्योगिक विस्तार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को और बढ़ावा मिलता है। इस गति को बनाए रखने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें खुलेपन को बढ़ावा देना, व्यवधानों का प्रबंधन करना, संरक्षणवाद का विरोध करना, सुसंगत नीतियां सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान में निवेश करना शामिल है।

3.3. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)** पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, संधारणीय और किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी बनाना है।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के बारे में

- इसकी घोषणा **केंद्रीय बजट 2025-26** के दौरान की गई थी। साथ ही, यह नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है।
- यह योजना **11 मंत्रालयों** की **36 मौजूदा कृषि योजनाओं** को समेकित करती है, जिनमें प्रमुख हैं:
  - प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि **(PM-KISAN)** – नकद हस्तांतरण,
  - प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना **(PMFBY)** – फसल बीमा,
  - प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना **(PMKSY)** – सिंचाई, आदि।
    - इस योजना में राज्य-स्तरीय योजनाएं और **निजी क्षेत्रक** के साथ स्थानीय भागीदारी भी शामिल होंगी।
- **उद्देश्य:** 1.7 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से **लघु एवं सीमांत किसानों** को, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये किसान भारत की कुल कृषि में संलग्न आबादी का लगभग 86% हैं (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार)।
- **मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।**
- **अवधि:** 6 वर्ष (2025-26 से 2030-31 तक)।
- **वित्तीय परिव्यय:** 6 वर्षों के लिए **₹24,000 करोड़** के वार्षिक बजट के साथ कुल **₹1.44 लाख करोड़** का प्रावधान किया गया है।
  - इस धन राशि में 40% सब्सिडी के लिए, 30% अवसंरचना (भंडारण, सिंचाई) के लिए, 20% ऋण के लिए और 10% प्रशिक्षण और बाजार सहायता के लिए निर्धारित है।
- **कवरेज:** 100 **अल्प-प्रदर्शन** करने वाले जिले, जहाँ फसल उपज निम्न है, जल की कमी है और संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। प्रत्येक राज्य से न्यूनतम 1 जिला शामिल किया जाएगा।
  - इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 12 जिले शामिल होंगे।

- **फोकस क्षेत्र:** ऐसे क्षेत्र जहां **फसल उपज कम** है (उदाहरण. जहां गेहूं की उपज राष्ट्रीय औसत 3.5 टन प्रति हेक्टेयर से कम है), **फसल सघनता** मध्यम है (प्रति वर्ष 1.55 से कम फसल चक्र) तथा ऋण सुविधाओं तक पहुँच सीमित है।
- **लाभार्थी:** लघु एवं सीमांत किसान, महिला किसान, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने वाले/ कृषि-व्यवसाय आरंभ करने वाले/ **मूल्य-संवर्धित** उत्पाद उद्यम शुरू करने वाले युवा किसान, निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसान, **किसान उत्पादक संगठन (FPOs)** और **संबद्ध क्षेत्रक** के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- **PMDDKY के अंतर्गत कृषि योजनाओं के समेकन का महत्व:** इससे दोहराव और अक्षमताओं का समाधान होगा।
    - कृषि क्षेत्र में 45% **पूंजीगत व्यय** वास्तव में **परिसंपत्ति निर्माण** के लिए उपयोग किया जाता है, जो निम्न व्यय दक्षता को दर्शाता है।
    - जल आपूर्ति, परिवहन आदि क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय का 75% से अधिक हिस्सा परिसंपत्ति निर्माण में जाता है।

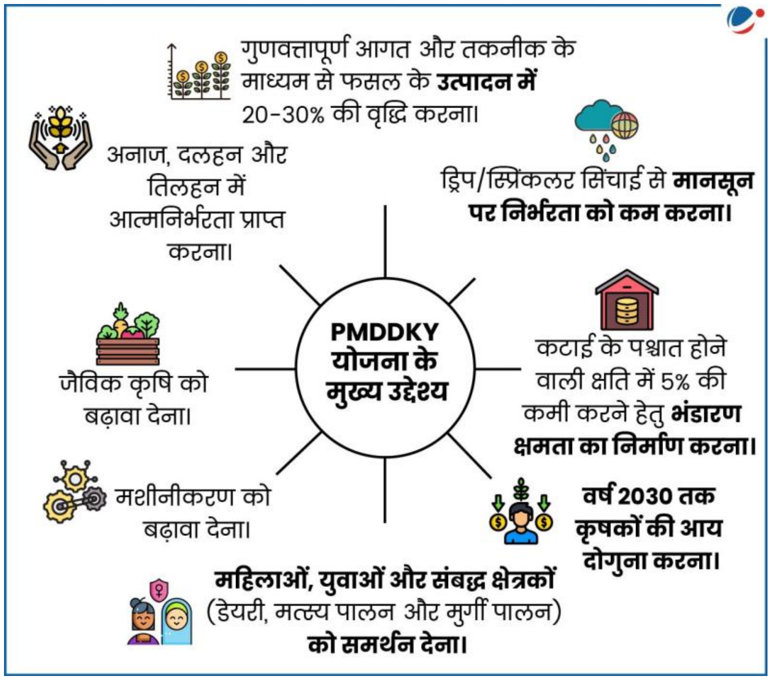

प्रमुख लाभ एवं उनके प्रभाव		
पहलू	लाभ	प्रभाव
फसल उपज	• उच्च उत्पादकता वाले बीज, जैव उर्वरक और ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी आधुनिक उपकरणों पर **50-80% तक की छूट** प्राप्त होगी।	• उत्पादन में 20-30% तक की वृद्धि होगी।
वित्तीय सहायता	• **अल्पकालिक ऋण:** ₹50,000 – ₹1 लाख तक का ऋण 4-7% ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से बीज, उर्वरक या कीटनाशक जैसी आवश्यकताओं के लिए। • **दीर्घकालिक ऋण:** ₹1 लाख–10 लाख तक का ऋण पूंजीगत निवेश (जैसे ट्रैक्टर, भंडारण इकाइयां आदि) के लिए।	• लाभ में 20-40% तक की वृद्धि होगी। • वहनीय आगतों और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
भंडारण	• ग्राम एवं ब्लॉक स्तर के **गोदामों व शीत भंडारण (Cold storage)** का निःशुल्क या कम लागत पर उपयोग।	• फसल की क्षति में 20% तक की कमी होगी।
सिंचाई	• ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली पर **सब्सिडी** प्रदान की जाएगी।	• 30-50% तक जल की बचत होगी।
बाजार तक पहुंच	• खरीदारों को सीधी बिक्री के लिए **ई-नाम (e-NAM)** या नए प्रधान मंत्री डिजिटल कृषि योजना (PMDDKY) ऐप्स जैसे **डिजिटल प्लेटफॉर्म तक निःशुल्क पहुंच** प्राप्त होगी।	• बेहतर मूल्य प्राप्ति, बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होगी।
आधुनिक कौशल और वैश्विक संपर्क	• **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs)**, कृषि विश्वविद्यालयों और निजी साझेदारों द्वारा **जैविक कृषि**, **यंत्रीकरण**, एवं **संबद्ध गतिविधियों** पर निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। • **500 किसानों को पूर्णतः वित्तपोषित** अंतरराष्ट्रीय यात्राएं, जैसे इजराइल (ड्रिप सिंचाई), जापान (**परिशुद्ध कृषि**) आदि देशों में उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे।	• आधुनिक **कौशल** का विकास और **वैश्विक अनुभव** प्राप्त होगा।

योजना की संरचनात्मक डिजाइन और संस्थागत तंत्र

- **राष्ट्रीय स्तर पर:** एक **राष्ट्रीय संचालन समिति** द्वारा योजना की निगरानी की जाएगी।
    - **केंद्रीय स्तर पर दो टीमों का गठन किया जाएगा:** एक **केंद्रीय मंत्रियों** के अधीन तथा दूसरी **सचिवों और विभागीय अधिकारियों के अधीन**।
- **राज्य स्तर पर:** नोडल समितियां निगरानी करेंगी।
- **जिला स्तर पर:** जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में **जिला धन-धान्य समितियां** निगरानी करेंगी।
    - **जिला-स्तरीय योजनाएं** जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और **नीति आयोग** के सहयोग से तैयार की जाएगी।

- **पारदर्शिता** सुनिश्चित करने हेतु **डिजिटल डैशबोर्ड**, किसान ऐप और **जिला रैंकिंग प्रणाली** (117 **प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों - KPIs**) का उपयोग किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले के लिए **केंद्रीय नोडल अधिकारियों** की नियुक्ति की जाएगी। वे नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण करेंगे, प्रगति की **निगरानी** करेंगे और स्थानीय टीमों के साथ **समन्वय** स्थापित करेंगे।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, योजनाओं के **संविलयन (Convergence)**, डेटा-आधारित नियोजन और संसाधनों के **सर्वोत्तम (Optimal)** उपयोग को सुनिश्चित करती है। यह योजना एकीकृत कृषि विकास, उत्पादकता वृद्धि तथा कृषक कल्याण को प्रोत्साहित करती है, जिससे **समग्र**, **संधारणीय** और **प्रौद्योगिकी-सक्षम** ग्रामीण रूपांतरण को साकार किया जा सके।

3.4. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **"दलहन आत्मनिर्भरता मिशन"** की शुरुआत की है।

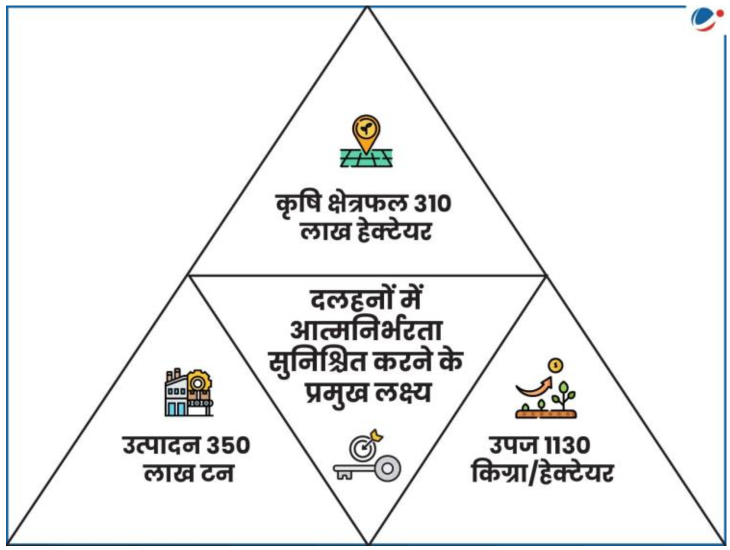

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की प्रमुख विशेषताएं:

- **उद्देश्य:** दिसंबर 2027 तक घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- **अवधि:** 6 वर्ष (2025-26 से 2030-31)।
- **वित्तीय परिव्यय:** 11,440 करोड़ रुपये।
- **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- **लक्षित फसलें:** तूर/ अरहर; उड़द, काला चना और मसूर (लाल मसूर)।
- **क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण:** प्रत्येक क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपाय किए जाएंगे।
- **लाभ:** गारंटीकृत खरीद, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण और मजबूत मूल्य श्रृंखला आधारित समर्थन से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
- **अन्य वांछित लाभ:**
  - जलवायु-अनुकूल और मृदा स्वास्थ्य के अनुकूल पद्धतियों को बढ़ावा देना।
  - रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना।
  - अंतर फसली कृषि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।
- **परिचालन रणनीति**
  - **बीज विकास एवं वितरण: 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों** का उत्पादन और वितरण करना, तथा किसानों को **88 लाख बीज किट निःशुल्क उपलब्ध** कराना।
    - **उच्च उपज देने वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल दलहन किस्मों** के विकास एवं प्रसार पर बल दिया गया है।
  - **सुनिश्चित खरीद:** चार वर्षों तक तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी।
    - राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)[10] और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF)[11] प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान **(PM-AASHA)** की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत भागीदार राज्यों के किसानों से खरीद की जाएगी।
  - **राज्यों की भूमिका:** प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य पांच वर्षीय रोलिंग बीज उत्पादन योजनाएं तैयार करेंगे, जिसमें ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) द्वारा ब्रीडर बीज उत्पादन की निगरानी की जाएगी। साथ ही, साथी (SATHI) पोर्टल के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन बनाए रखा जाएगा।

---

[10] National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India

[11] National Cooperative Consumers' Federation of India Ltd.

- साथी/ SATHI[12] कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित एक उपयोगकर्ता-उन्मुख केंद्रीकृत पोर्टल है।
- **फसल कटाई उपरांत मूल्य श्रृंखला:** पूरे देश में **1,000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों** की स्थापना की जाएगी, **जिन्हें प्रति इकाई ₹25 लाख तक की सब्सिडी** प्रदान कर समर्थन दिया जाएगा।

भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति

- भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है।
- **शीर्ष 3 दलहन उत्पादक राज्य:** मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
  - मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन में 22.11% योगदान देता है।
  - इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान स्थान हैं, ये तीनों राज्य मिलकर भारत के कुल दलहन उत्पादन में लगभग 55% योगदान देते हैं।
- **मौसम:** सभी तीनों मौसमों (खरीफ, रबी और गर्मी) में उगाई जाती है।
  - **खरीफ फसलें:** अरहर (तूर), मूंग, उड़द, और गौण दलहन (मोथ बीन, राजमा, कुल्थी आदि)।
  - **रबी फसलें:** चना, मसूर, लोबिया, मूंग और उड़द।
  - **गर्मी की फसलें:** मूंग और उड़द।
- **महत्वपूर्ण दलहन:** चना (47.4%), अरहर (15.4%), मूंग (12%), उड़द (10.3%), और मसूर (5.4%)।
- **उत्पादन की प्रवृत्ति:** भारत में दलहन उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014 में 192.55 लाख टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 244.93 लाख टन हो गया है।

दलहन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता

- **अपर्याप्त घरेलू उत्पादन:** घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाया है, जिसके कारण दालों के आयात में 15–20% की वृद्धि हुई है।
  - वर्ष 2023–24 में भारत ने 47.38 लाख टन दालों का आयात किया, जबकि 5.94 लाख टन का निर्यात किया।
- **कुपोषण का समाधान करना:** भारतीय आहार में **कुल प्रोटीन सेवन का लगभग 20-25%** हिस्सा दलहन से आता है। हालांकि, भारतीय आहार में दालों की प्रति व्यक्ति खपत **अनुशंसित 85 ग्राम प्रतिदिन से कम है**।
- **मांग में अनुमानित वृद्धि:** कुल मांग बढ़कर **2030 तक 46.33 मिलियन टन (MT)** और **2047 तक 50.26 MT** होने का अनुमान है।
- **पर्यावरणीय और मृदा स्वास्थ्य के लाभ:** दलहन **वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने** की क्षमता रखती हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है।
- **मूल्य एवं बाजार स्थिरीकरण:** वैश्विक व्यापार और घरेलू उत्पादन में अस्थिरता के कारण दालों के मूल्य में उतार-चढ़ाव बना रहता है, जिससे मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौती आती है।

दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने की अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) – दलहन:** इसे वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दलहन के क्षेत्रफल में विस्तार, उत्पादकता में वृद्धि और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना है।
- **त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (A3P)** (2010–2014): यह उन्नत कृषि पद्धतियों के क्लस्टर आधारित प्रदर्शन पर केंद्रित कार्यक्रम है।
- **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA):** यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। यह एक छत्र योजना है जो दलहनों, तिलहनों और नारियल (कोपरा) के उत्पादन हेतु मूल्य आश्वासन प्रदान करती है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):** इसके तहत प्रमुख दलहन फसलों अर्थात तूर (अरहर), चना, मूंग, उड़द और मसूर के लिए सरकार द्वारा MSP निर्धारित किया जाता है।
- **बफर स्टॉक प्रबंधन:** इसके तहत दलों के उपभोक्ता मूल्यों को स्थिर रखने और बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) और मूल्य समर्थन योजना (PSS) के माध्यम से दलहन फसलों का बफर स्टॉक बनाए रखती है।
- **सब्सिडी युक्त खुदरा वितरण (भारत दाल):** सरकार ने चना, मूंग और मसूर जैसी दलहन के स्टॉक को सब्सिडी वाली **"भारत दाल"** में परिवर्तित कर खुदरा वितरण के लिए NAFED, NCCF आदि संस्थानों के माध्यम से बेचने की पहल शुरू की है।

---

[12] बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची/ Seed Authentication, Traceability & Holistic Inventory

निष्कर्ष

"दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" एक आत्मनिर्भर, संधारणीय और सशक्त दलहन क्षेत्रक का आधार तैयार करता है। प्रौद्योगिकी, नवाचार और किसान सशक्तिकरण को संयोजित करके, यह पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देगा और आयात निर्भरता कम करेगा। इस प्रकार, यह भारत को वास्तविक कृषि और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा।

3.5. मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता (WTO Agreement on Fisheries Subsidies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा 'स्वीकृति पत्र' (Instrument of Acceptance) प्रस्तुत किए जाने के बाद, मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है।

मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौते के बारे में

- **अवलोकन**: यह WTO का पहला ऐसा समझौता है जो स्पष्ट रूप से **पर्यावरण और महासागरीय स्थिरता (Oceanic Sustainability)** पर केंद्रित है। यह महासागरों के सतत उपयोग के लिए पहला **व्यापक, बाध्यकारी, बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता** है।
- **स्वीकृति**: इसे **12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12)**, जिनेवा (2022) में अपनाया गया था और यह 15 सितंबर, 2025 से प्रभावी हुआ है।
- **सतत विकास लक्ष्य 14 के अनुरूप:** यह समझौता **हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी** को समाप्त करके महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने का प्रयास करता है।
  - **सतत विकास लक्ष्य 14.6** का उद्देश्य उन हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी को समाप्त करना है जो **अत्यधिक मत्स्यन (Overfishing), अत्यधिक क्षमता (Overcapacity),** या **अवैध, असूचित और अविनियमित (IUU)** मत्स्य पालन को बढ़ावा देती हैं।
- **भारत की स्थिति:** भारत ने अभी तक इस समझौते की **पुष्टि नहीं की** है।

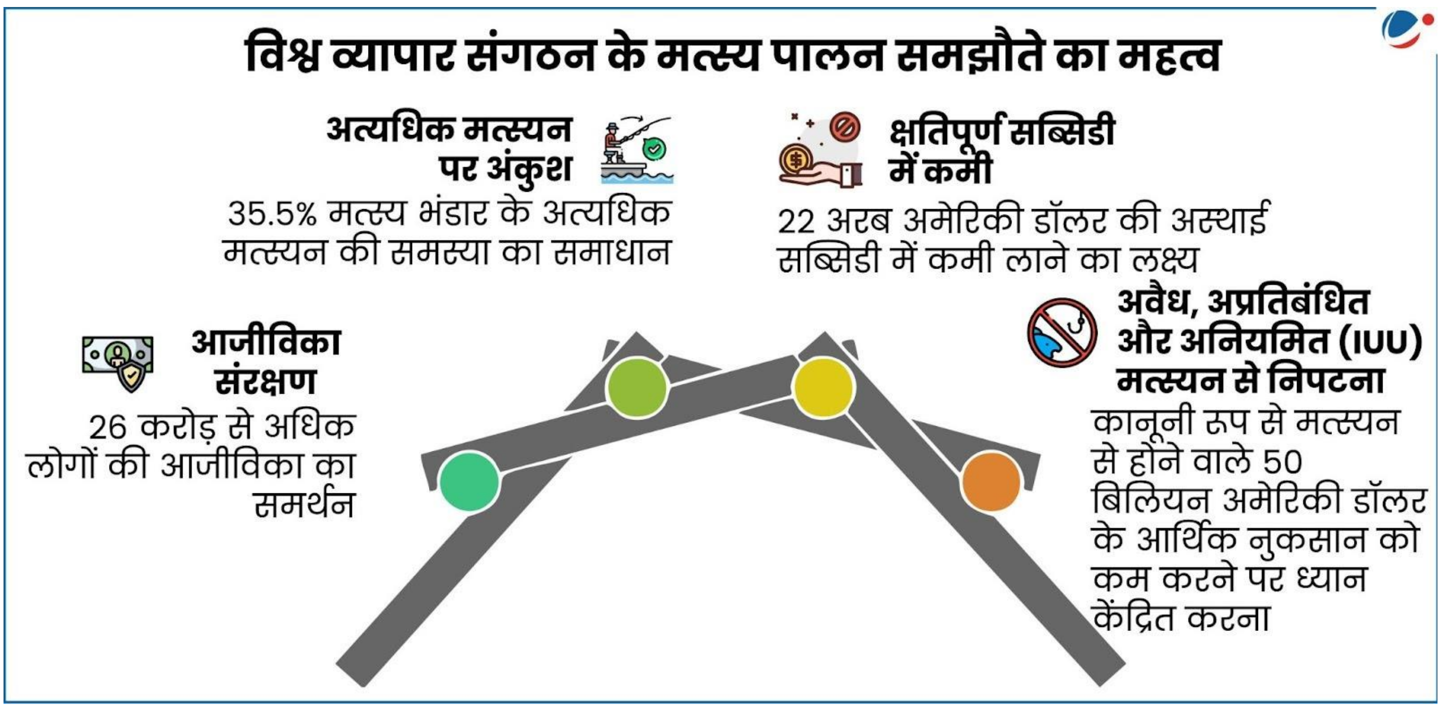

समझौते के प्रमुख प्रावधान

- **हानिकारक सब्सिडियों पर प्रतिबंध**: यह समझौता IUU मत्स्यन में योगदान देने वाली सब्सिडियों के साथ-साथ, अति-मत्स्यन वाले मत्स्य भंडारों और **खुले समुद्र (High Seas)** में अविनियमित मत्स्यन गतिविधियों से **संबद्ध** सब्सिडी पर भी रोक लगाता है।

- ○ शीर्ष 5 सब्सिडी देने वाले देशों (**चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान**) वैश्विक मत्स्य पालन सब्सिडी का लगभग **58%** हिस्सा प्रदान करते हैं।
- **विशेष एवं विभेदक उपचार (S&DT)[13]:** निर्धन राष्ट्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, **विकासशील और अल्पविकसित देशों (LDCs)** को समझौते के प्रभावी होने की तिथि से दो वर्ष की संक्रमण अवधि (Transition Period) प्रदान की गई है।
- **WTO मत्स्य कोष:** यह समझौता **LDCs** को **तकनीकी सहायता** और इसके कार्यान्वयन हेतु **क्षमता-निर्माण** के लिए समर्थन प्रदान करने हेतु एक **स्वैच्छिक वित्तीय तंत्र** की स्थापना करता है।
  - ○ यह कोष/ फंड पूरी तरह से संचालित है।
- **पारदर्शिता संबंधी बाध्यता:** सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी **मत्स्य पालन सब्सिडी, मत्स्य भंडार की स्थिति और प्रबंधन उपायों** के विषय में **WTO** को सूचित करें।
- **खुले समुद्र में मत्स्यन:** यह समझौता **खुले समुद्र में मत्स्यन के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर भी प्रतिबंध** लगाता है, जो तटीय देशों और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों/ व्यवस्थाओं[14] के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हैं।
- **कार्यान्वयन**: **मत्स्य पालन सब्सिडी** पर गठित एक समिति इस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी तथा सदस्य देशों के बीच उनकी मत्स्यन पद्धतियों एवं सब्सिडी नीतियों पर नियमित संवाद को सुगम बनाएगी।

भारत ने समझौते की पुष्टि क्यों नहीं की है?

- **सीमित सब्सिडी संरचना:** भारत, अपने विस्तृत तटीय क्षेत्र और विशाल मत्स्य आबादी के बावजूद, विश्व स्तर पर **सबसे कम मत्स्य सब्सिडी देने वाले देशों** में से एक है।
  - ○ भारत की मत्स्यन पद्धतियां **लघु-स्तरीय** एवं **संधारणीय (Sustainable)** हैं तथा ये **लाखों पारंपरिक** और **कारीगर मछुआरों की आजीविका** का प्रमुख साधन हैं।
- **'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (PPP) और 'साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' (CBDR):** भारत इन सिद्धांतों का समर्थन करता है, ताकि अति-मत्स्यन करने वाले देशों पर अधिक दायित्व **आरोपित** किया जा सके, साथ ही विकासशील देशों को अनुचित बोझ से बचाया जा सके।
- **प्रतिबंध का प्रस्ताव:** भारत ने यह प्रस्ताव दिया था कि जो राष्ट्र 'दूरस्थ जल' (Distant Water) में मत्स्यन करते हैं, उन पर अपने **'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों' (EEZ)** से परे मत्स्यन या उससे संबद्ध गतिविधियों हेतु सभी प्रकार की सब्सिडी पर **25 वर्ष का प्रतिबंध** लगाया जाना चाहिए।
- **अन्य मुद्दे**: इस समझौते में **अत्यधिक-क्षमता और अत्यधिक-मत्स्यन (OCOF)** के **त्रुटिपूर्ण** दृष्टिकोण, सब्सिडी की गहनता, EEZ के आकार, विस्तृत तटरेखा, छोटे मछुआरों की जनसंख्या तथा मछुआरों को प्राप्त होने वाली प्रति व्यक्ति सब्सिडी जैसे कारकों को नजरअंदाज किया जाता है।

कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं/ मुद्दे

- **क्षमता संबंधी सीमाएं:** अनेक विकासशील देशों के पास तकनीकी एवं संस्थागत क्षमता का अभाव है, जिससे वे मत्स्यन गतिविधियों की **निगरानी करने** और समझौते के अनुपालन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित नहीं कर पाते है।
- **डेटा का अभाव:** मत्स्य भंडारों और सब्सिडी से संबंधित अपूर्ण अथवा अविश्वसनीय जानकारी सटीक रिपोर्टिंग एवं पारदर्शिता में बाधक हो सकती है।
- **प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां:** क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं तथा निगरानी अवसंरचना के अभाव के कारण, **खुले समुद्रों एवं दूरस्थ जलीय क्षेत्रों** में मत्स्यन बेड़ों का प्रभावी पर्यवेक्षण करना कठिन बना हुआ है।
- **वित्तीय निर्भरता**: विकासशील देशों में लघु-स्तर पर कार्य करने वाले मछुआरे अपनी **आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा** हेतु सीमित सब्सिडी पर निर्भर होते हैं; इन सब्सिडियों को अचानक समाप्त करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **असमान दायित्व**: यह चिंता बनी हुई है कि यह समझौता **विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित** कर सकता है, जबकि प्रमुख सब्सिडी प्रदाता देश अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत क्षमता-संवर्धन समर्थन जारी रख सकते हैं।

आगे की राह

- **क्षमता-निर्माण को सुदृढ़ बनाना:** विकासशील देशों को प्रभावी अनुपालन में सहायता देने हेतु **WTO मत्स्य कोष** जैसे तंत्रों के माध्यम से **तकनीकी एवं वित्तीय सहायता** सुनिश्चित की जानी चाहिए।

---

[13] Special & Differential Treatment

[14] Regional Fisheries Management Organizations/ Arrangements-RFMO/As

- **डेटा और निगरानी प्रणालियों में सुधार**: बेहतर सूचना एवं प्रवर्तन हेतु **सुदृढ़ राष्ट्रीय डेटाबेस** स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही, **उपग्रह-आधारित ट्रैकिंग एवं डिजिटल उपकरणों** का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- **समानता को प्रोत्साहन:** लघु-स्तरीय मछुआरों के हितों की रक्षा हेतु **'साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' (CBDR)** के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग: क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (RFMOs)** के मध्य समन्वय तथा IUU मत्स्यन से सामूहिक रूप से निपटने हेतु सूचना-साझाकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौते का उद्देश्य **हानिकारक सब्सिडी** पर अंकुश लगाकर तथा **मत्स्य प्रबंधन में पारदर्शिता** को बढ़ावा देकर महासागरों एवं मत्स्य भंडारों की रक्षा करना है। इससे **मत्स्य भंडारों की पुनर्प्राप्ति, मत्स्यन की बेहतर निगरानी, संधारणीय मत्स्यन उपाय** स्थापित होंगे और वैश्विक स्तर पर मत्स्य पालन पर निर्भर लोगों के लिए **खाद्य सुरक्षा एवं आय की सुरक्षा** सुनिश्चित होने की संभावना है। यह हमारे महासागरों, हमारी मत्स्य संपदा और हमारे साझा भविष्य की बेहतर सुरक्षा के लिए एक साझा प्रयास है।

3.6. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार के प्रति भारत का दृष्टिकोण (India's Approach to AI and Employment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोजगार से संबंधित दो रिपोर्टें जारी की हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में

- **"AI अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हेतु रोडमैप"**: यह रिपोर्ट भारत की रणनीतिक योजना को दर्शाती है ताकि AI से उत्पन्न व्यवधानों का सामना करते हुए देश को ***वैश्विक AI वर्कफोर्स कैपिटल*** के रूप में स्थापित किया जा सके। यह AI के लिए 3W फ्रेमवर्क और उससे जुड़े प्रभावों पर प्रकाश डालती है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

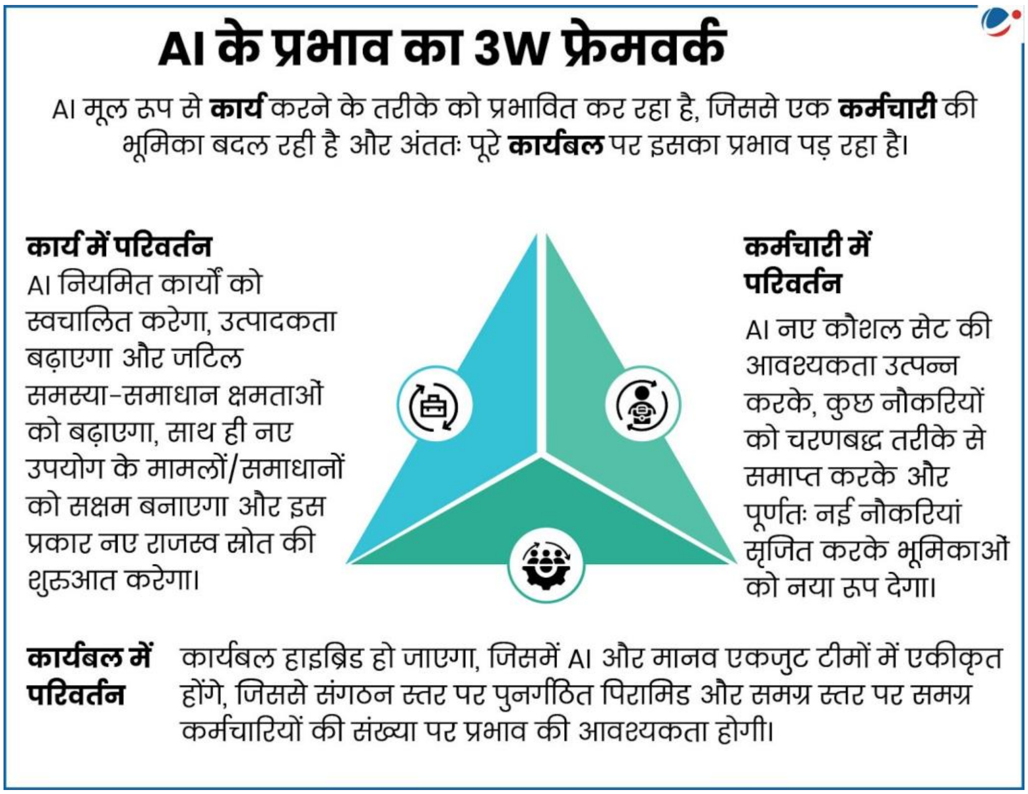

- **"समावेशी सामाजिक विकास के लिए AI पर रोडमैप":** इस रिपोर्ट का उद्देश्य अग्रणी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अनौपचारिक श्रमिकों को एक औपचारिक, सशक्त और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल में परिवर्तित करना है।
- **AI द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती एवं अवसर प्रस्तुत करना:** यह पारंपरिक औपचारिक नौकरियों को प्रभावित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने और उसकी उत्पादकता बढ़ाने का अभूतपूर्व अवसर भी प्रदान करता है।
  - **इसी संदर्भ में, नवाचार-संचालित आर्थिक विकास, विशेष रूप से सृजनात्मक विनाश के माध्यम से सतत संवृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या के लिए 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।**
    - इस अवधारणा के अनुसार, **AI जैसी नई तकनीक सृजनात्मक (नवाचार)** होती है, लेकिन साथ ही **विनाशकारी भी होती** है क्योंकि वे पुरानी कंपनियों या तकनीकों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ देती हैं।

भारत में AI से जुड़े जोखिम

परिचालन संबंधी जोखिम

- **उच्च नौकरी विस्थापन जोखिम:** भारत में औपचारिक क्षेत्र की लगभग 60% से अधिक नौकरियां 2030 तक ऑटोमेशन (स्वचालन) के खतरे में हैं, विशेष रूप से IT और बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) क्षेत्रों में।
    - **रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि "सामान्य व्यवसाय दृष्टिकोण"** से नौकरियों की अपरिवर्तनीय हानि हुई है, प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आई है तथा सामाजिक व्यवधान का जोखिम उत्पन्न हुआ है।
    - **प्रतिभा प्रवासन:** भारत में AI पेशेवरों के लिए **शुद्ध प्रतिभा प्रवासन दर** नकारात्मक (-1.55 प्रति 10,000) दर्ज की गई है, जिससे उच्च कौशल वाले पेशेवरों के विदेश चले जाने का जोखिम है।

संरचनात्मक जोखिम

- **शिक्षा और कौशल की कमी:**
    - **पाठ्यक्रम:** भारतीय शैक्षणिक पाठ्यक्रम अक्सर वैश्विक स्तर की तुलना में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें वैश्विक स्तर की तुलना में **विशिष्ट, शोध-गहन पाठ्यक्रमों** पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है।
        - इसके अलावा, भारत में **कंप्यूटर साइंस शिक्षा** समान रूप से उपलब्ध नहीं है, जबकि चीन और रूस जैसे देशों में इसे प्राथमिक/ माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य कर दिया गया है।
    - **शोध में पिछड़ना:** भारत **AI से संबंधित शोध प्रकाशनों के उद्धरणों** में काफी पीछे है और स्वीकृत AI पेटेंटों में भारत की हिस्सेदारी 2010 में 8-10% से गिरकर 2023 में 5% से भी कम हो गई है।
    - **महत्वपूर्ण प्रतिभा की आपूर्ति-मांग में अंतर:** वर्तमान में AI क्षेत्र में उपलब्ध प्रतिभा केवल **मौजूदा मांग का 50% ही** पूरी करती है, और बढ़ती माँग के बावजूद यह अंतर और बढ़ने की संभावना है।
    - **अनौपचारिक श्रमिकों के लिए विश्वास की कमी:** यह एक प्रणालीगत बाधा है जो **सत्यापन योग्य पहचान, अनुबंध और कार्य इतिहास की अनुपस्थिति** से उत्पन्न होती है, यह सुरक्षित नौकरियों और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सीमित करता है।
    - **प्रणालीगत पहुँच और उपयोगिता अंतराल**: कम डिजिटल साक्षरता, भाषाई विविधता से जुड़ी चुनौतियों और जटिल इंटरफेस के कारण डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का **कम उपयोग** हो रहा है, जिन्हें नेविगेट करना मुश्किल है।

सिफारिशें

- **राष्ट्रीय AI प्रतिभा मिशन की स्थापना: नीति आयोग द्वारा अनुशंसित इस मिशन का उद्देश्य** AI साक्षरता को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एक आधारभूत कौशल के रूप में स्थापित करना है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
    - **भारत को एक वैश्विक AI प्रतिभा केंद्र के रूप में विकसित करना,** ताकि घरेलू प्रतिभाओं को बनाए रखा जा सके और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आकर्षित किया जा सकेगा। इसके लिए **"AI टैलेंट वीजा"** के माध्यम से त्वरित निवास की सुविधा प्रदान की जाएगी।

    - उच्च-मूल्य वाले AI -संवर्धित कार्यों के लिए लाखों पेशेवरों को पुनः कौशल और कौशल उन्नयन प्रदान कर एक राष्ट्रीय पुनः-कौशल इंजन का निर्माण करना।
- **मिशन डिजिटल श्रमसेतु की स्थापना**: अनौपचारिक श्रमिकों को डिजिटल युग में पहुँच और कौशल प्रदान करने के लिए AI, ब्लॉकचेन और इमर्सिव लर्निंग जैसी **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों** का उपयोग कर उन्हें अभूतपूर्व स्तर पर समावेशी बनाना।

निष्कर्ष

भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहां AI से उत्पन्न व्यवधान का खतरा वास्तविक है, और यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह अप्रतिवर्तनीय रोजगार हानि का कारण बन सकता है। **राष्ट्रीय AI प्रतिभा मिशन** और **मिशन डिजिटल श्रमसेतु** के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से एक एकीकृत, त्वरित और मिशन-संचालित प्रतिक्रिया देकर तथा नई AI भूमिकाओं की संभावनाओं का लाभ उठाकर भारत एक **वैश्विक AI अग्रणी देश** के रूप में उभर सकता है।

3.7. महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme for the Promotion of Critical Mineral Recycling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खान मंत्रालय ने **महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना** के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Digital Current Affairs
क्रिटिकल मिनरल्स और NCMM पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- यह **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)** का एक भाग है।
- **मंत्रालय**: खान मंत्रालय
- **उद्देश्य**: देश में पात्र अपशिष्ट प्रवाह से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और निष्कर्षण के लिए **पुनर्चक्रण क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करना**।
- **अवधि**: 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक)।
- **वित्तीय परिव्यय:** ₹1,500 करोड़।
- **पात्र फीडस्टॉक:** इसमें ई-अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप, और अन्य स्क्रैप जैसे कि 'आयु पूरी कर चुके' वाहनों से उत्प्रेरक (catalytic) कन्वर्टर्स शामिल हैं।
    - इस योजना में **27 महत्वपूर्ण खनिज** को कवर करती हैं, जिनमें एंटीमनी, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल, नियोबियम, दुर्लभ भू-तत्व (यूरेनियम और थोरियम को छोड़कर) शामिल हैं।
- **लाभार्थी:** बड़े और छोटे/ नए पुनर्चक्रण-कर्ता, जिसमें स्टार्ट-अप्स भी शामिल हैं।
- **प्रोत्साहन तंत्र:**
    - **पूंजीगत व्यय (Capex) सब्सिडी:** समय पर उत्पादन शुरू करने के लिए संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीगत व्यय के 20% तक सब्सिडी दी जाएगी।
    - **परिचालनात्मक व्यय (Opex) सब्सिडी:** वृद्धिशील बिक्री हासिल करने पर दूसरे वर्ष में 40% तक की सब्सिडी और पांचवें वर्ष में 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक)
    - **प्रोत्साहन सीमा:** बड़ी संस्थाओं के लिए प्रति इकाई कुल प्रोत्साहन ₹50 करोड़ और छोटी संस्थाओं के लिए ₹25 करोड़ तक सीमित होगा, इनमें क्रमशः संचालन व्यय सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ और ₹5 करोड़ निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में

- **महत्वपूर्ण खनिज** वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी आपूर्ति संबंधी चुनौतियां गंभीर होती हैं। ये चुनौतियां प्रायः सीमित भौगोलिक उपस्थिति या स्रोतों की असुरक्षा के कारण उत्पन्न होती हैं।
- खान मंत्रालय ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है जिनमें बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, फास्फोरस, पोटाश, दुर्लभ भू-तत्व (REE), सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम आदि शामिल हैं।
    - इस सूची में से **24 खनिजों** को **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) की प्रथम अनुसूची के भाग D में शामिल किया गया।**

महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण का महत्व

- **घरेलू पुनर्चक्रण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** इससे रासायनिक प्रसंस्करण, धातुकर्म निष्कर्षण, या लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप के R3 और R4 स्तर के पुनर्चक्रण जैसी **प्रौद्योगिकीय, विनियामक और वित्तीय प्रणालियां** बेहतर होंगी।
  - इस योजना के प्रोत्साहनों से कम से कम **270 किलो टन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता** विकसित करने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 40 किलो टन वार्षिक महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन संभव होगा।
- **आपूर्ति सुनिश्चित करना और भू-राजनीतिक जोखिम को कम करना:** महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके उत्पादन और प्रसंस्करण के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण उनकी आपूर्ति श्रृंखला कमजोर और जोखिमपूर्ण है।
  - चीन दुर्लभ भू-तत्वों (REEs) का लगभग 60-70% उत्पादन करता है। साथ ही, चीन ने रक्षा, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ भू-तत्वों और चुम्बकों के निर्यात को प्रतिबंधित कर रखा है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार की बचत:** पुनर्चक्रण भारत की आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा भंडार की बचत कर सकता है। पुनर्चक्रण को **शहरी खनन** भी कहा जाता है।
  - चार महत्वपूर्ण खनिजों - लिथियम (लिथियम आयन के अलावा), कोबाल्ट, निकेल और तांबे के आयात पर वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग ₹34,800 करोड़ खर्च किए गए।
- **पर्यावरणीय और सतत विकास लक्ष्य:** यह योजना **ई-अपशिष्ट प्रबंधन** में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और **नई खदानों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी।**
- **उद्योग का औपचारिकीकरण:** अनुमान है कि यह पहल ₹8,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करेगी और 70,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी, जैसा कि पुनर्चक्रण योजना में परिकल्पित किया गया है।

3.8. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 {Annual Survey of Industries (ASI) for 2023-24}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 जारी किया है।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के बारे में

- **आयोजनकर्ता:** सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** (NSO) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- **अधिकृत: सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।**
- **सम्मिलित उद्योग:**
  - कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(m)(i) और 2(m)(ii) के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने।
  - बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत आने वाले बीड़ी एवं सिगार विनिर्माण प्रतिष्ठान।
  - वे विद्युत उपक्रम जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) में पंजीकृत नहीं हैं।
  - ऐसी इकाइयां जिनमें 100 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और जो राज्य सरकारों द्वारा तैयार एवं अनुरक्षित प्रतिष्ठानों के व्यवसाय रजिस्टर (BRE) में पंजीकृत हैं।
- **अपवर्जित उद्योग**: रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण एवं वितरण डिपो तथा विभागीय इकाइयां जैसे रेलवे वर्कशॉप, गैस भंडारण आदि।

शब्दावली को जाने

- **सकल मूल्य वर्धित (GVA):** इसे **उत्पादन प्रक्रिया द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य** के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी गणना कुल उत्पादन में से कुल आगत के मूल्य को घटाकर की जाती है।
- **निवल मूल्य वर्धित (NVA):** इसकी गणना कुल उत्पादन में से कुल **आगत और मूल्यहास को घटाकर** की जाती है।
- **निश्चित पूंजी :** अचल संपत्तियां वे होती हैं जिनका सामान्य **उत्पादक जीवन एक वर्ष से अधिक होता है।** उदाहरण के लिए, पट्टे पर दी गई भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी आदि सहित भूमि।
  - यह लेखा वर्ष के समापन दिवस पर कारखाने के स्वामित्व वाली **अचल संपत्तियों के मूल्यहास मूल्य को दर्शाता है।**

ASI 2023-24 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **सकल मूल्य-वर्धन (GVA)**: पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्यों पर 11.89% की वृद्धि दर्ज की गई है।
  - **शीर्ष 5 उद्योग:** मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और औषधीय उत्पाद सबसे बड़े योगदानकर्ता थे।
  - **शीर्ष राज्य:** GVA के अनुसार शीर्ष पांच राज्य महाराष्ट्र (16%), गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश थे।
- **औद्योगिक उत्पादन:** इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.80% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **रोजगार वृद्धि:** औद्योगिक क्षेत्र ने पिछले दशक के दौरान 5.7 मिलियन से अधिक अतिरिक्त नौकरियां प्रदान की, जबकि वर्ष 2023-24 में रोजगार में 5.92% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
  - **शीर्ष 5 राज्य:** तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने रोजगार के मामले में सबसे अधिक योगदान दिया है।

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.9.1. RBI ने छह सदस्यीय 'भुगतान विनियामक बोर्ड' का गठन किया (Payments Regulatory Board constituted by RBI)

यह 6 सदस्यीय बोर्ड **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत **भुगतान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगा।**

- इस नए बोर्ड का गठन '**भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)'** के स्थान पर किया गया है।

भुगतान विनियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board) के बारे में

- **संरचना और गठन:**
  - **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 3 के** अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे-
    - **पदेन अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर**;
    - **पदेन सदस्य के रूप में RBI के उप गवर्नर** (जो भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी हों);
    - **RBI का एक अधिकारी, जिसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा पदेन सदस्य के** रूप में नामित किया जाएगा;
    - **केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन व्यक्ति**, जो भुगतान प्रणाली, IT, साइबर सुरक्षा, कानून के विशेषज्ञ हों।
- **कार्यकाल:** 4 वर्ष; दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं; **6 सप्ताह के नोटिस पर त्यागपत्र दे सकते हैं।**
- **सदस्य के रूप में नामित होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र नहीं है:**
  - जो 70 वर्ष से अधिक उम्र का हो;
  - जो दिवालिया घोषित किया गया हो;
  - जो किसी अपराध में 180 दिन या उससे अधिक के कारावास के लिए दोषी ठहराया गया हो;
  - जो संसद या किसी राज्य विधायिका का सदस्य हो ,आदि।
  - RBI के **प्रधान विधि सलाहकार स्थायी आमंत्रित सदस्य** के रूप में कार्य करेंगे।
  - RBI भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठकों के **लिए विशेषज्ञों (स्थायी/तदर्थ) को भी आमंत्रित कर सकता है।**
- **भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठक: वर्ष में** कम से कम **दो बार बैठक अनिवार्य है। बैठक के लिए के लिए अध्यक्ष (या उनकी अनुपस्थिति में उप-गवर्नर) और एक नामित सदस्य** सहित **3 सदस्य का कोरम अनिवार्य है।**
- **निर्णय लेना:** बोर्ड में **निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा।**
  - किसी विषय पर बराबर की संख्या में मत मिलने पर **अध्यक्ष** (या उनकी अनुपस्थिति में **उप-गवर्नर)** के पास निर्णायक मत होगा।

3.9.2. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalisation of Rupee)

RBI ने भारतीय रुपये (INR) के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। इससे **व्यापार और निवेश** के नए अवसर मिलेंगे।

- रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि भारतीय रुपये को **वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन-देन के लिए उपयोग** किया जा सकेगा।

Digital Current Affairs
रुपये का अंतरष्ट्रीयकरण पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

घोषित किए गए प्रमुख उपायों पर एक नजर

- **अनिवासियों को भारतीय रुपये में ऋण देना:** भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं को **बैंक सहित भूटान, नेपाल और श्रीलंका** के निवासियों को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति होगी।
- **पारदर्शी रेफरेंस रेट स्थापित करना: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड (FBIL) प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के सापेक्ष रुपये के लिए पारदर्शी रेफरेंस रेट** विकसित करेगा।
  - वर्तमान में, RBI **अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और स्टर्लिंग** के लिए रेफरेंस रेट प्रकाशित करता है।
- **स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) का उपयोग बढ़ाना: SRVA के बैलेंस** का उपयोग अब **कॉर्पोरेट बॉण्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में निवेश** करने के लिए किया जा सकता है।
  - इससे पहले, **SRVA के बैलेंस को केवल केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति** थी।

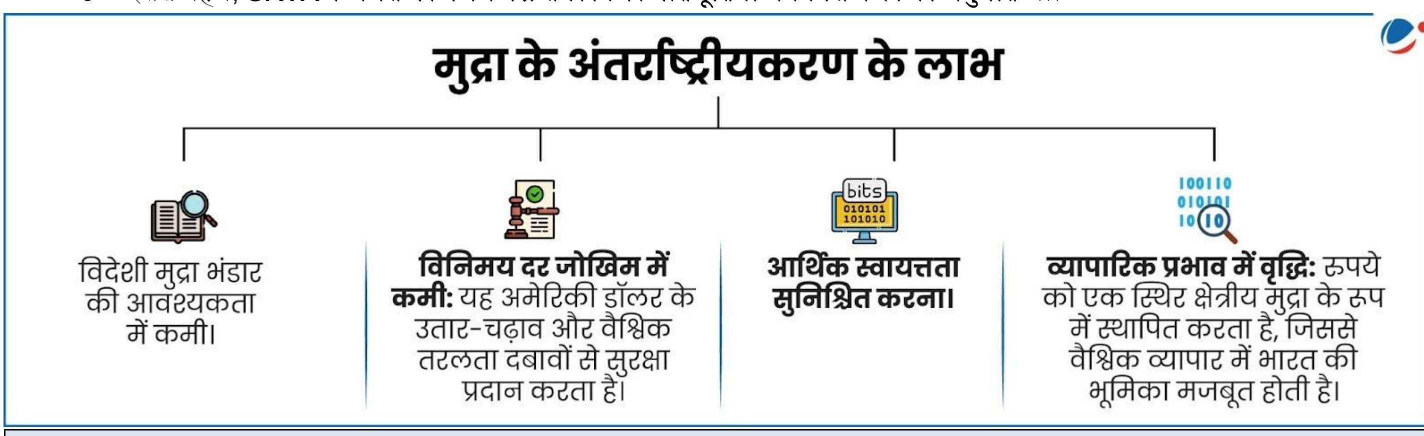

स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) के बारे में

- SRVA एक ऐसा खाता होता है, जिसे एक विदेशी बैंक द्वारा **भारतीय बैंक** में खोला जाता है, ताकि **व्यापारिक लेन-देन रुपये को विदेशी मुद्रा में बदले बिना सीधे भारतीय रुपये में निपटाए** जा सकें।

3.9.3. NBFCs के लिए स्व-विनियामक संगठन (Self-Regulatory Organisation for NBFCs)

RBI ने NBFCs की निगरानी के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) को स्व-विनियामक संगठन का दर्जा प्रदान किया

- FIDC वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में पंजीकृत **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का प्रतिनिधि निकाय है।**
- **FIDC को स्व-विनियामक संगठन का दर्जा मिलने से NBFCs** के लिए बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित होगा।

स्व-विनियामक संगठन (SRO) के बारे में

- **उद्देश्य:** SRO का मुख्य उद्देश्य **उस क्षेत्रक के विकास, सुधार और पारदर्शिता के लिए काम करना है, जिसका वह प्रतिनिधित्व** करता है। साथ ही, व्यापक वित्तीय प्रणाली के भीतर **उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं का समाधान** करना भी इसका उद्देश्य है।
- **कानूनी आधार:** इसका कानूनी आधार विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए स्व-विनियामक संगठनों (SROs) को मान्यता देने हेतु RBI का व्यापक फ्रेमवर्क, 2024 है।
- **SRO की पात्रता:**
  - SRO का गठन **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत पंजीकृत एक **गैर-लाभकारी कंपनी** के रूप में किया जाएगा।
  - इसकी **पर्याप्त नेट वर्थ होनी चाहिए तथा इसकी शेयरहोल्डिंग अलग-अलग संस्थाओं के पास होनी** चाहिए। साथ ही, उसे **अपने क्षेत्रक की प्रतिनिधि संस्था** होना चाहिए। कोई भी संस्था SRO की **चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक नहीं** रखेगी।
- **SROs की जिम्मेदारियां:**
  - **सदस्यों के प्रति:** इसमें आचार संहिता तैयार करना, शिकायत निवारण और विवाद समाधान/ मध्यस्थता फ्रेमवर्क स्थापित करना आदि शामिल हैं।
  - **विनियामक के प्रति:** इसमें विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और अग्रिम चेतावनी संबंधित रुझानों का पता लगाना शामिल है।
- **गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA)/ उप-नियमों द्वारा शासी निकाय के कामकाज के तरीके का प्रावधान और SRO के कार्यों को निर्धारित किया जाएगा।
  - निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम-से-कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र होंगे।

3.9.4. रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021)

केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को 'रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021' के दायरे में लाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह निर्णय **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A** के तहत लिया है।

'रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS), 2021' के बारे में

- **उद्देश्य:** विनियमित संस्थाओं (REs) के ग्राहकों को त्वरित, किफायती और सक्षम वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना।
- **कवरेज**: RBI की नई घोषणा से पहले इस योजना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल रही हैं-
  - सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, तथा 50 करोड़ रुपये की जमा-राशि वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।
  - ऐसी **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर)** जो जमा राशि स्वीकार करती हों या कस्टमर इंटरफ़ेस रखने के लिए अधिकृत हों, और जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये है।
  - **सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स**-इसमें **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत **भुगतान प्रणाली में भाग लेने** वाले **सिस्टम प्रोवाइडर** शामिल हैं।
  - क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी।
- यह योजना RBI **की निम्नलिखित तीन ओम्बड्समैन योजनाओं को एकीकृत करती है**:
  - बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006;
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018; और
  - डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2019.
- यह योजना **"एक देश, एक ओम्बड्समैन"** के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब RBI द्वारा विनियमित अलग-अलग क्षेत्रकों की संस्थाओं के लिए अलग-अलग **शिकायत निवारण प्रणाली** नहीं होगी।
- **शक्ति**: ओम्बड्समैन 20 लाख रुपये तक का मुआवजा का आदेश दे सकता है। साथ ही, वह शिकायतकर्ता के समय, खर्च और किसी भी मानसिक परेशानी या उत्पीड़न के एवज में 1 लाख रुपये तक का अतिरिक्त मुआवजा के भुगतान का आदेश भी दे सकता है।

3.9.5. RBI द्वारा शुरू की गई नई पहलें (New Initiatives by RBI)

हाल ही में RBI ने कुछ महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं, जैसे कि— **यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI)**, **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) रिटेल सैंडबॉक्स**, और **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) के टोकनाइजेशन** का पायलट प्रोजेक्ट।

नई पहलों के बारे में:

- **यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI):** इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में देखा जा रहा है।
  - यह विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करेगा, और इसे ऋणदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे ऋण लेने वालों की **ऋण चुकाने की क्षमता** का बेहतर मूल्यांकन कर सकें।
  - इसका उद्देश्य ऋण वितरण को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है।
- **CBDC रिटेल सैंडबॉक्स:** यह फिनटेक कंपनियों के लिए एक परीक्षण प्लेटफार्म है, जहाँ वे नई तकनीकी समाधान विकसित और परीक्षण कर सकती हैं।
  - CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी **फिएट मुद्रा** का **डिजिटल रूप** है।
- **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) का टोकनाइजेशन:** यह प्रक्रिया तेज निपटान, बेहतर तरलता (liquidity) और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।
  - **टोकनाइजेशन** वह प्रक्रिया है जिसमें किसी **वास्तविक परिसंपत्ति (जैसे-स्टॉक)** का डिजिटल रूप "टोकन" बनाकर उसे ब्लॉकचेन या डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर में भंडारित किया जाता है।
  - **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs)** नेगोशिएबल **मनी मार्केट उत्पाद** है, जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा फंड्स के बदले **डिमैट** रूप में या **प्रॉमिसरी नोट** के रूप में जारी किया जाता है।
  - इसकी **मैच्योरिटी अवधि** अधिकतम **1 वर्ष** तक होती है (न्यूनतम – **7 दिन**)।

3.9.6. स्वामी फंड (SWAMIH Fund)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने **स्वामी (स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इन्कम हाउसिंग: SWAMIH) फंड को वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के सख्त नियमों से छूट** दी है। यह सरकार समर्थित फंड है।

- RBI, वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में विनियामित संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश के संबंध में **विनियामक दिशा-निर्देशों को निर्धारित** करता है।

स्वामी फंड 2019 के बारे में:

- यह एक **कैटेगरी II AIF** है।
    - AIF का अर्थ भारत में स्थापित या निगमित ऐसा कोई भी फंड है, जो एक **निजी रूप से जमा निवेश साधन** है। ये निवेश के लिए बड़े निवेशकों (चाहे भारतीय हों या विदेशी) से धन जुटाते हैं।
    - AIF को **SEBI द्वारा विनियमित** किया जाता है। **उदाहरण के लिए:** वेंचर कैपिटल फंड्स (जिनमें एंजल फंड्स भी शामिल हैं)।
- **उद्देश्य:** यह फंड रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए **प्राथमिक ऋण वित्त-पोषण** प्रदान करता है।
- **फंड मैनेजर:** SBI वेंचर्स लिमिटेड।

Digital Current Affairs
'भारत में निवेश का परिदृश्य' पर 'वीकली फोकस' की विस्तृत कवरेज पढ़ने के लिए स्कैन करें।

Digital Current Affairs
वैकल्पिक निवेश कोष पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

3.9.7. एंगेल्स का ठहराव (Engels' Pause)

2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जेफ्री हिंटन ने चेतावनी दी थी कि AI आधुनिक एंगेल्स के ठहराव का कारण बन सकता है।

एंगेल्स के ठहराव के बारे में

- इस शब्द को **ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट एलन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो 19वीं सदी के ब्रिटेन** के बारे में **फ़्रेडरिक एंगेल्स** के अवलोकनों पर आधारित है।
- यह उस **विरोधाभास** को दर्शाता है जो **ब्रिटेन में प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति** (लगभग 1780-1840) के दौरान देखा गया था, इस समय औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, **लेकिन श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर रही।**
- ऐसी आशंकाएं हैं कि AI संचालित अर्थव्यवस्था **एंगेल्स के ठहराव को दोहरा सकती है,** जहां आर्थिक विकास तो होता है लेकिन **उसके लाभ असमान रूप से वितरित होते हैं, जिससे अनेक लोग पीछे छूट जाते हैं।**

दृष्टिकोण	ऐतिहासिक (औद्योगिक क्रांति)	आधुनिक (AI-संचालित अर्थव्यवस्था)
परिवर्तन के उत्प्रेरक	मशीनीकरण और भाप ऊर्जा	कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, मशीन लर्निंग
समय सीमा	1780–1840	2020 से –2030 तक (अनुमानित)
उत्पादकता प्रवृत्ति	तीव्र औद्योगिक विकास	कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वचालन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि
वेतन प्रतिक्रिया	वास्तविक वेतन स्थिर	निम्न/ मध्यम-कौशल वाले श्रमिकों का वेतन स्थिर या कम हो गया
लाभ का वितरण	पूंजीपतियों और आविष्कारकों को लाभ	प्रौद्योगिकी कंपनियां, निवेशक और उच्च-कौशल वाले AI श्रमिक लाभान्वित होते हैं
सामाजिक परिणाम	शहरी असमानता, श्रमिक अशांति	कौशल-ध्रुवीकरण, नौकरियों का विस्थापन, क्षेत्रों और देशों के बीच असमानता

3.9.8. वेटेड एवरेज कॉल रेट (Weighted Average Call Rate: WACR)

RBI मौद्रिक नीति के लिए परिचालन लक्ष्य के रूप में **ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट (WACR)** का उपयोग जारी रखेगा।

ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट (WACR) के बारे में

- यह वह औसत ब्याज दर है जिस पर **बैंक एक-दूसरे से ओवरनाइट**, यानी केवल एक दिन के लिए, पैसा उधार देते हैं या उधार लेते हैं।
- **महत्व**:
  - यह बैंकिंग सिस्टम में अल्पावधि के लिए उधार की लागत को दर्शाता है।
  - इससे RBI को यह निगरानी करने में मदद मिलती है कि बैंकों के लिए फंड प्राप्त करना कितना आसान या कठिन है।
    - यदि WACR बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि उधार लेना महंगा हो रहा है; यदि WACR घटता है, तो इसका मतलब है कि उधार लेना आसान हो गया है।

3.9.9. विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook: WEO)

IMF की **विश्व आर्थिक परिदृश्य** रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की GDP संवृद्धि दर **6.6%** रहेगी। पहले 6.4% का अनुमान लगाया गया था।

- रिपोर्ट के अनुसार **2026-27 में भारत की संवृद्धि दर 6.2%** होगी।
- वैश्विक आर्थिक संवृद्धि दर **2024 की 3.3%** से घटकर **2025 में 3.2%** और **2026 में 3.1%** रहने का अनुमान है।

विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) के बारे में:

- **जारीकर्ता:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
- **उद्देश्य:** यह रिपोर्ट विश्व अर्थव्यवस्था का निकट भविष्य के लिए और मध्यम अवधि का **विश्लेषण व अनुमान** प्रस्तुत करती है।
- यह रिपोर्ट आमतौर पर **वर्ष में दो बार जारी की जाती** है और बीच में इसके अपडेट भी जारी किए जाते हैं।

3.9.10. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report: GFSR)

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Finance Stability Report: GFSR),** अप्रैल 2025 जारी की।

GFSR के बारे में

- **उद्देश्य: वैश्विक वित्तीय बाजारों** का नियमित तौर पर आकलन करना तथा संकट उत्पन्न होने से पहले **संभावित प्रणालीगत खामियों की पहचान** करना।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - **कठोर वैश्विक वित्तीय स्थितियां:** वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - **प्रमुख भू-राजनीतिक जोखिम घटनाओं की भूमिका:** विशेष रूप से **सैन्य संघर्ष,** स्टॉक की कीमतों में काफी गिरावट और **संप्रभु रिस्क प्रीमियम में वृद्धि** का कारण बन सकते हैं।
- **IMF की अन्य प्रमुख रिपोर्ट:** विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook), फिस्कल मॉनिटर आदि।

3.9.11. पीएम-सेतु/ PM-SETU (प्रधान मंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs) PM-SETU (Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs)

इस योजना को **कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय** के अधीन लागू किया जाएगा।

पीएम-सेतु योजना के बारे में

- **प्रकार:** 60,000 करोड़ रुपए की **केंद्र प्रायोजित** योजना।
- **उद्देश्य:** देश भर में **1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आधुनिक व उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण संस्थाओं में रूपांतरित** करना।
- **कार्यान्वयन:** पीएम-सेतु योजना को **हब-एंड-स्पोक मॉडल** द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें **200 हब ITIs को 800 स्पोक ITIs** से जोड़ा जाएगा।
  - इसमें प्रत्येक हब **उन्नत अवसंरचना, नवाचार व इन्क्यूबेशन सेंटर्स, उत्पादन इकाइयों, प्रशिक्षक हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं और प्लेसमेंट सेवाओं** से लैस होगा। साथ ही, **स्पोक ITIs इन सुविधाओं एवं सेवाओं की पहुंच और उनका अधिक से अधिक विस्तार** सुनिश्चित करेंगे।
- **इस योजना के मुख्य घटक:**
  - **उद्योगों के साथ मिलकर नए व मांग-आधारित पाठ्यक्रम** शुरू करना और मौजूदा पाठ्यक्रमों में आवश्यक सुधार करना;
  - क्लस्टर्स का प्रबंधन करने और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय एंकर उद्योग भागीदारों के साथ **स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs)** स्थापित करना;
    - **एंकर उद्योग भागीदारों** का अर्थ है वे बड़े और प्रमुख उद्योग या कंपनियां जो किसी परियोजना या योजना के लिए मुख्य भागीदार के रूप में कार्य करती हैं।

- **दीर्घकालिक डिप्लोमा, अल्पकालिक पाठ्यक्रम और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स** के लिए मार्ग खोलना;
- **निम्नलिखित 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना:**
  - **भुवनेश्वर** (ओडिशा), **चेन्नई** (तमिलनाडु), **हैदराबाद** (तेलंगाना), **कानपुर** (उत्तर प्रदेश) और **लुधियाना** (पंजाब)।

3.9.12. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (RoDTEP) योजना {Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme}

RoDTEP योजना की अवधि **मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई** है।

RoDTEP योजना के बारे में

- **शुरुआत:** जनवरी 2021 में **केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा।
- **उद्देश्य:** केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए गए **ऐसे करों, शुल्कों और लेवी को वापस करना**, जो किसी **अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते।**
  - इससे वस्तुओं पर छिपी हुई लागत कम कर दी जाती है जिससे **भारतीय निर्यात वैश्विक बाजार में सस्ते होकर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।**
- **विस्तार-क्षेत्र:** यह योजना निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के **विनिर्माण और वितरण** के दौरान लगाए गए करों को शामिल करती हैं।

3.9.13. 'वी राइज' पहल ('We Rise' Initiative)

हाल ही में **'वी राइज (We Rise)' पहल** शुरू की गई।

- **We Rise** से आशय है**; वीमेन इंटरप्रेन्योर रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज।**

वी राइज पहल के बारे में

- **नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP)** ने **DP वर्ल्ड** के साथ मिलकर अपने **अवार्ड टू रिवॉर्ड (ATR) पहल** के तहत इसे शुरू किया है।
- **उद्देश्य:** इस पहल का उद्देश्य **महिला उद्यमियों** और **महिलाओं द्वारा संचालित** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को **वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करना** है।
  - इसके लिए उन्हें व्यापार सुविधाएं, मेंटरशिप और रणनीतिक साझेदारियाँ प्रदान की जाएंगी।

3.9.14. अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज (Discovery of Natural Gas in Andaman Basin)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय बताया कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा से 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस गैस खोजी गई है।

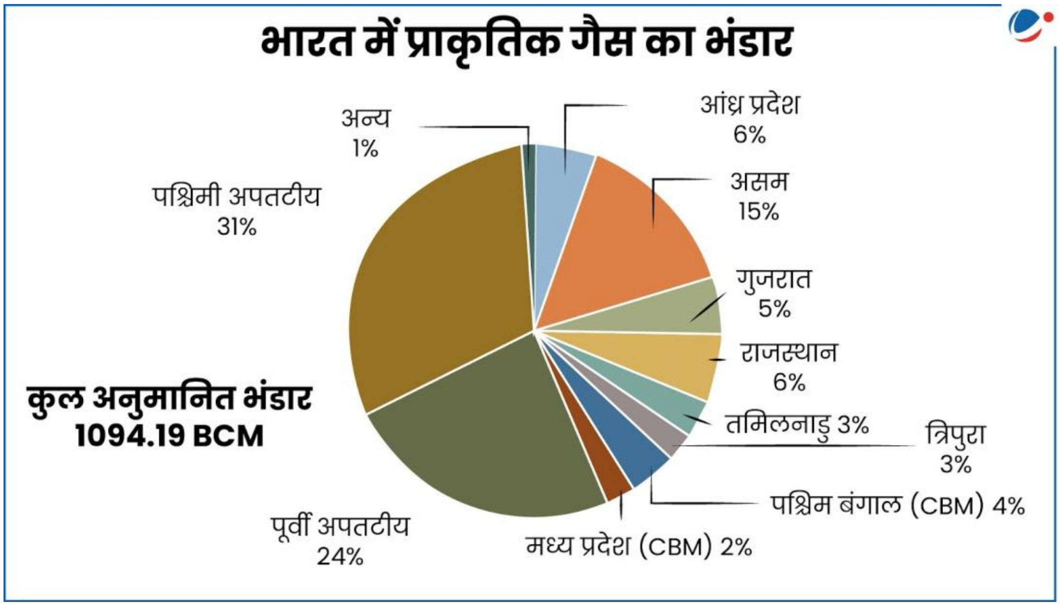

- **भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन आकलन अध्ययन (HRAS) के अनुसार, अंडमान-निकोबार (AN)** बेसिन में 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट (MMTOE) हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हैं।
  - भूगर्भीय रूप से अंडमान-निकोबार बेसिन, अंडमान और निकोबार बेसिन के संगम पर स्थित है, जो **बंगाल-अराकान तलछट प्रणाली** का हिस्सा है।
  - **भारतीय और बर्मा प्लेट्स** की सीमा पर टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से यहां कई स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स निर्मित हुए हैं, जो हाइड्रोकार्बन बनने और उनके जमाव के लिए उपयुक्त हैं।
  - इससे पहले भी पास के क्षेत्रों, जैसे **उत्तरी सुमात्रा (इंडोनेशिया) और इरावदी-मार्गुई (म्यांमार)** में गैस की खोज की जा चुकी है।
- **यह खोज भारत के 2030 तक गैस-आधारित अर्थव्यवस्था बनने और प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% तक करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।**
  - वर्तमान में, **भारत का प्राकृतिक गैस उत्पादन उसकी माँग का केवल लगभग 50% ही पूरा करता है,** शेष माँग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
  - **कतर, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात** भारत के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात के प्रमुख स्रोत हैं।

भारत में प्राकृतिक गैस के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) 2016:** इसने सभी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंसिंग ढांचा पेश किया है। इसके तहत ओपन एकरेज लाइसेंसिंग (OALP) प्रणाली की शुरुआत की गई है।
- **नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन:** इस मिशन के तहत, नई खोज करने और हाइड्रोकार्बन भंडार का पूरी तरह से दोहन करने के लिए अपतटीय बेसिनों में बड़ी संख्या में गहरे पानी के अन्वेषण कुओं की योजना बनाई गई है।
- **अन्य पहलें:** नेशनल डेटा रिपॉजिटरी, नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम, प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), आदि।

3.9.15. राज्य खनन तत्परता सूचकांक (State Mining Readiness Index: SMRI)

केंद्रीय खान मंत्रालय ने **राज्य खनन तत्परता सूचकांक (SMRI)** जारी किया है।

राज्य खनन तत्परता सूचकांक के बारे में

- **उद्देश्य:** इस सूचकांक का उद्देश्य **देश के खनन क्षेत्र के विकास में** राज्यों **के सापेक्ष योगदान** को मापना, **खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करना**, और **राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन** करना है।

* **आधार:** यह सूचकांक **कोयला को छोड़कर अन्य खनिजों** से संबंधित **नीलामी में प्रदर्शन**, **खनन के शीघ्र परिचालन**, **खोज पर ज़ोर**, और **सतत खनन पद्धतियों** के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है।
* **वर्गीकरण:** राज्यों को उनके **खनिज भंडार** के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
  * तीनों श्रेणियों में **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य** हैं:
    * **A: मध्य प्रदेश, राजस्थान**, और **गुजरात**
    * **B: गोवा, उत्तर प्रदेश**, और **असम**
    * **C: पंजाब, उत्तराखंड**, और **त्रिपुरा।**

3.9.16. प्रमुख और गौण खनिज (Major and Minor Minerals)

केंद्रीय खान मंत्रालय ने **चूना पत्थर (limestone) को 'प्रमुख खनिज (Major mineral)' के रूप में वर्गीकृत** किया।

* पहले चूना पत्थर को उसके अंतिम उपयोग के आधार पर कभी **गौण खनिज (Minor minerals)** और कभी प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।

प्रमुख और गौण खनिज के बारे में:

* **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR Act), 1957** के तहत खनिजों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है: प्रमुख खनिज और गौण खनिज।
* **प्रमुख खनिज** में ईंधन स्रोत वाले खनिज शामिल हैं। जैसे-कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। साथ ही इनमें **धात्विक खनिज** (एटॉमिक खनिज सहित) और **अधात्विक खनिज** भी शामिल हैं।
* **गौण खनिज** में संगमरमर, स्लेट, शेल आदि शामिल हैं।
  * MMDR अधिनियम **राज्य सरकारों** को गौण खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

Digital Current Affairs
प्रमुख एवं लघु खनिज पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

3.9.17. मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज (MAHA)-मेडटेक मिशन लॉन्च किया गया {Mission for Advancement in High-Impact Areas (MAHA) - MedTech Mission launched}

MAHA-मेडटेक मिशन को **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)** ने शुरू किया है। इसे **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और गेट्स फाउंडेशन** के सहयोग से आरंभ किया गया है।

* ANRF की **स्थापना ANRF अधिनियम, 2023** के माध्यम से की गई है। इसकी स्थापना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** की सिफारिशों के अनुसार **वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय** के रूप में की गई है।

MAHA-मेडटेक मिशन के बारे में

* **उद्देश्य:** भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में नवाचार को गति प्रदान करना; महंगे आयातों पर निर्भरता को कम करना; तथा वहनीय एवं उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना।
* **वित्त-पोषण:** इसके तहत शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, अस्पतालों, स्टार्ट-अप्स, MSMEs, तथा मेडटेक उद्योग एवं संस्थाओं के बीच सहयोग सहित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को वित्त-पोषण सहायता प्रदान की जाएगी।
  * **प्रति परियोजना 5-25 करोड़ रुपये का माइलस्टोन-लिंक्ड वित्त-पोषण** प्रदान किया जाएगा। साथ ही, **असाधारण मामलों में 50 करोड़ रुपये तक का वित्त-पोषण** प्रदान किया जाएगा।
* **समर्थन तंत्र:** इसमें **पेटेंट मित्र (बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण), मेडटेक मित्र (विनियामक मार्गदर्शन और मंजूरी), क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क (नैदानिक सत्यापन और साक्ष्य निर्माण के लिए)** जैसी राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से मदद की जाएगी।

- **प्रौद्योगिकी क्षेत्र:** इसमें अभिनव चिकित्सा उपकरण और IVD (इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स), जिसमें उच्च स्तरीय अग्रणी प्रौद्योगिकियां (इमेजिंग, रेडियोथेरेपी उपकरण, रोबोटिक्स, मिनिमम इनवैसिव टेक्नोलॉजी, प्रत्यारोपण, AI/ML सक्षम प्लेटफॉर्म्स और टूल्स जैसी डीप टेक्नोलॉजी) शामिल हैं।

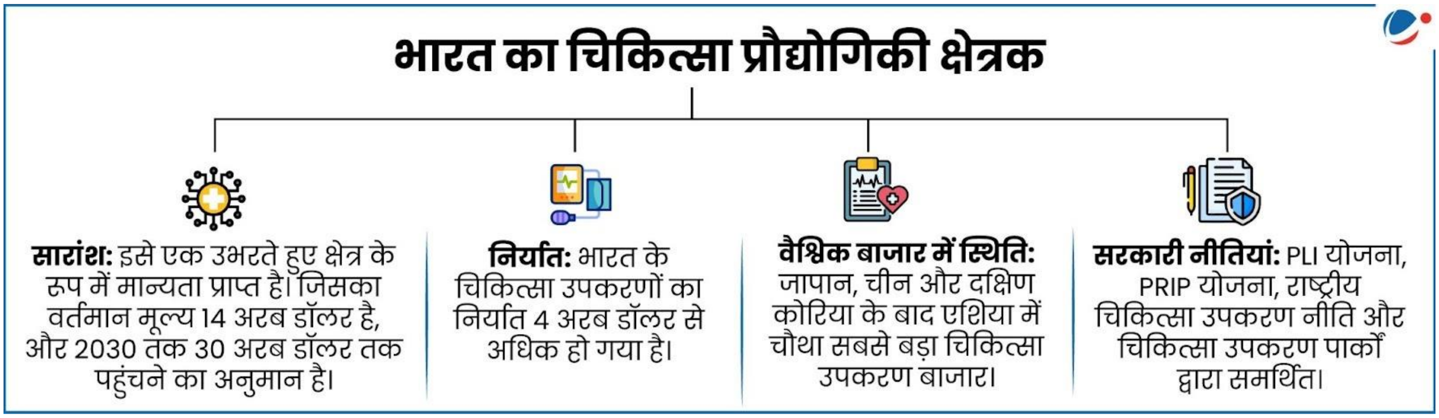

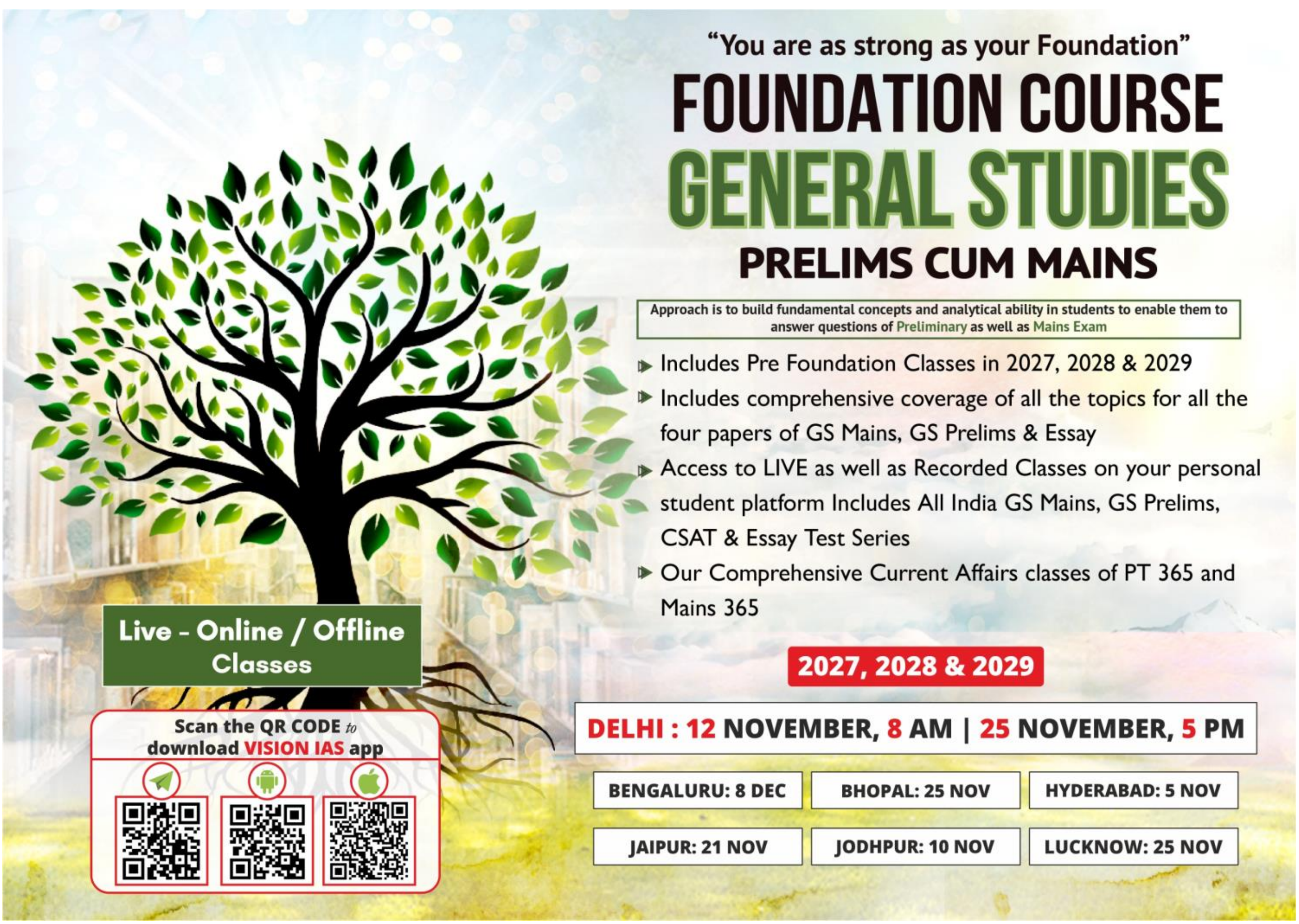

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
मासिक
समसामयिकी रिवीजन
कक्षाएं 2026
GS प्रीलिम्स और मेन्स
हिन्दी माध्यम
30 AUG | 2 PM
English Medium
28 SEPT | 2 PM
अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें
Live/Online Classes are available

VISIONIAS
DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2026
दक्ष : मुख्य परीक्षा 2026 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम
(मुख्य परीक्षा 2026 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)
दिनांक
15 नवंबर
अवधि
5 महीने
हिन्दी/English माध्यम
कार्यक्रम की विशेषताएं
अत्यधिक अनुभवी और योग्य मेंटर्स की टीम
अधिकतम अंक दिलाने और प्रदर्शन में सुधार पर विशेष बल
'दक्ष' मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा
मेंटर के साथ वन–टू–वन सेशन
मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन, निबंध और नीतशास्त्र विषयों के लिए रिवीजन एवं प्रैक्टिस की बेहतर व्यवस्था
शोध आधारित और विषय के अनुसार रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स
रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन, निगरानी और आवश्यक सुधार के लिए सुझाव
For any assistance call us at:
+91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in

4. सुरक्षा (Security)

4.1. वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism: LWE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद से अत्यधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है। ये 3 जिले बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर हैं, जो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।

LWE के निर्धारक तत्त्व

सामाजिक-आर्थिक असमानता
ये क्षेत्र गरीबी, निम्न साक्षरता दर, खराब स्वास्थ्य मानकों और कनेक्टिविटी की कमी से ग्रस्त हैं।

जनजातियों का शोषण और विस्थापन
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन और विकास परियोजनाओं एवं खनन गतिविधियों के कारण जनजातीय आबादी का विस्थापन होता है।

शासन व्यवस्था की रिक्तता
कमज़ोर शासन व्यवस्था और सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक भेदभाव से अलगाव की भावना पैदा होती है; राज्य की अनुपस्थिति माओवादी प्रभुत्व को बनाए रखती है।

माओवादी शोषण
माओवादी कमजोर और वंचित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, उन्हें हथियार और आर्थिक सहायता प्रदान करके आंदोलन में शामिल करते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **राज्य की उपलब्धियां:** हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को LWE-प्रभावित राज्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है।
- सरकार का लक्ष्य **31 मार्च, 2026** तक **नक्सलवाद का पूर्णतः उन्मूलन** करना है।
  - LWE से प्रभावित जिलों की कुल संख्या **18 से घटकर 11** रह गई है।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में

- LWE को आमतौर पर **नक्सलवाद** भी कहा जाता है, यह भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है।
- **वैचारिक आधार:** इसकी जड़ें **सामाजिक-आर्थिक असमानताओं** से जुड़ी हुई हैं तथा यह **माओवादी विचारधारा** से प्रेरित है। इसका लक्ष्य **हिंसा और दुष्प्रचार** का उपयोग करके मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकना और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है।
- **प्रभावित क्षेत्र**
  - **उत्पत्ति:** इस आंदोलन की शुरुआत **1967** में पश्चिम बंगाल के **नक्सलबाड़ी आंदोलन** से हुई थी।
  - **ऐतिहासिक विस्तार (रेड कॉरिडोर):** यह मुख्य रूप से **छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** जैसे राज्यों में फैला था।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) से उत्पन्न खतरे	
जनहानि	वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में वर्ष 2004 से 2023 के बीच लगभग **8,863 लोगों** की जान गई।
अवसंरचना का विनाश	उग्रवादी जानबूझकर **स्कूल भवनों, सड़कों, रेलवे अवसंरचना, पुलों, स्वास्थ्य अवसंरचना और संचार सुविधाओं** को निशाना बनाते हैं। इस प्रकार, वंचित समुदायों को यथास्थिति में बनाए रखने और विकास को दशकों पीछे बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।
लोकतंत्र का क्षरण	बीजापुर जिले में, माओवादियों ने धमकी देकर 17 वर्षों तक मतदान केन्द्रों को स्थापित नहीं होने दिया।

LWE के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **विकास से संबंधित पहलें (3Cs: सड़क, मोबाइल और वित्तीय कनेक्टिविटी)**
  - **वित्तीय समावेशन:** 30 अत्यधिक प्रभावित जिलों में **1,000 से अधिक बैंक शाखाएं** और **900 ATM सुविधाएं** शुरू की गई हैं। 2014 से लेकर अब तक LWE से प्रभावित जिलों में लगभग **5,900 डाकघर** (बैंकिंग सेवाओं सहित) स्थापित किए गए हैं।
  - **शिक्षा और कौशल विकास: 179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs)** शुरू किए गए हैं। साथ ही, **48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs)** और **61 कौशल विकास केंद्र (SDCs)** भी कार्यरत हैं।

- **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान:** इसे ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2024 में शुरू किया गया था। इससे 15,000 से अधिक गाँवों में लगभग 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
- **अन्य पहलें:**
  - नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम: इसमें सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास को बढ़ाने और स्थानीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नागरिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
  - दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क संपर्क परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।
  - दूरसंचार सेवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए मोबाइल टावरों की स्थापना करना आदि।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के 8 स्तंभ

	S	स्मार्ट नेतृत्व (Smart Leadership)
	A	आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)
	M	प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
	A	कार्रवाई योग्य आसूचना (Actionable Intelligence)
	D	डैशबोर्ड आधारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (Dashboard Based KPIs)
	H	प्रौद्योगिकी का उपयोग (Harness Technology)
	A	प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्ययोजना (Action Plan for Each Theatre)
	N	वित्त पोषण तक पहुंच पर रोक (No Access to Financing)

- **सुरक्षा संबंधी पहलें**
  - **समाधान (SAMADHAN) फ्रेमवर्क:** इसे 2017 में गृह मंत्रालय (MHA) ने LWE से निपटने के लिए प्रस्तुत किया था।
  - **वित्त तक पहुंच को रोकना (Financial Choking):** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नक्सलियों के वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले स्रोतों को समाप्त करने के लिए सक्रिय किया गया है। इसके तहत, संपत्तियों को जब्त करना और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामले दर्ज करके कार्यवाही करना शामिल है।
  - **अन्य:**
    - सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जैसे कि किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण करना, सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाना;
    - आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नक्सल समर्पण और पुनर्वास नीति लागू करना;
    - पेसा (PESA) और वन अधिकार अधिनियम के तहत स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हक़ों/ सुविधाओं को सुनिश्चित करना।

आगे की राह

- **समग्र दृष्टिकोण को बनाए रखना:** सुरक्षा, विकास और अधिकारों का संरक्षण करने पर केंद्रित एकीकृत रणनीति को निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए।
- **स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण: स्थानीय पुलिस बलों** में क्षमता निर्माण, आधुनिकीकरण और विशेषज्ञ व कौशलयुक्त संयुक्त टास्क फोर्स के समावेशन पर बल दिया जाना चाहिए।
- **शिकायत निवारण:** यह सुनिश्चित करना कि शिकायत निवारण के लिए वैध मंच मौजूद हों, साथ ही इस धारणा को भी पुष्ट करना चाहिए कि लोकतंत्र में हिंसा कभी सफल नहीं हो सकती है। अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत उपाय के रूप में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **न्यायिक जवाबदेही:** सभी LWE-संबंधी मामलों की जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए।
- **दुष्प्रचार तंत्र से निपटना:** नागरिक समाज और मीडिया को माओवादी उग्रवाद की हिंसक प्रवृत्ति के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इससे उग्रवादियों पर हिंसा छोड़ने का दबाव बनाया जा सकेगा। नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम (CAP) को सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास बनाए रखने के प्रयास जारी रहने चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की LWE के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है, यह विमर्श को "रेड कॉरिडोर" से "ग्रोथ कॉरिडोर" की ओर प्रेरित कर रहा है। सुरक्षा अभियानों को मजबूती से लागू करने के साथ-साथ विकास परियोजनाओं, वित्तीय समावेशन और सामाजिक न्याय पर भी अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है। इस बहु-आयामी रणनीति के दृढ़ कार्यान्वयन से उग्रवादी कार्यवाहियों और उनके भौगोलिक विस्तार दोनों को व्यवस्थित रूप से सीमित कर दिया गया है। इससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित हुआ है।

4.2. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम {Armed Forces (Special Powers) Act-AFSPA}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की अवधि को **मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड** के कुछ हिस्सों में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

क्या आप जानते हैं?

> **मणिपुर में AFSPA 1981** से लागू है।

अन्य संबंधित तथ्य

AFSPA, 1958 के विषय में

- यह एक विशेष कानून है जो **कानून और व्यवस्था** को बनाए रखने के लिए **सेना को असाधारण शक्तियां** प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य "अशांत क्षेत्रों" में सशस्त्र बलों को अपनी गतिविधियां **संचालित करने के लिए सशक्त बनाना** है। अशांत क्षेत्र वे सूचीबद्ध क्षेत्र होते हैं, जहां **सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा** होता है।
- वर्तमान में, AFSPA **नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** के कुछ हिस्सों में प्रभावी है।
    - **वर्ष 2015 में त्रिपुरा से, 2018 में मेघालय से और 1980 के दशक में मिजोरम से** AFSPA को **वापस** ले लिया गया था।
- AFSPA कानून **जम्मू और कश्मीर** में भी प्रभावी है, जहां यह **सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990** के जरिए लागू है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **अशांत क्षेत्र की घोषणा (धारा 3):** इस धारा के तहत **राज्यपाल, प्रशासक या केंद्र सरकार** किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग या पूरे क्षेत्र को **"अशांत" घोषित** कर सकता है। यह घोषणा तब की जाती है, जब उन्हें लगता है कि **सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता** है।
- **सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां (धारा 4):** यह **"अशांत"** घोषित क्षेत्रों में **सशस्त्र बलों** को विशेष शक्तियां प्रदान करता है:
    - इसमें, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ **बल प्रयोग करना,** यहां तक की, **आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाना** भी शामिल है।
    - संदेह के आधार पर **बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करना और किसी परिसर में प्रवेश/ तलाशी लेना** शामिल है।
    - 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर **एकत्रित होने पर रोक लगाना।**
    - **हथियारों के गोदाम, किलेबंद मोर्चे** जहां से सशस्त्र हमले किए जा सकते हैं, या सशस्त्र स्वयंसेवकों के किसी प्रशिक्षण शिविर को **नष्ट करना।**
- **सशस्त्र बल कर्मियों के लिए प्रतिरक्षा (धारा 6):** इस धारा के तहत केंद्र सरकार की **मंजूरी के बिना** AFSPA के तहत किए गए कार्यों के लिए किसी भी सुरक्षाकर्मी के विरुद्ध **मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।**
- **गिरफ्तार व्यक्ति के साथ व्यवहार:** सशस्त्र बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को **"न्यूनतम संभावित देरी"** के साथ निकटतम पुलिस प्राधिकरण को सौंपना आवश्यक होता है।

ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय

- **नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ वाद (1997):** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में AFSPA को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, लेकिन बल प्रयोग और प्रतिरक्षा के उपयोग पर कुछ सुरक्षा उपाय निर्धारित किए।
- **एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज़ एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद (2016):** धारा 6 के तहत प्रदान की गई **प्रतिरक्षा पूर्णतः निरपेक्ष** है; **अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में सुरक्षा बलों को जवाबदेह** ठहराया जा सकता है।
- **सेबेस्टियन एम. होंग्रे बनाम भारत संघ (1984):** AFSPA में प्रतिरक्षा संबंधी प्रावधानों के बावजूद भी **सुरक्षाबलों को कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह ठहराया** जा सकता है।

AFSPA का आलोचनात्मक मूल्यांकन

AFSPA के पक्ष में तर्क	AFSPA के विपक्ष में तर्क
• **राष्ट्रीय सुरक्षा:** यह सशस्त्र बलों को **उग्रवाद से शीघ्रता से निपटने** और पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर जैसे संघर्ष-संभावित एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में **भारत की संप्रभुता की रक्षा करने** का अधिकार प्रदान करता है। • **नागरिक प्रशासन को सहायता:** यह "अशांत" क्षेत्रों में **सैन्य बलों की त्वरित तैनाती की सुविधा** प्रदान करता है, जब सिविल प्राधिकरण कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। • **कानूनी गतिरोध की रोकथाम:** अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी, तलाशी या बल प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उन **विलंबों को रोका जा सकता है** जिनका फायदा उग्रवादी उठा सकते हैं। • **"अभियोजन स्वीकृति खंड" के माध्यम से जवाबदेही:** किसी भी सैन्यकर्मी पर कार्रवाई या मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है, जिससे उन्हें राजनीतिक या झूठे मामलों से संरक्षण मिलता है। • **न्यायिक और विधायी सत्यापन:** उच्चतम न्यायालय का **निर्णय** (*नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (1997)*) **AFSPA की संवैधानिकता की पुष्टि** करता है तथा इस बात पर ज़ोर देता है कि सशस्त्र बल नागरिक बलों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, न की सर्वोच्च शक्ति के रूप में। • **क्षेत्रों में स्थिरता लाने में प्रमाणित भूमिका:** इसने **मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में उग्रवाद को कम करने** में भूमिका निभाई है।	• **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** गोली मारने के आदेश और कानूनी प्रतिरक्षा की अनुमति देने वाली धाराएं **समानता (अनुच्छेद 14), जीवन (अनुच्छेद 21) और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 22)** से संबंधित मूल अधिकारों का हनन करती हैं। • **जवाबदेही का अभाव:** अभियोजन के लिए पूर्वानुमति का प्रावधान, सुरक्षा कर्मियों के अभियोजन पर प्रभावी रोक लगाता है, जिससे **दंडमुक्ति की संस्कृति** को बढ़ावा मिलता है। • **दीर्घकालिक सैन्यीकरण:** कई क्षेत्रों को एक **निर्धारित समय-सीमा के बिना दशकों तक सैन्य नियंत्रण में रखा जाता है**, जिससे संघर्ष की स्थितियां और सेना-विरोधी भावना बढ़ती है। • **संघवाद और नागरिक-सैन्य टकराव:** केंद्रीय बलों की तैनाती **राज्य की स्वायत्तता को सीमित करती है** और **स्थानीय पुलिस बलों का मनोबल गिरता** है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। • **भारत की लोकतांत्रिक छवि को क्षति: AFSPA** का निरंतर उपयोग भारत की **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं जैसे** मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR), नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) और यातना विरोधी अभिसमय के **विरुद्ध** है। • **मानवाधिकार हनन के आरोप:** अनेक रिपोर्ट्स में **फर्जी मुठभेड़ों, यातना और यौन हिंसा** जैसे मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

आगे की राह

- **शक्तियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध एवं समाप्ति:** AFSPA को केवल 'अशांत' घोषित जिलों में ही लागू किया जाना चाहिए तथा जैसे-जैसे स्थिति में सुधार हो, इसकी शक्तियों को धीरे-धीरे सीमित किया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही के लिए धाराओं में संशोधन:** कानून में संशोधन करके फर्जी मुठभेड़ों को रोकने के लिए प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं; गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने और त्वरित जांच के लिए निरीक्षण तंत्र स्थापित करके प्रतिरक्षा तंत्र को सीमित करना आवश्यक है।
- **वैकल्पिक पुलिसिंग:** सामान्य **कानून और व्यवस्था** बनाए रखने के लिए **CRPF/ राज्य पुलिस** का उपयोग किया जाना चाहिए; जबकि सेना को केवल **अत्यधिक गंभीर संघर्षों** के लिए ही आरक्षित रखा जाना चाहिए।
- **मानवाधिकारों का अनुपालन:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सैन्य अभियानों में **मानवाधिकारों का सम्मान** किया जाए; **उग्रवाद विरोधी अभियानों में पेशेवर आचरण का सख्त अनुपालन** किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय समुदायों का विश्वास एवं भागीदारी: स्थानीय जनता का समर्थन** प्राप्त करने के लिए **नागरिक समाज, नौकरशाही और सेना** को **स्थानीय विकास कार्यों** में शामिल किया जा सकता है।
- **कुछ समितियों की सिफारिशें:**
    - **जीवन रेड्डी समिति (2005):** AFSPA को निरस्त किया जाए; सेना की लंबे समय तक तैनाती को प्रतिबंधित करने और इसकी शक्तियों का गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में शामिल करने का सुझाव दिया।
    - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007): हितधारकों के साथ परामर्श** के बाद AFSPA को **निरस्त** किए जाने की अनुशंसा की।

- ○ **संतोष हेगड़े समिति (2013): फर्जी मुठभेड़ों** की जांच की जाए; शक्तियों के **दुरुपयोग** पर रोक लगाई जाए।
- ○ **न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति (2013):** इसने **AFSPA की तत्काल समीक्षा** की सिफारिश की और कहा कि यदि **सशस्त्र बलों का कोई अधिकारी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा** करता है, तो उसके खिलाफ **सामान्य आपराधिक कानून** के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

AFSPA, यद्यपि अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद-विरोधी अभियानों के संचालन के लिए **महत्वपूर्ण** है, किंतु यह **मानवाधिकारों और जवाबदेही** से जुड़ी चिंताएं भी उत्पन्न करता है। इसके **दायरे को सीमित** करने, **निगरानी सुनिश्चित** करने और **स्थानीय शासन को मजबूत** करने वाला एक **संतुलित दृष्टिकोण** अपनाकर **लोकतांत्रिक मूल्यों** से समझौता किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

4.3. साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention Against Cybercrime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 72 देशों ने हनोई, वियतनाम में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

Digital Current Affairs
साइबर अपराध पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के बारे में

- इस अभिसमय को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा **24 दिसंबर, 2024** को अपनाया गया था।
- यह अभिसमय कम-से-कम **40 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के अनुसमर्थन के 90 दिन** बाद लागू हो गा।
  - ○ इस अभिसमय पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया **31 दिसंबर 2026** तक खुली रहेंगी।
  - ○ भारत ने अभी तक इस संधि पर **हस्ताक्षर नहीं** किए हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)** ने इस अभिसमय पर वार्ताओं के आयोजन के लिए **सचिवालय** के रूप में कार्य किया।
- साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय **सभी गंभीर अपराधों** के लिए **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य** के संग्रह, साझाकरण और उपयोग हेतु पहला **सार्वभौमिक कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क** है।
  - ○ यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार **बुडापेस्ट साइबर अपराध अभिसमय (2001)** साइबर अपराधों से निपटने और सीमा-पार सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित **पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि** थी।
  - ○ **रूस और चीन** जैसे कई देशों ने बुडापेस्ट अभिसमय को **अस्वीकार** कर दिया है और लंबे समय से एक नए अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध अभिसमय की मांग कर रहे हैं।

साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के मुख्य बिंदु

- **साइबर अपराध के दायरे का विस्तार:** यह **साइबर तकनीकों पर आधारित अपराधों** के साथ-साथ **ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन बाल यौन शोषण, अंतरंग छवियों को बिना-सहमति के प्रसारित करने** आदि से जुड़े कृत्यों को **अपराध के रूप में सूचीबद्ध** करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24/7 नेटवर्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- **संप्रभुता की रक्षा:** पक्षकार देश इस अभिसमय के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन **अन्य देशों की संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता** तथा **उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप** न करने के सिद्धांतों के अनुरूप करेंगे।
- **पीड़ितों की सहायता:** यह अभिसमय देशों को पीड़ितों को **पुनर्वास सेवाएं, मुआवजे, क्षतिपूर्ति** और **अवैध सामग्री को हटाने** की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सहायता प्रत्येक देश के **घरेलू कानूनों** के अनुसार दी जाएगी।

- **मानवाधिकारों का सम्मान:** पक्षकार देश यह सुनिश्चित करेंगे कि अभिसमय के तहत उनके दायित्वों का कार्यान्वयन **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों** के अनुरूप हो।

अभिसमय का महत्व

- **बहुपक्षवाद की प्रासंगिकता:** यह अभिसमय **बहुपक्षवाद की जीत** को दर्शाता है, जो साइबर अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की देशों की सामूहिक इच्छा को प्रतिबिंबित करता है।
- **बढ़ते डिजिटल खतरों का समाधान:** उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक साइबर अपराध के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का आंकड़ा **2025 तक प्रतिवर्ष 10.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचने का अनुमान है।
- **ग्लोबल साउथ के देशों की सहायता:** वैश्विक अभिसमय उन **विकासशील देशों** की सहायता करेगा, जहां प्रायः मजबूत साइबर सुरक्षा अवसंरचना का अभाव है।
- **उभरती चुनौतियां:** यह **AI-संचालित साइबर हमलों, डीपफेक, दुष्प्रचार अभियानों** जैसे नए और उभरते खतरों से निपटने के लिए एक **सहयोगात्मक फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध अभिसमय साइबर खतरों के खिलाफ वैश्विक सहयोग में एक **महत्वपूर्ण उपलब्धि** है। यह अपराधों की रोकथाम, क्षमता-निर्माण और बहुपक्षीय एकजुटता को बढ़ावा देता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह **मानवाधिकारों की रक्षा करने और दुरुपयोग को रोकने** और **विकासशील राष्ट्रों की सहायता** करने में सक्षम है। साथ ही, इसे एक **सुरक्षित डिजिटल परिवेश** सुनिश्चित करने के लिए **विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों** को भी अपनाना चाहिए।

4.4. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

4.4.1. अनंत शस्त्र वायु-रक्षा प्रणाली (Anant Shastra Air Defence System)

- यह स्वदेशी **'त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल[15]'** प्रणाली है।
- **विकासकर्ता:** DRDO ने इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के सहयोग से विकसित किया है।
- **क्षमताएं**: **लगभग 30 किलोमीटर की रेंज** वाली, अत्यधिक गतिशील और सतर्क प्रणाली।
- **समन्वय के आधार पर कार्रवाई में सक्षम:** यह MR-SAM, आकाश, स्पाइडर और सुदर्शन S-400 प्रणालियों के साथ समन्वय में कार्य करती है।
- **तैनाती:** स्वीकृति मिलने पर इसे देश की **पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं** पर तैनात किया जाएगा।

15 Quick Reaction Surface-to-Air Missile-QRSAM

4.4.2. रियल टाइम में ड्रोन-रोधी रक्षा के लिए सक्षम/ SAKSHAM प्रणाली (SAKSHAM System for Real-Time Counter-Drone Defence)

भारतीय **थल सेना** ने स्वदेशी रूप से विकसित **सक्षम/ SAKSHAM काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (CUAS) ग्रिड सिस्टम** की खरीद शुरू कर दी है।

- **सक्षम/ SAKSHAM: सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट।**

सक्षम (SAKSHAM) प्रणाली के बारे में:

- यह एक **मॉड्यूलर और उन्नत कमांड एंड कंट्रोल (C2)** प्रणाली है, जो सुरक्षित **आर्मी डेटा नेटवर्क (ADN)** पर काम करती है।
- यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (मानव रहित हवाई प्रणालियों) को **रीयल-टाइम में पहचानने, ट्रैक करने और निष्क्रिय** करने में सक्षम है। इससे नए परिभाषित **टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस (TBS)** में वायु क्षेत्र की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  - TBS वह क्षेत्र है, जो जमीन से लगभग **3,000 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई** तक फैला होता है।
- इसे **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** के सहयोग से विकसित किया गया है।

4.4.3. ड्रोन वॉल (Drone Wall)

डेनमार्क में संदिग्ध रूसी ड्रोन देखे जाने के बाद यूरोपीय संघ ने **'ड्रोन वॉल'** बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

ड्रोन वॉल के बारे में

- यह **AI आधारित बहुस्तरीय ड्रोन-डिफेंस प्रणाली** है। इसे **एयरशील्ड (Eirshield)** कहा जाता है। यह एंटी-ड्रोन प्लेटफॉर्म है।
- इसे हथियारों से लैस **तेज गति से उड़ने वाले मानवरहित लक्ष्यों** से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह **ड्रोन घुसपैठ, GPS जैमिंग और अन्य अपरंपरागत हमलों** के खिलाफ **अर्ली वार्निंग, रियल टाइम में खतरे का पता लगाने और खुफिया जानकारी प्रदान** करता है।

4.4.4. आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संबद्ध योजना (Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar: SITAA)

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने **आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संबद्ध योजना (SITAA)** लॉन्च की है।

SITAA के बारे में:

- **उद्देश्य**: भारत के डिजिटल पहचान इकोसिस्टम को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधी नए खतरों जैसे **डीपफेक्स**, **स्पूफिंग** और **प्रेजेंटेशन अटैक** से निपटना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी**: केंद्रीय **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत UIDAI.
- **मुख्य क्षेत्र**: बायोमेट्रिक सत्यापन, **AI/ML** समाधान, **डेटा प्राइवेसी**, और **उन्नत बायोमेट्रिक सुरक्षा**।
- यह कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर कुछ प्रारंभिक चुनौतियों जैसे- **चेहरे की वास्तविकता (लाइवनेस) का पता लगाना**, **प्रेजेंटेशन अटैक का पता लगाना** और **कॉन्टैक्ट-लेस फिंगरप्रिंट सत्यापन** के साथ में शुरू होगा।

4.4.5. आईएनएस एंड्रोथ (INS Androth)

भारतीय नौसेना ने **नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम** में **INS एंड्रोथ** को शामिल किया।

INS एंड्रोथ के बारे में

- यह **INS अर्नाला** के बाद दूसरा **एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC)** है।
  - यह **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), कोलकाता** द्वारा बनाए जा रहे 8 ASW-SWC में से एक है।
- इसका नाम **लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप 'एंड्रोथ'** के नाम पर रखा गया है।
- **क्षमताएं**
  - समुद्र में निगरानी,
  - खोज और बचाव,
  - तटीय और एंटी-सबमरीन रक्षा मिशन
  - सामान्य समुद्री अभियान।

4.4.6. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercise in News)

- **पैसिफिक रीच अभ्यास:** यह **प्रत्येक दो वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव सैन्य अभ्यास है।** इसमें 40 से अधिक राष्ट्र भाग लेते हैं।
    - **मेजबान देश: सिंगापुर**
- **कोंकण-25 अभ्यास:** यह **भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी** के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास था।
- **ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND) 2025:** यह **भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास** था।
- **समुद्र शक्ति अभ्यास:** यह **भारत और इंडोनेशिया** के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
- **JAIMEX-2025**: यह **भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना (जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेन्स फाॅर्स- JMSDF) के बीच प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है।**
- **ओशन स्काई अभ्यास:** यह **स्पेनिश वायु सेना** द्वारा आयोजित एक **बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास** है।
    - यह पहली बार था जब किसी **गैर-नाटो देश (भारत)** ने इस अभ्यास में भाग लिया।

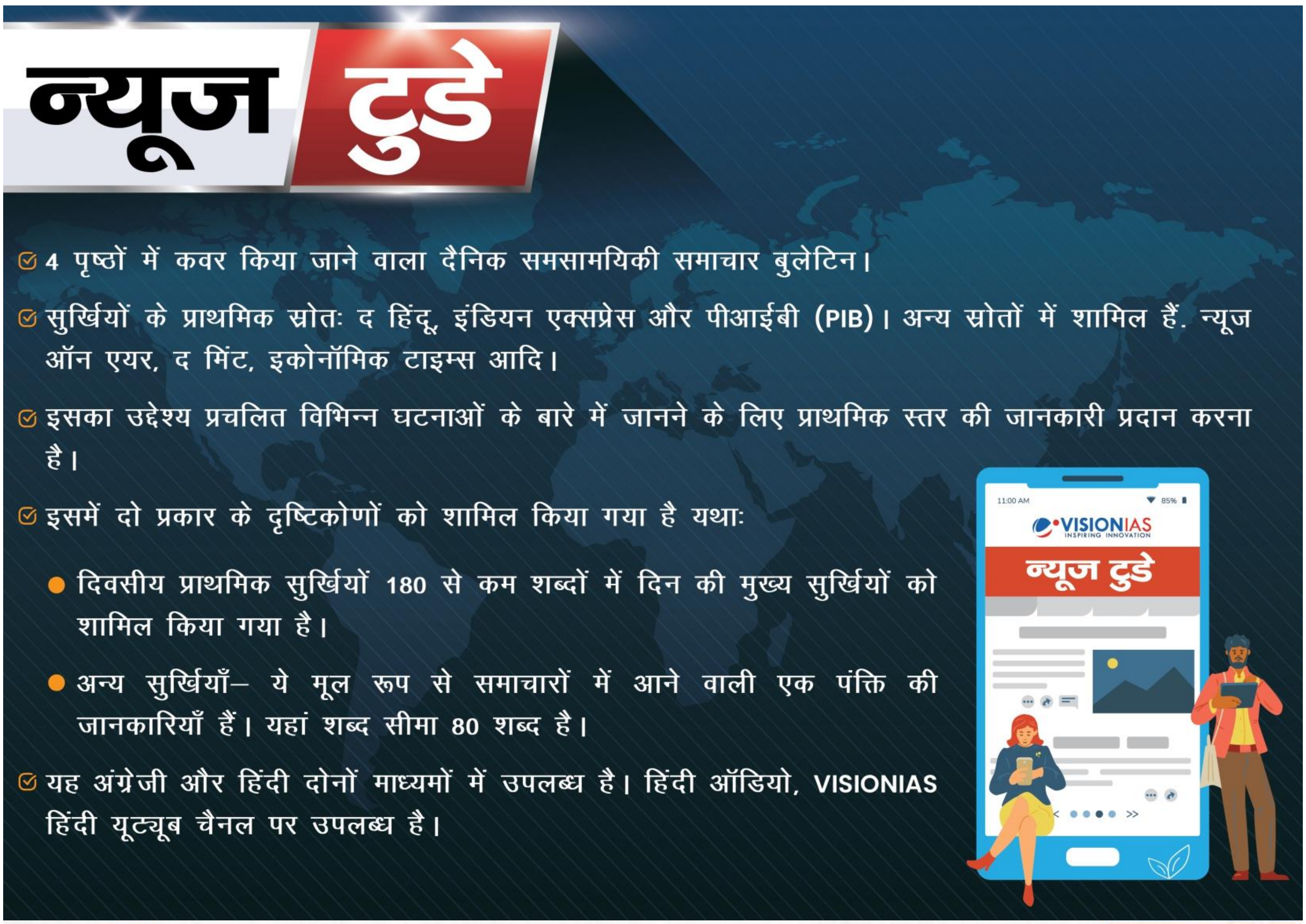

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. सतत विकास लक्ष्यों के 10 वर्ष: भारत की प्रगति (10 Years of SDGs: India's Progress)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल में, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाए जाने के दस वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन्हें वैश्विक लक्ष्य (Global Goals) भी कहा जाता है। इन वैश्विक लक्ष्यों को **वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र** द्वारा अपनाया गया था।

Digital Current Affairs
'सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के 10 वर्ष' पर 'वीकली फोकस' की विस्तृत कवरेज पढ़ने के लिए स्कैन करें।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के बारे में

- **सतत विकास को पहली बार पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था।** इसमें कहा गया था कि सतत विकास से तात्पर्य ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, परंतु भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे।
- **2015** में, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य (SDG) निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 169 उप-लक्ष्य शामिल हैं।
    - SDGs एक ऐसा वैश्विक आह्वान हैं, जिसका उद्देश्य निर्धनता और असमानता को समाप्त करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग स्वास्थ्य, न्याय और समृद्धि का लाभ ले सकें। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी पीछे न छूटे।

SDGs प्राप्त करने की दिशा में प्रगति

- **वैश्विक प्रगति** (सतत विकास रिपोर्ट (SDR), 2025 के 10वें संस्करण के अनुसार)
    - SDG सूचकांक में **फिनलैंड** को **87 अंकों** के साथ **पहला स्थान** दिया गया है। इसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान आता है। औसतन रूप से **पूर्वी और दक्षिणी एशिया** ने **2015 के बाद से SDGs पर सबसे तीव्र प्रगति** दर्शाई है। यह सफलता विशेष रूप से **सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के प्रति उच्च प्रगति** से प्रेरित है।
    - केवल **17% SDG लक्ष्य** 2030 तक **प्राप्त किए जाने की राह पर** हैं।
        - **संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देशों ने** बुनियादी सेवाओं और अवसंरचना तक पहुंच से संबंधित लक्ष्यों के मामले में **बेहतर प्रगति दर्ज की** है, जिनमें शामिल हैं:
            - मोबाइल ब्रॉडबैंड उपयोग और इंटरनेट उपयोग (SDG-9)
            - विद्युत तक पहुंच (SDG-7)
            - 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी (SDG-3)
- **भारत की SDGs प्राप्त करने की प्रगति**
    - **2025** में **भारत पहली बार SDG सूचकांक** में **शीर्ष 100** देशों में शामिल हुआ। भारत **100 में से 67** अंकों के स्कोर के साथ **99वें** स्थान पर है। (SDR, 2025)

SDG	उपलब्धि/उपलब्धियां
SDG 1 (गरीबी उन्मूलन)	2015-2016 और 2019-2021 के बीच **135 मिलियन** से अधिक लोग **बहुआयामी गरीबी** से बाहर निकल चुके हैं। (नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक 2023-24)
SDG 2 (भुखमरी का समापन)	2021-2023 में कुपोषण की दर घटकर **13.7%** रह गई है। (SOFI 2024)

SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली)	**मातृ मृत्यु दर** प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 (2014–16) से घटकर **80.5** (2023) हो गई है। (सतत विकास रिपोर्ट, 2025)
SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा):	**प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर** अब **99.9%** तक पहुंच गई है। (सतत विकास रिपोर्ट, 2025)
SDG- 5 (लैंगिक समानता)	आधुनिक विधियों से संतुष्ट **परिवार नियोजन** की मांग 2024 में बढ़कर **77.5%** हो गई। (सतत विकास रिपोर्ट, 2025)
SDG 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा):	वर्ष 2022 में **99.2%** आबादी के पास विद्युत तक पहुंच थी। (सतत विकास रिपोर्ट, 2025)
SDG- 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना)	2024 में 88.6 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता। (इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 2024)

भारत की विकास योजनाओं में SDGs का एकीकरण

- **संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण:** भारत ने SDGs को लागू करने के लिए एक **व्यापक दृष्टिकोण** अपनाया है, जिसमें लक्ष्यों को सरकार के **तीनों स्तरों पर (केंद्र, राज्य और स्थानीय) ऊर्ध्वाधर रूप से** और **विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में क्षैतिज रूप से** एकीकृत किया गया है।
  - उदाहरण: **नीति आयोग केंद्रीय समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है,** जो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में SDG कार्यान्वयन को सुगम बनाता है तथा **प्रणालीगत संरेखण** सुनिश्चित करता है। **नीति आयोग** का **राज्य समर्थन मिशन** समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए **नीचे से ऊपर की ओर (bottom-up)** दृष्टिकोण को और सशक्त करता है।
- **डेटा-संचालित प्रतिस्पर्धी संघवाद:** उदाहरण- **नीति आयोग का SDG इंडिया सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक,** राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक आदि।
- **स्थानीयकरण:** उदाहरण- **पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स** ने सीधे पूर्वोत्तर राज्यों में लक्षित निवेश को बढ़ावा दिया है, जिसमें PM-DevINE योजना के तहत 825 मिलियन डॉलर का निवेश शामिल है।
- **SDGs का संस्थागतकरण:** कई राज्यों ने शासन के ढांचे के भीतर SDG की दिशा में किए गए प्रयासों को संस्थागत रूप देने और मुख्यधारा में लाने के लिए समर्पित **SDG समन्वय और त्वरण केंद्र** स्थापित किए हैं, जिससे **जवाबदेही** और **कार्यान्वयन क्षमता** में सुधार हुआ है।
- **समावेशी और न्यायसंगत रूप से ध्यान देना :** आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करता है। इसमें जिम्मेदारियों, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा किया जाता है, जिससे SDGs का न्यायसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।
  - **उदाहरण** UNDP रिपोर्ट के अनुसार, आकांक्षी जिलों ने ADP के कार्यान्वयन के केवल 3 वर्षों में ही विकास परिणाम में सुधार का अनुभव किया।

SDGs को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियां

- **डेटा की उपलब्धता:** उदाहरण के लिए, **SDG इंडिया सूचकांक 2023-24** राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर उपयुक्त डेटा की अनुपलब्धता के कारण **SDG 17** के संकेतकों को नहीं मापता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** MPI रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे निर्धन राज्यों के रूप में उभरे हैं, जबकि केरल, सिक्किम, तमिलनाडु ने पूरे भारत में सबसे कम निर्धनता दर्ज की है।
- **वित्तीय बाधाएं:** घरेलू स्तर पर संसाधनों को जुटाने में कठिनाई आती है, निजी वित्त तक सीमित पहुंच, और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग का लाभ उठाने में मौजूद बाधाएं आदि।
- **संस्थागत और शासन संबंधी चुनौतियां:** नियोजन में SDGs को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के बावजूद, मंत्रालयों, राज्यों और स्थानीय निकायों में क्षमता और समन्वय अलग-अलग हैं, जिससे एक-समान कार्यान्वयन प्रभावित होता है।
  - उदाहरण: विकासात्मक योजनाओं की प्रगति को मापते समय, मुख्य ध्यान केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं पर होता है, जबकि राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं को प्रगति मापने में प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है।
- **धारणीयता की चुनौतियां:** तीव्र आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, वन संरक्षण, और उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के मामले में, संतुलन बनाना कठिन बना हुआ है।

- **महामारी के बाद के प्रभाव:** COVID-19 महामारी के कारण हुए सीखने के नुकसान (Learning losses) और स्वास्थ्य सेवाओं के अवरुद्ध होने से विगत वर्षों में मानव विकास की दिशा में प्राप्त उपलब्धियों को पीछे ला दिया है।

आगे की राह

- **डेटा गुणवत्ता:** डेटा की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता और निगरानी क्षमता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर **डेटा प्रणाली में सुधार करना** और **क्षमता निर्माण** करना आवश्यक है।
- **वित्त जुटाना: घरेलू स्तर पर राजस्व सृजन में वृद्धि करके**, अभिनव वित्त-पोषण साधनों के माध्यम निजी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ाकर वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **शासन: संस्थागत ढांचे में सुधार करके** एवं केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य समन्वय को सशक्त करके **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही, नीतिगत सुसंगतता और वित्तीय संरेखण सुनिश्चित करने के लिए **क्षेत्रक आधारित नीतियों** और बजट में **SDGs का व्यवस्थित रूप से एकीकरण** किया जाना चाहिए।
- **हितधारकों को शामिल करना:** अधिक समावेशी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बहु-क्षेत्रक साझेदारी को बढ़ावा देने एवं नागरिक समाज, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्रक सहित व्यापक सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **संधारणीयता:** विकास नीतियों में पर्यावरण संधारणीयता को एकीकृत किया जाना चाहिए।
- **उदाहरण:** नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं, जल संसाधन प्रबंधन आदि को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष

SDGs के साथ भारत की एक दशक लंबी यात्रा प्रमुख सामाजिक और अवसंरचना संकेतकों में सार्थक प्रगति को दर्शाती है। सतत संस्थागत समन्वय और समावेशी हितधारक भागीदारी के साथ, भारत 2030 तक SDGs को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को और अधिक तीव्र कर सकता है।

5.2. शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Cold Desert Biosphere Reserve)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को 'जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क (World Network of Biosphere Reserves: WNBR)' में शामिल किया है। इनमें भारत में **हिमाचल प्रदेश का 'शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र'** भी शामिल है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस नामांकन के बाद भारत के कुल **13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र** यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर अब **784** हो गई है।
- वहीं, **मध्य अफ्रीका** का एक द्वीपीय राष्ट्र **साओ टोमे एंड प्रिंसिपे** ऐसा पहला देश बन गया है, जिसका **पूरा क्षेत्र जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र** घोषित किया गया है।

शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में

- **अवस्थिति:** यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। **शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को** यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है जो **सबसे शीत और शुष्क पारितंत्रों में से एक है।**

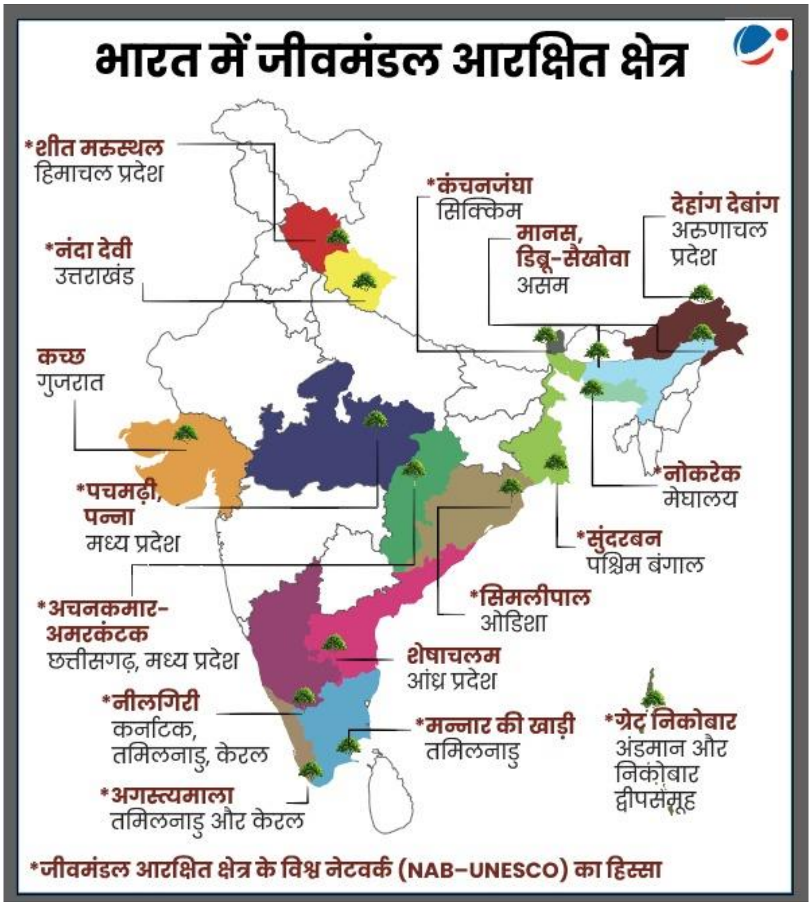

- उल्लेखनीय है कि **शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय** क्षेत्र में है और यह उत्तर में **लद्दाख** (लेह एवं कारगिल जिलों) से लेकर दक्षिण में **किन्नौर** (हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी व किन्नौर जिले) तक विस्तृत है।

- **संरक्षित क्षेत्र:** इसमें **पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान** और उसके आसपास का क्षेत्र; **चंद्रताल तथा सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभयारण्य** शामिल हैं।
- **बायोम:** यह **शीत मरुस्थल बायोम** का निर्माण करता है। यहां चरम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। इसका कारण इसकी **हिमालय के पवन विमुख ढलान पर अवस्थिति** (जो इसे **वृष्टि छाया क्षेत्र** बनाता है) और **बहुत अधिक ऊंचाई है।**
- **मृदा**: सीमित वनस्पति के कारण निम्न कार्बनिक पदार्थ वाली महीन, खुरदरी, रेतीली-दोमट मृदा।
- **हाइड्रोलॉजी :** हिमनदों का पिघला जल स्पीति और पिन जैसी नदियों को जल उपलब्ध कराता है।
- **वनस्पति**: सामान्य प्रजातियों में कारागाना, इफेड्रा, जूनिपरस, आर्टेमिसिया और सीबकथॉर्न शामिल हैं।
  - सीबकथॉर्न मृदा स्थिरीकरण, कार्बन निक्षेपण और स्थानीय आजीविका (रस, तेल और औषधीय उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है) के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- **प्राणी**: हिम तेंदुआ (प्रमुख प्रजाति), हिमालयन आइबेक्स, तिब्बती अर्गाली, नीली भेड़ (भरल), लाल लोमड़ी, यूरेशियन लिंक्स और हिमालयन भेड़िया।
- **संस्कृति:** इस क्षेत्र में **बौद्ध संस्कृति** का प्रभुत्व है। इसमें शामिल हैं-
  - **गोम्पा** (बौद्ध मठ), **चोर्टेन** (विशेष प्रकार के स्तूप) और **मणि दीवारें** (पत्थरों की लंबी व चौड़ी कतार जैसी संरचनाएं) मिलती हैं।
- **मानव बस्तियां:** प्रमुख समुदायों में **भोटिया, चांगपा और स्पीति** जनजातियां शामिल हैं, जो **पशुपालन, जौ और कुट्टू की कृषि** तथा **याक और बकरी पालन** करती हैं।

जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क (WNBR) के बारे में

- WNBR की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रबंधन यूनेस्को के **"मैन एंड बायोस्फियर (MAB)" प्रोग्राम** के तहत किया जाता है।
  - MAB कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई थी। यह एक **अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य **मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार** करना है।
- यह नेटवर्क **मानव समाजों और प्राकृतिक पारिस्थितिक-तंत्रों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा** देता है तथा सतत विकास को संभव बनाने में सहयोग करता है।
- **MAB के तहत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे नामित किए जाते हैं?**
  - **नामित करने वाली संस्था :** MAB अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के निर्णयों के अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा।
  - **प्रयुक्त कार्यप्रणाली:** जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सेविले रणनीति (Seville Strategy) और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा।
  - **प्रस्ताव:** यूनेस्को सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं।
    - नामांकन के बाद भी, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में ही रहता है, जहां वह अवस्थित है।
    - सदस्य राष्ट्र MAB सचिवालय को सूचित करके किसी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को नेटवर्क से हटा भी सकते हैं।
  - **आवधिक समीक्षा:** प्रत्येक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की **प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा** की जाती है ताकि उसके कार्य और प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके।
    - यदि कोई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है, तो यूनेस्को उसकी **मान्यता वापस** ले सकता है।

5.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.3.1. वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन, 2025' रिपोर्ट (Environmental Accounting on Forest 2025 Report)

यह रिपोर्ट **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** ने जारी की है। यह पर्यावरणीय लेखांकन से जुड़ा लगातार **8वां संस्करण** है।

- यह **संयुक्त राष्ट्र के "पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA) फ्रेमवर्क" पर आधारित वन लेखांकन संबंधी पहली समर्पित रिपोर्ट** है।

पोर्ट के मुख्य बिंदु

- **भौतिक परिसंपत्ति लेखा (Physical Asset Account):**
  - **वनावरण (2010-11 से 2021-22):** यह 17,444.61 वर्ग किमी **(22.50%)** बढ़ा है। अब कुल वन क्षेत्र **7.15 लाख वर्ग किमी.** तक पहुंच गया है, जो **भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%** है।

- **सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य:** केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।

- **विस्तार लेखा (Extent Account):**
    - **वन विस्तार (2013–2023):** पुनर्वर्गीकरण और सीमाओं के समायोजन के कारण **3,356 वर्ग किमी** की निवल वृद्धि दर्ज की गई है।
    - **दर्ज वन क्षेत्र (RFA) में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य:** उत्तराखंड, ओडिशा, और झारखंड।
- **स्थिति लेखा (Condition Account):** यह लेखांकन प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करता है और **"ग्रोइंग स्टॉक" (जीवित वृक्षों में उपयोगी लकड़ी की मात्रा)** पर केंद्रित है।
    - **ग्रोइंग स्टॉक (2013–23):** 305.53 मिलियन घनमीटर (7.32%) बढ़ा है।
    - **शीर्ष योगदानकर्ता राज्य:** मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना।
- **सेवा लेखा (Service Accounts):**
    - **प्रोविजनिंग सेवाएं (काष्ठ और गैर-काष्ठ उत्पाद):** वित्त-वर्ष 2021-22 में इनका मूल्य GDP का लगभग **0.16%** हो गया।
        - **शीर्ष राज्य:** महाराष्ट्र, गुजरात और केरल।
    - **विनियमन सेवाएं (कार्बन प्रतिधारण):** 2021-22 में मूल्य बढ़कर **GDP का लगभग 2.63%** हो गया।
        - **शीर्ष राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA)

विकासकर्ता: इसे वर्ष **2012 में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** ने विकसित किया था।

SEEA क्या है: SEEA एक **अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक** है, जो **आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों** को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य **पर्यावरण का अर्थव्यवस्था में योगदान और अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर प्रभाव** समझना है।

भारत में स्थिति: SEEA फ्रेमवर्क को पहली बार **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2018** में अपनाया था।

5.3.2. सरकार ने प्रथम "ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य" नियम अधिसूचित किए {Government Notifies First Greenhouse Gas Emission Intensity (GEI) Target Rules}

विधिक रूप से बाध्यकारी प्रथम **GEI लक्ष्य नियम, 2025** चार उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रकों, अर्थात **एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी व कागज और क्लोर-क्षार (chlor-alkali)** को लक्षित करता है।

- प्रत्येक इकाई को 2023-24 आधार रेखा की तुलना में प्रति इकाई उत्पादन में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करना होगा।
- GEI, **उत्पाद की प्रति इकाई पर उत्पन्न होने वाली GHGs की मात्रा** है। उदाहरण के लिए- सीमेंट या एल्युमिनियम जैसे उत्पाद के प्रति टन उत्पादन में मुक्त गैसें।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), 2023 के बारे में

उद्देश्य: भारत के पहले घरेलू कार्बन बाजार की स्थापना करना ताकि NDC के अनुरूप ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता को कम किया जा सके।

कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित।

संरचना: इसमें ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्यों के साथ एक **अनुपालन तंत्र** और अन्य संस्थाओं के लिए एक स्वैच्छिक **ऑफसेट तंत्र** शामिल है।

नियम क्या हैं?

- **किसके तहत जारी किए गए:** कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), 2023 के **अनुपालन तंत्र** के तहत।
- **अनुपालन लागू करने वाला निकाय:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।

* **उद्देश्य:** कार्बन-गहन क्षेत्रों में **उत्पादन** (उत्पाद के प्रति टन tCO2e) **के प्रति इकाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम** करना और **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को सुगम** बनाना।

तंत्र:

* लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने वाली **अनुपालन संस्थाएं व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र** अर्जित कर सकती हैं।
    * BEE कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
* **गैर-अनुपालन संस्थाओं (Non-compliant entities)** को अतिरिक्त प्रमाण-पत्र खरीदने होंगे या **पर्यावरण क्षतिपूर्ति** देना होगा, जो उस अनुपालन वर्ष के लिए **औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का दोगुना** होगा।

महत्त्व

* **बाजार-आधारित अनुपालन:** अर्जित क्रेडिट्स का घरेलू कार्बन बाजार में **व्यापार** किया जा सकता है।
    * ये नियम CCTS, 2023 के तहत **देश के घरेलू कार्बन बाजार को परिचालन में लाने** में सहयोग करेंगे।
* **पारदर्शिता:** भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल के तहत पंजीकरण और दस्तावेजीकरण।
* **संधारणीयता के लिए राजस्व:** पर्यावरण क्षतिपूर्ति निधियां **कार्बन बाजार अवसंरचना** का समर्थन करती हैं।
* **भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन:** ये नियम **पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं** का समर्थन करते हैं।

5.3.3. ओज़ोन प्रदूषण (Ozone Pollution)

CPCB की एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि देश में **ओज़ोन (O_3) प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)** है। इसके बाद दूसरे स्थान पर **मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR)** है।

ओज़ोन के बारे में

* **ओज़ोन ऑक्सीजन का एक रूप है, जो ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर** बनी है। यह वायुमंडल की दो परतों में पाई जाती है: **समताप मंडल (ऊपरी परत)** और **क्षोभमंडल** (भूमि की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर तक)।
    * **समताप मंडल** में मौजूद ओज़ोन परत पृथ्वी पर जीवन को **सूर्य की पराबैंगनी किरणों** से बचाती है।
    * **क्षोभमंडल** में, यह एक **वायु प्रदूषक** है।
* सुरक्षित ओज़ोन स्तर **आठ घंटे के लिए 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m³) और एक घंटे की सीमा 180 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर** है।

धरातलीय या क्षोमंडलीय ओज़ोन (Ground-level Ozone) के बारे में

* क्षोमंडलीय ओज़ोन एक **द्वितीयक और वायुमंडल में कम समय तक रहने वाला प्रदूषक** है। यह वातावरण में **केवल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह** तक ही मौजूद रहती है।
* **उत्तरदायी कारक:** यह **नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC)** के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बनती है।
    * **मानव-निर्मित स्रोत:** परिवहन, विद्युत संयंत्र, घरेलू गतिविधियां, कृषि संबंधी गतिविधियां आदि।
    * **प्राकृतिक स्रोत:** NOx का मृदा-आधारित उत्सर्जन, वनाग्नि के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और जैवमंडलीय मीथेन उत्सर्जन आदि।

5.3.4. नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज (Natpolrex)

भारतीय तटरक्षक (ICG) बल ने NATPOLREX का 10वां संस्करण प्रारंभ किया।

- NATPOLREX **दो वर्षों में एक बार** आयोजित होने वाला प्रमुख अभ्यास है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय तैयारियों का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना है, ताकि **समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं के मामले में प्रभावी कार्रवाई** की जा सके।

5.3.5. बिहार में नए रामसर स्थल (New Ramsar Sites in Bihar)

बिहार में **गोकुल जलाशय और उदयपुर झील** को नए रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया।

- इन दोनों को मान्यता मिलने के बाद, अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या **93** हो गई हैं। ये कुल **13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल** में विस्तृत हैं।
- बिहार में पहले से ही **तीन रामसर स्थल बेगूसराय की काबर झील (काबर ताल)** तथा **जमुई** जिले के **नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य** हैं।

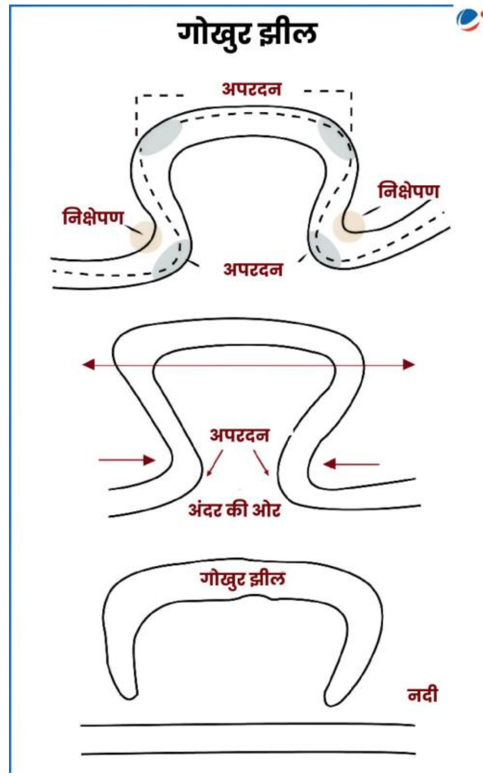

नई आर्द्रभूमियों के बारे में

- दोनों आर्द्रभूमियां **गोखुर (oxbow) झीलें** हैं।
  - **गोखुर झील** अर्धचंद्राकार झील होती है, जो किसी **घुमावदार नदी के किनारे निर्मित** होती है।
- **गोकुल जलाशय, बक्सर** जिले में **गंगा नदी** के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है।
- **पश्चिम चंपारण** जिले में अवस्थित **उदयपुर झील उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य** से घिरी हुई है।
  - यह कई प्रवासी पक्षियों विशेषकर **पोचार्ड (अयथ्या फेरिना)** जैसे पक्षियों के लिए, एक महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्राम स्थल है।

रामसर अभिसमय (आर्द्रभूमियों पर अभिसमय) के बारे में

- रामसर अभिसमय को **1971 में अपनाया** गया था।
- यह **यूनेस्को** के तहत एक अंतर-सरकारी संधि है।
- **उद्देश्य:** यह संधि **आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग** के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- **मानदंड:** रामसर स्थल घोषित होने के लिए एक आर्द्रभूमि को 9 मानदंडों में से कम-से-कम 1 मानदंड को पूरा करना होता है।
  - जैसे कि नियमित रूप से **20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैव विविधता का संरक्षण** करना आदि।
- भारत ने **1982 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि** की थी।

5.3.6. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न पहलों की शुरुआत की (Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change Launches Multiple Initiatives)

प्रजातियों के संरक्षण और वन्यजीव-मानव संघर्ष प्रबंधन के लिए प्रारंभ की गई 5 पहलें निम्नलिखित हैं:-

पहलें	विवरण
प्रोजेक्ट डॉल्फिन (चरण-II): पूरे भारत में **नदी और समुद्री दोनों प्रकार की सिटासियन** (डॉल्फिन, व्हेल आदि) के संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन।	• भारत में **गंगा और सिंधु** नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं। **गंगा डॉल्फिन को 'राष्ट्रीय जलीय जीव'** घोषित किया गया है। • **संरक्षण स्थिति (दोनों प्रजातियां): एंडेंजर्ड (IUCN) और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I** में सूचीबद्ध। Digital Current Affairs नदी डॉल्फ़िन पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।
प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर (भालू): स्लॉथ बेयर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन रूपरेखा की शुरुआत।	• यह मुख्य रूप से **भारत, नेपाल और श्रीलंका** में पाए जाते हैं। • **संरक्षण स्थिति:** वल्नरेबल (IUCN) और **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I** में सूचीबद्ध। • यह मुख्य रूप से **दीमक और चीटियों** को अपना आहार बनाता है। • अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत, यह प्रजाति अपने **शावकों को अपनी पीठ** पर लेकर चलती है।
प्रोजेक्ट घड़ियाल: घड़ियालों के संरक्षण के लिए **कार्यान्वयन कार्य-योजना** का शुभारंभ।	• **घड़ियाल** मुख्य रूप से **नेपाल और भारत** में पाए जाते हैं। • **संरक्षण स्थिति:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड (IUCN) और **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I** में सूचीबद्ध। • नर घड़ियाल की थूथन के सिरे पर 'घुंडी' (**बल्बनुमा उभार**) जैसी संरचना होती है। इससे उन्हें तेज आवाज निकालने में मदद मिलती है।
टाइगर रिज़र्व से बाहर के बाघ: संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मानव-बाघ संघर्ष का निवारण करने के लिए एक परियोजना। इसमें **भू-दृश्य दृष्टिकोण, तकनीकी हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और सामुदायिक समर्थन** का उपयोग किया जाएगा।	• बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में पाए जाते हैं। • **संरक्षण स्थिति:** एंडेंजर्ड (IUCN) और **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I** में सूचीबद्ध। • उनकी व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट धारियां प्रत्येक बाघ को **पहचानने योग्य** बनाती हैं।
मानव–वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE–HWC):	• **मानव-वन्यजीव संघर्षों** के लिए **नीति, अनुसंधान और क्षेत्र-आधारित शमन** का समर्थन करने हेतु SACON में एक **समर्पित राष्ट्रीय केंद्र** की स्थापना की जाएगी।

5.3.7. वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) 2025 {Global Forest Resources Assessment (GFRA) 2025}

GFRA रिपोर्ट **प्रत्येक पांच वर्षों** में **FAO** द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट **इंडोनेशिया के बाली में ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव (GFOI) के पूर्ण सत्र** के दौरान प्रकाशित किया गया।

- GFOI, **ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्ज़र्वेशन्स (GEO)** का एक प्रमुख कार्यक्रम है। GEO एक ऐसा नेटवर्क है, जिसमें **सरकारें, शैक्षणिक संस्थान, संगठन, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रक** शामिल हैं। इसका उद्देश्य **अर्थ इंटेलिजेंस क्षमता** का उपयोग करना है।
    - **भारत** GEO का **सदस्य** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **वन क्षेत्र का विस्तार:** वन **4.14 बिलियन हेक्टेयर** या वैश्विक भू-क्षेत्र के **32% भाग** पर विस्तृत हैं।
    - **विश्व के लगभग आधे वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** में हैं। इसके बाद **बोरियल, समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** का स्थान आता है।
    - **यूरोप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है,** जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का **25%** है।
- **भारत में वन विस्तार: वैश्विक स्तर पर कुल वन क्षेत्र** के मामले में भारत एक स्थान बढ़कर **9वें स्थान** पर पहुंच गया है। इस प्रकार भारत में **वैश्विक वन क्षेत्र का मात्र 2%** मौजूद है।
    - **रबड़ बागान** के मामले में भारत **5वें स्थान** पर है।
- **वनों की कटाई और विस्तार:** वर्ष 2015-2025 के दौरान वनों की कटाई धीमी होकर **10.9 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष** हो गई, जो 1990-2000 में **17.6 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष** थी।
- **प्राकृतिक पुनर्बहाली:** विश्व के **90% से अधिक वन** प्राकृतिक रूप से पुनर्बहाल हो रहे हैं।
- **कार्बन स्टॉक:** वनों में मौजूद कार्बन स्टॉक में **वृद्धि** हुई है, जो **714 गीगाटन** तक पहुंच गया है। इसमें सर्वाधिक कार्बन स्टॉक **मृदा** में मौजूद है। इसके बाद **जीवित बायोमास, सूखी पत्तियां, मृत वृक्षों की लकड़ी** इत्यादि का स्थान है।
- **मुख्य समस्या: उपोष्णकटिबंधीय** क्षेत्रों में मौजूद वनों के समक्ष **वनाग्नि** एक मुख्य समस्या है, जबकि **कीट, रोग और खराब मौसम** मुख्य रूप से **शीतोष्ण एवं बोरियल (उदीच्य या उत्तरी) क्षेत्रों** को प्रभावित करते हैं।

5.3.8. वनों के लिए वित्त की स्थिति 2025 (State of Finance for Forests 2025)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने पहली **'वनों के लिए वित्त की स्थिति 2025'** रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 2023 में सार्वजनिक और निजी स्रोतों से **वन वित्त-पोषण** की वैश्विक स्थिति प्रदान करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **वित्त-पोषण में भारी कमी:** रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान वित्त-पोषण और 2030 तक **वैश्विक वन लक्ष्यों** को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश के बीच **216 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक अंतर मौजूद** है।
- वर्ष 2023 में वन वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत **सरकारें** थीं, जिनका कुल वित्त-पोषण में **91%** योगदान था।

5.3.9. IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस (IUCN World Conservation Congress)

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की **"विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025" अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात)** में संपन्न हुई।

- विश्व संरक्षण कांग्रेस **प्रत्येक चार वर्ष** में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें **सदस्यों की सभा** होती है, जो IUCN की **सर्वोच्च निर्णय निर्माणकारी संस्था** है।

IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के बारे में

HQ ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड।

उद्भव: 1948 में स्थापित, IUCN वर्तमान में **विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविधता वाला पर्यावरणीय नेटवर्क** है।

सदस्यता: 1,400 से अधिक सदस्य (राष्ट्र, गैर-सरकारी संगठन और अनुसंधान संस्थान)। **भारत भी इसका सदस्य है।**

शासन व्यवस्था: IUCN की सर्वोच्च शासी संस्था "विश्व संरक्षण कांग्रेस (World Conservation Congress)" है, जबकि **IUCN परिषद** इसके विभिन्न सत्रों के बीच प्रमुख निकाय के रूप में कार्य करती है।

मुख्य प्रकाशन: IUCN रेड लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, द वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज।

सदस्यों की सभा में प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव

- **अबू धाबी कॉल टू एक्शन: इसके तहत निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में कार्यों को संपन्न करना है-**
  - प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना,
  - बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना,
  - न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना,
  - ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, तथा
  - प्रकृति और जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधनों को बढ़ाना।
- **नए सदस्य:** IUCN में **100 से अधिक** नए सदस्य शामिल किए गए। इनमें 6 नए देश **आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबॉन, तुवालु और जिम्बाब्वे** हैं।
- **सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति:** इस नीति में कहा गया कि **सिंथेटिक बायोलॉजी** से बड़े लाभ मिल सकते हैं, जैसे लुप्त आनुवंशिक विविधता को पुनर्स्थापित करना या आक्रामक विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित करना। हालांकि, इससे **अनचाहे पारिस्थितिक दुष्प्रभावों** का खतरा भी है। इसलिए, एक संतुलित नीति आवश्यक है।
- **पारिस्थितिकी संहार (Ecocide) का अपराध:** पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को **अंतर्राष्ट्रीय अपराध** के रूप में मान्यता दी गई। ऐसे अपराधों पर सुनवाई **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)** के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आएगी।

5.3.10. संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट का अद्यतन (Update to IUCN Red List of Threatened Species)

IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस ने संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट का अद्यतन किया गया है। इस अद्यतन में **12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव** किया गया है। **आठ प्रजातियों की श्रेणी** में सुधार हुआ है, जो उनके संरक्षण में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। वहीं **चार प्रजातियों को पहले से अधिक संकटग्रस्त श्रेणी** में शामिल किया गया है।

- **जिन चार प्रजातियों के संरक्षण में गिरावट आई है, उनमें शामिल हैं-**
  - **इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर और रूफस-टेल्ड लार्क को "नियर थ्रेटेन्ड"** सूची में शामिल किया गया है।
  - **लॉन्ग-बिल्ड ग्रासहॉपर-वार्बलर को 'एंडेंजर्ड'** सूची में शामिल किया गया है।
- ये सभी चार प्रजातियां **खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्रों** पर निर्भर करती हैं। इनमें घास के मैदान, अर्ध-शुष्क भू-परिदृश्य, मरुस्थल, कृषि भूमि, पहाड़ी झाड़ियां और परती भूमि जैसे पर्यावास शामिल हैं।
  - **इन पारिस्थितिकी-तंत्रों के समक्ष खतरे:** इनमें विद्युत से संबंधित अवसंरचना का विस्तार, गहन कृषि का प्रसार, आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश तथा वनरोपण के माध्यम से घास के मैदानों को वनों में बदलना शामिल है।

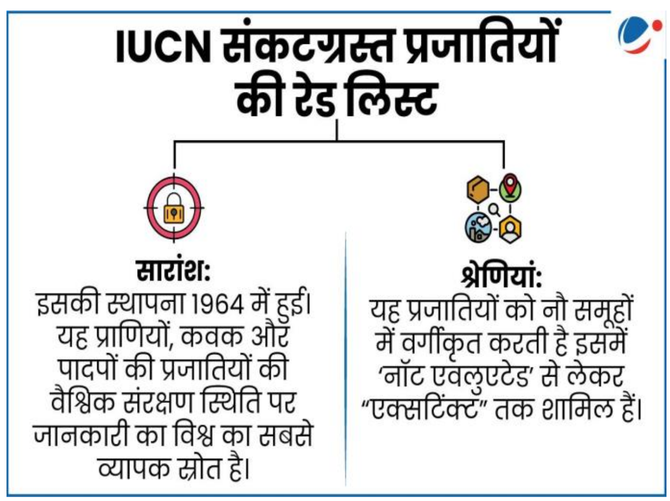

IUCN रेड लिस्ट में अद्यतन

- **विश्व स्तर पर पक्षी प्रजातियों में से आधे से अधिक की संख्या में कमी** आ रही है। इसका मुख्य कारण **पर्यावास की हानि व क्षरण है, जो कृषि विस्तार एवं गहन कृषि तथा वृक्षों की कटाई** के कारण हो रहा है।
  - पक्षी **पारिस्थितिकी-तंत्र और लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।** पक्षी परागणकर्ता, बीज फैलाने वाले, कीट नियंत्रक, सफाईकर्ता (Scavengers) और पारिस्थितिकी-तंत्र के इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं।
- **आर्कटिक सील की तीन प्रजातियां विलुप्त होने के निकट** पहुंच गई हैं। इसके लिए जिम्मेदार प्राथमिक खतरा **वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण समुद्री हिम का पिघलना** है।
  - **सील, एक कीस्टोन प्रजाति है।** यह खाद्य जाल में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह मछली और अकशेरुकी जीवों को अपना आहार बनाती है तथा पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है।

- **हरा समुद्री कछुआ भी एक कीस्टोन प्रजाति** है। इस प्रजाति के लिए किए गए संरक्षण संबंधी निरंतर प्रयासों के कारण इसकी संरक्षण स्थिति **एंडेंजर्ड से लिस्ट कंसर्न** में सूचीबद्ध हो गई है।

5.3.11. बाघों के लिए पहला IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज आकलन जारी किया गया (First IUCN Green Status of Species Assessment for The Tiger Released)

इस आकलन में **बाघों की संख्या को 'क्रिटिकली डिपलेटेड'** श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह बाघों के समक्ष मौजूद गंभीर ऐतिहासिक और वर्तमान खतरों को दर्शाता है।

- इन खतरों में पर्यावास क्षति, शिकार आधार में कमी, अवैध शिकार और क्षेत्रीय स्तर पर विलुप्ति शामिल हैं।

इस आकलन के मुख्य बिंदु

- **बाघों की संख्या:** इसमें गिरावट हो रही है {वर्तमान अनुमान (वयस्क बाघ) - 2608-3905}।
    - जिन **24 क्षेत्रों** का आकलन किया गया है, उनमें से **9 क्षेत्रों** में बाघ अब **एक्सटिंक्ट** हो चुके हैं। साथ ही, जहां बाघ अभी भी मौजूद हैं, वहां भी **थ्रेटेनेड** स्थिति में हैं।
- **अभी तक किए गए संरक्षण प्रयासों के प्रभाव और पुनर्प्राप्ति क्षमता की स्थिति:** यह क्रमशः **उच्च** एवं **मध्यम** है।

IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज के बारे में

- इसे **2012** में शुरू किया गया था। यह **IUCN रेड लिस्ट में दर्ज संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची** पर आधारित है।
    - इसे **2020** में IUCN की रेड लिस्ट आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया था।
- यह **प्रजातियों की समष्टि की पुनर्प्राप्ति; उनके विलुप्त होने के जोखिम और साथ ही साथ संरक्षण प्रयासों के प्रभाव** का आकलन करने के लिए एक साधन भी प्रदान करता है।
- **श्रेणियां:** इसमें लार्जली डेप्लेटेड, मॉडरेटली डेप्लेटेड, स्लाइटली डेप्लेटेड, फुली रिकवर्ड आदि शामिल हैं।

ग्रीन स्टेटस कैसे किसी प्रजाति की पुनर्प्राप्ति को निर्धारित करता है?

- कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड (पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त) हो जाती है यदि:
    - वह **अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों** में मौजूद है (मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित);
    - वह अपने पूरे पर्यावास में **व्यवहार्य समष्टि में मौजूद है** (विलुप्त होने का खतरा नहीं है);
    - वह अपने पर्यावास के सभी भागों में **पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न** करती है आदि।
- इन सभी कारकों के आधार पर **"ग्रीन स्कोर" (0-100%)** प्रदान किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति **फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त होने के कितने निकट** है।

बाघ (Panthera tigris) के बारे में

- बाघ विश्व का **सबसे बड़ा बनबिलाव है।**
- विश्व में वनों में मौजूद बाघों की लगभग **75%** समष्टि भारत में है।
- **प्राकृतिक पर्यावास वाले देश:** बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, आदि।
- **पर्यावास:** वन, सवाना, झाड़ीदार भूमि, घास के मैदान, आर्द्रभूमि (अंतर्देशीय), आदि।
- **संरक्षण स्थिति:**
    - **IUCN लाल सूची:** एंडेंजर्ड।
    - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I में सूचीबद्ध।
    - **CITES:** परिशिष्ट I में सूचीबद्ध।

5.3.12. भारत में हाथियों की स्थिति: हाथियों का DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान (SAIEE) 2021-25 {Status of Elephants in India: DNA Based Synchronous All India Population Estimation of Elephants (SAIEE) 2021-25}

SAIEE **भारत में हाथियों की DNA आधारित पहली गणना** है। यह गणना **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' के तत्वावधान में भारतीय वन्यजीव संस्थान** द्वारा की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- इसके अनुसार **एशियाई हाथियों की कुल समष्टि 22,446 है।** वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या **भारत** में है, जो एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक समष्टि का लगभग **60%** है।
- वर्तमान में, वनों में रहने वाले हाथी मुख्य रूप से निम्नलिखित चार वन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं:
    - **हिमालय की तलहटी, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व-मध्य भारत और पश्चिमी/ पूर्वी घाट** के साथ **अंडमान द्वीप समूह** में भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं।
        - **वनों में रहने वाले हाथियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिमी घाट** में पाई जाती है। इसके बाद **पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों** का स्थान आता है।
- राज्यों में एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य **कर्नाटक** है। उसके बाद **असम, तमिलनाडु और केरल** का स्थान है।
- **एशियाई हाथियों के समक्ष खतरे:**
    - **घटता पर्यावास क्षेत्र और विखंडन:** हाथियों की समष्टि **पश्चिमी घाट** में सभी जगह पाई जाती थी, लेकिन निम्नलिखित कारणों से उनकी समष्टि अलग-थलग हो रही है-
        - वाणिज्यिक बागानों (कॉफी और चाय) का विस्तार;
        - आक्रामक पादपों का प्रसार;
        - कृषि भूमि पर बाड़ लगाना;
        - मानव अतिक्रमण और तेजी से बढ़ती विकासात्मक परियोजनाएं जैसे- **भूमि उपयोग में बदलाव** आदि।
    - **मानव-हाथी संघर्ष:** ये घटनाएं **मध्य भारत और पूर्वी घाट** में तेजी से बढ़ रही हैं।
    - **रैखिय अवसंरचना:** सड़कें, रेलवे लाइनें और बिजली की तारें वनों में मौजूद वन गलियारों को बाधित करती हैं। इससे हाथियों को अपने प्राकृतिक रास्तों को पार करने में समस्या होती है और कई बार वे करंट लगने या ट्रेन/ वाहनों से टकराने के कारण मारे भी जाते हैं।
- **सिफारिशें:** इनमें वन्य गलियारों और कनेक्टिविटी को मजबूत करना, पर्यावास की पुनर्बहाली करना, संरक्षण रणनीतियों में आवश्यक सुधार करना और विकास परियोजनाओं का शमन करना आदि शामिल हैं।

एशियाई हाथी के बारे में

- यह **एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी** है। ये 13 देशों में शुष्क से लेकर आर्द्र वन और घास के मैदानों में पाए जाते हैं।
- **विशेषताएं:**
    - ये **जटिल सामाजिक संरचना** वाले समूह में रहते हैं, जिसका नेतृत्व **सबसे बुजुर्ग मादा हथिनी** करती है। इसे स्थानीय लोग **कुलमाता** (matriarch) भी कहते हैं।
    - किसी भी स्तनधारी की तुलना में इनका **गर्भकाल सबसे लंबा होता है, जो 22 माह** का होता है।
- **पारिस्थितिकी-तंत्र में हाथियों की भूमिका:** इसमें सघन वनों में अन्य प्राणियों के लिए मार्ग बनाना; सूक्ष्म पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण करना; तथा वन विविधता को बनाए रखते हुए बीज फैलाव करना आदि शामिल है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
    - **IUCN लाल सूची:** एंडेंजर्ड।
    - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972:** अनुसूची I में सूचीबद्ध।
    - **CITES:** परिशिष्ट I में सूचीबद्ध।

5.3.13. भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स) {Indian Wolf (Canis Lupus Pallipes)}

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने पहली बार **भारतीय भेड़िये का कैनिस वंश** के भीतर एक संभावित **अलग प्रजाति** के रूप में मूल्यांकन किया।

- इस वंश की वर्तमान में **IUCN** द्वारा मान्यता प्राप्त **सात प्रजातियां हैं।** भारतीय भेड़िये को शामिल करने के बाद, यह **आठवीं मान्यता प्राप्त प्रजाति** बन जाएगी।

भारतीय भेड़िये के बारे में

- **पर्यावास:** यह **कांटेदार व सामान्य झाड़ियों वाले जंगलों, तथा शुष्क और अर्ध-शुष्क घासभूमियों** में पाया जाता है। कुछ **पाकिस्तान** में भी पाए जाते हैं।
    - यह भारत के **अर्ध-शुष्क कटिबंध में कृषि-पशुपालन क्षेत्रों** में पाए जाने वाले **सामान्य बड़े मांसाहारी** प्राणियों में से एक है।
- **खतरे:** पर्यावास क्षति, मनुष्यों के साथ संघर्ष और रोग।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN- **वल्नरेबल।**

5.3.14. ऊंटों पर ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर में 'राष्ट्रीय ऊंट संधारणीयता पहल (NCSI)' का प्रस्ताव किया गया {Draft Policy Paper on Camels Proposes National Camel Sustainability Initiative (NCSI)}

यह ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** के परामर्श से **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** ने तैयार किया है।

ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर के मुख्य बिंदु

- **1970** के दशक से अब तक भारत में ऊंटों की समष्टि में **75% से अधिक की गिरावट** आई है।
- **ऊंटों की समष्टि में गिरावट के कारण:**
    - पारंपरिक रूप से चली आ रही उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी;
    - चरागाह भूमि की हानि;
    - पर्यावरणीय दबाव (मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियां, लंबे समय तक सूखा पड़ना आदि);
    - प्रतिबंधात्मक विधिक तंत्र;
    - ऊंट आधारित उत्पादों के लिए अविकसित बाजार।
- **रणनीतिक सिफारिशें:**
    - राष्ट्रीय ऊंट संधारणीयता पहल (NCSI) शुरू करना;
    - चराई के लिए चरागाह भूमि को सुरक्षित करना;
    - ऊंट आधारित डेयरी संबंधी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना;
    - ऊंट आधारित पर्यटन को पुनर्जीवित करना;
    - पशु चिकित्सा और आनुवंशिक संरक्षण कार्यक्रम शुरू करना आदि।

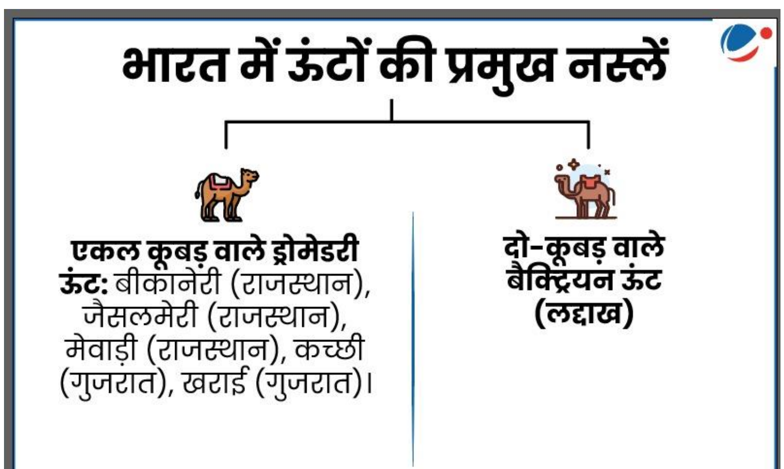

ऊंट के बारे में

- इसे **"रेगिस्तान का जहाज"** भी कहा जाता है। ऊंट **शुष्क भूमि संबंधी पारिस्थितिकी-तंत्र के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होते हैं। ऊंट पालन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात (90%)** में किया जाता है।
    - ऊंट पालन से जुड़े **पशुपालक समुदायों में रायका, रबारी, फकीरानी जाट और मांगणियार** समुदाय शामिल हैं।
- **इनकी विशेषताएं:** ये बिना जल के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं; ये लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं; ये कांटेदार रेगिस्तानी पौधों को खा सकते हैं आदि।

   ○ **ऊंटों के कूबड़ में वसा का भंडार** होता है, जो उन्हें **भोजन की कमी होने पर ऊर्जा** प्रदान करता है। साथ ही, ऊंट अपने कूबड़ में नहीं बल्कि **रक्त कोशिकाओं में जल जमा** करते हैं।
- **ऊंटों की भूमिका:**
   ○ **पारिस्थितिक भूमिका:** इनके द्वारा जल की कम खपत; चरने संबंधी चयनात्मक व्यवहार; और मुलायम पैर वनस्पति विविधता को बनाए रखने तथा मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं।
      ▪ ऊंट का गोबर **शुष्क क्षेत्रों में मृदा को समृद्ध** बनाता है।

5.3.15. IUCN ने भारत के डुगोंग संरक्षण रिज़र्व को मान्यता प्रदान की (India's Dugong Conservation Reserve Recognized by IUCN)

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने **IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025** के अवसर पर **भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिज़र्व** को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। यह संरक्षण रिज़र्व **पाक की खाड़ी (तमिलनाडु)** में अवस्थित है।

- डुगोंग (डुगोंग डुगोन) के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, IUCN ने भारतीय मॉडल को हिंद महासागर के अन्य हिस्सों एवं विश्व के अन्य इसी तरह के पर्यावासों में भी अपनाने की सलाह दी है।

डुगोंग संरक्षण रिज़र्व के बारे में

- इसे वर्ष 2022 में **तमिलनाडु** सरकार ने **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत स्थापित किया था।
- यह **पाक खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र** में विस्तृत है।
- यहां **12,250 हेक्टेयर** से अधिक क्षेत्र में **समुद्री घास** पारितंत्र मौजूद हैं।
   ○ **समुद्री घास** कई अन्य **समुद्री प्रजातियों** का भी पोषण करती है, जिससे यह रिज़र्व पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।
   ○ समुद्री घास **कार्बन प्रच्छादन (Carbon sequestration)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डुगोंग या समुद्री गाय के बारे में

- **मुख्य विशेषता:** यह एकमात्र **समुद्री शाकाहारी स्तनधारी** है, जो पूरी तरह से **समुद्री घास** पर निर्भर है।
- **वितरण:** भारत में, **पाक खाड़ी (जहां इनकी संख्या सर्वाधिक है) के अलावा यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी** आदि में भी पाया जाता है।
- **समष्टि :** अनुमानित संख्या लगभग **200** है।
- **खतरा:** पर्यावास का नष्ट होना, शिकार और अनजाने में पकड़ लिया जाना।
- **स्थिति:**
   ○ **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** वल्नरेबल।
   ○ **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** की **अनुसूची-I** में सूचीबद्ध।

5.3.16. मध्य एशियाई स्तनपाई पहल {Central Asian Mammals Initiative: CAMI)

मध्य एशियाई देश **CAMI के अंतर्गत साइगा व बुखारा हिरण जैसी 17 स्तनपायी प्रजातियों के संरक्षण** हेतु एक साथ आए हैं।

मध्य एशियाई स्तनपाई पहल के बारे में

- इसे **2014** में **'वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन' के पक्षकारों के 11वें सम्मेलन (CMS-COP11)** में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** मध्य एशिया में **17 प्रमुख प्रवासी स्तनपायी प्रजातियों के संरक्षण** के प्रयासों का समन्वय करना।

5.3.17. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) कांग्रेस ने 'अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल (EW4All)' के तेजी से कार्यान्वयन का आह्वान किया {World Meteorological Organization (WMO) Congress Calls For Accelerated Implementation of Early Warnings For All (EW4ALL)}

अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल (EW4All) पहल के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य **2027 के अंत** तक जीवन रक्षक व बहु-आपदा EWS की मदद से सभी देशों की **खतरनाक मौसमी घटनाओं, जलीय विपदाओं अथवा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं से संरक्षण** करना है।
- **शुभारंभ: 2022** में **UNFCCC के COP-27** में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा।
- **संगठन:** इसका **WMO, UNDRR, ITU और IFRC** संयुक्त रूप से नेतृत्व करते हैं।
- **कवरेज:** शुरू में **30 उच्च जोखिम वाले देशों** पर केंद्रित था। अब इसका विस्तार **100 से अधिक** प्रतिभागी राष्ट्रों तक हो गया है।

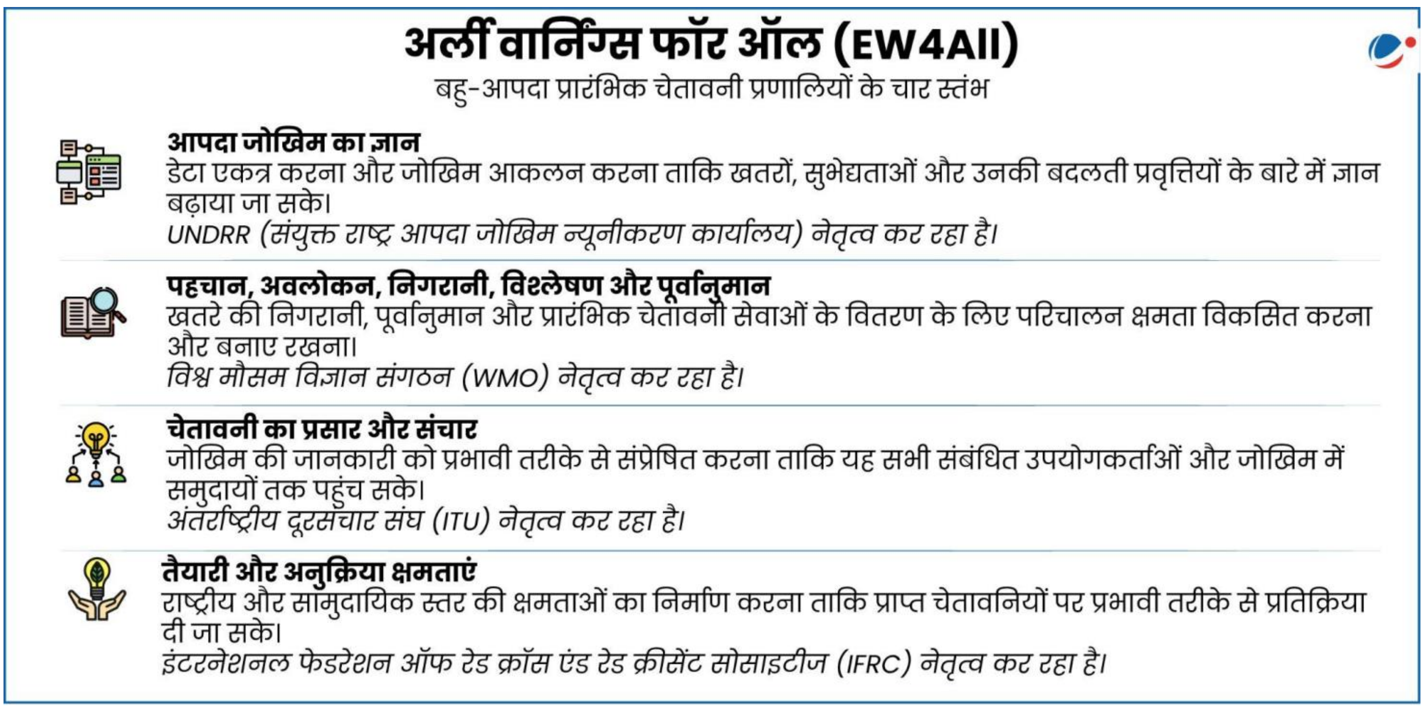

पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS) के बारे में

- यह दरअसल **संकट की निगरानी, पूर्वानुमान, आपदा जोखिम मूल्यांकन, संचार, तैयारी और प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली** है। यह व्यक्तियों व सरकारों को आपदा के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने और लोगों के जीवन, आजीविका व संपत्ति को बचाने के लिए शीघ्र एवं समय पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है।
- **EWS की आवश्यकता:**
    - यदि **24 घंटों के भीतर** प्रारंभिक चेतावनी जारी की जाती है, तो आपदा से होने वाले नुकसान को **30% तक कम** किया जा सकता है।

- जिन देशों में बहु-विपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव होता है, उन देशों में **आपदा के कारण होने वाली मृत्यु दर छह गुना अधिक** होती है तथा प्रभावित लोगों की संख्या **चार गुना अधिक** होती है।
- चरम मौसमी घटनाओं से होने वाली **आर्थिक क्षति** लगातार बढ़ रही है। 1970 के बाद से **वैश्विक स्तर पर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** का नुकसान हुआ है।

5.3.18. अरब सागर मिनी वॉर्म पूल (Arabian Sea Mini Warm Pool)

वैज्ञानिकों के हालिया अध्ययन के अनुसार **अरब सागर का मिनी वॉर्म पूल (MWP), अल नीनो** की वजह से **मानसून में आए व्यवधान को स्वतः दूर करने वाले एक तंत्र** की तरह कार्य करता है।

अरब सागर मिनी वॉर्म पूल (MWP) के बारे में

- यह अरब सागर में विशेषकर **दक्षिण-पूर्वी भाग (केरल तट के पास)** में असामान्य रूप से **'उष्ण समुद्री सतह तापमान (SST)'** का एक छोटा-सा क्षेत्र है।
    - एक **वॉर्म पूल** वास्तव में किसी जल-निकाय में बहुत गर्म जल वाला हिस्सा होता है। ऐसे हिस्से में SST आम तौर पर **28 डिग्री सेल्सियस से अधिक** होता है। यह क्षेत्रीय जलवायु और मौसम के प्रतिरूप को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - **अवधि:** यह प्रत्येक वर्ष **अप्रैल और मई** माह के दौरान, **भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून** के शुरू होने से ठीक पहले बनता है।

5.3.19. मैत्री II (MAITRI II)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने **पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री II** की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।

- यह अंटार्कटिका में भारत का **चौथा अनुसंधान केंद्र** होगा। उम्मीद है कि यह **जनवरी 2029** तक कार्य करने लगेगा।
- इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर और पवन ऊर्जा) से संचालित **हरित अनुसंधान केंद्र** के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही, यह **स्वचालित उपकरणों** से भी सुसज्जित होगा।

अंटार्कटिका क्षेत्र का महत्व

- **विश्व की प्राकृतिक प्रयोगशाला:** यह **5वां सबसे बड़ा महाद्वीप** है, जो पृथ्वी की जलवायु और महासागर प्रणालियों को समझने में बहुत मदद करता है। साथ ही, इसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन का **प्राकृतिक संकेतक** भी माना जाता है।
- **प्राकृतिक संसाधन:** यहां **पृथ्वी के ताजे जल के भंडार का लगभग 75 प्रतिशत** मौजूद है। साथ ही, यहां प्रचुर मात्रा में खाद्य योग्य शैवाल, 200 से अधिक मछली प्रजातियां तथा लौह व तांबे जैसे खनिज भी पाए जाते हैं।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** इस क्षेत्र में देशों के मध्य **क्षेत्रीय दावों** को लेकर विवाद है। साथ ही, **दोहरे उपयोग वाली अवसंरचनाओं के साथ चीन का बढ़ता प्रभाव** भी वैश्विक रूप से चिंता का विषय है।

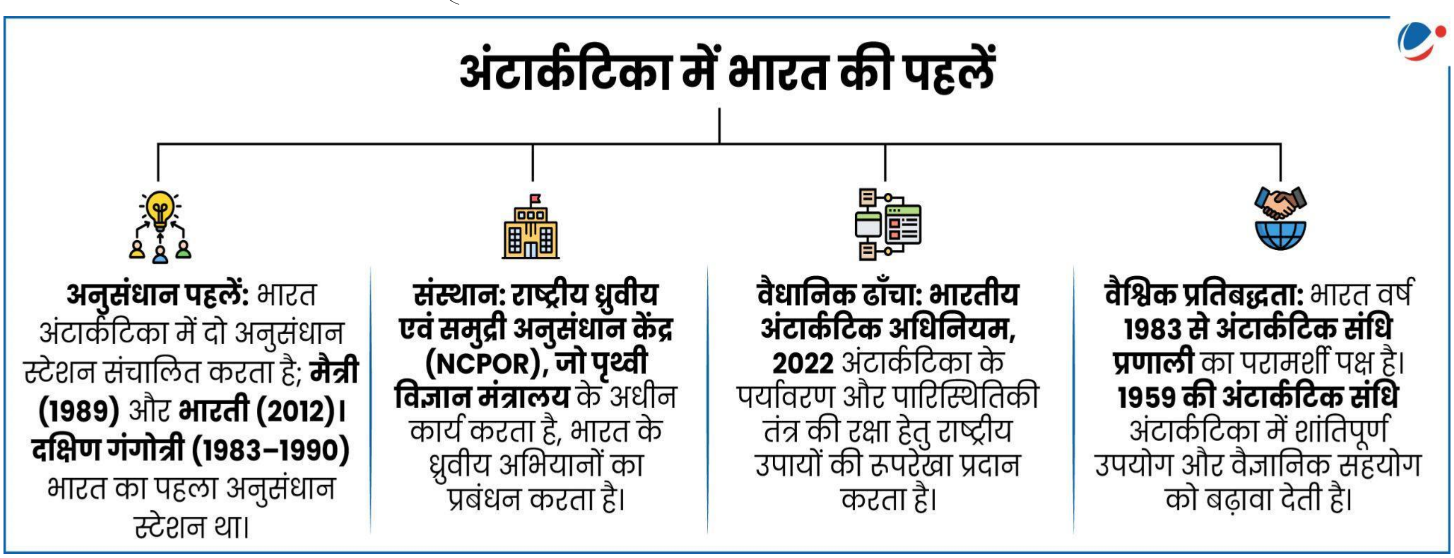

5.3.20. मड वोल्केनो (Mud Volcano)

भारत के एकमात्र **मड वोल्केनो में 20 वर्षों बाद उद्गार** हुआ है। यह **बारातांग द्वीप (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)** में स्थित है।

मड वोल्केनो के बारे में

- यह एक **भौतिक संरचना** है, जिससे **गाद (मड), जल, और गैसों** (मुख्य रूप से **मीथेन,** कभी-कभी **कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन**) के मिश्रण का पृथ्वी की सतह पर उद्गार होता है। इससे **शंकु जैसे आकार** का निर्माण होता है, जो वास्तव में ज्वालामुखियों के समान होते हैं, लेकिन इनमें से **गर्म लावा** नहीं निकलता है।
- मड वोल्केनो आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां **प्राकृतिक गैस** मौजूद होती है।
- **मड वोल्केनो का उद्गार पृथ्वी की विवर्तनिक (टेक्टोनिक) गतिविधियों या हाइड्रोकार्बन गैसों** के संचय के कारण होता है।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. सामाजिक न्याय की स्थिति (State of Social Justice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने **'द स्टेट ऑफ़ सोशल जस्टिस: ए वर्क इन प्रोग्रेस'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट **दोहा में सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन (नवंबर 2025)** से पहले जारी की गई है। यह शिखर सम्मेलन **1995 में डेनमार्क में हुए कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन** के 30 साल पूरे होने का प्रतीक है।
    - इस शिखर सम्मेलन में **सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन घोषणा-पत्र** और **कोपेनहेगन प्रोग्राम ऑफ एक्शन** को अपनाया गया था।
    - इन दस्तावेज़ों में **दस प्रमुख प्रतिबद्धताओं** का उल्लेख किया गया था। इनमें गरीबी उन्मूलन, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार प्राप्त करना तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक एकीकरण और समानता को बढ़ावा देना शामिल है।
- **2025 की रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थिति** का एक **व्यापक अवलोकन** प्रदान करती है। यह कई प्रमुख स्तंभों पर प्रगति और निरंतर बनी हुई चुनौतियों का परीक्षण करती है।

सामाजिक न्याय क्या है?

- **परिभाषा:** "यह सभी मनुष्यों को, **चाहे उनकी नस्ल, जाति, पंथ या लिंग कुछ भी हो, स्वतंत्रता और सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर की स्थिति में अपने भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास** दोनों को आगे बढ़ाने का अधिकार है"।
- यह **स्थायी समावेशी विकास, शांति और स्थिरता** के लिए **विश्वास बनाने** में मदद करता है, **वैधता को बढ़ाता है और पूर्ण उत्पादक क्षमता का उपयोग करता** है।

सामाजिक न्याय में मुख्य उपलब्धियाँ (रिपोर्ट के अनुसार)

- **चरम गरीबी में कमी:** चरम गरीबी **1995 में 39%** से घटकर **2025 में 10%** हो गई है। वहीं, कामकाजी गरीबी **28%** से गिरकर **7%** हो गई है।
- **अधिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज: इतिहास में पहली बार**, दुनिया की आधी से अधिक आबादी **कम-से-कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना** के दायरे में आती है।
- **श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतराल में कमी:** 2005 से 2025 तक यह अंतराल **26% से घटकर 24%** रह गया है।

शब्दावली को जानें

- **अत्यधिक निर्धनता:** विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन 3 डॉलर से कम पर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को **अत्यधिक निर्धनता** की श्रेणी में शामिल किया जाता है।
- **कार्यशील निर्धनता:** कार्यशील निर्धन व्यक्ति नौकरीपेशा होते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों में रहते हैं जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे है।
- **निर्वाह मजदूरी:** यह वह मजदूरी स्तर है जो एक सभ्य जीवन स्तर को वहन करने के लिए आवश्यक है।

- **असमानता में गिरावट:** मध्य-आय वाले देशों में **बढ़ती श्रमिक उत्पादकता** के कारण, 2000 के दशक की शुरुआत से देशों के बीच **असमानता कम** हो रही है।
- **बाल श्रम:** यह 1995 के **20.6% से घटकर 2024 में 7.8%** हो गया है।

भारत में सामाजिक न्याय की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- अत्यधिक निर्धनता: 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में केवल 2.3% रह गई।
- महिला श्रम बल भागीदारी: 2024 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, और यह दर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई।
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि: भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है।
- असमानता में कमी: 25.5 के गिनी स्कोर के साथ आय समानता में भारत स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।
- बुनियादी सेवाओं तक पहुँच: जैसे जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, तथा अब 15.72 करोड़ से अधिक परिवारों को नल जल से जोड़ा गया है।

हाल के समय में सामाजिक न्याय प्राप्त करने से संबंधित मुख्य चिंताएँ:

- **मूल मानवाधिकारों से संबंधित चुनौतियाँ:**
    - **वेतन असमानता:** 2025 में, पुरुषों और महिलाओं के बीच आय का अनुपात **78%** है। वर्तमान रुझानों के अनुसार, इस वेतन असमानता को दूर करने में **50-100 साल** लग सकते है।
    - **बाल श्रम: 5-17 वर्ष** की आयु के **138 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक** हैं। इनमें से लगभग **50% खतरनाक श्रम** में लगे हुए हैं।
    - **जबरन श्रम: 2016 से 2021 के बीच जबरन मज़दूरी में लगे लोगों की संख्या 24.9 मिलियन से बढ़कर 27.6 मिलियन हो गई है।**
- **अवसरों की समानता से संबंधित चुनौतियाँ:**
    - **असमानता:** आबादी का **शीर्ष 1%** अभी भी **20% आय** और **38% धन** को नियंत्रित करता है।
    - **अनौपचारिक रोज़गार:** कुल रोजगार में इसका हिस्सा लगभग **58%** है।
    - **बुनियादी सेवाओं तक पहुंच:** उदाहरण के लिए, **4 में से 1 व्यक्ति** की **स्वच्छ पानी** तक पहुंच नहीं है।
- **न्यायोचित बदलाव से संबंधित चुनौतियाँ:**
    - **पर्यावरण संक्रमण:** वैश्विक तापमान परिवर्तन को अधिकतम **2°C तक सीमित करने** के लिए आवश्यक उपायों से लगभग **6 मिलियन नौकरियों** का नुकसान हो सकता है। मुख्य रूप से यह नुकसान **जीवाश्म ईंधन क्षेत्र** से जुड़ी नौकरियों का होगा।
    - **डिजिटल बदलाव:** नवीनतम ILO शोध से पता चलता है कि **जनरेटिव AI** की वजह से लगभग **चार में से एक नौकरी** रूपांतरित होने की संभावना है।
    - **जनसांख्यिकीय बदलाव:** श्रम बाजारों में सुधार करना, उत्पादकता बढ़ाना और बेहतर रोज़गार तक पहुंच प्रदान करना **(अधिकांश निम्न- और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में)** महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसके साथ ही, **उच्च और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों** का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है।

सामाजिक न्याय के लिए मुख्य पहलें

- **वैश्विक:**
    - **सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन:** इसे **ILO** द्वारा **2023** में लॉन्च किया गया था। यह पहल सामाजिक न्याय के लिए सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ता संगठनों और अन्य भागीदारों को एक साथ लाती है।
    - **सभ्य कार्य एजेंडा:** ILO का सभ्य कार्य एजेंडा सभी लोगों के लिए **उचित आय, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा** के साथ **उत्पादक कार्य** प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ावा देता है।
    - **न्यायोचित वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा-पत्र:** इसे **2008** में अपनाया गया था। यह घोषणा-पत्र सभ्य कार्य एजेंडा को ILO की नीतियों के **केंद्र** में लाता है।
    - **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948):** इसके तहत उन **मौलिक मानवाधिकारों** की घोषणा की गई है, जिन पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हैं।
    - **अन्य पहलें: आर्थिक,** सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966), भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन (G20), सतत विकास लक्ष्य (SDGs), आदि।

- **भारत:**
    - **संवैधानिक उपाय:** उदाहरण के लिए- संविधान की **प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** सुनिश्चित करती है; **मूल अधिकार** (उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 23), **राज्य की नीति के निदेशक तत्व** (अनुच्छेद 38), आदि।
    - **विधायी उपाय:** उदाहरण के लिए- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016, SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, आदि।
    - **संस्थागत उपाय:** उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), आदि।
    - **कल्याणकारी उपाय:** उदाहरण के लिए- PM आवास योजना, आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), आदि।

आगे की राह

- **न्यायपूर्ण वितरण**
    - **सामूहिक सौदेबाजी** के अधिकार को प्रभावी ढंग से मान्यता दी जाए। **न्यूनतम वेतन नीतियों** को अपडेट किया जाए और **ILO के सिद्धांतों** के अनुरूप वेतन-निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से **जीवन निर्वाह योग्य वेतन** तय करने की प्रक्रिया लागू की जाए।
    - **भेदभाव-रोधी नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ाई** जाए और **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की संधारणीयता, कवरेज और पर्याप्तता** को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **अवसरों की समानता**
    - प्रशिक्षण और श्रम मध्यस्थता सहित **सक्रिय श्रम बाजार नीतियों (ALMPs)[16] को मजबूत किया जाना चाहिए।**
    - **टिकाऊ उद्यम उपायों** का समर्थन करना तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए **औपचारिकता के तरीकों** की पेशकश करना।
    - **सतत उद्यम को बढ़ावा दिया जाए** और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए औपचारिकता के मार्ग पेश किए जाने चाहिए।
    - सरकार को **रोजगार सब्सिडी**, जैसे कि **वेतन सब्सिडी** और **भर्ती प्रोत्साहन** प्रदान करना चाहिए।
    - **सुव्यवस्थित लोक रोज़गार कार्यक्रमों** को लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत का **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)**।
- **न्यायोचित बदलाव**
    - **क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियां** अपनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए- उन भौगोलिक क्षेत्रों में **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश** करना जहाँ अन्य ऊर्जा उत्पादन कम हो गया है।
    - बुजुर्ग श्रमिकों को बनाए रखने और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए **आंशिक सेवानिवृत्ति** और **आयु-आधारित भेदभाव-विरोधी कानून** आवश्यक हैं।
    - **परिवार के** बुजुर्ग **सदस्यों की देखभाल** के लिए **सवैतनिक अवकाश के प्रावधानों** का विस्तार करना चाहिए।

निष्कर्ष

गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और लैंगिक समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, **सामाजिक न्याय अब भी अधूरी प्रक्रिया** है। प्रगति को बनाए रखने के लिए, देशों को संरचनात्मक असमानताओं को कम करने, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि **आर्थिक संवृद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमा और अवसर लेकर आए।**

16 Active labour market policies

6.2. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index: GHI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI), 2025 में भारत को **'गंभीर' श्रेणी** में रखा गया है।

GHI के बारे में

- यह सूचकांक **आयरिश मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्डवाइड** और **जर्मन सहायता एजेंसी वेल्टहंगरहिल्फ (FAO, यूनिसेफ, WHO, IFPRI के साथ)** द्वारा जारी किया गया है।
- इस सूचकांक का **उद्देश्य पोषण और मृत्यु दर संकेतकों** का उपयोग करके **वैश्विक स्तर पर भुखमरी की निगरानी करना** है।
- प्रत्येक देश का GHI स्कोर एक फॉर्मूले के आधार पर **चार संकेतकों** को मिलाकर निकाला जाता है (चित्र देखें):
  - **अल्पपोषण:** अपर्याप्त कैलोरी का सेवन;
  - **बाल ठिगनापन:** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुपात में कम है;
  - **बाल दुबलापन:** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन उनकी आयु के अनुपात में कम है;
  - **बाल मृत्यु दर:** ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु उनके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है।

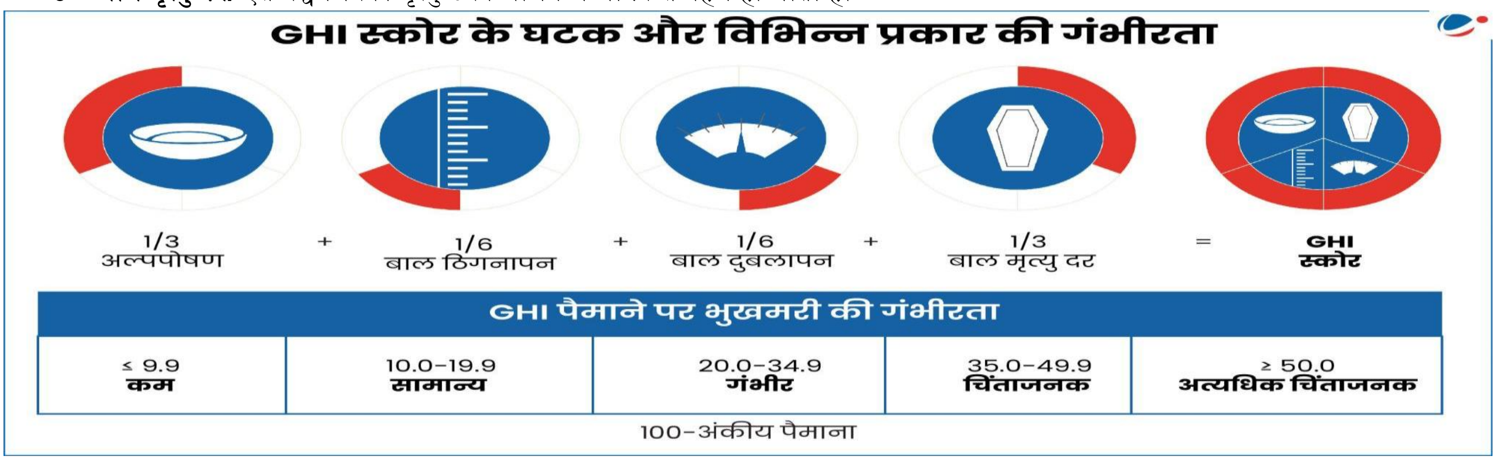

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
  - **भारत की स्थिति:** GHI स्कोर **25.8** के साथ 123 देशों में भारत को **102वाँ** स्थान मिला है, जिसे **'गंभीर' (serious)** श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
  - **बाल पोषण संकट: 3 में से 1 भारतीय बच्चा बाल ठिगनेपन** का शिकार है। **172 मिलियन लोग** अल्पपोषण से प्रभावित है, जो 2016 की तुलना में **13.5 मिलियन अधिक** है।
- **वैश्विक निष्कर्ष:**
  - **शून्य भुखमरी प्राप्त करना:** वर्तमान प्रगति के आधार पर, **SDG-2** यानी 2030 तक शून्य भुखमरी प्राप्त करना संभव नहीं लग रहा है। लगभग **56 देश** 2030 तक **कम भुखमरी** का स्तर भी प्राप्त करने की राह पर नहीं हैं।
  - **वैश्विक स्थिति:** 2025 का वैश्विक GHI स्कोर **18.3** (मध्यम श्रेणी) है, जो 2016 के 19.0 की तुलना में **केवल मामूली सुधार** प्रदर्शित करता है।

- **क्षेत्रीय असमानताएं:** अफ्रीका, दक्षिण एशिया में **गंभीर भुखमरी** है। दक्षिण सूडान, DRC तथा सोमालिया (सबसे खराब) जैसे 7 देशों में **चिंताजनक भुखमरी** है।
- **बढ़ती भुखमरी के कारक:**
  - **वैश्विक स्तर पर:** सशस्त्र संघर्ष, जलवायु संबंधी आघात, आर्थिक भेद्यता और घटती राजनीतिक तथा वित्तीय प्रतिबद्धता।
  - **भारत में:** कई पीढ़ियों से चलता आ रहा भुखमरी का चक्र, खराब मातृ पोषण, और बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच, लंबे समय से चली आ रही कुपोषण की स्थिति, गरीबी और असमानता।

भुखमरी के परिणाम

- **उच्च बाल मृत्यु दर: अल्पपोषण** पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली **45% मौतों** के लिए जिम्मेदार है।
- **कम उत्पादकता:** भुखमरी शारीरिक क्षमता और संज्ञानात्मक दक्षता को कम करती है। इससे **कार्यबल की उत्पादकता** और **राष्ट्रीय आर्थिक संवृद्धि** पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- **बढ़ता स्वास्थ्य सेवा बोझ:** कुपोषण से बीमारियों की संभावना बढ़ती है, जिससे **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव** पड़ता है। साथ ही, **रोकथाम योग्य बीमारियों पर स्वास्थ्य व्यय** बढ़ता है।
- **अन्य परिणाम:** शिक्षा में कमजोर प्रदर्शन, पर्याप्त भोजन के मानवाधिकार का उल्लंघन, अकाल और आपदा तथा गहरी होती असमानताएँ आदि।

भारत में भुखमरी से निपटने के लिए की गई पहलें

- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** यह योजना 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना:** इसके तहत पंजीकृत महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म पर ₹5000/- दिए जाते हैं। यह सहायता मज़दूरी समर्थन और गर्भावस्था तथा प्रसव के बाद की अवधि में पौष्टिक भोजन के लिए दी जाती है।
- **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन):** इसका लक्ष्य बच्चों और महिलाओं के लिए मुख्य पोषण मापदंडों में सुधार करना है।
- **ईट राइट मूवमेंट:** इसका लक्ष्य **सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय भोजन** सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलना है।
- **एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS):** ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली छह सेवाओं में से एक पूरक पोषण है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुशंसित आहार भत्ता और औसत दैनिक सेवन के बीच के अंतराल को कम करना है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** NFSA का उद्देश्य भारत के **1.2 बिलियन लोगों में से लगभग दो-तिहाई** को **सब्सिडी वाला अनाज** प्रदान करना है। यह **भोजन के अधिकार को एक सांविधिक अधिकार** के रूप में मान्यता देता है।

आगे की राह

- **राजनीतिक प्रतिबद्धता और सुशासन सुनिश्चित करना:** खाद्य सुरक्षा को **दान के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिकार के रूप में** देखा जाना चाहिए। योजनाओं के सही कार्यान्वयन हेतु **जवाबदेही, समन्वय और पारदर्शी निगरानी** को मजबूत करना चाहिए।
- **वित्त-पोषण में वृद्धि करना और उसमें विविधता लाना:** हाल में हुए फंडिंग कटौती के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। **आवश्यकता के अनुसार वित्त-पोषण** सुनिश्चित किया जाना चाहिए और **परिणाम-आधारित तंत्रों** के माध्यम से इसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- **जरूरत के अनुरूप और समावेशी खाद्य प्रणालियाँ तैयार करना:**
  - **जलवायु अनुकूल कृषि** को बढ़ावा देना चाहिए,
  - **पारिस्थितिकी तंत्रों की पुनर्बहाली पर ध्यान देना चाहिए,**
  - **भूमि और जल अधिकार सुरक्षित** किए जाए,
  - **लघु किसानों और महिलाओं को सशक्त** बनाया जाना चाहिए, और
  - **पोषण को कृषि के साथ जोड़ा जाना चाहिए।**
- **बहुक्षेत्रीय, स्थानीय लोगों के नेतृत्व वाली रणनीतियाँ अपनाना:** भुखमरी में कमी को **स्वास्थ्य, शिक्षा, WASH (जल, स्वच्छता और हाइजीन) और सामाजिक सुरक्षा** से जोड़ना चाहिए। समाधान तैयार करने के लिए **स्थानीय सरकारों और समुदायों को सशक्त** बनाया जाना चाहिए।

- **शून्य भुखमरी के लिए अन्य तरीके:**
  - **सामाजिक सुरक्षा जाल** को मजबूत करना,
  - **किसानों को बाज़ारों से जोड़ना,**
  - **भोजन की हानि को कम** करना, और
  - **मातृ-शिशु कुपोषण को रोकना।**

निष्कर्ष

भुखमरी केवल भोजन की कमी नहीं है, बल्कि यह गरीबी, संघर्ष, जलवायु आघात और नीतिगत कमियों का परिणाम है। इसका समाधान करने हेतु **जरूरत के अनुरूप खाद्य प्रणालियाँ, लक्षित पोषण समर्थन, सशक्त समुदाय, और सभी के लिए भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक सहयोग की आवश्यकता** है।

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.3.1. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट, 2023 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए {Vital Statistics of India based on Civil Registration System (CRS) report (2023) released}

यह रिपोर्ट **केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के महारजिस्ट्रार (Registrar General of India: RGI)** द्वारा संकलित की जाती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **जन्म के समय लिंगानुपात (SRB):** वर्तमान में **प्रति 1000 लड़कों पर 928 लड़कियां** हैं (सिक्किम को छोड़कर)।
  - **उच्चतम: अरुणाचल प्रदेश** (1,085); तथा
  - **सबसे कम:** झारखंड (899)।
- **जन्म से संबंधित आंकड़े:** पंजीकृत जन्मों की संख्या 2022 की तुलना में **0.9% कम** हो गई है।
  - **जन्म के पंजीकरण का स्तर:** 98.4% तक।
  - **शहरी क्षेत्रों** में जन्म का पंजीकरण स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में **अधिक है।**
- **मृत्यु से संबंधित आंकड़े:** मृत्यु का पंजीकरण स्तर 2022 की तुलना में **0.1% बढ़ा** है।
  - **मृत्यु के पंजीकरण का स्तर:** 97.2% तक।
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु के पंजीकरण का स्तर** शहरी क्षेत्रों से अधिक था।
- **स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म और मृत्यु का स्तर (सिक्किम को छोड़कर):** कुल पंजीकृत मृत्यु में 24% स्वास्थ्य केंद्रों में दर्ज की गई जबकि कुल पंजीकृत जन्मों में से 74.7% स्वास्थ्य संस्थानों में हुए।
- 2022 की तुलना में **शिशु मृत्यु दर में वृद्धि** हुई है।
- **21 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में 100% जन्म पंजीकरण और 19 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में 100% मृत्यु पंजीकरण** हुआ है।
  - ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **पुरुषों का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, महिलाओं की तुलना में अधिक** रहा है।

6.3.2. चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट {Children in India 2025 Report}

हाल ही में, **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** ने **चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट** का **चौथा अंक** जारी किया है।

- यह रिपोर्ट बच्चों के **शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण** आदि पर विवरण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य **बच्चों के अधिकारों और कल्याण** में सुधार के लिए **सबूत-आधारित नीतियों** का मार्गदर्शन करना है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **शिशु मृत्यु दर (IMR): 44 (2011) से घटकर 25 (2023)** हो गई है।
  - IMR किसी दिए गए वर्ष में **प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशुओं (1 वर्ष से कम आयु के बच्चों) की मृत्यु की संख्या** है।
- **पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (Under-Five Mortality Rate: U5MR): 30 (2022) से घटकर 29 (2023)** हो गई है।
  - इसे किसी दिए गए वर्ष में **प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु की संख्या** के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह किसी बच्चे के पाँच वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले मृत्यु की संभावना है।
- **जन्म दर (Birth Rate):** यह कम होकर 2023 में **प्रति 1,000 जनसंख्या पर 18.4** हो गई; ग्रामीण: 20.3, शहरी: 14.9
- **स्कूल छोड़ने की दर (2022-23 से 2024-25):**
  - **प्रारंभिक चरण (Preparatory stage):** 8.7% से घटकर **2.3%** हो गई है।
  - **माध्यमिक स्तर (Middle level):** 8.1% से घटकर **3.5%** हो गई है।
  - **उच्च माध्यमिक स्तर (Secondary level):** 13.8% से घटकर **8.2%** हो गई है।
- **बाल विवाह (Child Marriage) (20-24 आयु वर्ग की महिलाएं जिनका 18 वर्ष से पहले विवाह हो गया):** 26.8% (2015-16) से घटकर **23.3% (2019-21)** हो गया है।
- **बच्चों को गोद लेने से संबंधित आँकड़े (Adoption Statistics):** गोद लेने की कुल संख्या **3,927 (2017-18) से बढ़कर 4,515 (2024-25)** हो गई है।
  - **देश के भीतर गोद लेना (In-country adoptions): 4,155**; **अन्य देशों के लोगों द्वारा भारत में बच्चों को गोद लेना (Inter-country adoptions):** सालाना **360–653**।
- **लैंगिक समता सूचकांक (Gender Parity Index - GPI):** 2024-25 में **सभी शैक्षणिक चरणों में समता** हासिल की गई है।

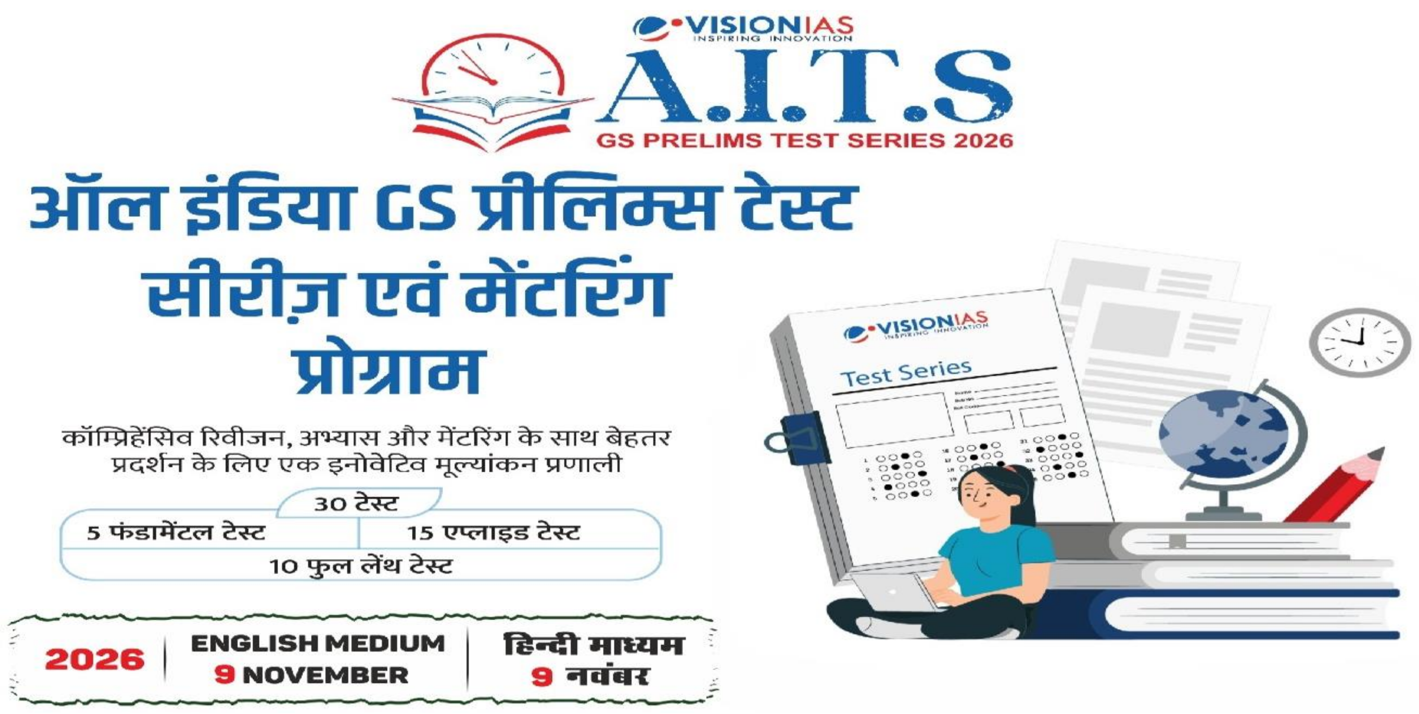

6.3.3. WHO ने "2000–2024 के बीच तंबाकू उपयोग की वैश्विक प्रवृत्तियों" पर रिपोर्ट जारी की {WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000–2024}

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वैश्विक तंबाकू उपयोग में गिरावट:** वैश्विक स्तर पर तंबाकू का उपयोग करने वाले वयस्कों की संख्या में **बड़ी कमी** आई है। वर्ष 2010 में यह संख्या **26.2%** थी, जो 2024 में घटकर **19.5%** रह गई।
    - हालांकि, तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन दुनिया भर में प्रत्येक **5 में से 1 वयस्क** अभी भी तंबाकू का सेवन करता है।
- **ई-सिगरेट की बढ़ती लोकप्रियता:** दुनिया भर में **10 करोड़ (100 मिलियन) से अधिक** लोग ई-सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं।

भारत की प्रगति और स्थिति

- **भारत में तंबाकू उपयोग (2024):** वर्ष 2024 में भारत में लगभग **243.48 मिलियन लोग,** जिनकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक थी, तंबाकू का सेवन कर रहे थे।
- **WHO के NCD लक्ष्य की दिशा में भारत अग्रसर:** वर्ष 2010 से 2025 के बीच भारत में तंबाकू उपयोग में लगभग **43% की सापेक्ष कमी** होने का अनुमान है, जो बहुत अच्छी प्रगति मानी जा रही है।
    - **WHO का NCD लक्ष्य:** 2025 तक तंबाकू उपयोग में **30% की कमी हासिल** करना है।

तंबाकू (Nicotiana tabacum) के बारे में

- **उद्गम:** इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है।
- **जलवायु परिस्थितियां:** तंबाकू को 90–120 दिनों की पाला-मुक्त अवधि, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, कम से कम 500 मिमी वर्षा और अच्छी जल-निकासी वाली बलुई दोमट या जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है।
- **भारत की स्थिति:** भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
- **मुख्य उत्पादक राज्य:** गुजरात (30% हिस्सेदारी), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, और बिहार।

भारत में तंबाकू उपयोग पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम

- **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003:** यह कानून सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाता है तथा 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचे जाने पर रोक लगाता है।
- **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2022:** इन नियमों के तहत तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी सचित्र चेतावनी प्रिंट करने का प्रावधान किया गया है।
- **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम जन-जागरूकता बढ़ाने और तंबाकू उत्पादों के उत्पादन व आपूर्ति को कम करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
- **इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) निषेध अधिनियम, 2019** आदि।

6.3.4. स्वच्छ शहर जोड़ी {Swachh Shehar Jodi}

हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने स्वच्छ शहर जोड़ी (SSJ) पहल शुरू की है।

- इसे **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)** के तहत **लागू** किया जाएगा।

SSJ पहल के बारे में:

- यह एक **संरचित मेंटरशिप और सहयोगात्मक कार्रवाई कार्यक्रम** है। इसमें 72 मेंटर शहर और लगभग 200 मेंटी शहर (जिन्हें मदद मिलेगी) शामिल होंगे।

- ○ **अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेंटर शहरों के सर्वोत्तम तरीकों को लागू करने** में मेंटी शहरों की मदद की जाएगी।
- **लक्ष्य:** इसका लक्ष्य पूरे शहरी भारत में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में **ज्ञान और अनुभव साझा करना, सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम तरीकों को बदलना है।**

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी) या चिकित्सा (मेडिसिन) के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 (Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी) या चिकित्सा (मेडिसिन) के क्षेत्र में 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार **मैरी ई. ब्रंकॉ, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची** को **"पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस" (परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता) से संबंधित उनकी खोजों** के लिए प्रदान किया गया है।

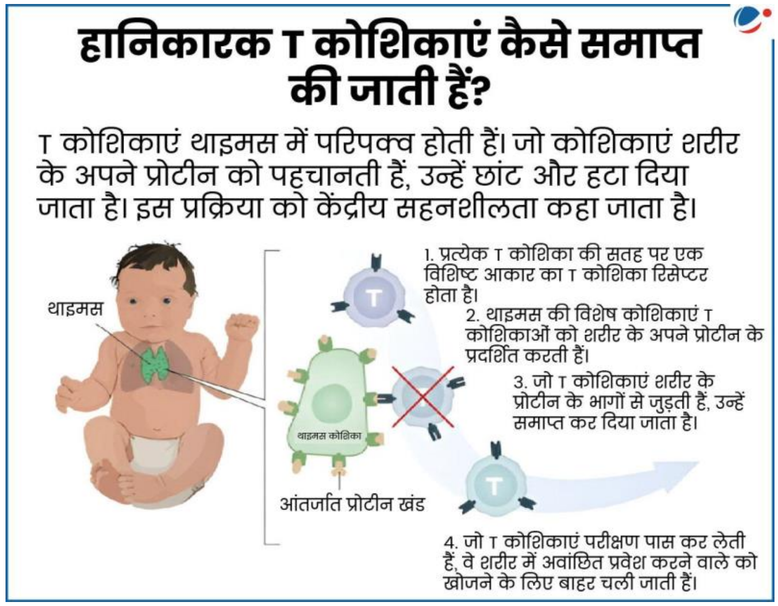

अन्य संबंधित तथ्य

- हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को **हानिकारक रोगजनकों** जैसे कि विषाणुओं, जीवाणुओं और कवकों आदि से बचाती है।
- हालांकि, इसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि यह **अपनी ही कोशिकाओं पर हमला न करे** क्योंकि स्वस्थ शारीरिक क्रिया के लिए यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है।
- इस संतुलन को बनाने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली **दो प्रकार की सहिष्णुताओं; केंद्रीय सहिष्णुता (Central Tolerance)** और **परिधीय सहिष्णुता (Peripheral Tolerance)** का उपयोग करती है।

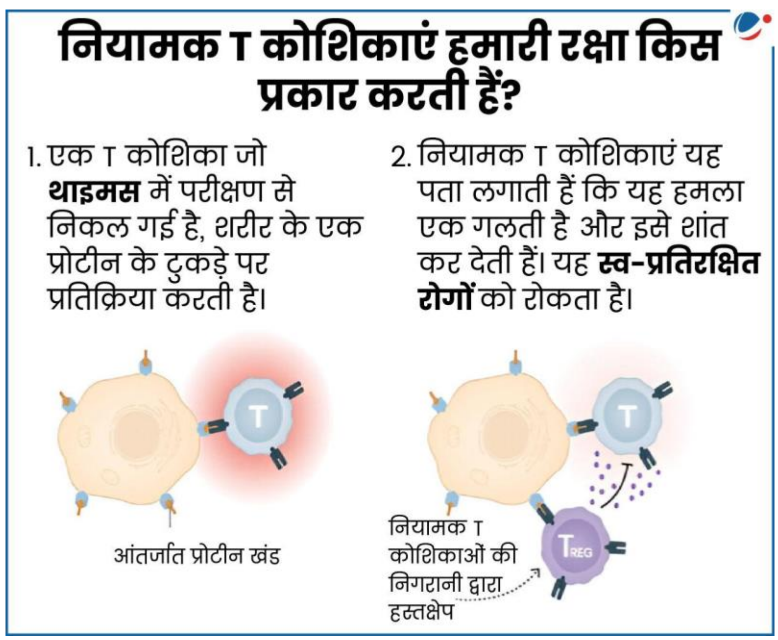

केंद्रीय सहिष्णुता

- यह प्रक्रिया **थाइमस** में होती है। **थाइमस** लसीका तंत्र में एक छोटी ग्रंथि है जो T कोशिकाओं का उत्पादन और प्रशिक्षण करती है। ध्यातव्य है कि T कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है।
- प्रशिक्षण के दौरान, थाइमस **स्वयं-प्रतिक्रियाशील T कोशिकाओं** को हटा देता है। ये हानिकारक कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के अपने प्रोटीन पर हमला कर सकती हैं। (इन्फोग्राफिक देखें)
- हालांकि, यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। इनमें से कुछ स्व-प्रतिक्रियाशील T कोशिकाएं **थाइमस से निकलकर** शरीर के परिसंचरण तंत्र और ऊतकों में प्रवेश कर जाती हैं, जिन्हें **परिधीय ऊतक** कहा जाता है।

परिधीय सहिष्णुता

- जब ये **स्व-प्रतिक्रियाशील T कोशिकाएं** शरीर की परिधि में पहुंच जाती हैं, तो उन्हें शरीर पर हमला करने से रोकने के लिए **अतिरिक्त नियंत्रण** की आवश्यकता होती है।
- इस प्रक्रिया में, नियामक **T कोशिकाएं (Treg cells)** महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
    - इन विशेष प्रकार की T कोशिकाओं की खोज **शिमोन साकागुची** ने की थी।

* ये निगरानी करने वाली नियामक **T कोशिकाएं** शरीर में घूमती रहती हैं और **स्व-प्रतिक्रियाशील T कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें हमारे अपने ऊतकों पर हमला करने** से रोकती हैं। (इन्फोग्राफिक देखें)
* इस प्रकार, Treg कोशिकाएं यानी नियामक T कोशिकाएं एक **सुरक्षा गार्ड** के रूप में कार्य करती हैं और शरीर को उसकी अपनी अति-सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से बचाती हैं।

FOXP3 जीन की भूमिका

* **मैरी ब्रंकॉ और फ्रेड रैम्सडेल** ने **FOXP3 जीन** की खोज की है। यह जीन मानव शरीर में नियामक T कोशिकाओं (Treg cells) के विकास और कार्य को नियंत्रित करता है।
* यदि FOXP3 जीन में **उत्परिवर्तन** होता है, तो नियामक T कोशिकाओं का सही से उत्पादन नहीं हो पाता है।
* इसके कारण एक दुर्लभ **स्व-प्रतिरक्षी (ऑटोइम्यून) रोग** हो सकता है जिसे **IPEX** कहा जाता है। इस रोग में हमारी **प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अपने ही ऊतकों पर हमला करने लगती है।**

खोज का महत्त्व

* **स्व-प्रतिरक्षी (ऑटोइम्यून) रोगों का उपचार:** स्व-प्रतिरक्षी रोगों में, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं पर हमला करना शुरू कर देती है।
  * ऐसे रोगों से पीड़ित रोगी में, नियामक **T कोशिकाओं** की संख्या बढ़ाने से प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वयं पर हमला करने वाले व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से कम जा सकता है।
* **कैंसर उपचार में भूमिका:** कैंसर के मामलों में, नियामक **T कोशिकाएं** अक्सर **ट्यूमर** के आसपास बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। वहां वे **प्रतिरक्षा कोशिकाओं (जैसे, किलर T कोशिकाएं या किलर T सेल्स)** की गतिविधि को कम कर देती हैं, जो अन्यथा कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती हैं।
  * इसका अर्थ यह है कि **बहुत अधिक नियामक T कोशिकाएं ट्यूमर की रक्षा कर सकती हैं**, जिससे वह **बढ़ने लगता है।** इसलिए, **कई कैंसर उपचारों में यह कोशिश की जाती है कि ट्यूमर के अंदर मौजूद नियामक T कोशिकाओं को कम किया जाए या उनको अवरुद्ध किया जाए।**
  * यह **प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं पर प्रभावी ढंग से हमला करने और उन्हें नष्ट करने में सहायता** करता है।

अन्य समान अनुप्रयोग

* अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति (**शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा** नए अंग को **'बाहरी' समझकर उस पर हमला करना**) को रोकना।
* टाइप 1 मधुमेह
* अस्थमा
* त्वचा संबंधी रोग

T कोशिकाएं

* T कोशिकाएं **श्वेत रक्त कोशिकाओं** का एक प्रकार हैं जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाती हैं।
* **T कोशिकाओं के प्रकार:** T कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं:
  * **कोशिकाविषी (साइटोटॉक्सिक) T कोशिकाएं:** कोशिकाविषी T कोशिकाएं वायरस और बैक्टीरिया से संक्रमित कोशिकाओं को मारती हैं। साथ ही, ये **ट्यूमर कोशिकाओं** को भी नष्ट करती हैं।
  * **सहायक (हेल्पर) T कोशिकाएं:** कोशिकाविषी T कोशिकाओं के विपरीत, सहायक T कोशिकाएं सीधे कोशिकाओं को नहीं मारती हैं। इसके बजाय, ये **संकेत भेजकर** आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में अन्य कोशिकाओं को बताती हैं कि आक्रमणकारियों के खिलाफ हमले का समन्वय कैसे किया जाए।
* **नियामक T कोशिकाएं:** हालांकि, इन्हें मुख्य T कोशिका प्रकारों में से एक नहीं माना जाता है, फिर भी नियामक T कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में एक **अनिवार्य भूमिका** निभाती हैं। ये कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर अन्य T कोशिकाओं की गतिविधि को **कम** करती हैं। ये T कोशिकाओं को हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने से रोक सकती हैं।
* सभी T कोशिकाओं में **T-कोशिका ग्राही (T-सेल रिसेप्टर्स)** होते हैं। ये सरफेस प्रोटीन्स होते हैं जो सेंसर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे यह पता लगा पाते हैं कि शरीर पर हमला हो रहा है या नहीं।

CSAT मैथ क्लासरूम प्रोग्राम – 2026
ENGLISH MEDIUM 25 SEPT, 5 PM हिन्दी माध्यम 13 अक्टूबर, 5 PM

7.2. रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 (Nobel Prize In Chemistry 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **रसायन विज्ञान में 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है।** यह पुरस्कार **सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम. यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOF) के विकास** के लिए प्रदान किया गया है।

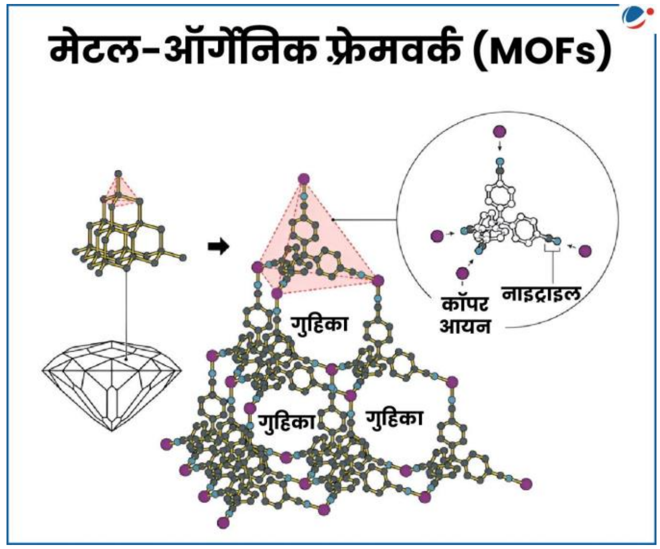

अन्य संबंधित तथ्य

- पुरस्कार विजेताओं ने **मेटल-ऑर्गेनिक फ़्रेमवर्क (MOFs)** नामक मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण किया है। इनमें **बड़े स्थान** (लार्ज स्पेस) विद्यमान होते हैं जिनके माध्यम से गैसें और अन्य रसायन प्रवाहित हो सकते हैं।

मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOF) के बारे में

MOFs **दो भागों** से मिलकर बने विशेष पदार्थ होते हैं:

- **धातु आयन:** (जैसे ताँबा, जस्ता आदि) – यह "जोड़ों" या "कनेक्टिंग पॉइंट्स" की तरह कार्य करता है।
- **कार्बनिक अणु:** (कार्बन-आधारित अणु जैसे कोयला, ग्लूकोज आदि) ये "कड़ियों" या "सेतुओं" की तरह कार्य करते हैं जो धातु के हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं।
- जब ये दोनों भाग रासायनिक बंधों के माध्यम से जुड़ते हैं, तो वे एक **नेटवर्क संरचना** बनाते हैं।
- यह संरचना एक, दो, या तीन आयामों में हो सकती है जैसे- ठीक लाइनों, चादरों या 3D फ्रेमवर्क की तरह, जिनके बीच में बहुत सारे **खाली स्थान या गुहाएं (Cavities)** होती हैं।
- ये गुहाएं पदार्थ को **अत्यधिक छिद्रपूर्ण** बनाती हैं - जिसके अंदर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं।
  - **उदाहरण (इन्फोग्राफिक देखिए):** ताँबा धातु (जिसे बिंदु के रूप में दर्शाया गया है) कार्बनिक अणु (जिसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना के रूप में दर्शाया गया है) के साथ मिलकर गुहाओं वाली एक **3D श्रृंखला जैसे फ्रेमवर्क** का निर्माण करता है। यह फ्रेमवर्क ही MOF है।
  - **एक और उदाहरण (इन्फोग्राफिक देखिए) -** धातुएँ दीवार में लगी ईंटों की तरह होती हैं और कार्बनिक अणु एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने वाले स्तंभों की तरह होते हैं।
    - जब ईंटों और स्तंभों को समय-समय पर व्यवस्थित किया जाता है, तो वे विशाल आणविक कक्ष बनाते हैं।
    - ईंटों (धातुओं) और स्तंभों (कार्बनिक अणुओं) को बदलकर इन आणविक कक्षों का आकार और आकृति बदली जा सकती है।

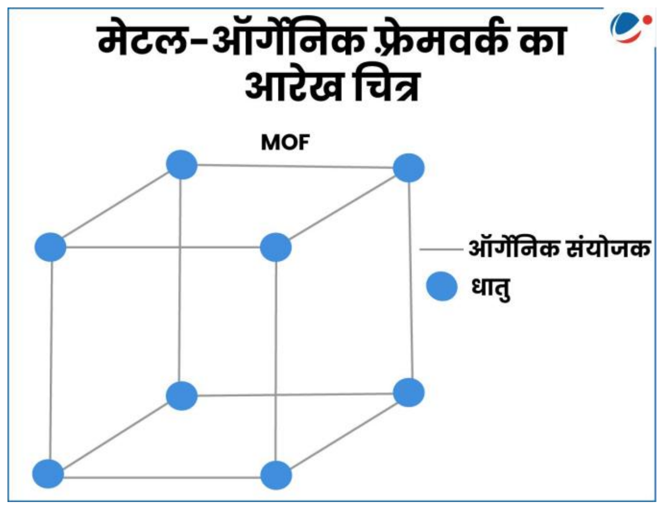

MOF के विचार की उत्पत्ति

- MOFs बनाने का विचार **डायमंड (हीरे) की संरचना** का अध्ययन करने से आया — जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य से जुड़कर एक छोटे पिरामिड जैसे पैटर्न का निर्माण करता है।
- वैज्ञानिकों ने समान अवधारणा का उपयोग किया, लेकिन इन नए छिद्रपूर्ण पदार्थों को बनाने के लिए कार्बन को धातु परमाणुओं और कार्बनिक अणुओं से बदल दिया।

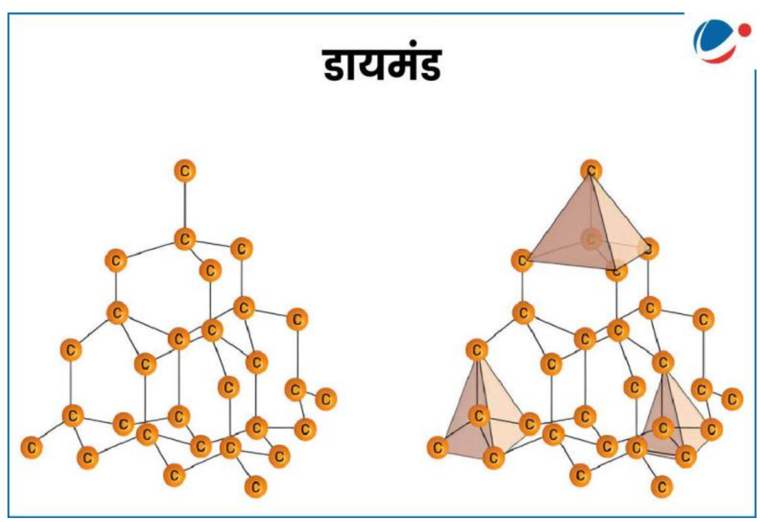

मुख्य विशेषताएं

- प्रयुक्त धातुओं या कार्बनिक अणुओं को बदलकर, MOFs के अंदर के छिद्रों या गुहाओं को **बड़ा या छोटा** बनाया जा सकता है।
- इसका अर्थ है कि MOFs को गैस, जल या रसायनों जैसे **विशिष्ट प्रकार की सामग्रियों को अवशोषित करने या ट्रैप करने** के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
- एक ग्राम MOF का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग **दो फुटबॉल मैदानों के बराबर** हो सकता है — जो दर्शाता है कि यह अंदर से कितना विशाल है।
- अपनी बड़ी गुहाओं और पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण, MOFs कई अन्य छिद्रपूर्ण सामग्रियों (जैसे जिओलाइट्स) की तुलना में **अधिक अवशोषक** होते हैं।
- ये आणविक भंडारगृह (Molecular Storehouses) की तरह कार्य करते हैं, जो गैसों, तरल पदार्थों या अन्य सामग्रियों को अपने छिद्रों के अंदर संग्रहीत करते हैं।

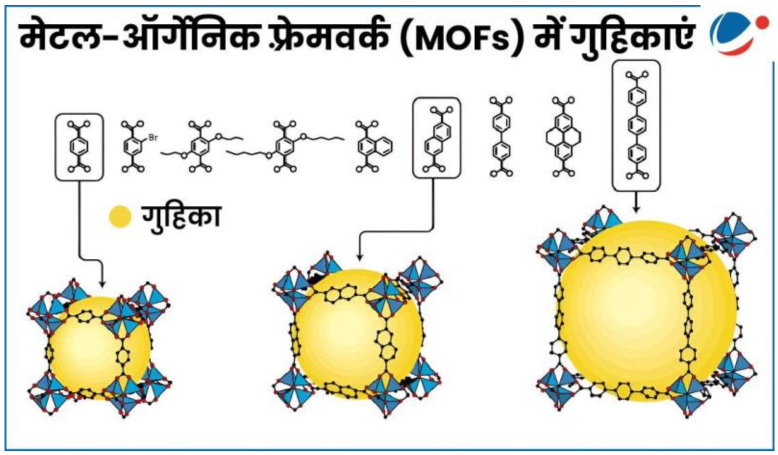

मुख्य अनुप्रयोग

अणुओं को ट्रैप करने, संग्रहीत करने या मुक्त करने की उनकी क्षमता उन्हें निम्नलिखित के लिए उपयोगी बनाती है:

- **शुष्क वायु से जल संग्रहण**
  - रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल दुर्लभ रूप से पाया जाता है। इन क्षेत्रों की वायु में जल की सांद्रता कम होती है, जिससे वायु से जल संग्रहण के कई मौजूदा तरीके अप्रभावी हो जाते हैं।
  - MOFs में अच्छी अवशोषण क्षमता के साथ **बड़ी गुहाएं** होती हैं। MOF पदार्थ से बनी झिल्लियां बड़ी मात्रा में जल को अवशोषित कर सकती हैं।
  - अवशोषण के बाद, MOF झिल्ली को थोड़ा गर्म करके तरल जल को **कुशलतापूर्वक निकाला** जा सकता है। इस प्रकार, MOFs रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

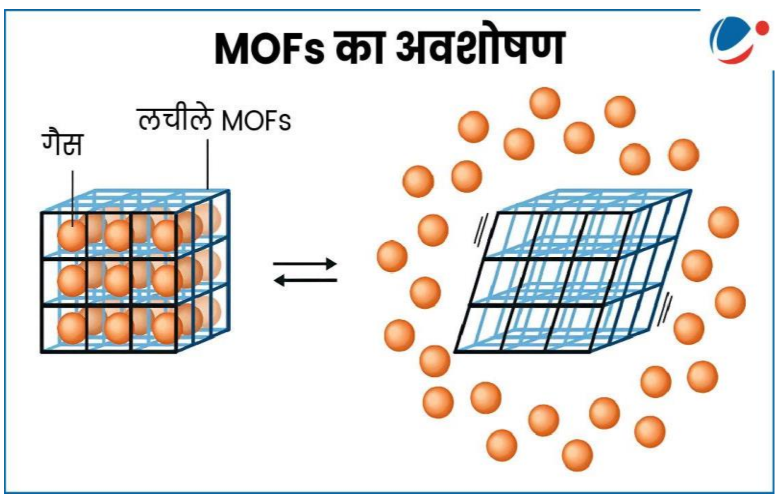

- **खाद्य प्रसंस्करण**
  - फल और सब्जियां **एथिलीन गैस** (जो एक हार्मोन है) निर्मुक्त करते हैं, जिसके कारण वे पकते हैं। फलों और सब्जियों को हार्वेस्ट करने के बाद, एथिलीन का उत्सर्जन काफी बढ़ जाता है, जिससे वे खराब हो जाते हैं।
  - MOF-आधारित पैकेजिंग सामग्री में प्रबल अवशोषण क्षमता होती है जो **एथिलीन गैस को अपनी गुहा में संग्रहीत** करती है।
  - यह अवशोषण एथिलीन की सांद्रता को कम करता है तथा फलों और सब्जियों की **शेल्फ लाइफ (खराब होने से पहले की अवधि) को बढ़ाता है।**
- **अन्य समान अनुप्रयोग**
  - **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषित जल से प्रदूषकों, जैसे PFAS, एंटीबायोटिक्स आदि को निकालना या अलग करना।
  - **दुर्लभ-भू तत्व:** प्रायोगिक तौर पर अपशिष्ट जल से दुर्लभ-मृदा तत्वों का निष्कर्षण करना।
  - **गैस भंडारण:** हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों का भंडारण करना।

फास्ट ट्रैक कोर्स 2026
सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स
हिन्दी माध्यम 13 OCT, 5 PM
ENGLISH MEDIUM 13 OCT, 2 PM

7.3. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 (Nobel Prize in Physics 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में **मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक सुरंगन (Tunnelling)** और **ऊर्जा प्रमात्रीकरण (Energy quantisation)** की खोज के लिए भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- **क्वांटम भौतिकी (Quantum Physics)** सूक्ष्म स्तर पर कणों के व्यवहार से संबंधित है — जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन और नाभिक।
- इस पैमाने पर, कण **दोहरी प्रकृति (Dual nature)** प्रदर्शित करते हैं, जो कणों और तरंगों दोनों की तरह व्यवहार करते हैं।
- इन कणों का तरंग जैसा व्यवहार कई दिलचस्प परिघटनाओं को जन्म देता है, जिनमें शामिल हैं:
  - ऊर्जा और कोणीय संवेग का **क्वांटिकरण (Quantization)**
  - **क्वांटम सुरंगन (Quantum tunnelling)**
- ये क्वांटम प्रभाव, जो सूक्ष्म स्तर पर प्रमुख होते हैं, **व्यापक पैमाने पर** (उदाहरण के लिए, क्रिकेट बॉल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं में) **लुप्त** हो जाते हैं।
- दशकों से, वैज्ञानिक इस सवाल से उत्सुक रहे हैं: **किसी ऐसी प्रणाली का सबसे बड़ा संभावित आकार क्या है जो अभी भी क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित कर सके?**

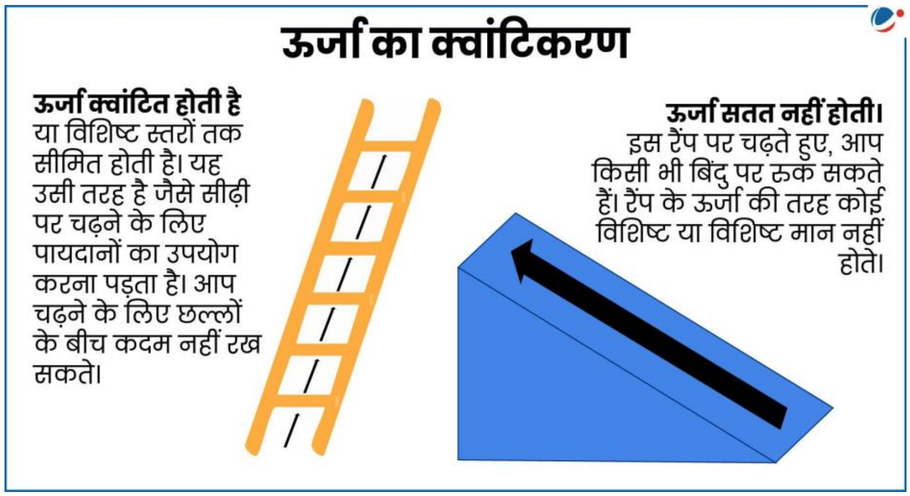

- **भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार** उन प्रयोगों का सम्मान करता है जिन्होंने प्रदर्शित किया कि क्वांटम परिघटनाएँ — जैसे कि ऊर्जा प्रमात्रीकरण और क्वांटम सुरंगन **कई कणों** से जुड़ी **मैक्रोस्कोपिक प्रणालियों** में भी देखी जा सकती हैं।

ऊर्जा का क्वांटिकरण

- सूक्ष्म स्तर पर, कण ऊर्जा को **असतत पैकेटों (Discrete packets) में अवशोषित (Absorb)** और उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें **क्वांटा** के रूप में जाना जाता है।
- इस अवधारणा की कल्पना **सीढ़ी चढ़ने** के रूप में की जा सकती है, कोई व्यक्ति केवल विशिष्ट पायदानों पर खड़ा हो सकता है, उनके बीच में नहीं।
- इसी तरह, परमाणु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण केवल **कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों** में ही मौजूद हो सकते हैं, और उनके बीच में नहीं।

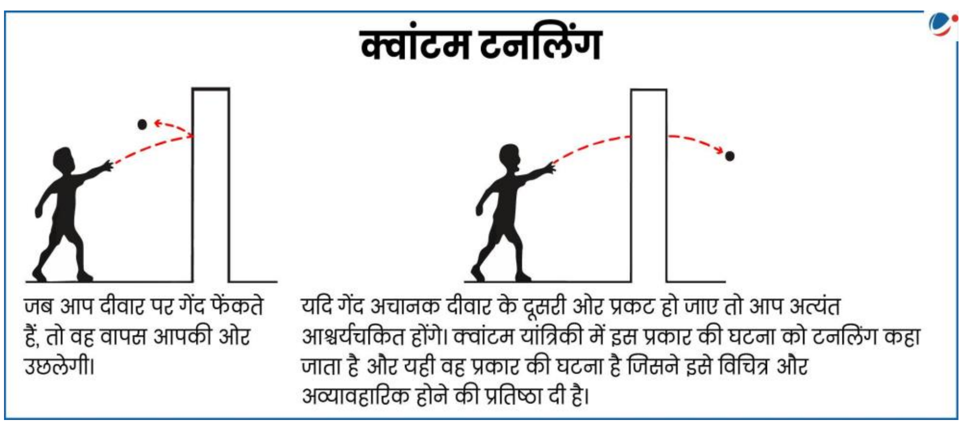

- इस परिघटना को **ऊर्जा का क्वांटिकरण** (Quantisation of energy) कहा जाता है।

क्वांटम सुरंगन

- जब हम किसी दीवार पर क्रिकेट की गेंद फेंकते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से टकरा कर **वापस आती है** — यह एक परिचित, रोजमर्रा का अवलोकन है।
- इसके विपरीत, क्वांटम भौतिकी एक आश्चर्यजनक घटना का खुलासा करती है: जब कोई कण किसी **बाधा** (संभावित ऊर्जा की दीवार) से टकराता है, तो एक **सीमित संभावना** मौजूद होती है कि वह बाधा के **माध्यम से गुजर** सकता है और दूसरी तरफ दिखाई दे सकता है।

- यह अजीब व्यवहार, जिसे **क्वांटम सुरंगन** के रूप में जाना जाता है, केवल **सूक्ष्म पैमाने** पर होता है।
- इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण **रेडियोधर्मी क्षय** है, जहाँ परमाणु नाभिक का एक हिस्सा अपने संभावित अवरोध के माध्यम से सुरंग बनाकर बाहर निकल जाता है — जैसा कि **अल्फा क्षय** में देखा जाता है।

प्रयोग और परिणाम के बारे में

- 1984–85 में, यूसी बर्कले में जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस ने एक अवरोधक (Insulator) द्वारा अलग किए गए दो अतिचालकों का उपयोग करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जिसे **जोसेफसन जंक्शन** कहा जाता है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

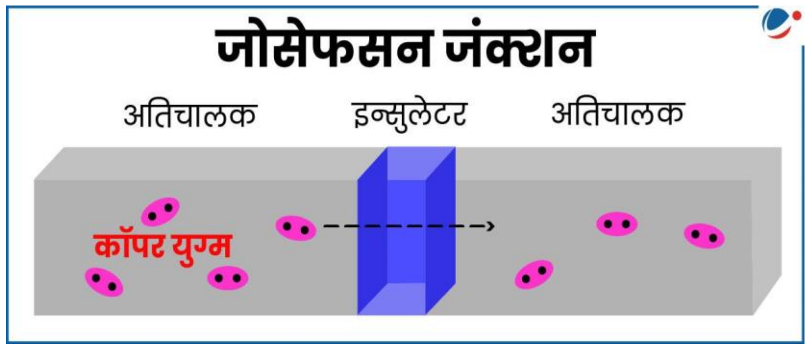

- हालाँकि सर्किट का वोल्टेज शुरू में **शून्य** पर सेट किया गया था, यह शून्य-वोल्टेज अवस्था से **क्वांटम सुरंगन** के कारण अप्रत्याशित रूप से एक **परिमित मान (Finite value)** में स्थानांतरित हो गया।
- उन्होंने प्रदर्शित किया कि सर्किट में सभी आवेशित कण सामूहिक रूप से **एकल क्वांटम कण** के रूप में व्यवहार करते हैं।
- उन्होंने सर्किट में **ऊर्जा के क्वांटिकरण** को भी प्रदर्शित किया।

खोज का महत्व

- इस खोज ने एक **मैक्रोस्कोपिक क्वांटम अवस्था** को उजागर किया, जिससे बड़े पैमाने की प्रणालियों पर क्वांटम परिघटनाओं को लागू करने वाले प्रयोग संभव हो सके।
- **जोसेफसन जंक्शन** एक **कृत्रिम परमाणु (Artificial atom)** के रूप में कार्य करता है, जिससे शोधकर्ताओं को जटिल क्वांटम प्रणालियों का अनुकरण (Simulate) और अध्ययन करने की अनुमति मिलती है।
- इस सिद्धांत का उपयोग बाद में **क्वांटम बिट्स (Qubits)** बनाने के लिए किया गया, जहाँ प्रमात्रित ऊर्जा अवस्थाएँ 0 और 1 का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अतिचालक क्वांटम कंप्यूटर का आधार बनती हैं।
- इस कार्य ने **क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसर** जैसी व्यावहारिक क्वांटम प्रौद्योगिकियों और क्वांटम भौतिकी की **सैद्धांतिक समझ,** दोनों को आगे बढ़ाया है।

निष्कर्ष

अपनी खोज के एक सदी बाद भी, क्वांटम दुनिया अपने अजीबोगरीब लेकिन आकर्षक व्यवहार से आश्चर्यचकित करती है। यह सिद्धांत जो मिनट पैमाने पर प्रकृति के व्यवहार को समझने की बुनियाद है, कई आधुनिक प्रौद्योगिकियों की नींव भी बन रहा है।

संबंधित तथ्य

क्वांटम इकोज़ एल्गोरिथम (Quantum Echoes Algorithm)

- गूगल क्वांटम एआई ने अपने **विलो क्वांटम प्रोसेसर** (105 क्यूबिट्स) पर **क्वांटम इकोज़ एल्गोरिथम** का प्रदर्शन किया है, जिससे उसने "पहला सत्यापन योग्य क्वांटम लाभ" हासिल किया है — जिसका अर्थ है कि परिणाम की जाँच और सत्यापन इसी तरह की गुणवत्ता वाले **दूसरे क्वांटम कंप्यूटर** द्वारा किया जा सकता है।
  - **प्रदर्शन:** इसने शीर्ष सुपर कंप्यूटरों पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ क्लासिकल एल्गोरिदम की तुलना में **लगभग 13,000 गुना अधिक गति** प्राप्त की।
  - **कार्य-प्रणाली:** यह नई तकनीक एक उन्नत क्वांटम "प्रतिध्वनि" (Echo) की तरह काम करती है, ठीक उसी तरह जैसे एक चमगादड़ (Bat) लौटती हुई ध्वनि तरंगों की व्याख्या करके अपने शिकार का पता लगाता है।
  - **अनुप्रयोग:** यह नई उपलब्धि क्वांटम कंप्यूटरों को व्यावहारिक अनुप्रयोगों — जैसे **चिकित्सा, सामग्री विज्ञान, सेंसर** आदि — के लिए उपकरण बनने के करीब लाती है।

7.4. एस्ट्रोसैट (Astrosat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतरिक्ष के अध्ययन को समर्पित भारत की पहली वेधशाला **'एस्ट्रोसैट'** ने अपने प्रक्षेपण के **10 वर्ष** पूरे कर लिए हैं।

एस्ट्रोसैट के बारे में

- **उद्देश्य:** खगोल विज्ञान अध्ययन को समर्पित भारत के इस पहले मिशन को **एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, और ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य** में खगोलीय पिंडों का **एक साथ अध्ययन** करने के लिए तैयार किया गया है। इस तरह यह मिशन **ब्रह्मांडीय परिघटनाओं का एक समग्र अवलोकन प्रदान** करता है।
- **प्रक्षेपण:** इसे **28 सितंबर, 2015** को श्रीहरिकोटा से **PSLV-C30** यान से प्रक्षेपित किया गया था।
- **कक्षा:** इसे **650 किलोमीटर की ऊँचाई** पर **निम्न भू-कक्षा (Low Earth orbit)** में स्थापित किया गया है। इसका न्यूनतम जीवनकाल **5 वर्ष** का था।
- **स्पेक्ट्रल रेंज:** यह मिशन **0.3 keV से 100 keV** तक के विस्तृत **ऊर्जा बैंड** का अध्ययन करता है। इस तरह यह निकट और सुदूर **अल्ट्रावायलेट क्षेत्रों** के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे **उच्च-ऊर्जा और मंद ऊर्जा, दोनों ही प्रकार के खगोलीय ऊर्जा स्रोतों** की खोज संभव होती है।

एस्ट्रोसैट के वैज्ञानिक उद्देश्य

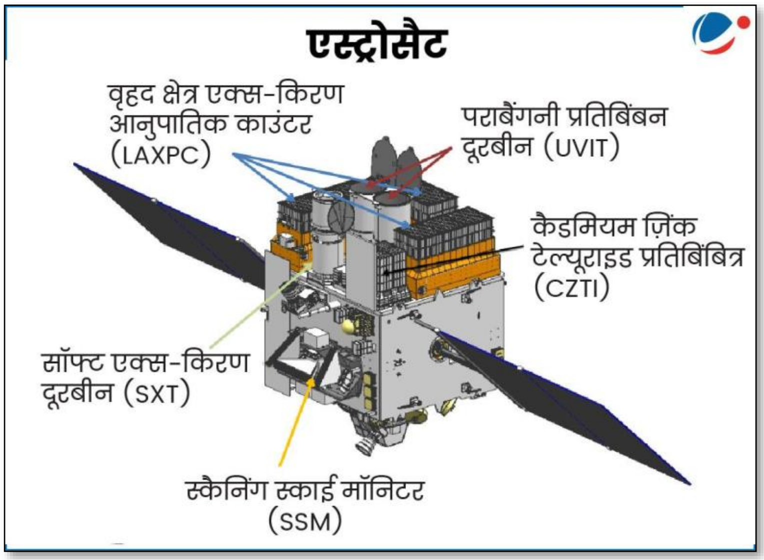

- **उच्च-ऊर्जा उत्सर्जन वाली परिघटनाओं का अध्ययन:** इसका उद्देश्य **न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल वाली युग्म तारा प्रणालियों** (Binary star systems) में उच्च-ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना है। इससे **चरम परिघटनाओं वाले ब्रह्मांडीय परिवेश** से संबंधित जानकारी मिलती है।
- **चुंबकीय क्षेत्रों को मापना:** इसका उद्देश्य **न्यूट्रॉन तारों** के **चुंबकीय क्षेत्रों** का अनुमान लगाना है। यह उनकी संरचना और विकास के अध्ययन में मदद करता है।
- **तारों के निर्माण का अध्ययन:** इसका उद्देश्य **तारों के निर्माण वाले क्षेत्रों** और हमारी **आकाशगंगा से परे की तारा प्रणालियों में उच्च-ऊर्जा वाली गतिविधियों** का अध्ययन करना है। यह **आकाशगंगा के विकास** की हमारी समझ को बढ़ाएगा।
- **क्षणिक व अनियमित एक्स-रे स्रोतों का पता लगाना:** इसका उद्देश्य **नए व अल्पकालिक एक्स-रे स्रोतों** की पहचान करना है। यह अचानक होने वाली ब्रह्मांडीय परिघटनाओं को ट्रैक करने में मदद करता है।
- **अल्ट्रावायलेट ब्रह्मांड का सर्वेक्षण:** इसका उद्देश्य **अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रम** में ब्रह्मांड के क्षेत्र का सीमित लेकिन गहन सर्वेक्षण करना है। यह सर्वेक्षण सुदूर और मंद या मद्धिम खगोलीय पिंडों के संबंध में हमारी जानकारी को बढ़ाता है।

भारत के लिए महत्व

- **वैज्ञानिक अध्ययन में नेतृत्व:** इस मिशन ने भारत को **बहु-तरंगदैर्ध्य खगोल विज्ञान (Multiwavelength Astronomy)** के अध्ययन के क्षेत्र में **वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश** के रूप में स्थापित किया है। यह उपग्रह एक साथ एक्स-रे, UV और प्रकाश (ऑप्टिकल) स्रोतों का अवलोकन करने में सक्षम हैं।
- **स्वदेशी क्षमता:** इस मिशन ने **जटिल अंतरिक्ष वेधशाला** को तैयार करने और संचालित करने की **भारत की क्षमता** को प्रदर्शित किया है।
- **अनुसंधान और शैक्षणिक जानकारी में वृद्धि:** यह पूरे भारत में **खगोल भौतिकी** में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है।

अंतरिक्ष में और जमीन पर स्थित भारत की अन्य वेधशालाएं

- **एक्सपोसैट (XPoSat):** यह **खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन पर अनुसंधान और मापन** के लिए समर्पित **इसरो का पहला उपग्रह** है।
- **आदित्य-L1:** इसे सितंबर 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। यह **भारत का पहला सौर मिशन** है जो **सौर गतिविधियों के निरंतर अवलोकन** के लिए 'सूर्य-पृथ्वी L1 बिंदु' की परिक्रमा करता है।
- **भारतीय खगोलीय वेधशाला (IAO), हानले (लद्दाख):** यह खगोलीय और वायुमंडलीय अध्ययनों के लिए **ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड और गामा-रे दूरबीनों** से युक्त है।
- **कोडाइकनाल सौर वेधशाला (तमिलनाडु):** यह भारत की **सबसे पुरानी सौर वेधशालाओं में से एक** है। यह **दीर्घकालिक सौर अवलोकनों** के लिए जानी जाती है।

- **वैश्विक सहयोग:** यह मिशन खगोल विज्ञान में **भारत की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है** और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी बढ़ावा दे रहा है।

एस्ट्रोसैट भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ी उपलब्धि है। यह बहु-तरंगदैर्ध्य खगोल विज्ञान की हमारी समझ को बढ़ाता है और विश्व के देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करता है। साथ ही, यह **अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता** को भी दर्शाता है।

7.5. गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Diseases: NCDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अब संचारी रोगों की तुलना में गैर-संचारी रोगों के अधिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) रिपोर्ट** को **बर्लिन** में आयोजित **विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन** में **इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME)** द्वारा जारी किया गया।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

शब्दावली को जानें

- **दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्षों (DALYs):** यह किसी रोग के समग्र भार को मापने का एक तरीका है, जिसमें असमय मृत्यु से जीवन के वर्षों की हानि (YLLs) और दिव्यांगता के कारण पूर्ण स्वास्थ्य से कम अवस्था में बिताए गए जीवन के वर्षों (YLDs) को मिलाकर दर्शाया जाता है।

- **गैर-संचारी रोगों (NCDs) का बढ़ता बोझ:** रिपोर्ट के अनुसार, **विश्व में बीमारियों के बोझ के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैर-संचारी रोग** हैं। 2023 में, ये **1.80 बिलियन वैश्विक DALYs (दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्ष[17])** के लिए जिम्मेदार थे, जो 2010 के 1.45 बिलियन से अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि 2023 में गैर-संचारी रोगों और इससे जुड़ी दिव्यांगता की वजह से पूरे विश्व में लोगों ने कुल मिलाकर "स्वस्थ जीवन के 1.80 बिलियन वर्ष" खो दिए।
  - 2023 में **वैश्विक DALYs** में NCDs की हिस्सेदारी **लगभग दो-तिहाई** रही। स्वास्थ्य देखभाल सेवा की उपलब्धता, टीकाकरण और साफ-सफाई में सुधार के कारण संचारी **(संक्रामक) रोगों** के मामलों में कमी आई है।
- **NCDs के प्रमुख कारण:** वैश्विक स्तर पर, प्रमुख 'लेवल-3 NCDs' में शामिल हैं; **इस्कीमिक हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह**।
- **सबसे तेजी से प्रसार वाले NCDs:** 2010 के बाद से **आयु मानकीकृत दरों में एंग्जाइटी विकार, अवसाद संबंधी विकार और मधुमेह** के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है।
  - आयु-मानकीकृत दर (Age-standardized rate) एक सांख्यिकीय माप है, जो विभिन्न आयु संरचनाओं वाली आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित दरों (रोगियों की संख्या या मृत्यु दर) की तुलना करने की अनुमति देता है।

गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ के कारण

- **महामारी के स्वरूप और जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** भारत में अब संचारी रोगों की जगह जीवनशैली-संबंधी **चिरकालिक (Chronic) बीमारियों** के मामलों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए **शहरीकरण** और आबादी में वृद्ध जनों का बढ़ता अनुपात मुख्य कारण हैं। उदाहरण के लिए, **टियर 1 और 2 शहरों का तीव्र शहरीकरण।**
- **अस्वास्थ्यकर जीवनशैली:**
  - **खानपान में बदलाव: फाइबर-युक्त** पारंपरिक **भोजन** की जगह **उच्च-कैलोरी और**, अत्यधिक वसा युक्त भोजन, अधिक नमक और चीनी वाले **प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों** के सेवन को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे कि **फास्ट फूड कल्चर**।
  - **शारीरिक निष्क्रियता:** निम्नलिखित कारक **चयापचय से जुड़े रोगों और हृदय रोगों** के खतरें को बढ़ाते हैं:

---

[17] Disability-Adjusted Life Years

- अधिक देर तक **बैठे रहने वाली जीवनशैली**,
- आवागमन के लिए परिवहन साधनों का अधिक उपयोग और
- शारीरिक गतिविधि कम होना (**तेजी से वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले ऐप्स** के कारण)।

  - **तंबाकू और शराब का सेवन:** विशेष रूप से **युवाओं और निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले समूहों** में तंबाकू और शराब का बढ़ता उपभोग **कैंसर, लीवर, हृदय, और चयापचय विकारों** को बढ़ा देता है।

- **NCDs के खतरे को बढ़ाने वाले पर्यावरण से जुड़े कारक:**
  - **वायु प्रदूषण (इनडोर और आउटडोर):** उद्योग, जीवाश्म ईंधन और जैवभार के दहन से उत्सर्जित **PM2.5 कणों के अत्यधिक संपर्क** में आने के कारण **चिरकालिक श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियां** होती हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर।
- **जैविक प्रभाव से जुड़े खतरे:**
  - **अधिक वज़न/ मोटापा और रक्तचाप:** ये सभी **अस्वास्थ्यकर** जीवनशैली और प्रदूषित पर्यावरण में जीने से जुड़े विकार हैं।
  - **आनुवंशिक लक्षणों के कारण भी** कई लोग गैर-संचारी रोगों के खतरें का अधिक सामना करते हैं।
- **मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारक: तनाव, शहरी जीवन के दबाव, नौकरी की असुरक्षा, और सामाजिक अलगाव** अस्वास्थ्यकर व्यवहारों को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से NCDs के खतरे को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, 'पीछे छूट जाने का डर' यानी **FOMO कल्चर (सोशल मीडिया)**।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** आय में वृद्धि, शहर की ओर प्रवासन और शिक्षा से जुड़ी असमानताएं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। इसलिए अलग-अलग **आबादी समूहों में NCD का असमान बोझ देखने को मिलता** है। उदाहरण के लिए, **ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू का सेवन आम आदत** है।

भारत पर गैर-संचारी रोगों का प्रभाव

- **मृत्यु का प्रमुख कारण:** भारत में **63–65% (2023) मौतों के लिए गैर-संचारी रोग जिम्मेदार** हैं। हृदय रोग, कैंसर, चिरकालिक श्वसन बीमारियां और मधुमेह इसके प्रमुख कारण हैं।
- **असामयिक मृत्यु: 30–70 वर्ष** की आयु के लोगों की मौतों के लिए NCDs बड़ा कारण है।
- **रुग्णता और दिव्यांगता:** NCDs **चिरकालिक बीमारी, दिव्यांगता और दूसरों पर निर्भरता** बढ़ाते हैं। ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा **सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों** के लोगों के जीवन स्तर को कम करते हैं।
- **आर्थिक प्रभाव: विश्व आर्थिक मंच** के अनुसार, NCDs और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के कारण भारत को **2030 तक 4.58 ट्रिलियन** अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है।
- **स्वास्थ्य-देखभाल प्रणाली पर दबाव:** NCDs का बढ़ता बोझ **नैदानिक अवसंरचना, दवाओं, चिरकालिक बीमारी की देखभाल में निवेश की आवश्यकता** को बढ़ाता है। इससे विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताओं की उपेक्षा करके स्वास्थ्य पर **सार्वजनिक व्यय** को **बढ़ाना पड़ता** है।
- **सामाजिक-आर्थिक और विकास संबंधी चुनौतियां:**
  - NCDs **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में प्रगति को धीमा** करते हैं। इनमें स्वास्थ्य, गरीबी में कमी, और लैंगिक समानता से जुड़े लक्ष्य शामिल हैं।
  - दीर्घकालिक दिव्यांगताएं **श्रमिकों की उत्पादकता** को कम करती हैं और **आय असमानता को बढ़ाती** हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD)**[18]: इसके उद्देश्य हैं; स्वास्थ्य-देखभाल अवसंरचना **को मजबूत** करना, **कर्मियों को प्रशिक्षित** करना, **शीघ्र निदान सुनिश्चित** करना और **जागरूकता फैलाना** है।
- **सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग:** इसके तहत **मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर** के मामलों की देशभर में जांच की जाती है और **लोगों के घरों के करीब** देखभाल प्रदान की जाती है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना: जिला NCD क्लिनिक, पालनाघर (डे केयर सेंटर), हृदय-रोग देखभाल इकाई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)-NCD क्लिनिक** की स्थापना से उपचार की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

[18] National Program for Prevention and Control of NCDs

* **स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा: ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और योग पहल** जैसे अभियान नागरिकों को **स्वस्थ दिनचर्या** अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
* **GST सुधार:** कोल्ड ड्रिंक्स जैसे **अधिक शर्करा युक्त उत्पादों** पर **सिन टैक्स** (40% कर स्लैब) लगाया गया है।
* **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)[19]:** इसे **2007-08** में शुरू किया गया था इसका उद्देश्य **तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों** के बारे में **जागरूकता** फैलाना, उत्पादन को कम करना आदि हैं।
  * गौरतलब है कि 2023 में **कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम** (NPCDCS) **का नाम बदलकर NP-NCD** कर दिया गया। NPCDCS को 2010 में शुरू किया गया था।

आगे की राह

* **स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा: जागरूकता, स्वस्थ आहार, व्यायाम, तंबाकू छोड़ने और शराब के कम सेवन** के माध्यम से **स्वस्थ जीवनशैली** अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
* **बीमारी का जल्दी पता लगाना: 30 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों** की मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर के लिए **स्क्रीनिंग** की जानी चाहिए, ताकि **समय पर देखभाल** सुनिश्चित हो सके।
* **स्वास्थ्य-देखभाल सेवा में सुधार करना: NCD क्लिनिक, गहन देखभाल, रेफरल सेवाओं** का विस्तार करना चाहिए और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के लिए **स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को प्रशिक्षित** किया जाना चाहिए।
* **स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग:** निगरानी रखने, निर्णय लेने और दूरस्थ स्थानों से स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों की सेवा के लिए **टेली-परामर्श, डिजिटल पोर्टल और डेटा प्रणाली** का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** का उपयोग करने की आवश्यकता है।
* **राजकोषीय उपायों का सहारा लेना:** रोगों को दूर रखने के लिए **तंबाकू, नमक, शक्कर** आदि पर **कर बढ़ाने जैसे राजकोषीय कदम** उठाए जाने चाहिए।
* **सतत वित्तपोषण:** नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता, निदान (जांच) सुविधाओं और वित्तपोषण सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि **2030 तक NCD से होने वाली असामयिक मौतों को एक-तिहाई तक घटाया जा सके**, जैसा कि **SDG लक्ष्य 3.4** में तय किया गया है।

[19] National Tobacco Control Program

7.6. रोगाणुरोधी प्रतिरोध {Antimicrobial Resistance (AMR)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोध निगरानी रिपोर्ट 2025** जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **एंटीबायोटिक प्रतिरोध:** 2023 में, विश्व भर में लगभग 6 में से 1 जीवाणूजन्य संक्रमण (Bacterial infections) **एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणुओं** (Bacteria) के कारण हुआ।
    - 2018 और 2023 के बीच निगरानी किए गए **जीवाणु-दवा संयोजनों** (Bacteria-drug combinations) में से 40% से अधिक में एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ा है।
    - **ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया** गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ये ऐसे रोगजनक हैं जिन्हें नष्ट मुश्किल होता है। चूंकि इनमें कई दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। उदाहरण के लिए, **एस्चेरिचिया कोलाई (ई.कोलाई)**।
- **AMR के अधिक मामले वाले क्षेत्र:** AMR के सबसे अधिक मामले दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी भूमध्य सागर में पाए गए हैं।
- **भारत से संबंधित उल्लेख:** रक्त-प्रवाह के संक्रमण के लगभग 41% मामले चीन, भारत और पाकिस्तान में दर्ज किए गए।
- **निगरानी का बढ़ना:** 2016 के बाद से WHO की **वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS)**[20] में देशों की भागीदारी चार गुना बढ़ गई है।
    - **GLAAS (2015)** रोगाणुरोधी प्रतिरोध की निगरानी करने और विश्व भर में एंटीबायोटिक दवाइयों के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी एक व्यापक वैश्विक प्रणाली है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से क्या आशय है?

- AMR वह स्थिति है जिसमें **जीवाणु, विषाणु (Virus), कवक (Fungi) और परजीवी** उन दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं जो उन्हें नष्ट के लिए बनाई गई होती हैं। इसका अर्थ है कि **अब उन पर इन दवाइयों का असर नहीं होता** है।
    - जीवाणु, विषाणु और कवक के वे उपभेद (स्ट्रेन) जो अधिकांश रोगाणुरोधी दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, **सुपरबग** कहलाते हैं।
- दवा प्रतिरोध के कारण, रोगाणुरोधी दवाइयां असरदार नहीं रह जाती हैं और संक्रमणों का इलाज मुश्किल या असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, **बहु-औषधि प्रतिरोधी क्षय-रोग (MDR-TB)**[21]।
    - इससे रोग फैलने, गंभीर बीमारी होने और दिव्यांगता का खतरा बढ़ जाता है और लोगों की मृत्यु भी हो सकती है।
- AMR एक **प्राकृतिक प्रक्रिया** है जो समय के साथ रोगजनकों में आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण होती है।
    - हालांकि, मनुष्य से जुड़ी कई गतिविधियों के कारण इसका उद्भव और प्रसार तेजी से होता है।
- WHO ने AMR को **विश्व के समक्ष शीर्ष दस स्वास्थ्य खतरों में से एक** माना है।

AMR के प्रमुख कारण

मनुष्यों में एंटीबायोटिक का दुरुपयोग और अति-प्रयोग:
- लोग प्रायः बिना डॉक्टर की सलाह के स्वयं एंटीबायोटिक दवाएँ ले लेते हैं (क्योंकि ये ओवर-द-काउंटर आसानी से उपलब्ध होती हैं)।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र:
- गहन कृषि और पशुपालन क्षेत्र में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है (विशेषकर वृद्धि प्रोत्साहक के रूप में)।

औषधि निर्माण:
- एंटीबायोटिक के सक्रिय औषधीय घटकों (APIs) के उत्पादन से उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है।

स्वास्थ्य संस्थान:
- अनुपयोगी दवाओं का अनुचित प्रबंधन, मरीजों के अपशिष्ट और एक्सपायर दवाओं का अनुचित निपटान।

अपशिष्ट प्रबंधन की कमी:
- लैंडफिल से निकलने वाला तरल अपशिष्ट और बिना शोधन वाला अपशिष्ट जल (Wastewater) एंटीबायोटिक अवशेषों को फैलाता है।

अन्य कारण:
- मरीजों द्वारा उपचार को बीच में ही छोड़ देना आदि।

---

[20] Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System

[21] Multi-Drug-Resistant Tuberculosis

- इसे अक्सर **'मूक महामारी'** भी कहा जाता है।

AMR विश्व में लोगों के स्वास्थ्य के लिए ख़तरा क्यों है?

- **मृत्यु और रुग्णता:** जीवाणूजन्य AMR वर्ष 2019 में 12.7 लाख लोगों की मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था और वैश्विक स्तर पर लगभग 50 लाख मौतों में इसकी अप्रत्यक्ष भूमिका रही है।
- **आर्थिक प्रभाव:** प्रतिरोधी रोगाणुओं के संक्रमणों के कारण 2030 तक प्रति वर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है।
- **आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए चुनौती:** AMR के कारण संक्रमणों का इलाज कठिन होता जा रहा है और सर्जरी जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएं भी अधिक जोखिमपूर्ण बन गई हैं।
- **खाद्य सुरक्षा के लिए ख़तरा:** दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों से **पशुओं और पौधों के स्वास्थ्य पर प्रभाव** पड़ता है, जिससे खेती और पशुधन की उत्पादकता घटती है। इससे खाद्य आपूर्ति पर असर पड़ता है।

AMR से निपटने के लिए उठाए गए कदम

भारत में उठाए गए कदम

- **AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम:** इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य-देखभाल सेवा केंद्रों में रोगाणुरोधी दवाइयों के उपयोग की निगरानी करना है।
    - इस कार्यक्रम का समन्वय **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC)** द्वारा किया जाता है।
- **AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP–AMR), 2017:** यह **वन हेल्थ दृष्टिकोण** पर केंद्रित है। इसमें रोग नियंत्रण से जुड़े अलग-अलग मंत्रालय/विभाग शामिल हैं।
- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945[22]:** इस नियम की **अनुसूची H1** में सूचीबद्ध एंटीबायोटिक दवाइयों को केवल पंजीकृत चिकित्सक का पर्चा दिखाने पर ही दवा दुकानदारों द्वारा बेचा जाना आवश्यक है।
- **रेड लाइन जागरूकता अभियान:** इसके तहत जनता से अपील की जाती है कि जिन दवाइयों के पैकेट पर **लाल रंग की ऊर्ध्व रेखा (Red Line)** अंकित हो, उन दवाइयों को चिकित्सक की सलाह के बिना उपयोग न करें।
- **अन्य कदम**:
    - स्वास्थ्य के लिए खतरनाक **निश्चित खुराक दवा-संयोजनों (FDCs)[23]** पर प्रतिबंध लगाया गया है;
    - केरल सरकार की **ऑपरेशन अमृत (Operation AMRITH)** पहल का उद्देश्य डॉक्टर की पर्ची के बिना बेची जा रही एंटीबायोटिक दवाओं की पहचान करना और उनके उपयोग को नियंत्रित करना है।
        - यहां **अमृत/AMRITH** से आशय "**संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एएमआर उपाय (AMR Intervention for Total Health)** है।

वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम

- **वैश्विक कार्य योजना (GAP), 2015:** WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाई गई इस कार्य-योजना का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर AMR से निपटने की रणनीति बनाना है।
- **AMR पर चतुर्पक्षीय संयुक्त सचिवालय:** इसमें **WHO, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), और विश्व पशु-स्वास्थ्य संगठन (WOAH)** शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा का AMR पर राजनीतिक घोषणा-पत्र (2024):** इसके उद्देश्य हैं:
    - **जीवाणूजन्य AMR** से होने वाली मौतों की संख्या को कम से कम 10% तक घटाना।
    - मानव उपयोग में आने वाली कुल एंटीबायोटिक दवाओं की खपत का कम से कम 70% हिस्सा WHO के "अवेयर एक्सेस समूह (AWaRe Access Group)" के वर्गीकरण के अनुसार हो।
- **अन्य कदम**:
    - **विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW)** चलाया जा रहा है,
    - **अवेयर/AWaRe (एक्सेस, वाच, रिज़र्व) वर्गीकरण:** यह WHO द्वारा एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग को श्रेणीबद्ध करने की प्रणाली है।

---

[22] Drugs and Cosmetics Rules

[23] Fixed dose combinations

आगे की राह

* **एकीकृत उपायों को लागू करना चाहिए**: इन उपायों में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण; स्वच्छ जल, सफाई और स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देना; टीकाकरण, **रोगाणुरोधी दवाइयों का जिम्मेदारी से उपयोग (Antimicrobial stewardship)** सुनिश्चित करना और प्रयोगशालाओं की क्षमता को मजबूत करना शामिल हैं।
    * **'रोगाणुरोधी दवाइयों का जिम्मेदारी से उपयोग'** का उद्देश्य स्वास्थ्य-कर्मियों को शिक्षित और सक्षम बनाना है ताकि वे वैज्ञानिक **प्रमाणों पर आधारित दिशानिर्देशों** के अनुसार रोगाणुरोधी दवाओं की सलाह दें और उपयोग सुनिश्चित करें।
* **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना:** सभी फार्मासिस्ट संघों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और केवल मान्य पर्ची के आधार पर ही एंटीबायोटिक दवाइयां बेचनी चाहिए।
* **निगरानी बढ़ाना: विश्वसनीय निगरानी डेटा संग्रह** को बढ़ावा देना चाहिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कम उपलब्ता वाले क्षेत्रों से।
* **सही एंटीबायोटिक का चयन: अवेयर/AWaRe** की **'वॉच'** श्रेणी की एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम करें और **'एक्सेस'** श्रेणी की एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग बढ़ाएं।
* **अन्य सलाह**: कृषि क्षेत्रक और पशु-चिकित्सा में एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
    * **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)** जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार करना चाहिए।

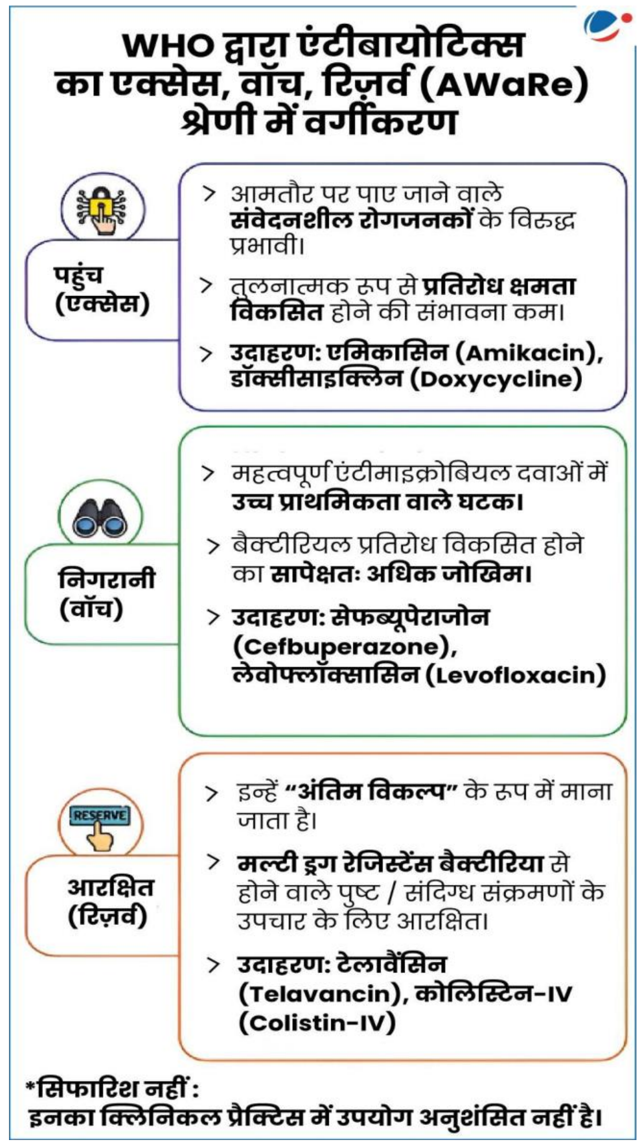

निष्कर्ष

रोगाणुरोधी प्रतिरोध विश्व में लोगों के स्वास्थ्य, खाद्य-सुरक्षा और सतत विकास के लिए गंभीर खतरा है। इससे निपटने के लिए **वन हेल्थ दृष्टिकोण** अपनाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण के तहत मानव, पशु और पर्यावरण की स्वास्थ्य समस्याओं से एकीकृत और समन्वित तरीके से निपटने की आवश्यकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग, निगरानी प्रणाली को मजबूत करने, और विश्व के देशों और संगठनों से सहयोग को बढ़ावा देने से मौजूदा रोगाणुरोधी दवाइयों की प्रभावशीलता को बनाए रखा जा सकता है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है।

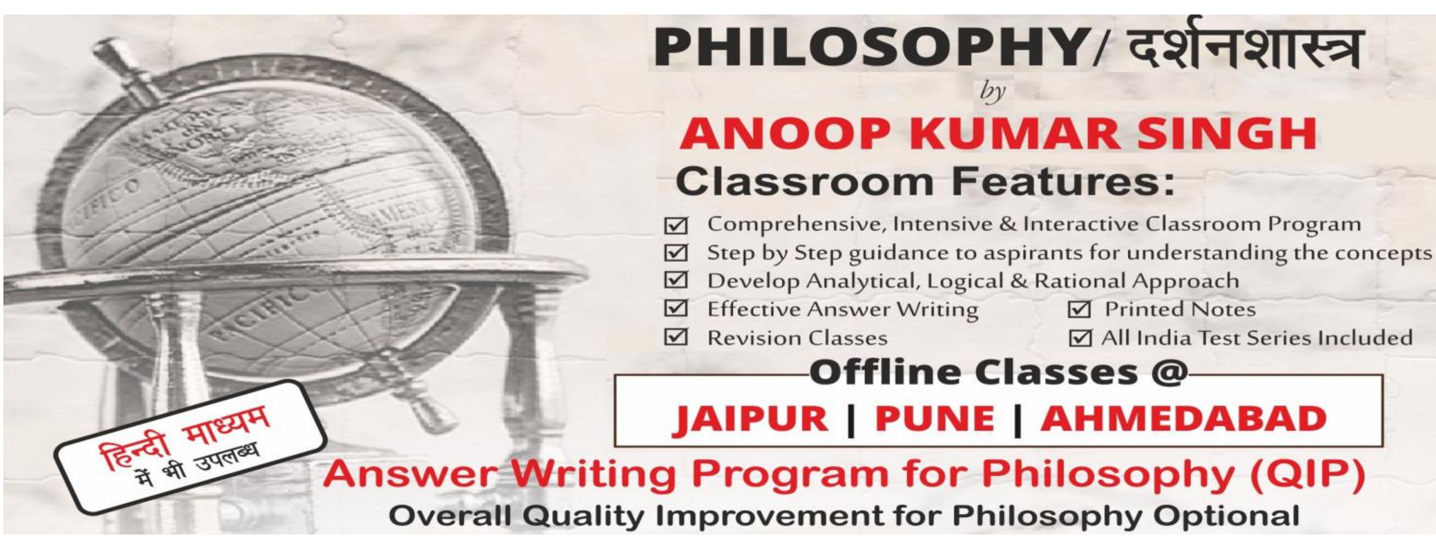

7.7. अन्य संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

7.7.1. माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना {Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project}

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने **माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (MBRAPP)** की आधारशिला रखी।

- **अवस्थिति: माही नदी** पर माही बांध के निकट **बांसवाड़ा, राजस्थान**।
- **क्षमता: 4 x 700 MWe PHWR** {स्वदेशी **प्रेसराइज़्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWRs)** की 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ}।
- इसका विकास **अणुशक्ति विद्युत निगम (ASHVINI)** द्वारा किया जाएगा। यह **न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC)** का एक संयुक्त उद्यम है।
- यह परियोजना भारत की **'फ्लीट मोड (Fleet mode)' पहल** का हिस्सा है।
    - इस पहल के तहत, **दस एकसमान 700 MW रिएक्टर** पूरे भारत में **समान डिजाइन और खरीद योजनाओं** के तहत बनाए जा रहे हैं।

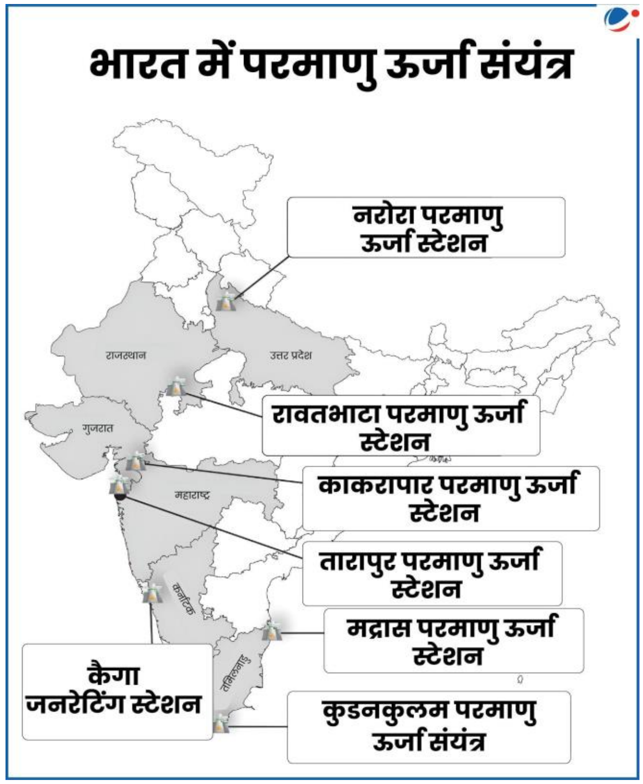

भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता

- भारत में वर्तमान में **7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 24 रिएक्टर** हैं। इनकी स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता **8180 मेगावाट (MW)** है (30 जनवरी, 2025)।
    - सरकार ने इसे **2031-32 तक बढ़ाकर 22,480 MW** करने की योजना बनाई है।
- 2022-23 में भारत के **कुल विद्युत उत्पादन में** परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी **3.61%** थी। यह इसे **पाँचवाँ सबसे बड़ा गैर-जीवाश्म ईंधन** विद्युत स्रोत बनाता है।
- भारत वर्तमान में अपने **तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम (NPP)** के **पहले चरण** में है।
    - **पहला चरण यूरेनियम-ईंधन वाले PHWRs** पर आधारित है।
    - **दूसरा और तीसरा चरण** क्रमशः **प्लूटोनियम-ईंधन और थोरियम** का उपयोग करके **फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs)** पर आधारित हैं।

7.7.2. प्रथम पूर्ण स्वदेशी 4G (5G-रेडी) नेटवर्क का शुभारंभ {Launch of First Fully Indigenous 4G (5G-Ready) Network}

हाल ही में, **BSNL द्वारा** भारत का पहला पूरी तरह से **स्वदेशी 4G (5G-रेडी) नेटवर्क शुरू** किया गया है। इसे **C-DOT, तेजस और TCS** के बीच सहयोग से विकसित किया गया है।

- यह भारत को **5G को तेज़ी से अपनाने** और **6G के लिए आधार तैयार** करने हेतु प्रौद्योगिकियों को तुरंत विकसित करने की **क्षमता** प्रदान करता है।

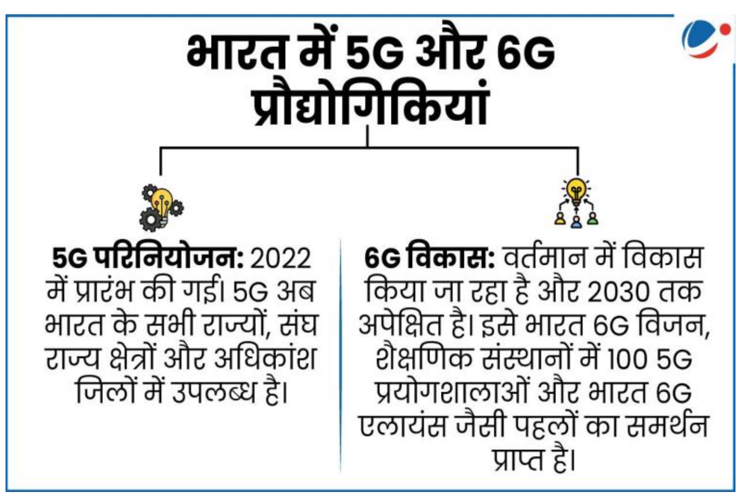

स्वदेशी 4G स्टैक का महत्व

- **सामरिक स्वायत्तता:** यह भारत को अपनी दूरसंचार अवसंरचना को खुद से **नियंत्रित करने के लिए सशक्त** बनाएगा। इससे विदेशी प्रौद्योगिकियों और विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता कम होगी और **राष्ट्रीय सुरक्षा** सुनिश्चित होगी।

- **क्लाउड नेटिव:** यह **नेटवर्क को तेजी से आधुनिक बनाने, क्षमता बढ़ाने** और **5G को अपनाने को आसान बनाएगा।**
- **उपलब्धता में सुधार:** यह **जनजातीय क्षेत्रों, दूरस्थ गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों** को **बेहतर डिजिटल सेवाएँ** प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचा सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला का विकास: देश में ही विनिर्माण और उपयोग** रोज़गार पैदा कर रहा है **आपूर्ति व्यवस्था में सुधार** कर रहा है, और **कुशल घरेलू कार्यबल** तैयार कर रहा है।
- **तकनीकी क्षमता:** इसके साथ, भारत अब **विश्व स्तर पर उन चुनिंदा पांच राष्ट्रों** में से एक बन गया है जिनके पास पूरी तरह से **स्वदेशी 4G सेवाएं शुरू** करने की क्षमता है।

7.7.3. 'अनुसंधान विकास एवं नवाचार' योजना के लिए दिशा-निर्देश और 'विशेष प्रयोज्य निधि' को मंजूरी दी गई {Guidelines and Special Purpose Fund (SPF) for Research Development and Innovation (RDI) Scheme Approved}

इसे **अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (ANRF) की कार्यकारी परिषद** ने स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य **योजना का सुगम कार्यान्वयन, निजी क्षेत्र की प्रभावी भागीदारी और दीर्घकालिक नवाचार सुनिश्चित** करना है।

- ANRF की स्थापना **अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (ANRF) अधिनियम, 2023** के तहत की गई है।
- यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाले एक **शीर्ष निकाय** के रूप में कार्य करता है।
- **2008 के अधिनियम** द्वारा स्थापित **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) का विलय ANRF** में कर दिया गया है।

Digital Current Affairs
अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें।

अनुसंधान विकास एवं नवाचार (RDI) योजना के बारे में

- **परिचय: 1 जुलाई, 2025** को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **1 लाख करोड़ रुपये की RDI निधि** स्थापित की गई है।
- **नोडल विभाग: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)।**
- **वित्त-पोषण संरचना:** दो स्तरीय।
    - **विशेष प्रयोज्य निधि (SPF):** इसे **अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (ANRF) के तहत प्रथम स्तर के संरक्षक** के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाएगा।
    - **द्वितीय-स्तरीय निधि प्रबंधक (SLFMs):** इसमें वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs), विकास वित्त संस्थान (DIFs), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) या केंद्रीकृत अनुसंधान संगठन (FROs) जैसे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDP), जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC), IIT अनुसंधान पार्क आदि शामिल हैं।
- **कौन शामिल नहीं होगा:** इसके तहत **अनुदान और अल्पकालिक ऋण हेतु सहायता नहीं** दी जाएगी।
- **कवरेज:** इसके तहत प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRLs)[24] 4 और उससे ऊपर की रूपांतरणकारी RDI परियोजनाओं के लिए **अनुमानित परियोजना लागत का 50%** तक वित्त-पोषित किया जा सकता है।

[24] Technology Readiness Levels

RDI योजना के मुख्य उद्देश्य

- सबसे उन्नत और नवीन प्रौद्योगिकी साधनों के शोध और नवाचार में **सक्रिय निजी क्षेत्र की भागीदारी** को प्रोत्साहित करना।
- क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष आदि जैसी **'डीप टेक्नोलॉजी'** सहित सामरिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- सामरिक या आर्थिक कारणों से **आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा** देना।
- जनहित के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त क्षेत्र या तकनीक के लिए क्षेत्रीय समर्थन में **लचीलापन सुनिश्चित करना।**

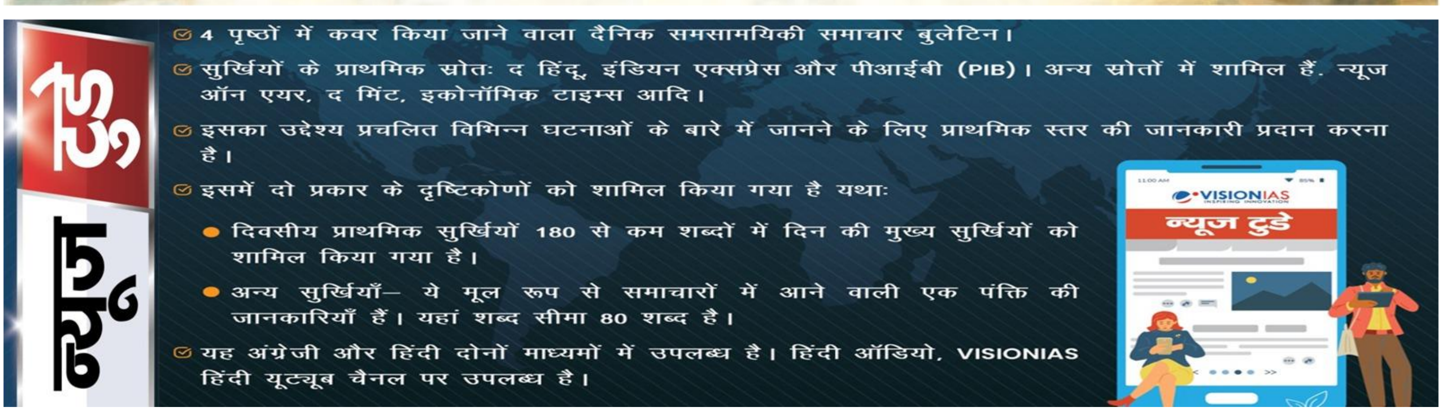

8. कला एवं संस्कृति (Culture)

8.1. श्री नारायण गुरु (Sree Narayana Guru)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने केरल में श्री नारायण गुरु के **महासमाधि शताब्दी समारोह** का उद्घाटन किया।

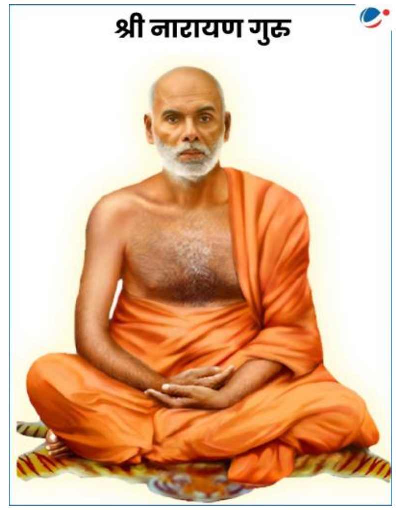

श्री नारायण गुरु के बारे में (1856–1928)

- **जन्म स्थान:** उनका जन्म **चेम्पाझंति** नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान **तिरुवनंतपुरम (केरल)** के पास है।
  - वे **एझवा** समुदाय से थे, जो उस समय **केरल के जाति-आधारित समाज में पिछड़ा और अस्पृश्य** माना जाता था तथा **सामाजिक अन्याय** का शिकार था।
- **मुख्य विवरण:**
  - वह एक **संत, दार्शनिक, कवि, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक** थे। उन्होंने तत्कालीन **जाति व्यवस्था** का विरोध किया।
  - वह अपने अनुयायियों के बीच आमतौर पर **गुरुदेवन** के नाम से जाने जाते थे।

प्रमुख योगदान

- **शिक्षाएँ और सिद्धांत:**
  - उन्होंने **आत्म-शुद्धि, सादगी और सार्वभौमिक प्रेम** पर बल दिया।
  - उन्होंने सभी **"मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर"** के सिद्धांत का समर्थन किया।
  - उनका मानना था कि वास्तविक मुक्ति अंधविश्वास से नहीं बल्कि **ज्ञान और करुणा** से आती है।
  - उन्होंने **शिक्षा को मानव प्रगति और समृद्धि का एकमात्र साधन** माना और कहा कि शिक्षा ही **अंधविश्वास, भेदभाव और सामाजिक बुराइयों** के उन्मूलन का सर्वोत्तम साधन है।
    - उन्होंने **महिलाओं के लिए समान अवसर** का समर्थन किया और केरल में जगह-जगह स्कूलों की स्थापना की।
  - उन्होंने 1913 में **आलूवा में अद्वैत आश्रम** की स्थापना की।
    - यह आश्रम **"ओम सहोदरयं सर्वत्र"** (ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं) के सिद्धांत पर आधारित था।
- **अन्य प्रमुख योगदान**
  - **मंदिर में प्रवेश:** उन्होंने मंदिर में प्रवेश के समान अधिकारों के लिए **अरुविप्पुरम आंदोलन की शुरुआत की**।
    - 1888 में, श्री नारायण गुरु ने नेय्यार नदी में स्नान के लिए डुबकी लगाई और एक **शिवलिंग** साथ लेकर बाहर निकले।
    - उन्होंने उस शिवलिंग प्रतिमा को एक **अस्थायी मंदिर में स्थापित** किया। ऐसा करके उन्होंने **पूजा में जाति-आधारित भेदभाव की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया।**
    - यह घटना **वंचित समुदायों के सशक्तिकरण** का प्रतीक बनी, जिसने उन्हें **पूजा करने का समान अधिकार** दिलाने में मदद की।
  - **एझवा समुदाय:** उन्होंने 1903 में एझवा समुदाय के उत्थान के लिए **'श्री नारायण धर्म परिपालन योगम' नामक** संगठन की स्थापना की।
    - यह आंदोलन **आत्मनिर्णय की खोज में हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या के दृष्टिकोण** पर आधारित था।
    - यह **नई विचारधारा आत्म-सम्मान, गरिमा और व्यक्ति के मूल्य** के सिद्धांत पर आधारित थी।
    - यह **पदानुक्रम और दुर्व्यवहार की ब्राह्मणवादी मूल्य व्यवस्था के खिलाफ विरोध** की विचारधारा थी।
    - श्री नारायण गुरु ने **नए संस्थानों** जैसे **मंदिरों के पुजारी, भिक्षु** और **मठों** की स्थापना करके **एक समानांतर धार्मिक व्यवस्था** स्थापित करने का प्रयास किया।
  - **वायकोम सत्याग्रह:** उन्होंने त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए चलाए जा रहे **वायकोम सत्याग्रह (1924-25)** का समर्थन किया।
    - **वायकोम सत्याग्रह मंदिर में प्रवेश** हेतु एक **ऐतिहासिक अहिंसक आंदोलन था**। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ त्रावणकोर (केरल क्षेत्र) की रियासत के एक शहर वायकोम में शुरू हुआ था।

- यह आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि **निम्न जाति के हिंदुओं को वायकोम महादेव मंदिर** में प्रवेश करने से वंचित रखा गया था।
- इस आंदोलन के प्रमुख नेता **टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन** और **के. केलप्पन ('केरल के गांधी')** थे।

- **रचनाएं:** अनुकम्बा दसकम, ब्रह्मविद्या पंचकम, आश्रमम, भद्रकालियाष्टकम, आत्मोपदेश शतकम, अद्वैत दीपिका, दैव दसकम, आदि।

निष्कर्ष

श्री नारायण गुरु का जीवन और उनके उपदेश **सामाजिक समानता, आध्यात्मिक ज्ञान और मानव गरिमा** के प्रतीक हैं। अपने सुधारवादी आंदोलनों और मंदिर-प्रवेश की पहलों के माध्यम से, उन्होंने भयावह **जातिगत भेदभावों** को चुनौती दी और कई पीढ़ियों को न्याय तथा सद्भाव की ओर प्रेरित किया।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. वंदे मातरम (Vande Mataram)

केंद्र सरकार ने पूरे देश में **राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ** मनाने की घोषणा की।

वंदे मातरम के बारे में:

वंदे मातरम के बारे में

- **उत्पत्ति: बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत** में इसकी रचना की थी और पहली बार इसे **'आनंदमठ' (1882)** उपन्यास में प्रकाशित किया गया था।
- **24 जनवरी 1950** को इसे **राष्ट्र गान (जन गण मन)** के बराबर दर्जा दिया गया।
  - **'जन गण मन'** मूल रूप से **रवींद्रनाथ टैगोर** द्वारा **बांग्ला भाषा** में रचा गया था। **24 जनवरी 1950** को संविधान सभा ने इसे **हिंदी संस्करण** में अपनाया था।
- **थीम (विषय):** यह गीत **भारत माता को समर्पित** है तथा **भक्ति, साहस और एकता** की भावना को प्रेरित करता है।
- इसे **रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन** में गाया था।

8.2.2. बामियान बुद्ध (Bamiyan Buddhas)

हाल ही में, **बामियान बुद्ध** सुर्ख़ियों में थे।

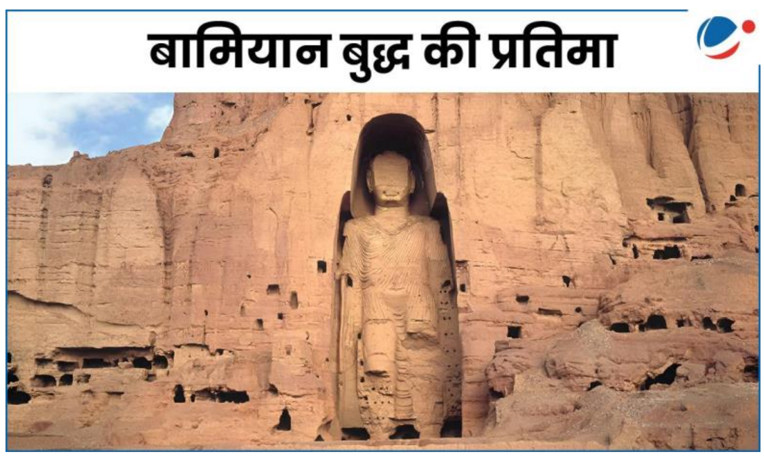

बामियान बुद्ध प्रतिमाओं के बारे में

- **अवस्थिति:** मध्य **अफगानिस्तान में बामियान घाटी** की बलुआ पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण है।
- **अवधि: छठी शताब्दी** में निर्मित।
- **कलात्मक महत्त्व:** ये प्रतिमाएं **गांधार बौद्ध कला** का उदाहरण प्रस्तुत करती थीं।
  - ये **मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार** से निकटता से जुड़ी थीं।
- **विध्वंस:** इसे **तालिबान द्वारा 2001 में नष्ट** कर दिया गया।
- **यूनेस्को द्वारा मान्यता:** बामियान घाटी को 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

8.2.3. बथुकम्मा उत्सव (Bathukamma Festival)

हाल ही में, तेलंगाना में आयोजित बथुकम्मा उत्सव ने **दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज किए।**

बथुकम्मा उत्सव के बारे में

- यह **फूलों का त्योहार** है जिसे **तेलंगाना** और **आंध्र प्रदेश** के कुछ हिस्सों में **महिलाओं** द्वारा मनाया जाना जाता है।
- यह प्रत्येक वर्ष **दुर्गा नवरात्रि** के दौरान **नौ दिनों** तक मनाया जाता है।

* इस उत्सव के दौरान **बथुकम्मा** तैयार किया जाता है। यह **औषधीय महत्व** वाले मौसमी फूलों का उपयोग करके **फूलों को सजाने की एक पारंपरिक कला** है।
* **'बथुकम्मा'** का अर्थ है **"माँ देवी जीवित हो जाएं"** और यह **देवी पार्वती** को समर्पित है।
* इसे **तेलंगाना का राजकीय उत्सव** (स्टेट फेस्टिवल) घोषित किया गया है।

8.2.4. नोबेल शांति पुरस्कार 2025 (Nobel Peace Prize 2025)

वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार **मारिया कोरिना मचाडो** को दिया गया है।

* यह पुरस्कार **वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायसंगत एवं शांतिपूर्ण बदलाव** हेतु **मचाडो के संघर्ष** के लिए दिया गया है।

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में

* नोबेल शांति पुरस्कार की **स्थापना 1901** में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पुरस्कार निम्नलिखित चार मुख्य क्षेत्रों में प्रयासों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता रहा है:
  * **शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण;**
  * **शांति वार्ता;**
  * **लोकतंत्र और मानवाधिकार;**
  * **बेहतर तरीके से संगठित और अधिक शांतिपूर्ण विश्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया कार्य।**
* **नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक:**
  * मदर टेरेसा (1979); तथा
  * कैलाश सत्यार्थी (2014)

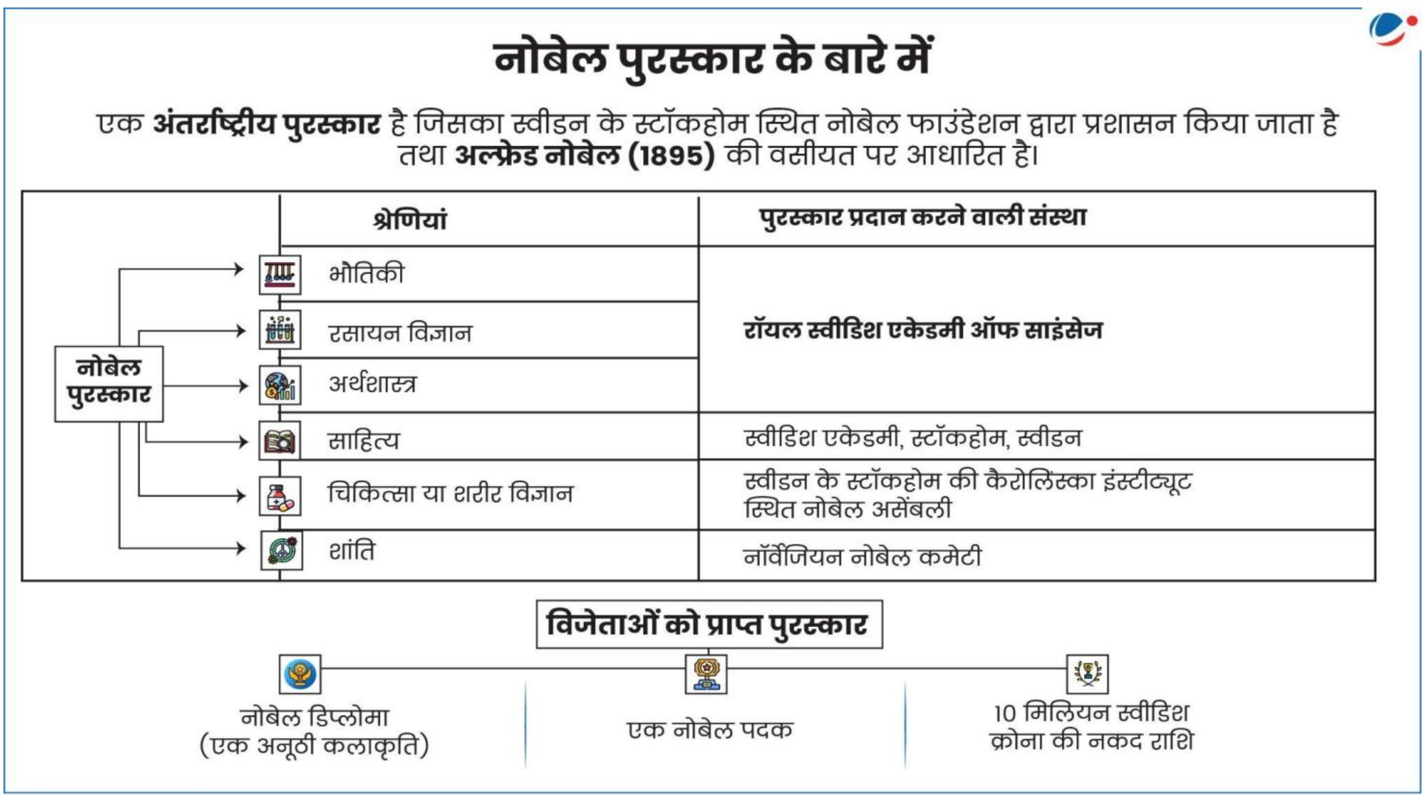

8.2.5. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Para Athletics Championship)

भारत ने **वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में रिकॉर्ड 22 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण पदक शामिल** हैं। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

* भारत ने **पहली बार (2025) वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी** की और ऐसा करने वाला **चौथा एशियाई देश** बना।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के बारे में:

- पैरा एथलेटिक्स, **पैरा ओलंपिक मूवमेंट** का सबसे बड़ा खेल है।
- **पहली** पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता **1952 में आयोजित** की गई थी।
- इसका संचालन **इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी (IPC)** करती है। **इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं—**
  - **पैरालंपिक खेल:** ये **हर चार वर्ष** में आयोजित होते हैं।
  - **वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप: हर दो वर्ष** में आयोजित की जाती है।
  - **वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स: 2013 से हर वर्ष** अलग-अलग शहरों में आयोजित की जा रही है।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. समावेशी संवृद्धि (Inclusive Growth)

परिचय

विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, भारत में **चरम निर्धनता** का स्तर घटकर **2.3%** रह गया है और **उपभोग-आधारित गिनी गुणांक** घटकर **25.5** हो गया है। इन आकड़ों की माने तो भारत **विश्व का चौथा सबसे समावेशी संवृद्धि वाला देश** बन गया है। हालांकि, दूसरी तरफ, **आय-आधारित गिनी गुणांक** (विश्व असमानता डाटाबेस के अनुसार) **61** तक पहुंच गया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि देश में **आय असमानता अभी भी** बनी हुई है। यह विरोधाभास इस बात पर बल देता है कि **आर्थिक विकास में वितरणात्मक न्याय को शामिल** किया जाना चाहिए और **सभी के लिए बुनियादी सेवाओं तक समान पहुँच** सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि **संवृद्धि वास्तव में समावेशी** बन सके।

समावेशी संवृद्धि में अंतर्निहित प्रमुख नैतिक सिद्धांत

- **गांधीजी के सिद्धांत**
  - **ट्रस्टीशिप सिद्धांत:** इसके जरिए गांधीजी ने व्यवसाय मालिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी संपत्ति को केवल खुद का न मानकर उसका कुछ हिस्सा समाज के लिए मानें।
    - व्यवसाय मालिकों को संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें अपनी संपत्ति का केवल एक उचित हिस्सा अपने पास रखना चाहिए और शेष हिस्से को समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए।
  - **गांधी का मूल मंत्र:** गांधीजी ने कहा हर निर्णय लेते समय यह सोचो कि उसका प्रभाव **समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा।**
  - **गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत:** इसके जरिए गांधीजी ने ऐसे विकास की कल्पना की है जो समाज के सभी वर्गों का उत्थान करे, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का।
- **निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत (Categorical Imperative):** कांट के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत के अनुसार, कोई भी कर्म तभी नैतिक रूप से उचित माना जा सकता है जब उसे सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार किया जा सके।
  - यदि विकास की प्रक्रिया में **वंचित और कमजोर वर्गों को बाहर रखा जाए**, तो यह **नैतिक कसौटी के आधार पर ठीक नही होगा**, क्योंकि **असमानता को** विरोधाभास के बिना **सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता।**
- **रॉल्स का अंतर सिद्धांत (Rawls' Difference Principle):** दार्शनिक **जॉन रॉल्स** के अनुसार, समाज में किसी भी असमानता को केवल तभी स्वीकार्य किया जाना चाहिए कि इससे समाज के सबसे वंचित वर्ग को लाभ हो।
  - **उदाहरण के लिए:** प्रगतिशील कराधान और **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** के तहत समाज के सबसे संपन्न लोगों पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है। इससे प्राप्त धन का उपयोग समाज के गरीब लोगों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के वित्त-पोषण हेतु किया जाता है।
- **संवैधानिक नैतिकता:** इसका मतलब है कि केवल संविधान में उल्लिखित शब्दों का ही नहीं, बल्कि उसकी मूल भावना का भी पालन करना करना चाहिए। मूल भावना में समानता, न्याय, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा जैसे मूल्य शामिल हैं।
- **धार्मिक प्रतिबंध**
  - **महाभारत:** यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त धन है तो उस व्यक्ति को अपने अतिरिक्त धन का इस्तेमाल निर्धन लोगों के कल्याण के लिए करना चाहिए। यही कारण है कि सृष्टिकर्ता ने धन वृद्धि का विधान किया है।
  - **जैन धर्म: अपरिग्रह का सिद्धांत** धन संचय नहीं करने की बात करता है। इसके बजाय, संसाधनों को साझा करना चाहिए, ताकि समाज में समानता और समावेशन बना रहे।

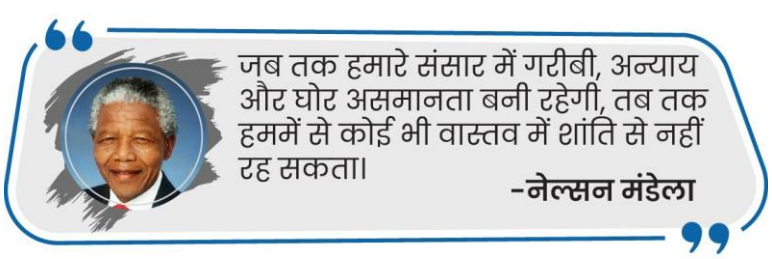

  - **इस्लाम: जकात (अनिवार्य दान) का सिद्धांत** बताता है कि हर संपन्न व्यक्ति को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए देना चाहिए। इससे धन का पुनर्वितरण होता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है।

- **स्च्यूअर्डशिप थ्योरी:** इसके तहत यह माना जाता है कि धन और संसाधन ईश्वर के उपहार हैं और मनुष्य को इन्हें स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सभी के कल्याण के लिए जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना चाहिए।

प्रमुख हितधारक और उनकी भूमिका

सरकार	• **संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों** (अनुच्छेद 38, 39, 46) में प्रावधान है कि राज्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बाध्य है। • **नीतिगत भूमिका निभाना: प्रगतिशील कराधान, मनरेगा** जैसी कल्याणकारी योजनाएं और **सार्वजनिक सेवाओं** (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता) का उद्देश्य असमानताएं समाप्त करना है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	• **वैश्विक असमानताओं को कम करना:** UNDP, विश्व बैंक और IMF जैसी एजेंसियां **SDGs (सतत विकास लक्ष्य)** को बढ़ावा देती हैं, जो वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच के अंतर को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इक्विटी, गरीबी उन्मूलन और संधारणीयता के लक्ष्यों के अनुरूप हैं। • UNDP, विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाएँ **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को बढ़ावा देती हैं। इनका उद्देश्य समानता, गरीबी उन्मूलन और संधारणीयता सुनिश्चित करना है। इनका अन्य फोकस वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच की खाई को कम करने पर है। ○ **उदाहरण के लिए:** स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए विश्व बैंक की वैश्विक वित्त-पोषण सुविधा।
नागरिक समाज	• **नैतिक आवाज़ के रूप में कार्य करना:** NGOs, सामुदायिक संगठन और नागरिक समूह हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज सुनाने के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। • **समर्थक की भूमिका निभाना:** ये जनमत तैयार करते हैं, अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं और सरकार से न्यायसंगत विकास के लिए जवाबदेही की मांग करते हैं।

निगम/ निजी हितधारक	• **बदलते दृष्टिकोण के साथ हित**
	  ○ **शेयरधारक दृष्टिकोण:** इसका लक्ष्य लाभ को अधिकतम करने और निवेश पर अधिक रिटर्न प्राप्त करना होता है। (अल्पकालिक संवृद्धि)
	  ○ **हितधारक दृष्टिकोण:** यह कर्मचारियों, समुदायों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन करने पर केंद्रित है। (दीर्घकालिक संवृद्धि)

समावेशी संवृद्धि का मार्ग

- **शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता:** निर्णय प्रक्रिया को **निष्पक्ष, नैतिक और समावेशी** बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके।
  - **उदाहरण के लिए: CPGRAMS (एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)** नागरिकों को सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **अमर्त्य सेन का "क्षमता दृष्टिकोण" अपनाना:** विकास का केंद्र मानव होना चाहिए यानी लोगों को शिक्षा, कौशल विकास आदि तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।
  - **उदाहरण के लिए:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है।
- **नैतिक कॉर्पोरेट प्रथाओं को बढ़ावा देना: CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी), उचित वेतन, और हितधारक-उन्मुख शासन** को प्रोत्साहित करना।
  - **उदाहरण के लिए:** महिंद्रा एंड महिंद्रा का **प्रोजेक्ट नन्ही कली** वंचित बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य करता है।
- **सतत विकास: अंतर-पीढ़ीगत न्याय** सुनिश्चित करने के लिए विकास नीतियों में **पर्यावरण न्याय** को शामिल किया जाना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए:** भारत द्वारा COP26 (2021) में शुरू की गई **LiFE/ लाइफ पहल सोच-समझकर** उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है।
- **समावेशी मूल्यों को अपनाना:** बचपन से ही स्कूलों और परिवारों के माध्यम से बच्चों में **सहानुभूति, सामाजिक जिम्मेदारी, समानता** जैसे समावेशी मूल्यों को विकसित करना चाहिए।

- **उदाहरण के लिए:** एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के मूल्य-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का लाभ उठाया जा सकता है।

अपनी नैतिक अभिवृति का परीक्षण कीजिए

आप एक अर्ध-शहरी ज़िले के ज़िला कलेक्टर हैं जहां उद्योग और आई.टी. पार्क तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। इससे नए रोज़गार पैदा हो रहे हैं और सरकार को ज़्यादा राजस्व मिल रहा है। हालांकि साथ ही, गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों को विस्थापित किया जा रहा है और आय का अंतर बढ़ रहा है, आदि।

कुछ कंपनियाँ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत स्कूलों और अस्पतालों पर पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन इसका लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिल रहा है। लोग नाराज़ हैं और खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। नागरिक समाज समूह प्रशासन पर लोगों की जगह निगमों की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर, उद्योगपति नियमों और देरी से नाखुश हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि ये विकास को धीमा कर देते हैं।

मुख्यमंत्री ने आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आपके ज़िले में विकास न केवल तीव्र हो, बल्कि संतुलित और समावेशी भी हो।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस स्थिति में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में आने वाली प्रमुख नैतिक समस्याओं और दुविधाओं की पहचान कीजिए।
- अपने ज़िले में आर्थिक रूप से जीवंत और सामाजिक रूप से समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आप जो व्यावहारिक और नैतिक नीतिगत उपाय अपनाएँगे, उनका उल्लेख कीजिए।

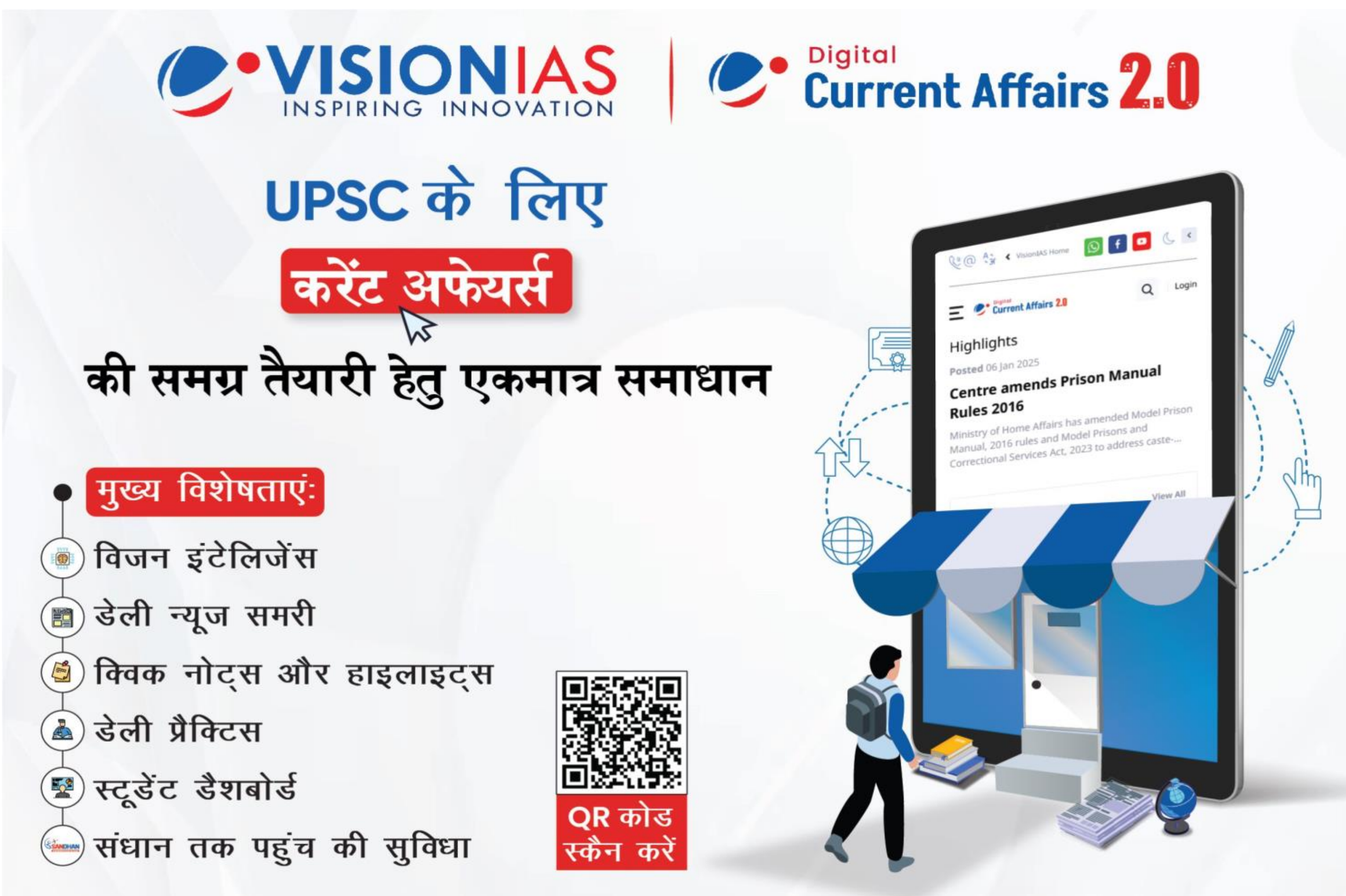

10. सुर्ख़ियों में रही प्रमुख योजनाएं (Schemes in News)

10.1. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) {MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I** में संशोधन किया है। इसके तहत ग्रामीण ब्लॉकों में जल संरक्षण और संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

<table>
<tr><th>योजना के मुख्य उद्देश्य</th><th>योजना की प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

ग्रामीण क्षेत्रों में माँग के अनुसार प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम गारंटीशुदा रोज़गार के रूप में प्रदान करना।
गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना।
सामाजिक समावेशन को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना।
पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना।

</td><td>
प्रमुख संशोधन

भूजल वर्गीकरण में 'अति-दोहित' (Over-exploited), 'क्रिटिकल' (Critical), 'सेमी-क्रिटिकल' (Semi-critical), और 'सेफ' (Safe) के रूप में वर्गीकृत ब्लॉकों को कार्रवाई के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा।
जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन ब्लॉकों में कुल परियोजना लागत का न्यूनतम हिस्सा जल-संबंधी कार्यों पर निम्नानुसार खर्च किया जाए:

65% अति-दोहित और क्रिटिकल ग्रामीण ब्लॉकों में
40% सेमी-क्रिटिकल ग्रामीण ब्लॉकों में
30% सेफ ग्रामीण ब्लॉकों में

मूल्यांकन इकाइयों का वर्गीकरण डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट (केंद्रीय भूजल बोर्ड) के अनुसार होगा।

<table>
<tr><th>भूजल निष्कर्षण का चरण</th><th>श्रेणी</th></tr>
<tr><td>≤ 70%</td><td>सुरक्षित</td></tr>
<tr><td>> 70% और ≤90%</td><td>अर्ध-संकटमय</td></tr>
<tr><td>> 90% और ≤100%</td><td>संकटमय</td></tr>
<tr><td>> 100%</td><td>अत्यधिक दोहन</td></tr>
</table>
MGNREGA के बारे में:

शुरुआत: 2005
प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना (60:40 केंद्र और राज्यों द्वारा)
मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
कुल परिव्यय: 86,000 करोड़ रूपये (केंद्रीय बजट 2025)।
लाभार्थी: ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के सभी सदस्य।
कवरेज: 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश।
निगरानी: ग्राम सभा द्वारा सामाजिक ऑडिट।
मजदूरी दर का आधार:

CPI-AL (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक)।
प्रत्येक राज्य/ संघ शासित क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।

अतिरिक्त 50 दिन का अकुशल मज़दूरी रोज़गार एक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के दौरान:

सूखा/ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र, और
वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों के लिए, बशर्ते इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत दिए गए भूमि अधिकारों को छोड़कर कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।
राज्य सरकारें अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अपने स्वयं के धन से अतिरिक्त दिनों के रोज़गार का प्रावधान कर सकती हैं।

</td></tr>
</table>

	• **काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता** देने का अधिकार दिया गया है और मजदूरी भुगतान **15 दिनों में** करना अनिवार्य किया गया है।
	   ○ **विलंब मुआवजा** मस्टर रोल बंद होने के **16वें दिन के बाद** देरी की अवधि के लिए प्रति दिन **अदत्त मजदूरी के 0.05%** की दर से दिया जाएगा।
	• **मनरेगा के तहत श्रमिकों की विशेष श्रेणी (सुभेद्य समूह):**
	   ○ इसमें **दिव्यांग व्यक्ति, आदिम जनजातीय समूह**, खानाबदोश जनजातीय समूह, विमुक्त जनजातियां, विशेष परिस्थितियों में महिलाएं, **वरिष्ठ नागरिक (65 वर्ष से अधिक आयु), HIV पॉजिटिव व्यक्ति**, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति और **पुनर्वासित बंधुआ मजदूर** शामिल हैं।
	• **मनरेगा की मुख्य प्रक्रियात्मक विशेषताएं:**
	   ○ ग्राम पंचायत स्तर पर **मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40** पर बनाए रखा जाना चाहिए।
	   ○ इस अधिनियम के तहत पंजीकृत और काम का अनुरोध करने वाले लाभार्थियों में कम-से-कम **1/3 भाग महिलाएं** होंगी।
	• **अन्य मुख्य विशेषताएं:**
	   ○ **जियो-मनरेगा:** इसके तहत परिसंपत्ति निर्माण के **"पहले", "दौरान" और "बाद"** के चरणों में **जियोटैगिंग** द्वारा परिसंपत्ति निर्माण को ट्रैक किया जाता है।
	   ○ **प्रोजेक्ट 'उन्नति' (Project 'UNNATI'):** इसका उद्देश्य मनरेगा लाभार्थियों को **कौशल प्रदान** करना है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोज़गार से **पूर्णकालिक रोजगार** की ओर बढ़ सकें।
	उपलब्धियां:
	• मनरेगा **विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण** कार्यक्रम बन गया है।
	• महिलाओं की भागीदारी **2014 के 48% से बढ़कर 2025 में 58%** हो गई है।

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह के विषय का व्यापक कवरेज

विषय	विवरण	विस्तृत विवरण
सेमीकंडक्टर: डिजिटल अर्थव्यवस्था का 'नया तेल' और वैश्विक लचीलेपन के लिए भारत की खोज	एक अन्तर्संबद्ध विश्व व्यवस्था में, सेमीकंडक्टर आधुनिक जीवन के "गुप्त मस्तिष्क" की तरह है, लेकिन इसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भू-राजनीतिक जोखिमों से भरी हुई है। जैसे-जैसे राष्ट्र तकनीकी श्रेष्ठता की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं, भारत भी केवल इन महत्वपूर्ण घटकों का उपभोक्ता मात्र बने रहने में संतुष्ट नहीं है; बल्कि यह उनके उत्पादन में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकल पड़ा है। यह लेख यह उजागर करेगा कि भारत आत्मनिर्भर चिप इकोसिस्टम के निर्माण की योजना किस प्रकार बना रहा है तथा यह मूक क्रांति इसके भविष्य, इसकी सुरक्षा और वैश्विक मंच पर इसके स्थान के लिए क्या मायने रखती है।	
भारत की ऊर्जा सुरक्षा: विकास और स्थिरता के बीच संतुलन	भारत की तीव्र विकास दर और जलवायु प्रतिबद्धताओं के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है। इस लेख में इसके महत्व को समझाया गया है। आयात निर्भरता और अवसंरचना की कमी जैसी प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है तथा वर्तमान पहलों की समीक्षा की गई है और एक अनुकुलानशील, संधारणीय, और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए रणनीतियों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है।	
संयुक्त राष्ट्र@80: 21वीं सदी के लिए वैश्विक शासन की पुनर्कल्पना	संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूर्ण किए, ऐसे में आज की जटिल वैश्विक परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं। इस लेख में संयुक्त राष्ट्र के उद्भव, उपलब्धियों और कमियों का विश्लेषण किया गया है तथा इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। लेख में भारत की भूमिका और दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है एवं एक अधिक समावेशी तथा प्रभावी वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।	
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के 10 वर्ष	दुनिया भर में SDGs (सतत विकास लक्ष्यों) को लागू किए जाने के दस वर्ष पूरे हो गए हैं। इस लेख में 2030 एजेंडा की दिशा में वैश्विक और राष्ट्रीय प्रगति की समीक्षा की गई है। लेख में इस दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों और चुनौतियों की समीक्षा की गई है, भारत की सफल कहानियों और स्थानीयकरण के प्रयासों को दिखाया गया है, वित्त-पोषण और असमानता जैसी निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों की पड़ताल की गई है, एवं समावेशी, जलवायु-अनुकूल और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास में तेजी लाने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

सुर्खियों में रहे स्थल

भारत

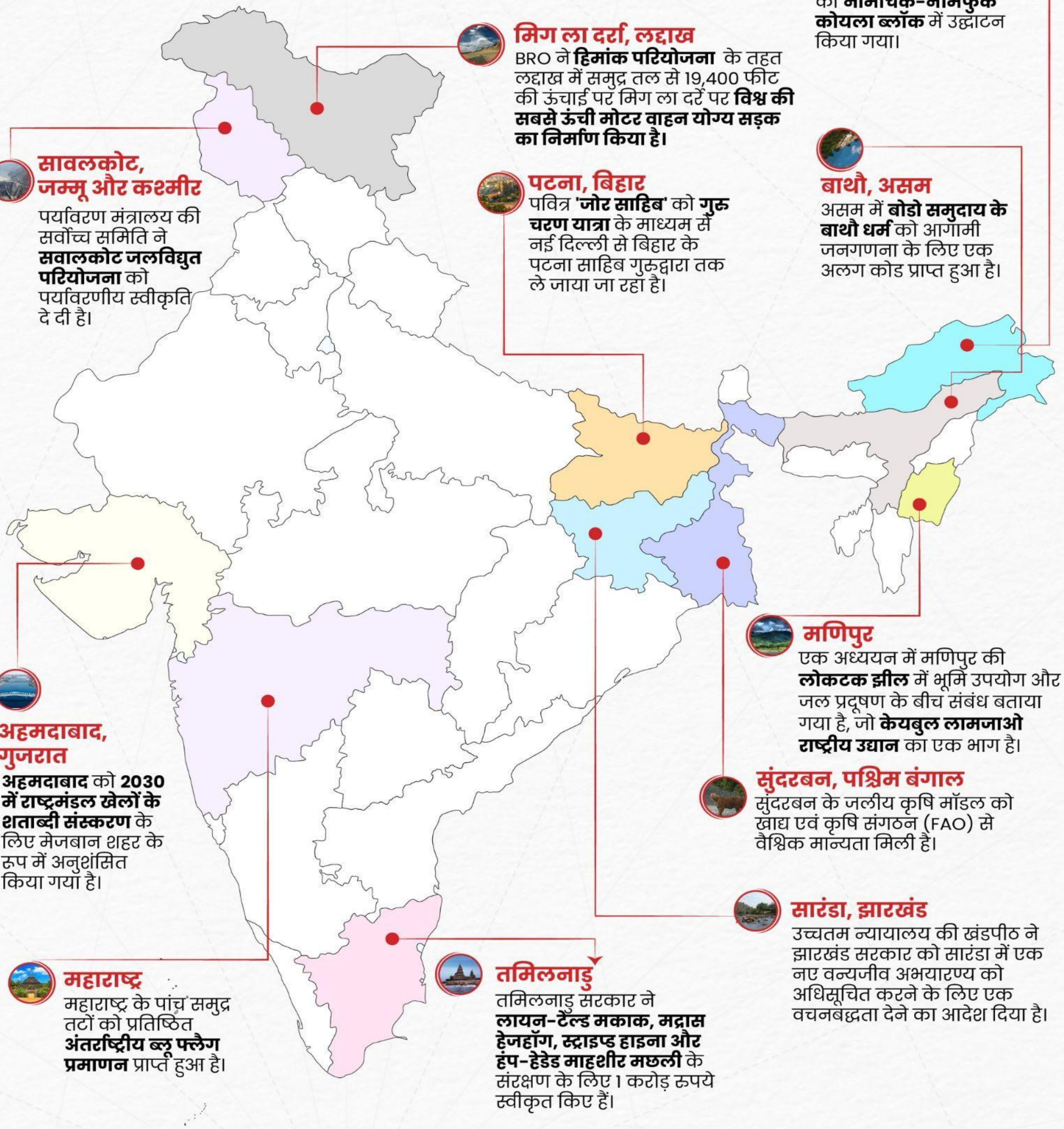

मिग ला दर्रा, लद्दाख

BRO ने **हिमांक परियोजना** के तहत लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर मिग ला दर्रे पर **विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया है।**

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का **नामचिक-नामफुक कोयला ब्लॉक** में उद्घाटन किया गया।

सावलकोट, जम्मू और कश्मीर

पर्यावरण मंत्रालय की सर्वोच्च समिति ने **सवालकोट जलविद्युत परियोजना** को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है।

पटना, बिहार

पवित्र **'जोर साहिब'** को **गुरु चरण यात्रा** के माध्यम से नई दिल्ली से बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा तक ले जाया जा रहा है।

बाथौ, असम

असम में **बोडो समुदाय के बाथौ धर्म** को आगामी जनगणना के लिए एक अलग कोड प्राप्त हुआ है।

अहमदाबाद, गुजरात

अहमदाबाद को **2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण** के लिए मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है।

मणिपुर

एक अध्ययन में मणिपुर की **लोकटक झील** में भूमि उपयोग और जल प्रदूषण के बीच संबंध बताया गया है, जो **केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान** का एक भाग है।

सुंदरबन, पश्चिम बंगाल

सुंदरबन के जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) से वैश्विक मान्यता मिली है।

सारंडा, झारखंड

उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने झारखंड सरकार को सारंडा में एक नए वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए एक वचनबद्धता देने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के पांच समुद्र तटों को प्रतिष्ठित **अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन** प्राप्त हुआ है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने **लायन-टेल्ड मकाक, मद्रास हेजहॉग, स्ट्राइप्ड हाइना और हंप-हेडेड माहशीर मछली** के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

विश्व

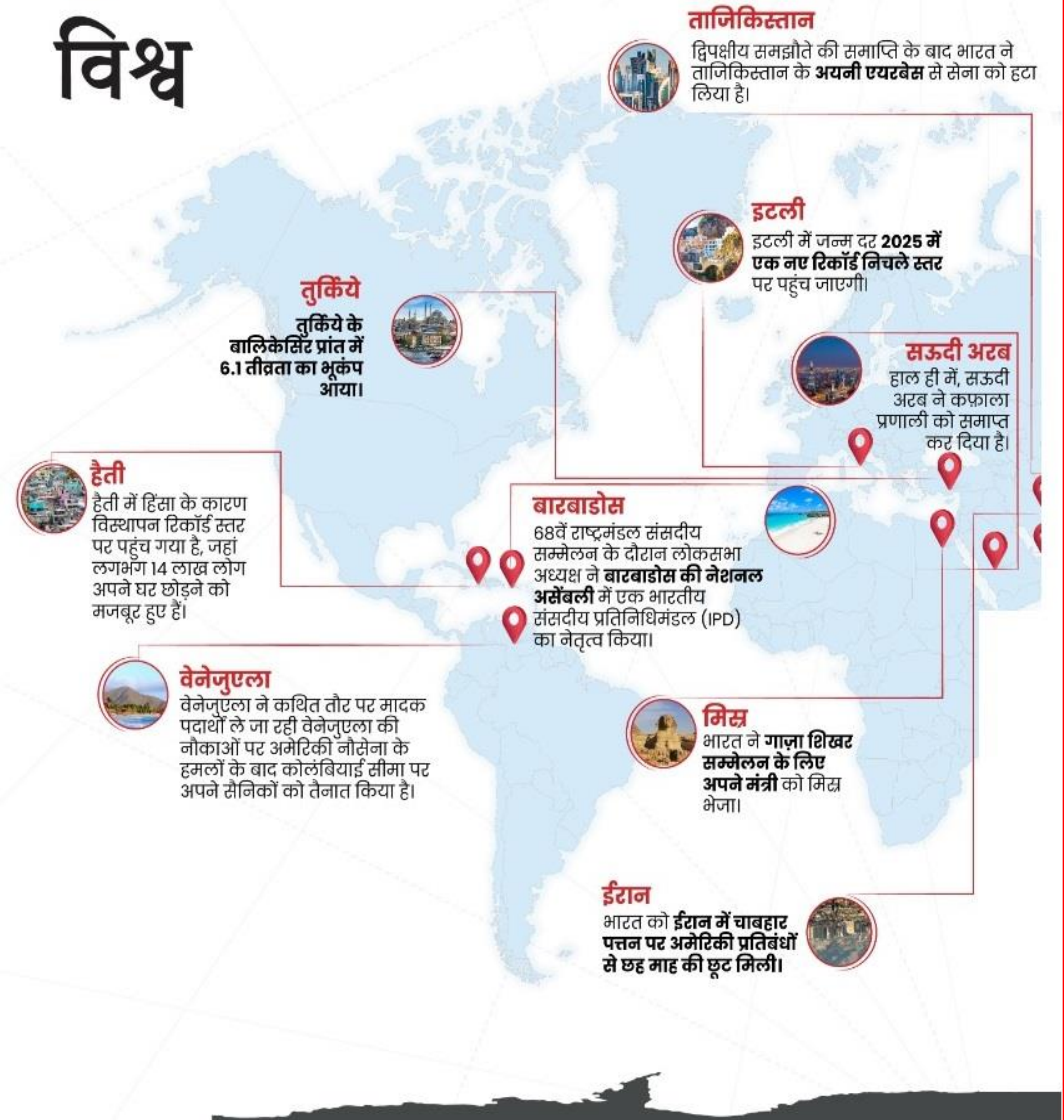

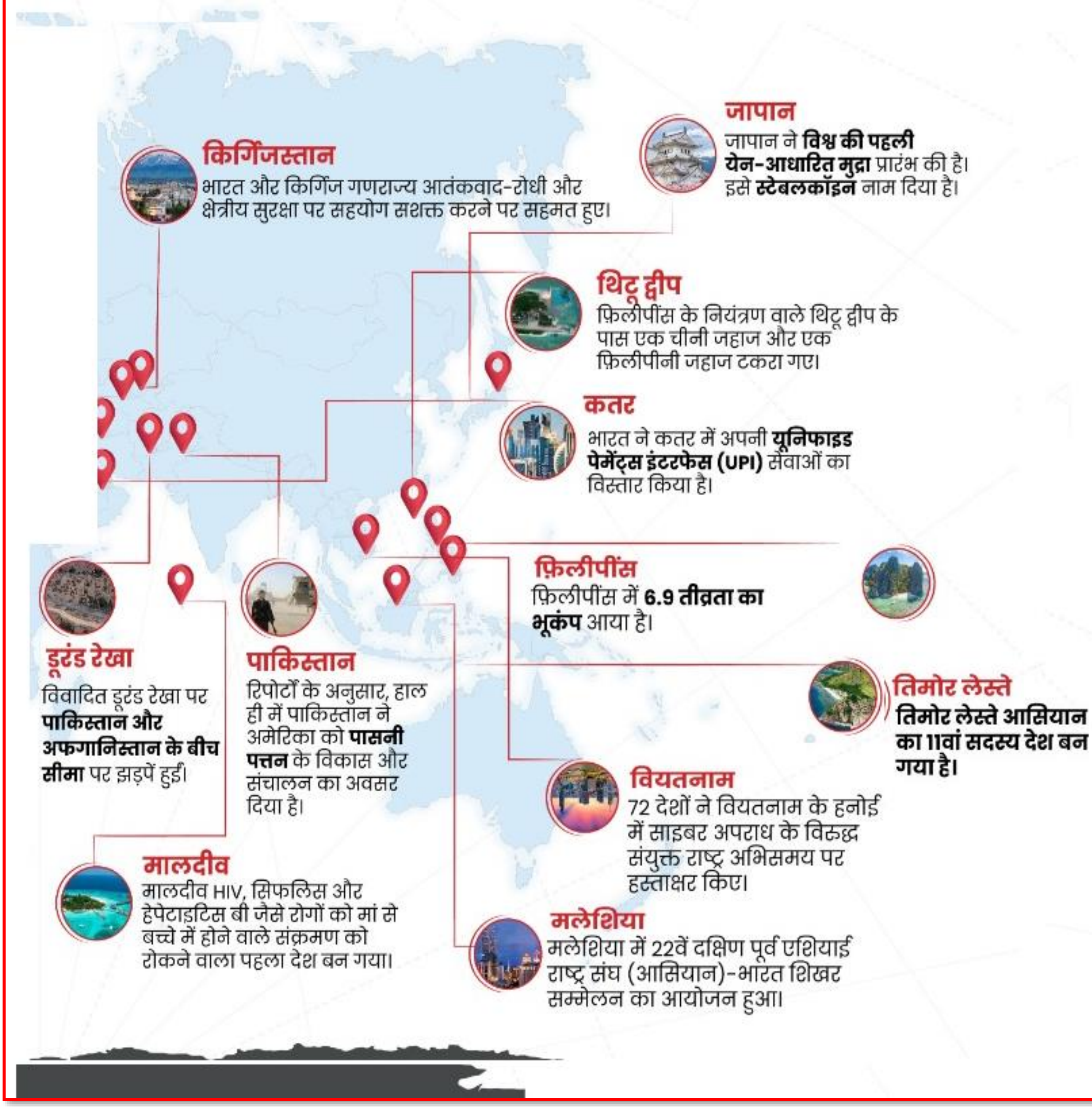
जापान
जापान ने **विश्व की पहली येन-आधारित मुद्रा** प्रारंभ की है। इसे **स्टेबलकॉइन** नाम दिया है।
किर्गिंजस्तान
भारत और किर्गिज गणराज्य आतंकवाद-रोधी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहयोग सशक्त करने पर सहमत हुए।
थिटू द्वीप
फ़िलीपींस के नियंत्रण वाले थिटू द्वीप के पास एक चीनी जहाज और एक फ़िलीपीनी जहाज टकरा गए।
कतर
भारत ने कतर में अपनी **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** सेवाओं का विस्तार किया है।
फ़िलीपींस
फ़िलीपींस में **6.9 तीव्रता का भूकंप** आया है।
डूरंड रेखा
विवादित डूरंड रेखा पर **पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा** पर झड़पें हुईं।
पाकिस्तान
रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका को **पासनी पत्तन** के विकास और संचालन का अवसर दिया है।
तिमोर लेस्ते
तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है।
वियतनाम
72 देशों ने वियतनाम के हनोई में साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।
मालदीव
मालदीव HIV, सिफलिस और हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों को मां से बच्चे में होने वाले संक्रमण को रोकने वाला पहला देश बन गया।
मलेशिया
मलेशिया में 22वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)-भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व

अक्टूबर

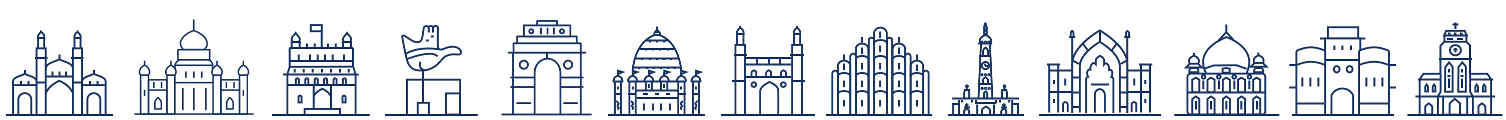

विषय सूची

1.	रानी चेन्नम्मा	3
2.	श्री नारायण गुरु	3
3.	सुब्रमण्य शिव	4
4.	वैकुंठभाई मेहता	4
5.	तिरूपर कुमारन	5
6.	पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर	5

सुर्खियों में व्यक्तित्व

रानी चेन्नम्मा (1778 - 1829)

हाल ही में, 23 अक्टूबर को रानी चेन्नम्मा की जयंती मनाई गई।

रानी चेन्नम्मा के बारे में

- उनका विवाह **कित्तूर के राजा मल्लसर्ज** से हुआ था।
- अपने पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया था।
  - अंग्रेजों ने शिवलिंगप्पा को कित्तूर का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, 1824 में कित्तूर विद्रोह हुआ।
- **कित्तूर विद्रोह के बारे में:**
  - इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। साथ ही, यह महिलाओं द्वारा संचालित शुरुआती उपनिवेश-विरोधी संघर्षों में से भी एक था।
  - 1824 में पहले युद्ध में ब्रिटिश हार गए, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया। 1829 में उनकी मृत्यु तक कैद में ही रखा गया।

नैतिक मूल्य

साहस और दृढ़ता

- वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले प्रारंभिक भारतीय शासकों में से एक थीं। उन्होंने व्यक्तिगत हानि के बावजूद अतुलनीय वीरता के साथ कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किया।
- पति और पुत्र की मृत्यु के बाद भी उन्होंने औपनिवेशिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और जीवन के अंतिम समय तक कारावास में रहीं।

श्री नारायण गुरु (1856–1928)

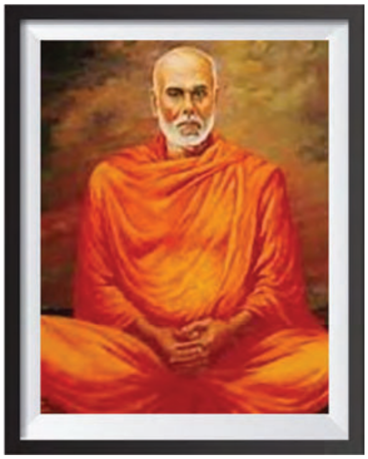

भारत के राष्ट्रपति ने केरल में **श्री नारायण गुरु** की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।

श्री नारायण गुरु के बारे में

- उनका जन्म **चेम्पाइंती** (वर्तमान तिरुवनंतपुरम के पास) में **एझावा परिवार** में हुआ था।
- वे एक **संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक** थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया था।
- **मुख्य योगदान:**
  - उन्होंने **"सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर"** के विचार का प्रचार किया था।
  - उन्होंने **"अरुविपुरम आंदोलन"** प्रारंभ किया था। यह सभी जातियों के मंदिर में प्रवेश के समान अधिकार के लिए चलाए गए आरंभिक आंदोलनों में से एक था।
  - उन्होंने 1903 में, **पी. पल्पु** के साथ मिलकर एक संगठन की स्थापना की थी। इसे बाद में **श्री नारायण धर्म परिपालन योगम** कहा गया। इसका उद्देश्य एझावा समुदाय का उत्थान करना था।
  - उन्होंने त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए **वायकोम सत्याग्रह (1924-25)** का समर्थन किया।
  - **रचनाएं:** अनुकम्पा दशकम, ब्रह्मविद्या पंचकम आदि।

नैतिक मूल्य

समानतावाद और बहुलतावाद

- वे बीसवीं शताब्दी के केरल में निम्न जातियों और उत्पीड़ितों के अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने नैतिक लेखन और सामाजिक जागरण के सरल उपायों के माध्यम से पूरे केरल की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन किया।
- उन्होंने समानता और स्वतंत्रता पर आधारित अपने बहुलतावादी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुब्रमण्य शिव (1884-1925)

प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

सुब्रमण्य शिव के बारे में

- **जन्म: डिंडीगुल (मदुरै),** तमिलनाडु में।
- **रचनाएं:** रामानुज विजयम, माधव विजयम आदि।
- **प्रमुख योगदान: महात्मा गांधी** और **वी.ओ.चिदंबरम पिल्लई** से प्रेरित होकर **असहयोग आंदोलन** में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

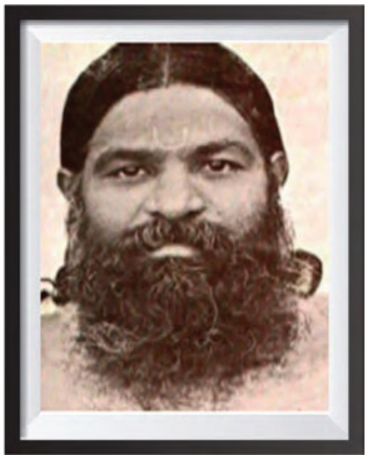

नैतिक मूल्य

निडरता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता

- उन्होंने धमकियों और कारावास के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने विश्वासों पर दृढ़ बने रहे।
- अपनी रचनाओं (जैसे रामानुज विजयम्) के माध्यम से उन्होंने सामाजिक मूल्यों का प्रसार किया।

वैकुंठभाई मेहता (1891-1964)

वैकुंठभाई मेहता की जयंती मनाई गई।

वैकुंठभाई मेहता के बारे में

- उनका जन्म भावनगर, गुजरात में हुआ था।
- उन्हें भारत के सहकारी आंदोलन के **प्रवर्तक / पुरोधा / भीष्म पितामह** के रूप में भी जाना जाता है।
- **मुख्य योगदान:**
  - उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के **मुख्य कार्यकारी** के रूप में कार्य किया।
  - वे **तत्कालीन बॉम्बे राज्य के वित्त और सहकारिता मंत्री** थे तथा **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पहले अध्यक्ष** थे।
  - उन्हें सहकारी आंदोलन में उनकी सेवाओं के लिए **कैसर-ए-हिंद** पदक (1916) से सम्मानित किया गया था।
  - वे खादी आंदोलन में **महात्मा गांधी के** सबसे भरोसेमंद **सहयोगी** थे।

नैतिक मूल्य

निःस्वार्थ सेवा और सादगी

- उन्होंने अपना जीवन सहकारिता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया और गैर-लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया।
- गांधी जी के निकट सहयोगी के रूप में, उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से सादगी, विनम्रता और समाज सेवा के मूल्यों को बनाए रखा।

तिरुपर कुमारन (1904-1932)

प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी तिरुपर कुमारन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

तिरुपर कुमारन के बारे में

- **जन्म: तमिलनाडु के इरोड** के पास एक बुनकर परिवार में हुआ।
- **स्थापना:** देशबंधु यूथ एसोसिएशन।
- **प्रेरणा स्रोत:** महात्मा गांधी के **अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन** के विचारों से प्रेरित थे।
- **मुख्य योगदान:** उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कई विरोध मार्चों में भाग लिया था और **राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए हुए ही शहीद हो गए थे।**

नैतिक मूल्य

देशभक्ति और युवा नेतृत्व

- एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए उनकी मृत्यु हो गई, और वे राष्ट्रीय गौरव एवं मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के प्रतीक बन गए।
- उन्होंने नैतिक दृढ़ विश्वास के साथ युवाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित किया।

पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर (1908- 1963)

भारत के उपराष्ट्रपति ने पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर के बारे में

- **जन्म:** तमिलनाडु के **रामनाथपुरम जिले** के पसुम्पोन गांव में एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था।
- उनका संबंध **मुक्कुलतोर के कोन्डैयनकोट्टई मरावर समुदाय** से था, जो अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है।
- **मुख्य योगदान:**
  - **1927** में राजनीति में प्रवेश किया। **सुभाष चंद्र बोस** उनके राजनीतिक मित्र थे।
  - **राष्ट्रीय आंदोलन** में शामिल होकर तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ाने में मदद की।
  - उन्होंने **तमिलनाडु में मंदिर प्रवेश आंदोलन** और **आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त करवाने** जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - 1952 से 1957 तक **विधायक (MLA)** रहे और 1957 से 1963 तक **सांसद (MP)** रहे।
  - **अर्जित उपाधियां:** अनक्राउंड मोनार्क; नेताजी ऑफ द साउथ; द लॉयन ऑफ द साउथ आदि।

नैतिक मूल्य

सामाजिक न्याय और आदर्शों के प्रति निष्ठा

- उत्पीड़ित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मंदिर में प्रवेश और भेदभावपूर्ण विधियों को निरस्त करने का समर्थन किया।
- राष्ट्रवादी आदर्शों में अटूट विश्वास दिखाते हुए, सुभाष चंद्र बोस के साथ दृढ़ता से खड़े रहे।

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2027, 2028 & 2029

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली | 25 नवंबर, 11 AM | अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
10
in TOP 10 Selections in CSE 2024
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Shakti Dubey
2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student
3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student
4 AIR
Shah Margi Chirag
5 AIR
Aakash Garg
6 AIR
Komal Punia
7 AIR
Aayushi Bansal
8 AIR
Raj Krishna Jha
9 AIR
Aditya Vikram Agarwal
10 AIR
Mayank Tripathi
हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में
137 AIR
Ankita Kanti
182 AIR
Ravi Raaz
438 AIR
Mamata
448 AIR
Sukh Ram
509 AIR
Amit Kumar Yadav
DELHI
HEAD OFFICE
33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची